VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

MAINS 365

राजव्यवस्था

Classroom Study Material 2022

(September 2021 to June 2022)

दिल्ली | लखनऊ | जयपुर | हैदराबाद | पुणे | अहमदाबाद | चंडीगढ़ | गुवाहटी

8468022022
9019066066

enquiry@visionias.in /c/VisionIASdelhi /visionias_upsc vision_ias /VisionIAS_UPSC www.visionias.in

राजव्यवस्था और संविधान
(Polity and Constitution)

विषय सूची

1. भारतीय संविधान, प्रावधान और मूल संरचना (Indian Constitution, Provisions and Basic Structure) 5

1.1. अधिकार एवं कर्तव्य (Rights and Duties) 5

1.1.1. अधिकारों एवं कर्तव्य का संतुलन (Balance of Rights and Duty) 5

1.1.2. मूल कर्तव्यों का प्रवर्तन {Enforcement of Fundamental Duties (FDs)} 6

1.1.3. फ्री स्पीच (वाक् स्वतंत्रता) का अधिकार (Right to Free Speech) 8

1.1.4. डिजिटल अधिकार (Digital Rights) 10

1.2. फोन टैपिंग (Phone Tapping) 12

1.3. राजद्रोह (Sedition) 14

1.4. समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code: UCC) 16

1.5. धर्मांतरण विरोधी कानून (Anti-Conversion Laws) 18

1.6. दल-बदल रोधी कानून (Anti-Defection Law) 20

1.7. आरक्षण (Reservation) 23

1.7.1. निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण (Local Reservation in Private Sector) 23

1.7.2. जातिगत जनगणना (Caste Census) 24

1.7.3. आरक्षण से संबंधित अन्य सुर्ख़ियां (Other News Related to Reservation) 26

1.8. सहकारिता (Cooperatives) 27

2. संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां (Issues and Challenges Pertaining to the Federal Structure) 31

2.1. संघवाद (Federalism) 31

2.2. एक राष्ट्र एक भाषा (One Nation One Language) 32

2.3. सातवीं अनुसूची में सुधार (Reform in Seventh Schedule) 33

2.4. राज्यपाल-राज्य संबंध (Governor-State Relations) 34

2.5. CBI बनाम राज्य (CBI vs States) 36

2.6. भारत में अंतर्राज्यीय सीमा विवाद (Interstate Border Disputes in India) 38

2.7. इनर लाइन परमिट (Inner Line Permit: ILP) 40

2.8. विशेष श्रेणी का दर्जा (Special Category Status) 41

2.9. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 {Government Of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Act (GNCTD) 2021} 43

VISION IAS

3. संसद और राज्य विधानमंडल: संरचना एवं कार्यप्रणाली (Parliament and State Legislatures: Structure and Functioning) 45

3.1. संसदीय उत्पादकता में गिरावट (Declining Parliamentary Productivity) 45

3.2. राज्य सभा की प्रासंगिकता (Relevance of Rajya Sabha) 46

3.3. लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee: PAC) 48

3.4. लोक सभा का उपाध्यक्ष (Deputy Speaker of Lok Sabha) 49

4. न्यायपालिका और अन्य अर्द्ध-न्यायिक निकायों की संरचना एवं कार्यप्रणाली (Structure and Functioning of Judiciary and Other Quasi-Judicial Bodies) 51

4.1. आपराधिक न्याय प्रणाली (Criminal Justice System) 51

4.1.1. आपराधिक कानूनों में संशोधन (Criminal Laws Amendment) 52

4.1.2. कारागार सुधार (Prison Reforms) 53

4.1.3. मृत्युदंड {Death Penalty (Capital Punishment)} 55

4.2. न्यायिक जवाबदेहिता (Judicial Accountability) 58

4.3. अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (All India Judicial Service: AIJS) 59

4.4. भारत में न्यायिक अवसंरचना (Judicial Infrastructure in India) 61

4.5. जनहित याचिका (Public Interest Litigation: PIL) 64

4.6. अधिकरण (Tribunals) 66

4.7. वैकल्पिक समाधान विवाद (Alternative Dispute Resolution: ADR) 69

4.7.1. ऑनलाइन विवाद समाधान (Online Dispute Resolution: ODR) 70

5. भारत में चुनाव (Elections In India) 73

5.1. चुनावी सुधार (Electoral Reforms) 73

5.2. राजनीति का अपराधीकरण (Criminalization of Politics) 74

5.3. एक राष्ट्र एक निर्वाचन (One Nation One Election) 75

5.4. निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक {Election Laws (Amendment) Bill} 77

5.5. राजनीतिक दल का आंतरिक लोकतंत्र (Internal Party democracy) 79

5.6. चुनावी मुफ्त उपहार (Election Freebies) 81

5.7. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (Electronic Voting Machines: EVMs) 82

5.8. सोशल मीडिया और राजनीति (Social Media and Politics) 84

6. गवर्नेंस/ शासन (Governance) 88

6.1. लोकतंत्र की वैश्विक स्थिति (Global State of Democracy) 88

6.1.1. वैश्विक शासन में लोकतांत्रिक सिद्धांत (Democratic Principles in Global Governance) 89

VISION IAS

6.2. ई-गवर्नेंस (e-Governance) 91
6.2.1. सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम (IT नियम), 2021 {Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules (IT Rules), 2021} 92
6.2.2. राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति (National Data Governance Framework Policy) 94
6.3. कानूनों में अस्पष्टता को कम करना (Reducing Ambiguity in Laws) 97
6.4. प्रौद्योगिकी और कानून (Technology and Law) 99
6.5. नागरिक समाज (Civil Society) 102
6.5.1. उभरते भारत में नागरिक समाज की बदलती भूमिका (Changing Role of Civil Society in Emerging India) 103

7. स्थानीय स्वशासन (Local Governance) 105

7.1. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 {Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996} 105
7.2. जन योजना अभियान (People's Plan Campaign) 107
7.3. सेवा वितरण में पंचायतों की भूमिका (Role of Panchayats in Service Delivery) 108
7.4. शहरी स्थानीय निकाय {Urban Local Bodies (ULBs)} 111

8. सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्द्ध-न्यायिक निकाय (Statutory, Regulatory and various Quasi-judicial Bodies) 114

8.1. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग {National Commission for Scheduled Tribes (NCST)} 114
8.2. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India: UIDAI) 115

विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न	मुख्य परीक्षा के सिलेबस के अनुसार अलग कर वर्ष 2014-2021 तक पूछे गए प्रश्नों (राजव्यवस्था एवं शासन खंड के लिए) की एक रेफरेंस शीट प्रदान की गई है। इस डॉक्यूमेंट के साथ, यह परीक्षा की मांग को समझने और बेहतर उत्तर लिखने के लिए विचारशीलता (थॉट प्रॉसेस) को विकसित करने में मदद करेगा।

छात्रों के लिए संदेश

प्रिय छात्रों,

- अच्छे उत्तर में सटीक कंटेंट अब छोड़ देने लायक घटक नहीं है, बल्कि यह एक मूल आवश्यकता है। एक सटीक उत्तर लिखने की तैयारी पेन हाथ में लेकर उत्तर के बारे में सोचने से पहले ही शुरू हो जाती है। पूछे गए विषय की अच्छी समझ के साथ प्रासंगिक डेटा और उदाहरणों का इस्तेमाल उत्तर को सटीक बनाता है। इससे सबसे कठिन प्रश्नों के उत्तर लिखने में भी मदद मिलती है।
- इसके अलावा एक बेहतरीन शैली में उत्तर की प्रस्तुति उसमें शामिल तथ्यों और जानकारी को आसानी से समझने में मदद करती है।

इस संदर्भ में हमने इस डॉक्यूमेंट में कुछ नई विशेषताएं शामिल की हैं:

टॉपिक – एक नज़र में:

इसमें आवश्यक डेटा और तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। यह स्टेटिक जानकारी और समसामयिक घटनाओं के विश्लेषण को जोड़कर विषय का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करेगा।

इन्फोग्राफिक्स:

इन्फोग्राफिक्स को इस डॉक्यूमेंट में इस तरह से शामिल किया गया है कि उन्हें उत्तरों में आसानी से शामिल किया जा सकता है।

विगत वर्षों के प्रश्न:

छात्रों के संदर्भ के लिए सिलेबस के अनुसार अलग कर पिछले वर्ष के प्रश्नों के लिए एक QR कोड प्रदान किया गया है।

इनके साथ-साथ, इस वर्ष हमने विषयों को अच्छी तरह से याद करने तथा सटीक तरीके से उत्तर लिखने में आपकी मदद करने के लिए कुछ और विशेषताओं को शामिल किया है, इनमें शामिल हैं:

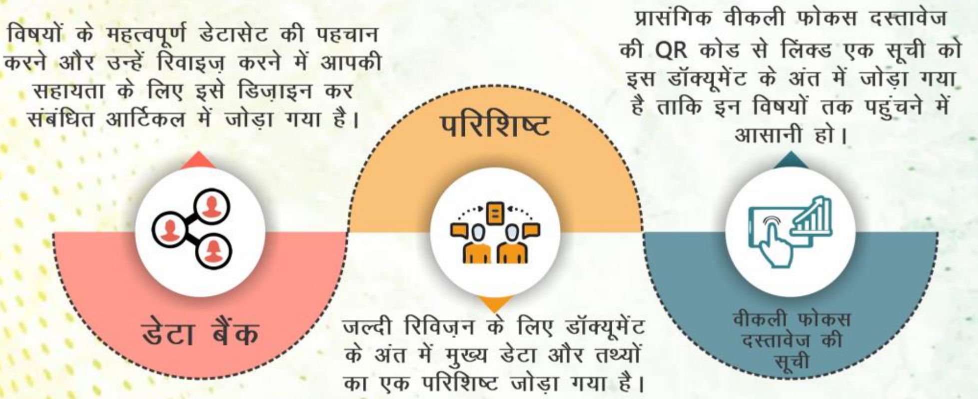

हम आशा करते हैं कि ये नई विशेषताएं न केवल आपको विषयों की व्यापक समझ विकसित करने में मदद करेंगी, बल्कि प्रभावी और अच्छी तरह से प्रस्तुत किये गए उत्तर लिखने के लिए आवश्यक इनपुट भी प्रदान करेंगी।

"ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, हमें उसका इस्तेमाल आना चाहिए। इच्छा रखना पर्याप्त नहीं है, हमें वास्तविक प्रयास करना चाहिए।" – जोहान वोल्फगैंग वॉन गोएथे

शुभकामनाएं!
टीम VisionIAS

1. भारतीय संविधान, प्रावधान और मूल संरचना (Indian Constitution, Provisions and Basic Structure)

1.1. अधिकार एवं कर्तव्य (Rights and Duties)

1.1.1. अधिकारों एवं कर्तव्य का संतुलन (Balance of Rights and Duty)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय कानून मंत्री ने संविधान दिवस समारोह के दौरान **मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन** बनाने की वकालत की।

अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में

- मौलिक अधिकार **उन दावों** को प्रदर्शित करते हैं, जो **किसी व्यक्ति के अस्तित्व और विकास** के लिए आवश्यक हैं।
  - इसमें **आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार**[1] शामिल हैं। एक समाज या राष्ट्र वैधानिक, सामाजिक या नैतिक सिद्धांतों के माध्यम से इन अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है।
- इसी प्रकार, प्रत्येक व्यक्ति समाज तथा इसके मानदंडों के एक भाग के रूप में **अन्य व्यक्तियों, समाज, राष्ट्र या मानवता के प्रति कुछ कर्तव्यों** का पालन करता है।
  - जैसे, वेदों में **ऋत** (प्राकृतिक व्यवस्था या सत्य) के आधार पर **धर्म** (कर्तव्य) और **कर्म** (क्रिया) के सिद्धांत दिए गए हैं।

अधिकारों और कर्तव्यों को एक साथ देखने के लाभ	अधिकारों और कर्तव्यों को एक साथ देखने से संबंधित मुद्दे
• **पूरक प्रकृति:** प्रत्येक अधिकार में दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने और उनकी रक्षा करने से संबंधित दायित्व शामिल होता है। ○ उदाहरण के लिए, मीडिया को "वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता" का अधिकार मिला है। साथ ही, उनका यह कर्तव्य भी है कि वे दूसरों की निजता का सम्मान करें। • **व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बचाव:** यद्यपि 'विधि का शासन' (Rule of Law) राज्य का उत्तरदायित्व है, लेकिन कर्तव्य यह सुनिश्चित करते हैं कि कम-से-कम अधिकांश आबादी किसी बाहरी दबाव के बगैर कानून का पालन करे। • **शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने में सहायक:** अधिकारों तथा कर्तव्यों को साथ शामिल किये जाने से लोगों के साथ **रचनात्मक जुड़ाव में प्रशासन को सहायता** मिलती है। यह शांति और सद्भाव की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक तंत्र के निर्माण में सहायता करता है। इसके अलावा, यह हिंसा से जुड़े कृत्यों और सभी प्रकार के भेदभाव को भी हतोत्साहित करता है। ○ उदाहरण के लिए- यदि लोग संविधान का पालन करने के साथ ही संवैधानिक संस्थाओं का ईमानदारी से सम्मान (प्रथम मौलिक कर्तव्य) करते हैं, तो शांति और सद्भाव को बढ़ावा मिलता है। इसी प्रकार, हिंसा त्यागने का निर्णय **समाज की जीवंतता और बहुलवादी प्रकृति** को संरक्षित करने में सहायता करता है। • **राज्य को उसके कर्तव्य निर्वहन में सहायता करना:** राज्य लोगों की सहायता के बगैर सभी अधिकारों को सुनिश्चित नहीं कर सकता है। ○ उदाहरण के लिए- राज्य को सबकी शैक्षिक तथा पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए माता-पिता या उन व्यक्तियों की सहायता की आवश्यकता होती है, जो जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं	• **स्वरूप की भिन्नता:** प्रत्येक मनुष्य को जन्म के साथ ही कुछ अधिकार मिल जाते हैं, किन्तु कर्तव्यों के पालन के लिए सक्षम व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। • **अधिकार, कर्तव्यों के अग्रदूत होते हैं:** मूलभूत गरिमा और अधिकारों की पूर्ति के बिना, लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते हैं। ○ उदाहरण के लिए- शिक्षा के अधिकार की पूर्ति के बिना ऐसे कर्तव्यों का पालन करने की अपेक्षा करना कठिन होगा जो दूसरों के अधिकारों, सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता आदि का सम्मान करे। • **वैधानिक स्थिति में भिन्नता:** मौलिक अधिकारों की एक प्रमुख विशेषता न्यायालय में इनकी प्रवर्तनीयता (Justiciability) है। न्यायालय द्वारा जारी रिट के माध्यम से मौलिक अधिकारों को प्रवर्तनीय बनाया जा सकता है अथवा उपचार की मांग की जा सकती है। हालांकि, मौलिक कर्तव्य **गैर-प्रवर्तनीय प्रकृति** के होते हैं। • **राज्य को उसके उत्तरदायित्वों से एक संभावित छूट:** कानून का शासन और मानवाधिकारों का संरक्षण राज्य के उत्तरदायित्व हैं। इसके लिए उसे विधि के तहत विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं। उदाहरण के लिए- ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि कर्तव्यों का पालन न होने के

[1] Economic, Social and Cultural rights: ESC rights

अथवा करों का भुगतान करके संसाधन उपलब्ध कराने में सहायता करते हैं। • **केवल स्वहित एवं स्व कल्याण या स्वार्थपूर्ण जैसी संकीर्ण प्रवृत्तियों को रोकने में सहायक:** साझी मानवता और दूसरों के अधिकारों के लिए वास्तविक सम्मान, दोनों ही, लोगों द्वारा स्वार्थ पर नियंत्रण पाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से बचने के लिए आवश्यक हैं। • **मूल कर्तव्यों के बिना, मूल अधिकारों का प्रयोग नहीं किया जा सकता।** प्रत्येक व्यक्ति को कुछ अधिकारों के साथ-साथ उसे कुछ दायित्व भी प्रदान किए गए हैं। ○ उदाहरण के लिए, **अनुच्छेद 26** में प्रत्येक नागरिक के लिए शिक्षा के अधिकार (RTE) का प्रावधान किया गया है। इसी तरह, **अनुच्छेद 51A(k)** में उपबंधित किया गया है कि प्रत्येक माता-पिता या अभिभावक को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने हेतु अवसर प्रदान करना चाहिए।	कारण अधिकारों की पूर्ति नहीं की गई है। • **अधीनता का जोखिम:** लोकतंत्र में संविधान की मूलभूत इकाई एक व्यक्ति होता है। अधिकारों की भांति कर्तव्यों पर समान ध्यान देने से सामूहिक इच्छा के प्रति व्यक्तिगत अधीनता स्थापित होने का जोखिम होता है। • **अस्पष्ट और व्यक्तिनिष्ठ प्रकृति:** कर्तव्यों से जुड़ा एक अन्य मुद्दा इसके अस्पष्ट स्वरूप तथा कुछ धार्मिक सिद्धांतों के साथ इसके टकराव से संबंधित है। उदाहरण के लिए- हमारे स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों में व्यापक विविधताएँ विद्यमान हैं। समय-समय पर अन्य सिद्धांतों के साथ इनकी परस्पर विरोधी व्याख्याएँ सामने आती रही हैं।

आगे की राह

मानवाधिकारों और गरिमा को बनाए रखने के लिए अधिकारों के स्वतंत्र उपयोग एवं कर्तव्यों के बीच न्यूनतम संतुलन को बनाए रखा जाना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं:

- राज्य को मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के साथ-साथ उसे संरक्षण प्रदान करने को अपना प्राथमिक उत्तरदायित्व स्वीकार करना चाहिए। नागरिकों द्वारा कर्तव्यों का पालन करना उसके लिए पूर्वशर्त नहीं होनी चाहिए।
- प्रत्येक नागरिक के न्यूनतम मूल अधिकारों जैसे,- आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार को पूरा करना चाहिए, ताकि किसी भी कर्तव्य से पहले पर्याप्त जीवन स्तर सुनिश्चित किया जा सके।
- लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करना चाहिए। इससे जाति, पंथ, धर्म, क्षेत्र आदि के आधार पर असमानता, असहिष्णुता आदि जैसी मूलभूत समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी।
- **अधिकारों पर निर्भरता के जोखिम को कम करना और कर्तव्यों की पूर्ति की संभावना को अधिकतम करना चाहिए।**
- **संवैधानिक नैतिकता** विकसित करने तथा **नागरिकों को उत्तरदायी** बनाने हेतु **एक आधारभूत चार्टर का निर्माण करना चाहिए।** जैसा कि **मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 29(1)** में उल्लिखित है कि "प्रत्येक व्यक्ति का उस समाज के प्रति कर्तव्य हो, जिसमें रहकर उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव होता है।"

1.1.2. मूल कर्तव्यों का प्रवर्तन {Enforcement of Fundamental Duties (FDs)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के महान्यायवादी (AGI) ने कहा है कि नागरिकों पर मूल कर्तव्यों को 'लागू' करने के लिए विशेष कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अन्य संबंधित तथ्य:

- इससे पहले भी, **सुप्रीम कोर्ट ने FDs को लेकर संघ एवं राज्यों की सरकारों से एक याचिका पर जवाब मांगा था।** इस याचिका में राष्ट्र-भक्ति और राष्ट्र की एकता सहित अनुच्छेद 51A में शामिल सभी मूल कर्तव्यों को लागू करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, इसके लिए "विस्तृत एवं सुपरिभाषित कानून" बनाए जाने चाहिए।
- **मूल कर्तव्यों को लागू करने के लिए याचिका में दिए गए तर्क:**
  - नागरिकों का कर्तव्य है कि वे **देश के आदर्शों को बनाए रखें** और **इसके विकास एवं बेहतरी में योगदान करें।** यदि नागरिक इन कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो इसका सीधा प्रभाव अनुच्छेद 14, 19 और 21 द्वारा गारंटीकृत मूल अधिकारों पर पड़ता है।

- **लोगों द्वारा** प्राय: **मूल कर्तव्यों का उल्लंघन** किया जाता है। इन उल्लंघनकर्ताओं में **कानूनी अधिकारी भी शामिल** होते हैं। इसके परिणामस्वरूप अन्य नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है।
- **रंगनाथ मिश्र के निर्णय में** सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि **मूल कर्तव्यों को कानूनी और सामाजिक प्रतिबंधों द्वारा लागू किया जाना चाहिए।**

मूल कर्तव्यों की वैधता के पक्ष में तर्क	मूल कर्तव्यों की वैधता के खिलाफ तर्क
• **अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं:** संविधान नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार प्रदान करता है। साथ ही वह उनसे लोकतांत्रिक आचरण और व्यवहार के कुछ बुनियादी मानदंडों का पालन करने की अपेक्षा भी करता है। मूल कर्तव्य नागरिकों को निरंतर उपर्युक्त दोनों बातें याद दिलाने के लिए शामिल किए गए हैं। इसका कारण यह है कि अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। • **हिंदू धर्मग्रंथों में वर्णित होना:** अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संबंध का वर्णन भगवद् गीता में भी किया गया है। यह हमें सिखाती है कि 'हमारा कर्तव्य ही हमारा अधिकार है।' ○ अब समय आ गया है कि **अधिकारों, स्वतंत्रताओं तथा दायित्वों को संतुलित** किया जाए। साथ ही "राष्ट्र के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी की गहरी भावना" को पैदा किया जाए। • **महत्वपूर्ण कर्तव्यों को लागू करना:** कम-से-कम कुछ मूल कर्तव्यों को लागू करने की सख्त आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उन्हें अक्षुण्ण बनाए रखना, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। • **जलवायु परिवर्तन:** पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना न केवल सरकार बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। ऐसे कर्तव्यों को लागू करने की आवश्यकता है।	• **अस्पष्टता:** इसमें स्पष्टता की कमी है क्योंकि कुछ कर्तव्य अस्पष्ट हैं और उनमें इस्तेमाल किए गए शब्द जटिल हैं। उदाहरण के लिए, 'आदर्श', 'संस्था', 'भ्रातृत्व', 'मानववाद', 'वैज्ञानिक दृष्टिकोण'। • **दुरुपयोग की संभावना:** मूल कर्तव्यों के उल्लंघन के लिए नागरिकों को जिम्मेदार ठहराने की आड़ में सरकार नागरिकों के मूल अधिकारों में कमी कर सकती है। • **सामाजिक-आर्थिक चुनौतियां:** भारत गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा की कमी जैसी कई सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे में मूल कर्तव्यों के पालन के लिए उन्हें बाध्य करना न तो व्यावहारिक है और न ही समय की मांग है। • **वर्तमान प्रावधान:** वर्मा समिति के अनुसार, कुछ मूल कर्तव्य पहले से ही लागू हैं। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और भारत के संविधान का अनादर नहीं कर सकता है।

आगे की राह:

- नागरिक अपने कर्तव्यों का का पालन कर रहे हैं या नहीं इसकी परवाह किए बिना राज्य मानवाधिकारों को बढ़ावा दे एवं संरक्षण प्रदान करे। इसे राज्य को अपनी **प्राथमिक जिम्मेदारी** के रूप में स्वीकार करना चाहिए।
- **प्रत्येक नागरिक के न्यूनतम मूल अधिकारों को पूरा किया जाना चाहिए।** उदाहरण के लिए- किसी भी कर्तव्य का निर्धारण करने से पहले लोगों का पर्याप्त जीवन स्तर सुनिश्चित करना चाहिए। इसके लिए लोगों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित करने होंगे।
- जाति, पंथ, धर्म, क्षेत्र आदि के आधार पर असमानता, असहिष्णुता आदि मूलभूत समस्याओं से निपटने के लिए **लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत किया जाना चाहिए। इससे अधिकारों को कम महत्व देने के जोखिम को न्यूनतम और कर्तव्यों को पूरा करने की संभावना को अधिकतम किया जा सकेगा।**
- **लोगों में संवैधानिक नैतिकता विकसित करने और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए एक बुनियादी चार्टर बनाया जाना चाहिए। जैसा कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 29(1)** में कहा गया है कि "प्रत्येक व्यक्ति के उस समाज के प्रति कुछ कर्तव्य हैं जिसमें रहकर उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव होता है।"

निष्कर्ष:

FDs में महान संतों, दार्शनिकों, समाज सुधारकों और राजनितिक नेताओं के कुछ आदर्श, विचार और विश्वास शामिल हैं। ये निरंतर यह याद दिलाते हैं कि हमारे अधिकार और कर्तव्य एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनका निर्धारण नागरिकों का ध्यान मातृभूमि के प्रति उनके कर्तव्यों की ओर आकर्षित करने के लिए किया गया है। यह जॉन. एफ. कैनेडी के विचारों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है जिसमें उन्होंने कहा था कि "यह मत पूछिए कि देश आपके लिए क्या कर सकता है बल्कि यह पूछिए कि आप देश के लिए क्या कर सकते हैं।"

1.1.3. फ्री स्पीच (वाक् स्वतंत्रता) का अधिकार (Right to Free Speech)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, एक बहस ने **फ्री स्पीच के अधिकार** और **कठोर उपायों के माध्यम से राज्य द्वारा इसे विनियमित करने** से उत्पन्न होने वाले संघर्ष पर प्रकाश डाला है।

फ्री स्पीच के बारे में:

- फ्री स्पीच **सेंसरशिप** या कानूनी कार्रवाई **के डर के बिना अपने विचारों तथा राय को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने का कानूनी अधिकार है।**
- **मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा** (UDHR)[2] के अनुच्छेद 19 के अनुसार, **हर किसी को स्वतंत्र रूप से अपने तरीके से अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है।**

फ्री स्पीच की आवश्यकता	फ्री स्पीच पर प्रतिबंधों की आवश्यकता
• **सरकार को अधिक जवाबदेह बनाना:** मीडिया संस्थान तथा नागरिक समाज संगठन CSOs[3] समाज के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं। इस प्रकार वे सरकार के कामकाज के संबंध में लोगों की धारणा का निर्माण करते हैं। साथ ही, वे सरकार को अधिक जवाबदेह बनाने में योगदान देते हैं। • **लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना:** फ्री स्पीच **अन्य मूल अधिकारों को मजबूती प्रदान करता है, जैसे- सम्मेलन करने की स्वतंत्रता।** इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल लोग सार्वजनिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए विरोध-प्रदर्शनों में करते हैं। साथ ही, इससे लोगों की भागीदारी को भी मजबूती मिलती है। • **समानता को बढ़ावा देना:** अपने समुदाय द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों के बारे में अभियान चलाया जा सकता है और उन पर लोगों से खुल कर बात की जा सकती है। ऐसा करके उन मुद्दों को उजागर किया जा सकता है और जनता का समर्थन प्राप्त किया जा सकता है। इससे मानवाधिकारों के हनन को समाप्त किया जा सकता है। • **यह बदलाव और नवाचार के लिए आवश्यक है:** फ्री स्पीच **कलाकारों की रचनात्मकता की रक्षा करता है** तथा उन्हें स्वतंत्र रूप से विचार करने एवं अपने विचारों को साझा करने में समर्थ बनाता है। रचनात्मकता में अकादमिक लेखन, थियेटर, कार्टून, दृश्य कला आदि शामिल हो सकते हैं। • **विकास:** फ्री स्पीच विचारों की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई व्यक्ति दुनिया के बारे में तब तक एक स्वतंत्र दृष्टिकोण विकसित नहीं कर सकता है जब तक उसे दूसरों के साथ अपने अनुभवों या विश्वासों को साझा करने की अनुमति नहीं होगी और जब तक वह इस संबंध में विभिन्न विचारों से अवगत नहीं होगा	• **देश की प्रभुता और अखंडता:** ऐसी वाक् या अभिव्यक्ति जो भारत के लिए खतरा हो सकती है, उसे अनुच्छेद 19(2) के तहत प्रतिबंधित किया जा सकता है। ○ उपर्युक्त आधार को **संविधान (16वाँ संशोधन) अधिनियम, 1963** द्वारा जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य देश में अलगाववादी आंदोलनों को भड़काने वाले व्यक्तियों या समूहों पर प्रतिबंध लगाना था। • **देश की सुरक्षा:** देश की सुरक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए देश की सुरक्षा को जोखिम में डालने वाली गतिविधियों पर उचित प्रतिबंध लगाना अत्यंत आवश्यक है। • **विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध:** देश की प्रतिष्ठा को खतरे में डालने वाले दुर्भावनापूर्ण कार्यों पर अंकुश लगाने और एक वैश्वीकृत दुनिया में अन्य देशों के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। • **लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार:** सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील शब्दों के प्रयोग या अश्लील तस्वीरों की मार्केटिंग या उनके वितरण या उनके विज्ञापन पर रोक लगाने के लिए यह आवश्यक है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सामाजिक अशांति का कारण बन सकते हैं या किसी विशेष समुदाय या पूरे समाज के लिए असुविधा पैदा कर सकते हैं। • **न्यायालय की अवमानना:** न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखने और न्यायपालिका में जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। यह **अनुच्छेद 129** (सुप्रीम कोर्ट) और **अनुच्छेद 215** (हाई कोर्ट) के तहत एक **दंडनीय अपराध है।** • **मानहानि या अपराध के लिए उकसाने के संबंध में:** फ्री स्पीच किसी

[2] Universal Declaration of Human Rights

[3] Civil Society Organizations

कि क्या महत्वपूर्ण है और कौन से विश्वास सबसे अधिक सार्थक हैं। • **आधारभूत इकाई:** फ्री स्पीच **नागरिकों को दिए गए अन्य अधिकारों के आधार के रूप में कार्य करता है। उदाहरण के लिए, प्रेस की स्वतंत्रता जो** बेहतर जागरूक जनता और मतदाताओं को तैयार करने में मदद करती है।	व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को किसी अन्य व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाने या सांप्रदायिक हिंसा या अशांति को बढ़ावा देने का अधिकार नहीं देती है। इसे **संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951** द्वारा जोड़ा गया था।

आगे की राह:

मनमानी: अनुच्छेद 19(2) में उल्लेखित 'युक्तियुक्त निर्बंधन' वाक्यांश का मनमाना या ज्यादा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 19(1)(a) से लेकर 19(1)(g) तक गारंटीकृत स्वतंत्रताओं और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए।

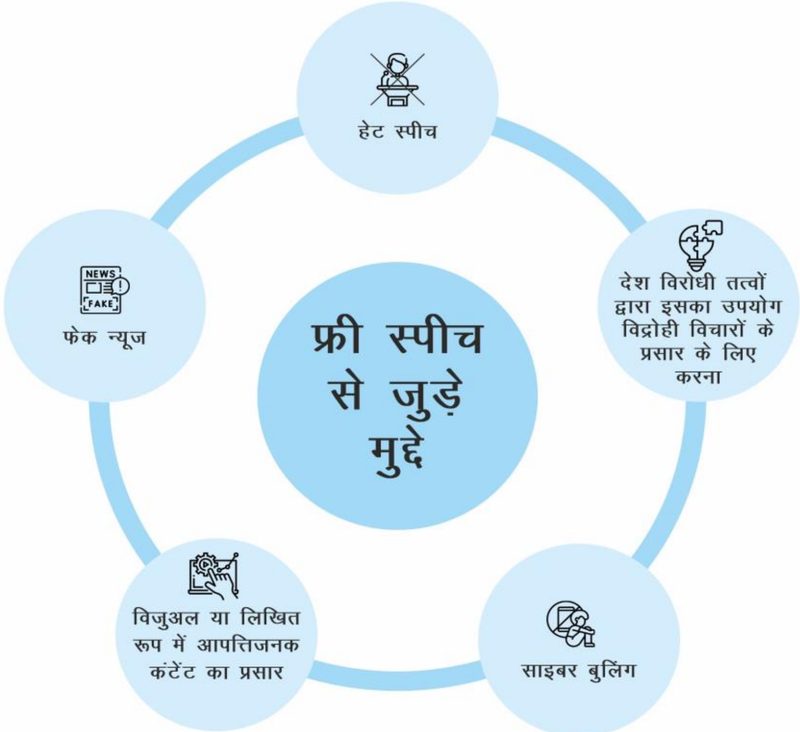

- **प्रतिबंध की प्रकृति:** फैसले पर पहुंचने से पहले न्यायालय को प्रतिबंध की तर्कसंगतता का निर्धारण करना चाहिए। अर्थात् व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने से पहले न्यायालय को **प्रतिबंध की प्रकृति और कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया** पर विचार करना चाहिए।
- **शिक्षा**: यह **फ्री स्पीच की समझ विकसित करने** में मदद कर सकती है और **इसके सार्थक उपयोग** (जैसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, शासन में पारदर्शिता आदि) **को बढ़ावा** दे सकती है।
- **जागरूकता:** सार्वजनिक प्राधिकारी, गैर-सरकारी संस्थाएं (NGOs)[4], नागरिक समाज संगठन आदि फ्री स्पीच के संबंध में जागरूकता बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

असहमति का अधिकार और लोकतंत्र:

- **समसामयिक या ऐतिहासिक घटनाओं के संबंध में** असहमति या **अलग विचार रखने और उसे व्यक्त करने का अधिकार** एक जीवंत लोकतंत्र का सार है।
- यह **असहमत होने का अधिकार** है।
- संविधान की प्रस्तावना में **विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता** का वचन दिया गया है। अनुच्छेद 19(1) के खंड (a) से (c) में निम्नलिखित स्वतंत्रताएं शामिल हैं:
  - वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
  - शांतिपूर्वक और निरायुध (बिना हथियारों के) सम्मेलन की स्वतंत्रता।
  - संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता।
- असहमति, **निरंकुशता को रोकने और सुधारों को बढ़ावा देने के लिए** एक माध्यम के रूप में कार्य करती है। उदाहरण के लिए, लोकपाल अधिनियम (भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे आंदोलन)
- श्रेया सिंघल फैसले के अनुसार, **संरक्षित और दुर्भावनाहीन अभिव्यक्ति (Protected and innocent speech)** एक जीवंत लोकतंत्र का मूल है।

[4] Non-governmental organizations

1.1.4. डिजिटल अधिकार (Digital Rights)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, यूरोपीय आयोग ने विश्व में पहली बार **डिजिटल अधिकारों और सिद्धांतों (Digital Rights and Principles)** का एक सेट प्रस्तावित किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

* यह यूरोपीय संघ परिषद की **"डिजिटल समाज और मूल्य-आधारित डिजिटल सरकार पर बर्लिन घोषणा-पत्र"**[5] का विस्तार है।
    * इस घोषणा-पत्र का उद्देश्य मूल्य-आधारित डिजिटल रूपांतरण में योगदान करना है। यह योगदान हमारे समाजों में **डिजिटल भागीदारी और डिजिटल समावेशन को संबोधित एवं अंततः मजबूत करके** किया जाएगा।
* **इस घोषणा-पत्र के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:**
    * ये अधिकार एवं सिद्धांत **लोगों के अधिकारों की रक्षा करेंगे** और लोकतंत्र का समर्थन करेंगे। साथ ही, **एक निष्पक्ष एवं सुरक्षित ऑनलाइन तंत्र भी** सुनिश्चित करेंगे।
    * ये नई तकनीकों से संबंधित मामलों में **नीति निर्माताओं और कंपनियों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेंगे।**
    * **विश्व के दूसरे देशों के लिए एक मानक के रूप में कार्य करेंगे।**
* **इस प्रस्ताव में उल्लिखित सिद्धांत हैं:** (इन्फोग्राफिक देखें)

डिजिटल अधिकारों के बारे में?

* डिजिटल अधिकारों का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता से गहरा संबंध है। डिजिटल अधिकार ऐसे अधिकार हैं, जो **लोगों को डिजिटल मीडिया तक पहुँचने, उपयोग करने, कंटेंट निर्मित करने और प्रकाशित** करने की अनुमति देते हैं। ये अधिकार कंप्यूटर, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और संचार नेटवर्क तक पहुँचने एवं उनका

[5] Berlin declaration on Digital Society and Value-Based Digital Government

उपयोग करने की भी अनुमति देते हैं।

- डिजिटल अधिकार वस्तुतः **संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निर्धारित अधिकारों का एक विस्तार मात्र** है। ये अधिकार ऑनलाइन विश्व पर भी लागू होते हैं।
- यह एक व्यापक अवधारणा है, जिसका आशय **निजता के अधिकार और डेटा संरक्षण** से है। ये **ट्रोलिंग, ऑनलाइन धमकियों और अभद्र भाषा से संबंधित** हो सकते हैं। इसके अलावा, ये आर्थिक स्थिति और असमर्थताओं पर ध्यान दिए बिना इंटरनेट तक समान पहुंच के व्यापक मुद्दों का हल कर सकते हैं।

आगे की राह

- **मानव-केंद्रित प्रौद्योगिकी:** डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल उत्पाद एवं सेवाएं और नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप होने चाहिए। इन्हें मानव-केंद्रित, मानव-नियंत्रित तथा मानव कल्याण और मानव गरिमा को बढ़ावा देने वाला भी होना चाहिए।
- **व्यक्तिगत डेटा के संग्रहण और उपयोग को सीमित करना:** किसी व्यक्ति द्वारा अनुरोध करने या बेहतर सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से ही डेटा का संग्रहण और इसके उपयोग को सीमित करना चाहिए। डेटा उपयोग के उद्देश्य को स्पष्ट करने वाले निर्देशों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।
- डिजिटल युग में भेदभाव, दुष्प्रचार और अन्य दुर्भावनापूर्ण ऑनलाइन गतिविधियों से निपटते हुए **मानवाधिकार, नैतिक मूल्यों एवं लोकतांत्रिक भागीदारी को बनाये रखने** की आवश्यकता है।
- डिजिटल युग में **बहु-हितधारक व व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा** देने की जरूरत है। यह सहयोग मानकों, बुनियादी ढांचे, डेटा प्रवाह, अनुसंधान एवं विकास तथा सुरक्षित और विश्वसनीय ऑनलाइन सेवाओं जैसे क्षेत्रों में दिया जाना चाहिए।
- **हरित और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के महत्त्व को मान्यता:** ये प्रौद्योगिकियां आर्थिक संवृद्धि तथा सामाजिक एवं पर्यावरणीय सतत विकास के साथ नवाचार व प्रतिस्पर्धात्मकता को संतुलित करने हेतु महत्वपूर्ण घटक हैं।
- **डेटा सुरक्षा एजेंसी की स्थापना करना:** यह एजेंसी निजता और डेटा सुरक्षा, निगरानी एवं प्रवर्तन आदि के प्रति समर्पित होनी चाहिए। इसे निजता के उल्लंघन से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिए अधिकार और संसाधन दिए जाने चाहिए।

डिजिटल अधिकारों की दिशा में की गईं पहलें

- **सरकारी पहलें:**
  - इंटरनेट बिल ऑफ राइट्स (ब्राजील),
  - आतंकवादी और हिंसक चरमपंथी ऑनलाइन सामग्री को समाप्त करने के लिए 'क्राइस्टचर्च कॉल' (न्यूजीलैंड),
  - रक्षित और सुरक्षित साइबरस्पेस के लिए 'पेरिस कॉल,'
  - भारत का व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक,
  - नेशनल पॉलिसी ऑन यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसिबिलिटी (भारत),
  - जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (यूरोपीय संघ) आदि।
- **सिविल सोसाइटी की पहलें:**
  - मध्यवर्ती दायित्व पर मनीला सिद्धांत,

- डिजिटल सहयोग के लिए रोडमैप पर महासचिव की रिपोर्ट,
- न्यायसंगत और समान इंटरनेट पहुँच पर दिल्ली घोषणा-पत्र,
- इंटरनेट के लिए मानवाधिकारों और सिद्धांतों का चार्टर,
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) के लिए सार्वभौमिक दिशा-निर्देश आदि।

- **अन्य:**
  - असिलोमार कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिद्धांत।

1.2. फोन टैपिंग (Phone Tapping)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कुछ राजनेताओं के फोन टैप करने (वर्ष 2019) के मामले को लेकर भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के एक अधिकारी की जांच चल रही है।

फोन टैपिंग के बारे में

- **परिभाषा:** फोन टैपिंग से तात्पर्य **किसी तीसरे पक्ष द्वारा गुप्त माध्यमों से इंटरनेट आधारित संचार और फोन की निगरानी** करने से है। 'फोन टैपिंग' शब्द का अर्थ **वायर टैपिंग या लाइन बगिंग अथवा इंटरसेप्शन ऑफ फोन (फोन का अवरोधन)** भी है। इसकी शुरुआत पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में 1890 के दशक में टेलीफोन रिकॉर्डर के आविष्कार के बाद हुई थी।

फोन टैपिंग पर संवैधानिक प्रावधान

- **सातवीं अनुसूची:** संविधान की **संघ सूची की प्रविष्टि 31 के अंतर्गत अन्य संचार उपकरणों** के साथ टेलीफोन का उल्लेख मिलता है।
- **निजता का अधिकार:** टेलीफोन पर बात करना किसी व्यक्ति के निजी जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस प्रकार, टेलीफोन टैपिंग, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा, जब तक कि इसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत अनुमति नहीं दी गई हो।
- **वाक् स्वतंत्रता:** यदि कोई व्यक्ति टेलीफोन पर बात कर रहा है, तो वह अपनी वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग कर रहा होता है। **इस प्रकार, टेलीफोन टैपिंग भी संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का तब उल्लंघन होगा, जब तक कि यह अनुच्छेद 19(2) के तहत निर्धारित अधिकारों के निर्बंधन के दायरे में नहीं आता है।**

- **विधिक प्रावधान:** फोन टैपिंग को **भारतीय तार अधिनियम, 1885** द्वारा विनियमित किया जाता है।

भारतीय तार अधिनियम, 1885

- **फोन टैपिंग का अधिकार:** भारतीय तार अधिनियम, 1885 की **धारा 5(2)** के तहत केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को फोन टैप करने का अधिकार प्राप्त है।
  - राज्यों में पुलिस को फोन टैप करने का अधिकार प्राप्त होता है।
  - **केंद्र में 10 एजेंसियां फोन टैप करने के लिए अधिकृत हैं:** आसूचना ब्यूरो, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI), प्रवर्तन निदेशालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व खुफिया निदेशालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंध (रिसर्च एंड एनालिसिस विंग -RAW), सिग्नल इंटेलिजेंस निदेशालय और दिल्ली पुलिस आयुक्त।
  - **इनके सिवाय, किसी अन्य एजेंसी द्वारा फोन टैप करना अवैध माना जाएगा।**

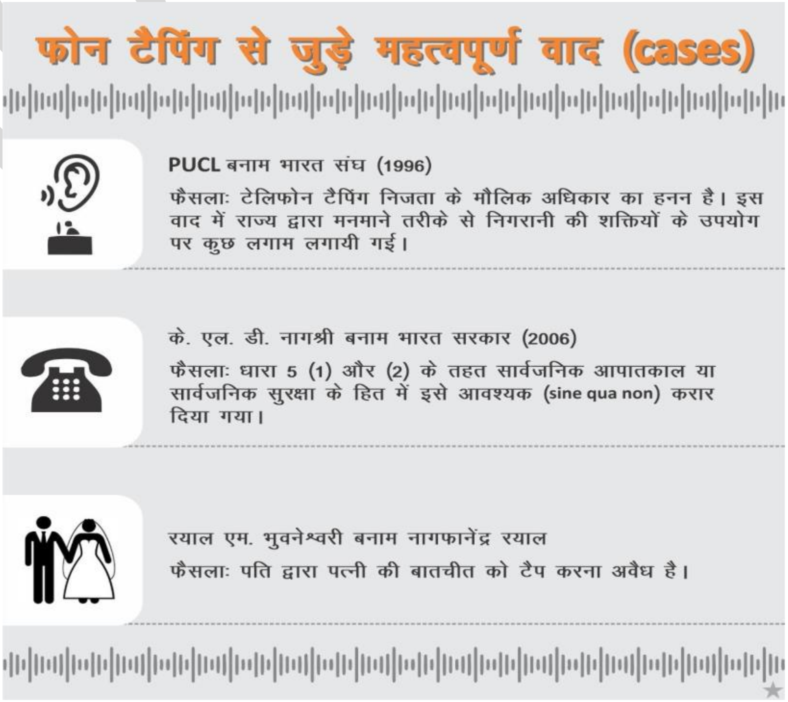

- **फोन टैपिंग के लिए आधार:** यदि केंद्र या राज्य सरकारें इस बात से संतुष्ट हैं कि **"लोक सुरक्षा, भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या लोक व्यवस्था या किसी अपराध को होने से रोकने के लिए"** ऐसा करना आवश्यक है, तो उनके द्वारा फोन टैपिंग की जा सकती है।
  - **प्रेस के लिए अपवाद:** केंद्र सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संवाददाताओं के ऐसे प्रेस संदेशों को जिन्हें भारत में प्रकाशित किया जाना है, उन्हें प्रकाशित होने से तब तक अवरोधित नहीं किया जाएगा, जब तक कि उनके प्रसारण को कानून के तहत प्रतिबंधित नहीं किया गया हो।
- **फोन टैपिंग के लिए आदेश जारी करने की शक्ति:** भारतीय तार (संशोधन) नियम, 2007 के **नियम 419A** के अनुसार, फोन टैपिंग के आदेश केवल **केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव अथवा राज्यों में इसके समकक्ष** अधिकारी द्वारा ही जारी किए जा सकते हैं। इस आदेश की सूचना सेवा प्रदाता को लिखित रूप में ही देनी होगी। इसके बाद ही टैपिंग शुरू की जा सकती है। सक्षम प्राधिकारी **को लिखित रूप में ही टैपिंग के कारणों को दर्ज करना होता है।**

फोन टैपिंग की शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध प्रतिबंध

- **अंतिम उपाय:** कानून में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि सूचना प्राप्त करने का कोई अन्य तरीका नहीं होने पर ही इंटरसेप्शन (रोक लगाने) का आदेश दिया जाना चाहिए।
- **समय सीमा:** इंटरसेप्शन के निर्देश (यदि इन्हें पहले ही निरस्त नहीं कर दिया गया है तो) 60 दिनों से अनधिक अवधि के लिए लागू रहेंगे। इन्हें नवीनीकृत किया जा सकता है, किंतु कुल 180 दिनों से अधिक नहीं।

> अन्य संबंधित तथ्य
>
> **पेगासस जासूसी के आरोपों की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय (SC) ने स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति का गठन किया है**
>
> - SC ने **तीन सदस्यीय तकनीकी समिति** की नियुक्ति की है। यह समिति पत्रकारों और राजनेताओं सहित भारतीय नागरिकों की पेगासस सॉफ्टवेयर द्वारा जासूसी करने के आरोपों की जांच करेगी।
>   - पेगासस एक **सैन्य श्रेणी का स्पाइवेयर** है। इसे इज़रायल की एक साइबर सुरक्षा फर्म **NSO ग्रुप टेक्नोलॉजीज़** द्वारा निर्मित किया गया है। इसे **केवल वैध सरकारों को ही बेचा जाता है।**
> - SC ने इस आदेश को पारित करने के लिए कई बाध्य करने वाली परिस्थितियों को सूचीबद्ध किया, जिनमें शामिल हैं:
>   - लोकतंत्र में विधि सम्मत प्रक्रिया के अतिरिक्त **नागरिकों की विवेकहीन जासूसी की अनुमति नहीं** दी जा सकती।
>   - SC ने यह स्वीकार किया कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर जानकारी को प्रकट नहीं कर सकती है। साथ ही, यह भी कहा कि **केवल राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा ही आगे करने से SC एक मूकदर्शक नहीं बन सकता।**
> - समिति मूल अधिकारों के मामले/उल्लंघन के तथ्यों का निर्धारण करने में उच्चतम न्यायालय की सहायता करेगी। **साथ ही, निम्नलिखित मुद्दों के संबंध में अनुशंसाएं भी करेगी:**
>   - आसपास की निगरानी और निजता के अधिकार को बेहतर रीति से सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा कानून एवं प्रक्रियाओं का अधिनियमन/संशोधन।
>   - राष्ट्र और इसकी संपत्तियों की **साइबर सुरक्षा में वृद्धि एवं सुधार** करना।

- **समीक्षा समिति:** सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किसी भी आदेश की समीक्षा मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति करती है। इस समिति में विधि और दूरसंचार सचिव सदस्य होते हैं। राज्यों में, इसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव द्वारा की जाती है, जिसमें विधि और गृह सचिव सदस्य होते हैं। समीक्षा समिति अवरोधित किए गए संदेश या संदेशों के किसी वर्ग की प्रतियों को नष्ट करने के निर्देशों और आदेशों को रद्द कर सकती है।
- **अभिलेखों (रेकॉर्ड्स) को नष्ट करना:** ऐसे निर्देशों से संबंधित अभिलेखों को, यदि वे किसी काम के नहीं हैं या इनकी जरूरत पड़ने की संभावना नहीं है, तो ऐसे अभिलेखों को छह माह बीतने पर नष्ट कर दिया जाएगा। सेवा प्रदाताओं को भी अवरोधन बंद करने के दो महीने के भीतर इंटरसेप्शन के निर्देशों से संबंधित अभिलेखों को नष्ट करना आवश्यक है।
- **प्रक्रियात्मक पारदर्शिता:** प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के उद्देश्य से कई प्रावधान किए गए हैं:
  - **सेवा प्रदाता को लिखित निर्देश:** सेवा प्रदाताओं के नामित अधिकारियों को पुलिस अधीक्षक (SP) या अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) अथवा समकक्ष रैंक के अधिकारी द्वारा लिखित रूप में इंटरसेप्शन के निर्देशों से अवगत कराया जाना आवश्यक है।
  - **सूचना का प्रकटीकरण:** इंटरसेप्शन के निर्देश में उस अधिकारी या प्राधिकारी के नाम और पदनाम का होना आवश्यक है जिसके इंटरसेप्टेड कॉल का खुलासा किया जाना है।
  - **सेवा प्रदाताओं का उत्तरदायित्व**
    - सेवा प्रदाताओं के लिए नामित नोडल अधिकारियों द्वारा सूचना मिलने के दो घंटे के भीतर सुरक्षा/विधि प्रवर्तन एजेंसी को **स्वीकृति पत्र जारी किया जाना अपेक्षित** है।
    - इन सेवा प्रदाताओं को प्रमाणिकता की पुष्टि करने के लिए प्रत्येक 15 दिनों में प्राप्त इंटरसेप्शन प्राधिकारों की एक सूची सुरक्षा व कानून प्रवर्तन एजेंसियों के नोडल अधिकारियों को भेजना होता है।

- वे यह **सुनिश्चित करने के लिए** पर्याप्त और प्रभावी **आंतरिक उपाय करेंगे कि संदेशों का अनधिकृत इंटरसेप्शन न हो** और पूर्ण गोपनीयता बनी रहे।
- **अनधिकृत इंटरसेप्शन** के मामले में, सेवा प्रदाता पर **जुर्माना लगाया जा सकता है या उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।**

अवैध फोन टैपिंग के विरुद्ध उपाय

- अनधिकृत फोन टैपिंग निजता के अधिकार का उल्लंघन है। इससे पीड़ित व्यक्ति मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करा सकता है।
- अनधिकृत फोन टैपिंग की जानकारी होने पर नजदीकी पुलिस थाने में **प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकती है।**
- इसके अतिरिक्त, पीड़ित व्यक्ति **भारतीय तार अधिनियम की धारा 26(b)** के तहत अनधिकृत तरीके से कृत्य करने अथवा फोन टैपिंग करने वाले व्यक्ति/कंपनी के विरुद्ध न्यायालय जा सकता है। इस धारा के अंतर्गत फोन **टैपिंग के लिए गिरफ्तार व्यक्तियों के लिए 3 वर्ष के कारावास का प्रावधान है।** अधिकृत फोन टैपिंग करने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है, किन्तु डेटा का साझाकरण अधिकृत तरीके से ही किया जाना चाहिए।

1.3. राजद्रोह (Sedition)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि **भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A के तहत 152 वर्ष पुराने राजद्रोह कानून** को प्रभावी रूप से तब तक **स्थगित कर देना चाहिए** जब तक कि केंद्र सरकार इस प्रावधान पर पुनर्विचार नहीं करती है।

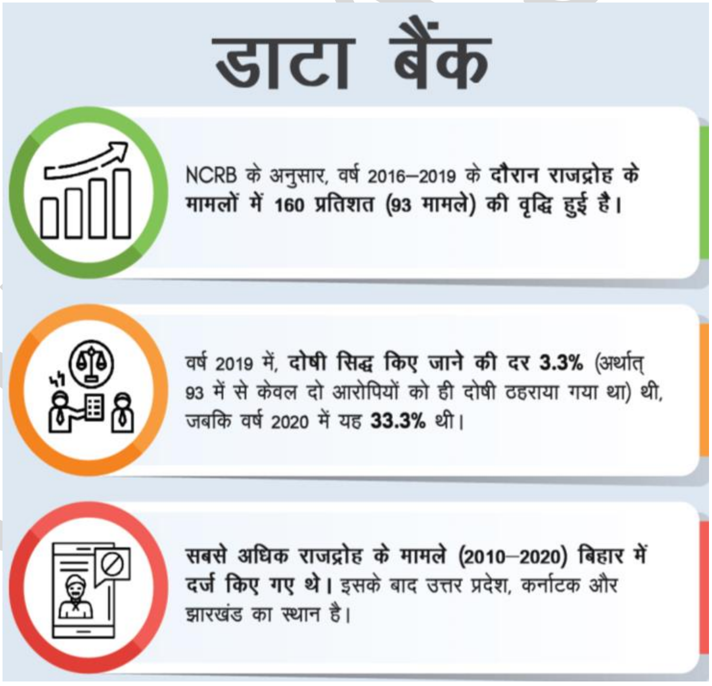

राजद्रोह के बारे में:

- **भारतीय दंड संहिता (धारा 124A)** में राजद्रोह को एक ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति **शब्दों द्वारा (लिखित), मौखिक, संकेतों या दृश्य रूप में घृणा या अवमानना या अप्रीति पैदा करने का प्रयत्न किया जाता है।**
- **इस प्रावधान में जोड़े गए तीन स्पष्टीकरणों** में कहा गया है कि **'असंतोष/अप्रीति (Disaffection)' में अभक्ति (नफरत या घृणा) और शत्रुता की समस्त भावनाएं शामिल हैं।** हालांकि, इस प्रावधान के अंतर्गत घृणा या अवमानना फैलाने का प्रयास किए बिना की गई टिप्पणियों को अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है।
- इस कानून के तहत, राजद्रोह एक **संज्ञेय, गैर-जमानती और नॉन-कंपाउंडेबल (गैर-प्रशम्य) अपराध है।** राजद्रोह के लिए अधिकतम सजा के तौर पर आजीवन कारावास (जुर्माने के साथ या जुर्माने के बिना) का प्रावधान किया गया है।
- इस कानून के तहत आरोपित व्यक्ति को **सरकारी नौकरी से वंचित किया जा सकता है।** आरोपित व्यक्ति को **पासपोर्ट के बिना रहना होता है।** साथ ही, आवश्यकता पड़ने पर उसे न्यायालय में पेश होना आवश्यक होता है।
- वर्ष 2018 में, **भारतीय विधि आयोग (LCI)** ने एक परामर्श-पत्र प्रकाशित किया था। इस परामर्श पत्र में अनुशंसा की गई थी कि अब समय आ गया है कि देशद्रोह से संबंधित IPC की धारा 124A पर पुनर्विचार किया जाए या उसे निरस्त किया जाए।

राजद्रोह कानून का महत्व:

- **भारत की एकता:** भारतीय दंड संहिता (IPC) की **धारा 124A** का उपयोग **राष्ट्र-विरोधी, अलगाववादी और आतंकी तत्वों से निपटने के लिए** किया जाता है।
- **स्थिर राजव्यवस्था:** यह कानून, **हिंसा और अवैध तरीकों से निर्वाचित सरकार को हटाने के प्रयासों से सुरक्षा प्रदान करता** है। कानून द्वारा स्थापित सरकार का निरंतर अस्तित्व राज्य की स्थिरता के लिए एक अनिवार्य शर्त है।

* **अवमानना की शक्ति:** यह न्यायालय को दी गई **अवमानना की शक्ति (जिसे न्यायालय की गरिमा की रक्षा संभव हो पाती है)** के अनुरूप है। इसी तरह, सरकार की अवमानना पर भी सजा का प्रावधान होना चाहिए।
* **लोक व्यवस्था: लोक व्यवस्था बनाए रखना,** सार्वजनिक अशांति पैदा करने वाली गतिविधियों, जैसे असंतोष उत्पन्न करना एवं **गृहयुद्ध** को रोकना और देश की संप्रभुता की रक्षा करना।

राजद्रोह कानून पर उच्चतम न्यायालय का मत

* **केदार नाथ बनाम बिहार राज्य वाद, 1962:** उच्चतम न्यायालय ने कहा कि **"एक नागरिक, आलोचना या टिप्पणी के माध्यम से सरकार या उसके प्रशासन पर अपनी इच्छानुसार कहने या लिखने का अधिकार रखता है,** बशर्ते उसकी वजह से प्रेरित हिंसा से लोक व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए।"
* **पी. अलावी बनाम केरल राज्य वाद, 1982:** उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि नारेबाजी, संसद या न्यायिक व्यवस्था की आलोचना को राजद्रोह नहीं माना जा सकता है।

राजद्रोह कानून से संबंधित मुद्दे:

* **मौलिक अधिकारों का उल्लंघन:** IPC की धारा 124A भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 19(1)** के तहत गारंटीकृत **वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उपयोग पर अवरोध उत्पन्न करती है।** साथ ही, सरकारों द्वारा राजनीतिक असंतोष का शमन और दमन करने हेतु राजद्रोह कानून का प्रयोग किया जाता है।
* **अनिश्चितता:** "घृणा या अवमानना उत्पन्न करना" और "अप्रीति पैदा करने का प्रयत्न करना" जैसी शब्दावली की **व्याख्या कई तरीकों से की जा सकती है।** इससे पुलिस और सरकार सशक्त बन जाती हैं। इसके अतिरिक्त, निर्दोष नागरिकों को परेशान करना उनके लिए आसान हो जाता है।
* **दोषसिद्धि की दर बहुत कम है।**
* **दुरुपयोग:** उदाहरण के लिए, कोविड-19 के संबंध में सरकार के रवैये की आलोचना करने के कारण **पत्रकार विनोद दुआ की गिरफ्तारी।**
* **अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन:** नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (ICCPR)[6], अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानदंड स्थापित करती है। ICCPR को भारत द्वारा अनुसमर्थन प्राप्त है और धारा 124A का दुरुपयोग इसके विरुद्ध है।

अन्य देशों में राजद्रोह कानून

* **यूनाइटेड किंगडम (UK), आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, घाना, नाइजीरिया और युगांडा** सहित कई लोकतांत्रिक देशों ने राजद्रोह कानून को अलोकतांत्रिक, अवांछनीय एवं अनावश्यक माना है।
* **यूनाइटेड किंगडम:** यहां **1960 के दशक में राजद्रोह कानून अप्रचलित हो गया** था और अंततः वर्ष 2009 में इसे निरस्त कर दिया गया था। हालांकि, **एक विदेशी (केवल निवासी न कि देश का नागरिक) द्वारा राजद्रोह अभी भी एक अपराध है।**
* **संयुक्त राज्य अमेरिका:** कुछ राजद्रोह कानूनों को निरस्त कर दिया गया है या इसे मृत पत्र या अप्रचलित कानून (dead letter) तक ही सीमित कर दिया गया है। न्यायालय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को व्यापक सुरक्षा प्रदान करते हैं।
* **ऑस्ट्रेलिया:** यहां वर्ष 2010 में राजद्रोह कानून को निरस्त कर दिया गया था।

आगे की राह

* **स्पष्ट परिभाषा:** "अवमानना और घृणा उत्पन्न करना" जैसी शब्दावली तथा उन अभिव्यक्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए, जो राजद्रोह के अंतर्गत आती हैं, ताकि **प्राधिकारी इसका दुरुपयोग न कर सकें।**
* **प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय:** दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 124A में या नीतिगत दिशा-निर्देशों के माध्यम से प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को सम्मिलित करना चाहिए।
    * उदाहरण के लिए, अपराधों को असंज्ञेय बनाया जाना चाहिए, ताकि न्यायिक जांच संभव हो सके।
* **संयमित प्रयोग:** भारतीय विधि आयोग के अनुसार, धारा 124A केवल उन मामलों में लागू की जानी चाहिए, जहां किसी भी कृत्य के पीछे लोक व्यवस्था को बाधित करने या हिंसा और अवैध माध्यमों से सरकार को हटाने की मंशा हो।

[6] International Covenant on Civil and Political Rights

* **शिकायतों की जांच करना:** किसी भी सशक्त एवं जीवंत लोकतंत्र के लिए **असहमति और आलोचना आवश्यक अवयव होते हैं।** इसलिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगे प्रत्येक प्रतिबंध की सावधानीपूर्वक जांच होनी चाहिए, ताकि **अनुचित प्रतिबंधों से बचा जा सके।**

1.4. समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code: UCC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एक विशेषज्ञ पैनल के गठन की घोषणा की है। यह पैनल राज्य में **समान नागरिक संहिता लागू करने की संभावना** की जांच करेगा।

समान नागरिक संहिता (UCC) के बारे में

* UCC विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में **सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होने वाले एक कानून** को तैयार करने का आह्वान करती है।
* इसका उद्देश्य **अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों की प्रणाली को बदलना है,** जो वर्तमान में **अलग-अलग धार्मिक समुदायों के भीतर** पारस्परिक संबंधों और संबंधित मामलों को प्रशासित करते हैं।
* यह विचार संविधान के **अनुच्छेद 44** (राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक) से आया है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए **भारत के पूरे राज्यक्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा।**

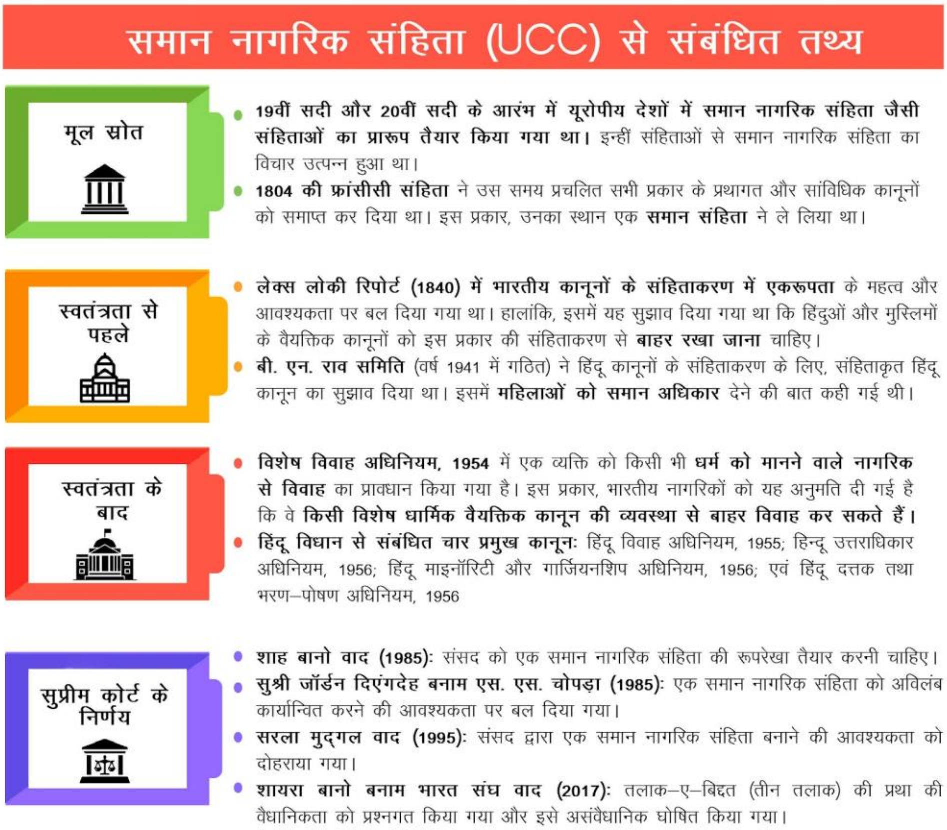

विशेषता	समान नागरिक संहिता के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क	समान नागरिक संहिता के विरुद्ध दिए जाने वाले तर्क
यह भारतीय कानून प्रणाली को सरल करती है	• यह वर्तमान में धार्मिक मान्यताओं के आधार पर निर्मित किए गए **अलग-अलग कानूनों,** जैसे कि हिंदू कोड बिल, शरीयत कानून और अन्य कानूनों को सरल करती है। • **इसके चलते समान सिविल कानून सभी नागरिकों पर लागू होगा,** भले ही उनका धर्म-संप्रदाय कुछ भी हो।	• **भारतीय कानून अधिकतर सिविल मामलों में एक समान संहिता का पालन करते हैं,** जैसे कि भारतीय अनुबंध अधिनियम, सिविल प्रक्रिया संहिता, माल-विक्रय अधिनियम, संपत्ति-अंतरण अधिनियम, साझेदारी अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम आदि। • राज्यों ने सैकड़ों संशोधन किए हैं और इसलिए, कुछ मामलों में **इन धर्मनिरपेक्ष सिविल कानूनों के अंतर्गत भी विविधता** विद्यमान है।
संसद की विधायी शक्ति	• **उच्चतर न्यायपालिका** की कई न्यायिक घोषणाओं ने किसी न किसी रूप में **समान नागरिक संहिता का पक्ष लिया** है। (इनमें **मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम, 1985** और **सरला मुद्गल बनाम**	• **"वैयक्तिक कानूनों" का उल्लेख समवर्ती सूची में किया गया है।** • **संसद को वैयक्तिक कानूनों पर अनन्य अधिकारिता प्राप्त नहीं है:** यदि संविधान निर्माताओं का आशय समान नागरिक संहिता का रहा होता, तो उन्होंने इस विषय को संघ सूची में शामिल करके

	भारत संघ, 1995 वाद भी शामिल हैं) • **संसद** इन न्यायिक घोषणाओं को लागू करने के लिए **कानून बना सकती है।**	वैयक्तिक कानूनों के संबंध में संसद को अनन्य अधिकार क्षेत्र प्रदान किया होता।
समान नागरिक संहिता और मूल अधिकार	• **लैंगिक आधार पर न्याय:** अधिकतर धार्मिक या प्रचलित वैयक्तिक कानून पुरुषों के पक्ष में झुके हुए हैं। • **धर्म और वैयक्तिक कानून पृथक-पृथक मार्ग हैं: एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ वाद** में, उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि धर्म व्यक्तिगत विश्वास का मामला है और इसे पंथनिरपेक्ष गतिविधियों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। **पंथनिरपेक्ष गतिविधियों को केवल राज्य द्वारा कानून बनाकर ही विनियमित किया जा सकता है।**	• **पंथनिरपेक्ष राज्य को वैयक्तिक कानून में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए:** समान नागरिक संहिता को कई लोगों द्वारा **अनुच्छेद 25** के अंतर्गत प्रदान किए गए गारंटीकृत मूल अधिकारों (व्यक्ति का धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार), **अनुच्छेद 26(b)** (धर्म के मामलों में प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपने मामलों के प्रबंधन का अधिकार) और **अनुच्छेद 29** (विशिष्ट संस्कृति के संरक्षण का अधिकार) के विपरीत माना जाता है।
समान नागरिक संहिता और देश की विविधता	• **राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देती है:** विभिन्न धार्मिक समूहों के लिए पृथक-पृथक कानून साम्प्रदायिकता को जन्म देते हैं। • व्यक्तिगत मामलों के विभिन्न पहलुओं को शासित करने वाला एकल पंथनिरपेक्ष कानून **एकता और राष्ट्रीय चेतना की भावना** सृजित करेगा।	• **देश की विविधता के विरुद्ध:** इसमें संशय रहा है कि क्या भारत जैसे लोकतांत्रिक और विविधतापूर्ण देश में कभी वैयक्तिक कानूनों की एकरूपता हो सकती है। • **राष्ट्रीय सहमति का अभाव:** समान नागरिक संहिता अभी भी राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा है। अभी भी ऐसे कई संगठन हैं, जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों का पक्ष समर्थन करते हैं। साथ ही कई धार्मिक नेता भी समान नागरिक संहिता का विरोध करते हैं।

आगे की राह

- **नागरिकों को शिक्षित करना: जाति और धार्मिक मान्यताएं नागरिकों के विचारों से अलग नहीं की जा सकती हैं।** इसलिए, मीडिया के समर्थन तथा सोशल मीडिया के द्वारा जागरूकता के माध्यम से **UCC के वास्तविक स्वरूप व सकारात्मक प्रभावों के बारे में लोगों को शिक्षित करना** आम सहमति बनाने की दिशा में पहला कदम होगा।
- **भेदभाव को समाप्त करना:** असमानता को काफी हद तक समाप्त करने के लिए विधि आयोग के परामर्श-पत्र (2018) ने भेदभाव को खत्म करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है।
  - कई **महिला समूहों** (सहेली, विमोचन और महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ मंच) और **मानवाधिकार वकीलों की टीमों** (लॉयर्स कलेक्टिव और इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट) ने **लैंगिक दृष्टि से न्यायपूर्ण तथा पंथनिरपेक्ष पारिवारिक कानूनों** के तकनीकी विवरण वाले मसौदे तैयार किए हैं।
- **धीरे-धीरे सुधार का दृष्टिकोण अपनाना: एक बार में** UCC का **अधिनियमन राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए प्रतिकूल** हो सकता है। अत: UCC के लक्ष्य को आदर्श रूप से धीरे-धीरे पूरा किया जाना चाहिए, जैसे कि **विवाह योग्य आयु पर हाल ही में किये गये संशोधन।** यह दृष्टिकोण धार्मिक व्यवस्था के भीतर आंतरिक सुधार और परिवर्तन का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है।
- **वैयक्तिक कानूनों को सार्वजनिक वाद-विवाद के लिए प्रस्तुत करना:** वर्ष 2001 में ईसाई विवाह एवं तलाक कानूनों, वर्ष 2010 में हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 तथा अभिभावक और वार्ड अधिनियम, 1890 में संशोधन किए गए हैं। ये संशोधन इस बात के उदाहरण हैं कि एक बार संहिताबद्ध होने के बाद वैयक्तिक कानूनों को आगे **सार्वजनिक बहस** और **जांच** के दायरे में रखा जा सकता है।
- **सभी वैयक्तिक कानूनों का संहिताकरण:** संहिताकरण के माध्यम से कुछ **ऐसे सार्वभौमिक सिद्धांतों** पर पहुंचा जा सकता है, जो प्रक्रिया में एक समान संहिता को लागू करने की बजाय **समानता को प्राथमिकता** देते हों। **यह कई लोगों को विवाद के निपटारे के लिए पूर्णत: कानून का सहारा लेने हेतु हतोत्साहित भी कर सकता है,** क्योंकि विवाह और तलाक के मामलों को अतिरिक्त न्यायिक रूप से भी सुलझाया जा सकता है।

संबंधित तथ्य

अनिवार्य धार्मिक प्रथा परीक्षण (Essential Religious Practice Test: ERPT)

- **हाल ही में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में हिज़ाब पहनने को अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं माना है।**
- उच्च न्यायालय ने यह निर्णय उस याचिका पर दिया है, जिसमें स्कूल और कॉलेज में कक्षाओं के अंदर यूनिफॉर्म के साथ **हिज़ाब (हेड स्कार्फ) पहनने के अधिकार की मांग** की गयी थी।
  - न्यायालय के अनुसार मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिज़ाब (हेड स्कार्फ) पहनना, **इस्लाम में अनिवार्य धार्मिक प्रथाओं का हिस्सा नहीं** है। इसे

संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत **धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण प्राप्त नहीं** है।
  - स्कूल यूनिफॉर्म का निर्धारण, **अनुच्छेद 19(1)(a)** के तहत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। यह **अनुच्छेद 21** के तहत निजता के अधिकार का भी उल्लंघन नहीं करता है।
  - **शैक्षणिक संस्थानों में हिज़ाब पहनने पर प्रतिबंध,** एक ऐसा **युक्तियुक्त प्रतिबंध (reasonable restriction)** है, जिसकी अनुमति संविधान में भी है।

युक्तियुक्त सुविधाएं (Reasonable Accommodation)

- “युक्तियुक्त सुविधा” एक सिद्धांत है। यह **समानता को प्रोत्साहित करता** है और **सकारात्मक अधिकार** प्रदान करने में सक्षम बनाता है। साथ ही, यह **अक्षमता, स्वास्थ्य स्थिति या व्यक्तिगत आस्था के आधार पर भेदभाव को रोकता है।**
- सामान्यतः इस सिद्धांत के अनुसार, लोगों को युक्तियुक्त सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, जब तक कि **ऐसी सुविधाओं के कारण कोई अनुचित कठिनाई न हो।**
- इसका उपयोग मुख्य रूप से **दिव्यांगता संबंधी अधिकारों** के विषय में किया जाता है।
  - भारत में, **दिव्यांगजन अधिकार कानून, 2016** में “युक्तियुक्त सुविधाओं” को परिभाषित किया गया है।

- **“अनिवार्य धार्मिक प्रथा परीक्षण” (essential religious practice test) क्या है?**
  - ERPT सिद्धांत, **उच्चतम न्यायालय (SC) ने 'शिरूर मठ' मामले (1954) में** प्रस्तुत किया था। न्यायालय के अनुसार, यह सिद्धांत केवल ऐसी धार्मिक प्रथाओं की रक्षा पर केंद्रित है, जो धर्म के लिए आवश्यक और अभिन्न है।
  - न्यायालय ने कहा कि "धर्म" शब्द एक धर्म के लिए "अभिन्न" सभी अनुष्ठानों और प्रथाओं को शामिल करता है। साथ ही, **‘धर्म’ ही अपनी आवश्यक और गैर-आवश्यक प्रथाओं को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है।**
  - न्यायालय ने कई निर्णयों के दौरान **आवश्यक और गैर-आवश्यक प्रथाओं को अलग करने का प्रयास** किया है।
  - वर्ष 1983 में, उच्चतम न्यायालय ने **‘तांडव’** को आनंद मार्गी संप्रदाय के लिए एक **आवश्यक धार्मिक प्रथा के रूप में स्वीकार नहीं** किया था।
  - **सबरीमाला मामले (वर्ष 2018)** में, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं का मंदिर में प्रवेश प्रतिबंधित करना धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है।
- **ERPT की आलोचना**
  - इस सिद्धांत द्वारा न्यायालय ने एक ऐसे क्षेत्र में जाने का प्रयास किया है, **जो उसकी अधिकारिता से परे है।** यह सिद्धांत न्यायाधीशों को विशुद्ध रूप से धार्मिक प्रश्नों पर निर्णय देने की शक्ति देता है।
  - धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत एक व्यक्ति को धार्मिक मान्यताओं का पालन करने की स्वायत्तता प्रदान की गई है। आवश्यक परीक्षण **व्यक्ति की उस स्वायत्तता का अतिक्रमण करता है।**

1.5. धर्मांतरण विरोधी कानून (Anti-Conversion Laws)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **कर्नाटक विधान सभा ने “कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक, 2021”[7] पारित किया।** ऐसे विधेयक को आमतौर पर **धर्मांतरण विरोधी विधेयक (Anti-conversion Bill)** के रूप में जाना जाता है।

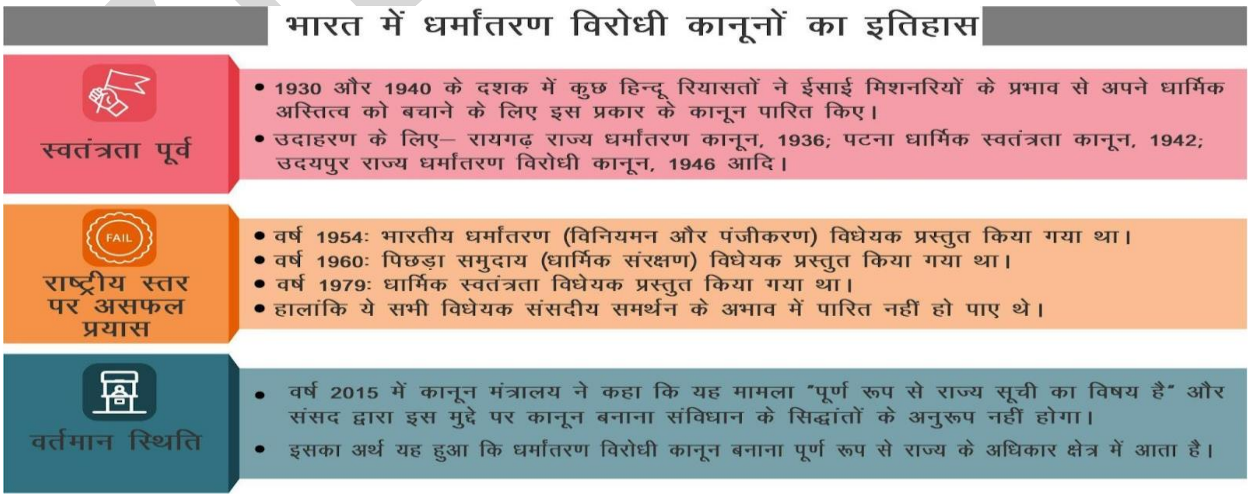

[7] Karnataka Right to Freedom of Religion Bill, 2021

धर्मांतरण विरोधी कानूनों के पीछे तर्क

- **ऐसे कानून धर्मांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाते हैं:** ये कानून **धर्मांतरण रोकने के लिए नहीं हैं,** बल्कि, इनका उद्देश्य उन धर्मांतरणों को रोकना है जो **जबरदस्ती, प्रलोभन, धोखाधड़ी** से किये गए हों। ऐसे कानूनों के समर्थकों का यह तर्क है कि वर्तमान में इस प्रकार के धर्मांतरण के उदाहरण काफी अधिक संख्या में देखने को मिलते हैं। इसलिए, इन कानूनों को ऐसी गतिविधियों को अपराधिक घोषित करने हेतु ही बनाया गया है।
- **ऐसे कानून धार्मिक स्वतंत्रता को और मजबूत करते हैं:** ये विधेयक जबरन धर्मांतरण के लिए सख्त प्रावधान करते हैं। इसलिए, इन्हें धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय माना जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता, संवैधानिक तथा **अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार उपायों** द्वारा प्रदत्त एक अधिकार है।
- **जनसांख्यिकी में परिवर्तन के भय से निपटने में सहायक:** धर्मांतरण विरोधी कानूनों को अनावश्यक धर्मांतरण की समस्या से निपटने का एक उपाय माना जाता है। ध्यातव्य है कि धर्मांतरण को जनसंख्या के स्वरूप में परिवर्तन लाने का एक तरीका भी माना जाता है।
- **धर्मांतरण पर संविधान सभा में चर्चा:** सरदार पटेल ने संविधान सभा की बहस के दौरान जबरन धर्मांतरण के बारे में चिंता व्यक्त की थी जो आगे चलकर भारत में **धर्मांतरण विरोधी कानूनों का नैतिक आधार बना।**

अलग-अलग धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती और इस विषय पर न्यायालय का फैसला

- **रेव. स्टेनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य तथा अन्य वाद (वर्ष 1977):** इसमें मध्य प्रदेश और ओडिशा में सबसे पुराने धर्मांतरण विरोधी कानूनों की जांच की गई। न्यायालय ने दोनों राज्यों के अधिनियमों की संवैधानिकता को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा कि धर्मांतरण को रोकने के ये प्रयास अंतःकरण की स्वतंत्रता (Freedom Of Conscience) और लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हैं।
- **सरला मुद्गल वाद (वर्ष 1995):** उच्चतम न्यायालय ने माना कि यदि केवल बहुविवाह प्रथा के लिए इस्लाम धर्म को अपनाया गया है तो वह वैध नहीं होगा।
    - **लिली थॉमस वाद (वर्ष 2000)** में उच्चतम न्यायालय के फैसले से इसकी पुष्टि हुई। इसमें न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दो विवाहों के मामले में मुकदमा चलाना, अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं है। ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है।
- **लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य:** उच्चतम न्यायालय ने अंतर्जातीय और अंतर-धार्मिक विवाहों के मामलों में हिंसा या धमकियों के कृत्यों पर **कड़ी सजा की आवश्यकता** पर प्रकाश डाला।
- **एम. चंद्र बनाम एम. थंगमुतु तथा अन्य वाद (वर्ष 2010) - उच्चतम न्यायालय ने धर्मांतरण साबित करने के लिए शर्तें निर्धारित की:** पहला, सही मायने में **धर्मांतरण हुआ हो** और दूसरा यह कि, उस **समुदाय में स्वीकृति** जिसमें व्यक्ति धर्मांतरित हुआ है। न्यायालय ने यह भी कहा कि **धर्मांतरण की आवश्यकता** को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है।
- **जी. ए. आरिफ़ उर्फ आरती शर्मा बनाम गोपाल दत्त शर्मा, 2010, और फ़हीम अहमद बनाम माविया, 2011:** दिल्ली उच्च न्यायालय ने खेद व्यक्त किया कि धर्मांतरण का उपयोग, इसके प्राथमिक धार्मिक उद्देश्य अर्थात् आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं, **बल्कि अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तेजी से किया जा रहा है।**

धर्मांतरण विरोधी कानूनों से संबंधित मुद्दे

- **साबित करने की जिम्मेदारी:** धर्मांतरण की कानूनी वैधता साबित करने का उत्तरदायित्व उस व्यक्ति पर होता है, जिसने **धर्मांतरण कराया** है।
- **न्यायसंगत व्यवहार का अभाव:** यह तर्क दिया जाता है कि धर्मांतरण विरोधी कानून, **अपने स्वरूप और कार्यान्वयन,** दोनों में, किसी व्यक्ति के **धर्मांतरण के अधिकार का** उल्लंघन करते हैं। ऐसा भी आरोप लगाया जाता है कि ये **किसी एक धर्म की अपेक्षा दूसरे धर्म को वरीयता दे सकते हैं।**
- **भय का वातावरण:** हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स से यह पता चलता है कि धर्मांतरण विरोधी कानूनों के तहत सजा **या गिरफ्तारी के बहुत कम उदाहरण हैं।** लेकिन, ये अंतर-धार्मिक विवाह के इच्छुक लोगों के बीच भय का वातावरण पैदा करते हैं।
- **अस्पष्ट प्रकृति और व्यापक दायरा:** ऐसे कानूनों में इस्तेमाल की जाने वाली शर्तें जैसे कि **जबरन, धोखाधड़ी, प्रलोभन आदि को अस्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।** इसके कारण इन शब्दों के दुरुपयोग की व्यापक संभावना रह जाती है।
- **धर्म की स्वतंत्रता के विरुद्ध:** धर्म या आध्यात्मिकता **मानव स्वभाव का सबसे अभिन्न अंग है।** इसलिए, इस पर किसी भी प्रकार का अनुचित प्रतिबंध, **मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन** हो सकता है।

निष्कर्ष

कम-से-कम चार राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों की संवैधानिक वैधता उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल हैं। न्यायालय ने इन कानूनों की वैधता की जाँच करने के लिए सहमति जताई है। कोर्ट ने **इन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।** यदि इन कानूनों को लेकर कोई चुनौती आती है तो उच्चतम न्यायालय को

स्टैनिस्लॉस मामले पर अपने फैसले पर फिर से विचार करना होगा। ऐसा करते समय निजता के अधिकार को बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है।

1.6. दल-बदल रोधी कानून (Anti-Defection Law)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष को दलबदल मामले में निर्धारित समय सीमा के भीतर आदेश पारित करने का निर्देश दिया है।

दल-बदल क्या है?

जब किसी राजनीतिक दल का कोई सदस्य दूसरे राजनीतिक दल में जाता है तो उसे दल-बदल कहते हैं। ऐसा आमतौर पर हॉर्स ट्रेडिंग के जरिये किया जाता है।

दल-बदल रोधी कानून के बारे में

संविधान की **दसवीं अनुसूची में दल-बदल के आधार पर** संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की निरर्हता के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किये गए हैं।

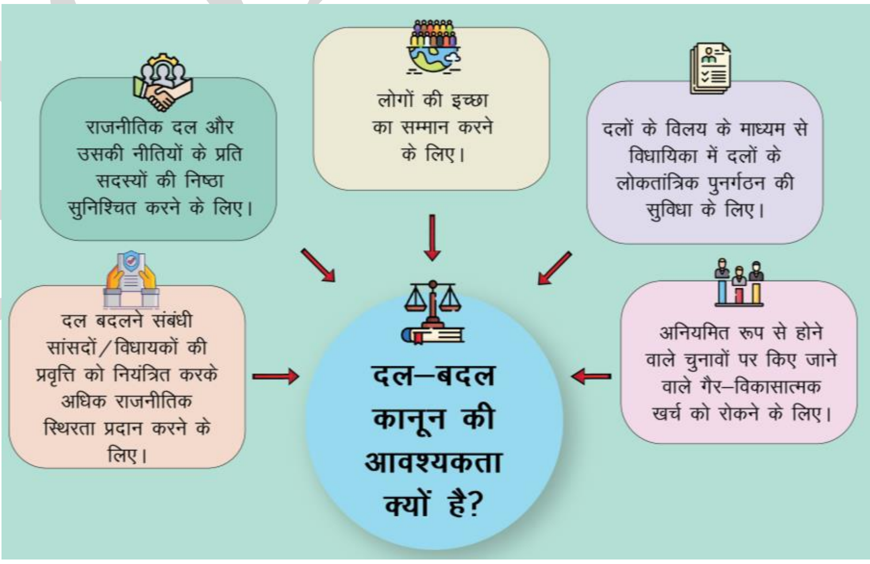

- **निरर्हता:** किसी राजनीतिक दल से संबंधित किसी सदन का सदस्य निम्नलिखित स्थिति में सदन के सदस्य के लिए **निरर्ह हो जाता है-**
    - यदि वह राजनीतिक दल की **अपनी सदस्यता का स्वेच्छा से परित्याग कर देता है;** या
    - यदि वह अपने दल से पहले अनुमति लिए बिना, अपने राजनीतिक दल द्वारा जारी **किसी निर्देश के खिलाफ सदन में मतदान करता है या मतदान के लिए अनुपस्थित रहता है** और उसके इस प्रकार के कृत्य को दल ने 15 दिनों के भीतर माफ नहीं किया है।
- यदि किसी सदन का **निर्दलीय सदस्य** चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो वह सदन का सदस्य बने रहने के लिए निरर्ह हो जाता है।
- सदन का कोई भी **नामनिर्देशित सदस्य** सदन का सदस्य होने के लिए उस स्थिति में निरर्ह हो जाता है, यदि वह सदन में अपना स्थान ग्रहण करने की तारीख से **छह महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।**
- **अपवाद:** कुछ परिस्थितियों में विधिनिर्माता/विधायक दल परिवर्तन के बाद भी निरर्ह घोषित नहीं होते।

- कानून यह अनुमति प्रदान करता है कि **किसी राजनीतिक दल का किसी अन्य दल में विलय किया जा सकता है। इसके लिए यह शर्त है कि विधायिका में निर्वाचित उसके दो-तिहाई सदस्य विलय के पक्ष में हों।**
- यदि कोई व्यक्ति **लोक सभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अथवा राज्य सभा के उपसभापति के रूप में चुना जाता है** (राज्यों के मामले में भी) तो वह अपने दल का त्याग कर सकता है। साथ ही, उस पद से हट जाने के उपरांत वह उस दल अथवा अन्य दल में शामिल हो सकता है।
- उल्लेखनीय है कि पूर्व में किसी दल के एक-तिहाई निर्वाचित सदस्यों द्वारा दल का त्याग कर दिए जाने की स्थिति में उन्हें निरर्हता से छूट प्राप्त थी। दसवीं अनुसूची के इस प्रावधान को वर्ष 2003 के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से हटा दिया गया है।

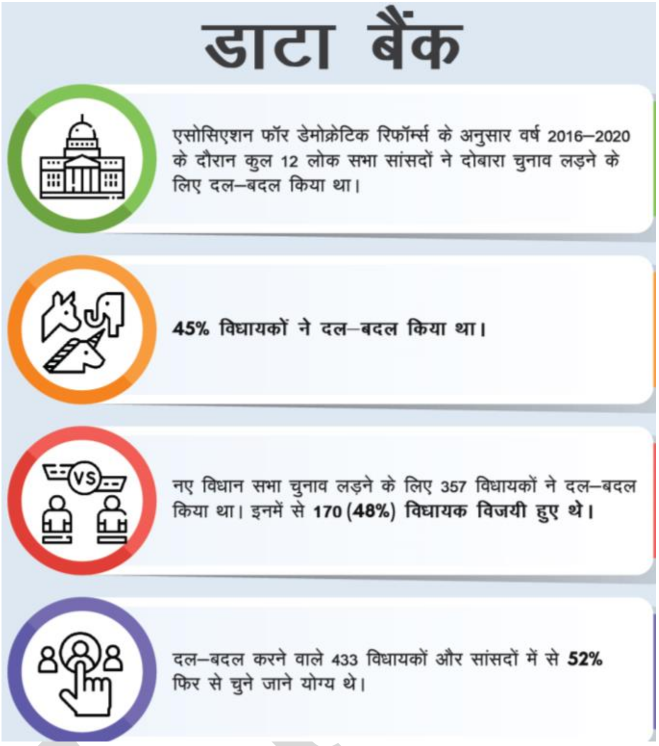

- **निर्णायक प्राधिकारी:** दल-बदल के कारण उठने वाले निरर्हता से संबंधित किसी भी प्रश्न के बारे में निर्णय सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा लिया जाएगा।
- **नियम के निर्माण की शक्ति:** सदन के **पीठासीन अधिकारी** को यह शक्ति प्राप्त है कि वह नियम बनाए, **ताकि दसवीं अनुसूची के प्रावधानों को प्रभावी बनाया जा सके।**

वर्तमान कानून में समस्याएं

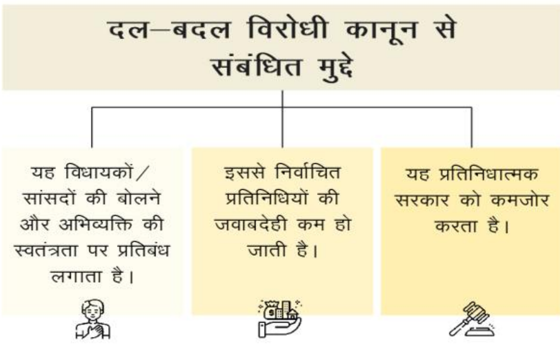

- **राजनीतिक दलों की कोई जवाबदेही नहीं:** यह केवल विधि निर्माताओं को दल बदलने के लिए दंडित करता है। राजनीतिक दल जो राजनीति के केंद्र में हैं, उनकी कानून के तहत कोई जवाबदेही तय नहीं की गई है।
- **विलय के प्रावधान से संबंधित समस्या:** यह उस स्थिति में राजनीतिक दल के सदस्यों की सुरक्षा करता है, जब मूल दल का किसी अन्य दल में विलय होता है। इसके लिए यह शर्त है कि दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य इस तरह के विलय के लिए सहमत हों।
    - इसमें दल-बदल का आधार किसी कारण को न मानकर, सदस्यों की संख्या को माना गया है, जो अतार्किक प्रतीत होता है।
- **पीठासीन अधिकारी को शक्ति:** पीठासीन अधिकारी को दल बदल के आधार पर सदस्यों की निरर्हता से संबंधित मामले पर निर्णय लेने के लिए व्यापक और पूर्ण शक्तियां दी गई हैं। यह उपबंध उचित प्रतीत नहीं होता है।
- **अस्थिरता रोकने में असमर्थ:** ऐसा कोई उचित फोरम उपलब्ध नहीं है जहां निर्वाचित प्रतिनिधि अपना मतभेद व्यक्त कर पाएं। ऐसे में, बागी विधायकों का सामूहिक रूप से दल छोड़ना 'राजनीति' में आम है। इसके कारण, जहां एक तरफ मौजूदा सरकारें गिर जाती हैं, तो वहीं दल छोड़ने से शासन व्यवस्था में बाधा भी पैदा हो

दल-बदल कानून पर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति

- राष्ट्रमंडल देशों में से **23 देशों** में दल-बदल विरोधी कानून विद्यमान हैं। **बांग्लादेश, केन्या, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर** में दल-बदल विरोधी कानून किसी विधि निर्माता को दल का **सदस्य नहीं बने रहने** पर या जब उसे **निष्कासित** कर दिया जाता है, तो उसे निरर्ह घोषित कर देता है।
- जिन देशों में **लोकतंत्र अपने विकास के चरण में है,** वहां दल-बदल विरोधी कानूनों की प्रत्यक्ष उपस्थिति से संकेत मिलता है कि उन देशों के विधि निर्माताओं को **लोकतंत्र के सिद्धांतों के बारे में कम जानकारी है।**
- हालांकि, **विकसित लोकतंत्रों में राजनीतिक परिवेश,** लोकतांत्रिक मूल्यों वाले विधि निर्माताओं की तस्वीर पेश करता है।
    - **ब्रिटेन की संसद** में, किसी एक दल का सदस्य किसी **अन्य दल में जाने के लिए स्वतंत्र है।** उसे किसी भी प्रकार के निरर्हता कानून का भय नहीं होता है।
    - **संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया** में विधि निर्माताओं के दल बदलने पर कोई रोक नहीं है।

सकती है।

- **दल से निकाले जाने पर निरर्हता का नियम लागू नहीं होता है:** इस कानून में स्वेच्छा से दल बदलने के संदर्भ में प्रावधान किए गए हैं। हालांकि, किसी राजनीतिक दल से किसी सदस्य को निकाले जाने को लेकर इसमें कोई प्रावधान नहीं है। अपने दल से एक बार निकाले जाने के बाद, ऐसे सदस्य सदन में स्वतंत्र रहते हैं और उनके पास दूसरे दलों में शामिल होने का विकल्प रहता है। इससे, अनुसूची के दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है।

इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है?

- **दल-बदल की परिभाषा को सीमित करना:** दल-बदल को इस तरह से परिभाषित किया जाए कि विधायकों/सांसदों को स्वतंत्र रूप से सोचने और अपनी राय व्यक्त करने में कोई परेशानी न हो। इसके लिए, दल-बदल में शामिल कार्यों या आचरण की परिभाषा में बदलाव करना जरूरी है।
- **दलों का आंतरिक लोकतंत्र:** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और वर्तमान राजनीतिक संस्कृति को बदलने की आवश्यकता है। इससे राजनीतिक दल अपने नेतृत्व के चयन में अधिक लोकतांत्रिक बन सकेंगे।
- **आचार समिति की भागीदारी:** आचार समिति की सक्रिय भागीदारी, विधायकों की खरीद-फरोख्त को रोकने में मदद कर सकती है। ऐसा पहले कैश फॉर क्वेरी (सवाल पूछने की एवज में धन लेने) घोटाले में किया गया था।

संबंधित मामलों पर निर्णय लेते समय न्यायालयों द्वारा कानून की व्याख्या कैसे की गई है?

- **'स्वेच्छा से अपनी सदस्यता छोड़ता है' वाक्यांश की व्याख्या:** 'त्यागपत्र' की तुलना में इस वाक्यांश का अधिक व्यापक अर्थ है। उच्चतम न्यायालय ने व्याख्या की है कि सदस्य द्वारा दिए जाने वाले औपचारिक त्यागपत्र की अनुपस्थिति में, सदस्यता को त्यागने का अनुमान उसके आचरण से लगाया जा सकता है।
  - जिन सदस्यों ने सार्वजनिक रूप से अपने दल के विरोध या किसी अन्य दल के समर्थन की घोषणा की है, तो इसे उनका त्यागपत्र समझा जाना चाहिए।
- **पीठासीन अधिकारी का निर्णय न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है:** आरंभ में इस कानून के तहत यह निर्धारित किया गया था कि पीठासीन अधिकारी का निर्णय न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन नहीं होगा। हालांकि, **वर्ष 1992 के किहोतो होलोहन वाद** में उच्चतम न्यायालय ने इस प्रावधान को समाप्त कर दिया। साथ ही, पीठासीन अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान की।
  - हालांकि, न्यायालय ने यह कहा कि इस संबंध में जब तक पीठासीन अधिकारी आदेश जारी नहीं कर देता, तब तक किसी भी प्रकार का न्यायिक हस्तक्षेप नहीं हो सकता है।
- **पीठासीन अधिकारी की दल-बदल विरोधी मामलों पर निर्णय करने संबंधी समय-सीमा:** इस कानून के अंतर्गत निरर्ह घोषित करने वाली याचिका पर निर्णय करने के संबंध में पीठासीन अधिकारी के लिए कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है। इस संबंध में न्यायालय ने चिंता व्यक्त करते हुए यह कहा कि यदि अध्यक्ष द्वारा निरर्ह ठहराए जाने वाली याचिकाओं पर उचित समय-सीमा के भीतर निर्णय नहीं किया जाता है, तो उच्च न्यायालय निर्देश दे सकता है।

- **निर्णायक प्राधिकारी: दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग** ने सिफारिश की थी कि दल-बदल के आधार पर **सदस्यों की निरर्हता के मुद्दे पर राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए** और इसके लिए निर्वाचन आयोग की सलाह ली जा सकती है।
- **दल-बदल को दल का आंतरिक मुद्दा बनाना:** भारत में दल-बदल के मामले में लगने वाले प्रतिबंधों को कम किया जा सकता है। इसके लिए, दल-बदल के तहत सदस्य को केवल उसके दल से निकाले जाने का प्रावधान किया जाए, सदन की उसकी सदस्यता वैसे ही बनी रहे। साथ ही, इसे प्रत्येक दल का आंतरिक मुद्दा भी बनाया जाए।
- **अधिक स्पष्टता लाना:** किसी भी प्रकार के भ्रम से बचने के लिए, कानून में स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करना चाहिए कि **'स्वेच्छा से सदस्यता त्यागने' का क्या अर्थ है।**

निष्कर्ष

संसद को फिर से यह जांच करनी चाहिए कि क्या दल-बदल विरोधी कानून मौजूदा स्वरूप में उन **लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है,** जिनके लिए इसे बनाया गया था। यदि नहीं, तो इस बात पर आम सहमति विकसित करने के लिए एक चर्चा शुरू की जा सकती है कि यह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम क्यों नहीं हुआ और आगे बढ़ते हुए, हमें इसे किस सीमा तक ले जाना चाहिए।

1.7. आरक्षण (Reservation)

1.7.1. निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण (Local Reservation in Private Sector)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, हरियाणा सरकार ने स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण वाले कानून पर रोक लगाने संबंधी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है।

अन्य संबंधित तथ्य

- हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार नियोजन अधिनियम, 2020[8] जनवरी, 2022 को लागू हुआ था।

स्थानीय लोगों के नियोजन हेतु पहले किए गए प्रयास

क्षेत्रक	राज्य	वर्ष	आरक्षण
निजी क्षेत्रक में नियोजन के लिए	आंध्र प्रदेश	2019	उद्योग/कारखानों {सार्वजनिक–निजी भागीदारी (PPP) मोड सहित} में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण।
	कर्नाटक	2016	ब्लू–कॉलर नौकरियों (सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी को छोड़कर) में स्थानीय लोगों के लिए 100% आरक्षण।
सार्वजनिक क्षेत्रक में नियोजन के लिए	राजस्थान	2019	कुछ समुदायों के लिए 5% आरक्षण।
	महाराष्ट्र	2018	कुछ समुदायों के लिए 13% आरक्षण।
	तेलंगाना	2017	पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 62% किया गया।

निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण के समर्थन में तर्क	निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण के खिलाफ तर्क
• **रोजगार का अधिकार प्रदान करने के लिए कदम:** यह राज्य में रहने वाले लोगों के जीवन/आजीविका के अधिकार की रक्षा करने तथा उनके स्वास्थ्य, रहन-सहन की दशाओं एवं उनके रोजगार के अधिकार की रक्षा करने से संबंधित है। • **रोजगार के संकुचित होते अवसरों से निपटना।** • **चयन में भेदभाव करने वाले निगमों पर अंकुश लगाना:** कई व्यावसायिक संस्थाएँ स्थानीय श्रमिकों को नियुक्त करने के लिए अनिच्छुक होती हैं। नियोक्ताओं का मानना है कि स्थानीय श्रमिकों में कार्य संबंधी अनुशासन की कमी है। वे व्यापार प्रणालियों को सीखने के इच्छुक नहीं हैं। साथ ही, राजनीतिक और ट्रेड यूनियनों की ओर झुकाव रखते हैं। गौरतलब है कि व्यवसाय, राजनीतिक संघों और ट्रेड यूनियनों को दबाव की रणनीति के कारक मानते हैं। • **प्रवास जैसे मुद्दे का समाधान:** यह कम वेतन वाली नौकरियों की तलाश में आने वाले **प्रवासियों के अंतर्वाह** को हतोत्साहित करेगा। इनका स्थानीय बुनियादी ढांचे पर "महत्वपूर्ण प्रभाव" पड़ता है और "झुग्गियों के प्रसार" में बढ़ोतरी होती है। • यह युवाओं की सार्थक भागीदारी को बढ़ाकर **अपराध दर को कम** करेगा। • **राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (SGDP) में वृद्धि:** स्थानीय कामगारों की अनुपस्थिति और प्रवासी कामगारों पर निर्भरता को कम करके उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। इससे राज्य की आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। • **कृषि संकट:** भारतीय कृषि क्षेत्र अत्यधिक तनाव ग्रस्त रहा है। इसलिए, स्थानीय लोग इसे छोड़कर अन्यत्र किसी क्षेत्र में कार्य करने और स्थानीय नौकरियों की तलाश हेतु प्रयास करते रहे हैं।	• **संविधान का उल्लंघन:** हरियाणा में अधिवासित स्थानीय उम्मीदवारों को नौकरियों में वरीयता प्रदान करने वाला यह उपखंड संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन करता है। • **सन्स-ऑफ-द-सॉयल (भूमिपुत्र) की मानसिकता को बढ़ावा।** • **श्रम बाजार पर दुष्प्रभाव:** इस तरह के आरक्षण से व्यवसाय अपना कारोबार कहीं और ले जाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, क्योंकि उनका कुशल कार्यबल पर्याप्त रूप से 'स्थानीय' नहीं है। • **लाइसेंस राज की पुनर्वापसी:** कई विशेषज्ञों का मानना है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण की अनुमति देना निजी क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण के समान होगा। इसके परिणामस्वरूप लाइसेंस-राज का फिर से विकास होगा। • **मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं:** ○ **विषम भौगोलिक विकास:** निवेशक उन राज्यों से जुड़ना पसंद करते हैं, जहाँ एक अभिशासन पारितंत्र (जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक बुनियादी ढाँचे का एक स्तर शामिल है) पहले से ही मौजूद हो। इस संस्थागत समस्या को दूर करने की जरूरत है। ○ **शिक्षा और कौशल की निम्न गुणवत्ता।** • **प्रतिस्पर्धात्मकता:** पर्याप्त कुशल घरेलू श्रम उपलब्ध नहीं होने पर दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को नुकसान पहुंच सकता है। • **नियुक्ति हेतु उपलब्ध उम्मीदवारों की संख्या को सीमित** करता है। • **निवेश:** उद्योग अपने संचालन को दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकते हैं। इससे रोजगार सृजन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, जबकि इस प्रकार के कानूनों को लाने का मुख्य उद्देश्य रोजगार को बढ़ाना है।

आगे की राह

- **क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना:** पिछड़े क्षेत्रों में शैक्षणिक और कौशल विकास संस्थानों को स्थापित करके इस अंतर को कम किया जा सकता है।

---

[8] Haryana State Employment of Local Candidates Act, 2020

- **श्रम प्रधान उद्योगों को बढ़ावा देना:** अधिक रोजगार सृजन और औद्योगीकरण से देश में श्रम अधिशेष के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।
- **प्रोत्साहन का मार्ग:** उद्योगों को अधिक निवेश के लिए सरकारों द्वारा प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए। साथ ही, स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए एक सक्षम परिवेश का निर्माण करना चाहिए।

स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय

- **डॉ. प्रदीप जैन बनाम भारत संघ (1984) मामला:**उच्चतम न्यायालय ने **डॉ. प्रदीप जैन बनाम भारत संघ मामले में "धरती पुत्रों" (स्थानीय लोगों) के लिए कानून के मुद्दे** पर विचार किया था। न्यायालय का मत था कि ऐसी नीतियां असंवैधानिक होंगी। हालांकि, न्यायालय ने इस पर स्पष्ट रूप से कोई निर्णय नहीं दिया था, क्योंकि यह मामला समानता के अधिकार से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर केन्द्रित था।
- **सुनंदा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1995) मामला:** उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार की नीति को रद्द करने के लिए प्रदीप जैन मामले की टिप्पणी की पुष्टि की थी। इस नीति में शिक्षा के माध्यम के रूप में तेलुगु का अध्ययन करने वाले उम्मीदवारों को 5% अतिरिक्त वेटेज दिया गया था।
- **इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ (1992) और एम. नागराज बनाम भारत संघ (2006) मामला:** उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। हालांकि, इस सीमा से अधिक आरक्षण के लिए असाधारण कारण स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।
- **कैलाश चंद शर्मा बनाम राजस्थान राज्य (2002) मामला:** इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान में सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति को **अमान्य** घोषित कर दिया था। इसमें राज्य चयन बोर्ड ने **"संबंधित जिले के या ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित आवेदकों"** को वरीयता दी थी।

1.7.2. जातिगत जनगणना (Caste Census)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जाति आधारित गणना कराए जाने की मांग ने एक गंभीर वाद-विवाद की शुरुआत कर दी है।

जातिगत जनगणना क्या है?

- जातिगत जनगणना में **जनसंख्या के आंकड़ों का जातिवार सारणीकरण** किया जाता है।
- **वर्ष 1931 की जनगणना,** जाति के आधार पर जनसंख्या के आंकड़ों के साथ भारत की अंतिम प्रकाशित जातिगत जनगणना है। वर्ष 1941 में इस प्रथा को अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया था तथा वर्ष 1947 के उपरांत, भारत सरकार ने इसे फिर से शुरू नहीं किया था।
- स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना (1951) के बाद से ही भारत सरकार जनगणना में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) पर पृथक आंकड़ें प्रकाशित करती रही है, यद्यपि जनगणना में अन्य जातियों के आंकड़ें शामिल नहीं किए जाते हैं।

ब्यौरा	जातिगत जनगणना के विपक्ष में तर्क	जातिगत जनगणना के पक्ष में तर्क
जाति पर आंकड़ों की उपलब्धता	**जाति के अनुमान पहले से ही उपलब्ध हैं:** उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) द्वारा किए गए विभिन्न सरकारी सर्वेक्षणों में जनसंख्या में SCs, STs और OBCs से जुड़े आंकड़ों को संग्रहित किया जाता है।	**सर्वेक्षण जनगणना नहीं होते हैं:** NFHS और NSSO द्वारा एकत्र किए गए जातिगत आंकडे **जनगणना के विपरीत सर्वेक्षण पर आधारित अनुमान हैं।** जनगणना वास्तव में देश के प्रत्येक व्यक्ति की गणना है। इसके अंतर्गत लोगों की पहचान की जाती है। प्रत्येक वर्ग के लिए, प्रत्येक स्तर पर गणना की जाती है। इसमें उनके शैक्षणिक स्तर, व्यवसाय, पारिवारिक संपत्ति और जीवन प्रत्याशा पर भी आंकड़ें एकत्र किये जाते हैं।
परिचालन से संबंधित चुनौतियां	एक पूर्ण जातिगत जनगणना, जिसमें सभी "सवर्णों" का जाति-वार विभाजन शामिल हो, कुछ कठिनाइयां उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि देश में सभी जातियों की आधिकारिक सूची उपलब्ध नहीं है। इसके लिए जनगणना के बाद वर्गीकरण का व्यापक कार्य करना होगा, जिससे सामान्य	यह एक **सामान्य प्रथा** है कि **कुछ जनगणना संबंधी तालिकाएँ जनगणना संपन्न होने के पांच या सात वर्ष उपरांत जारी की जाती हैं।**

	जातिगत तालिका जारी होने में कुछ विलंब हो सकता है।	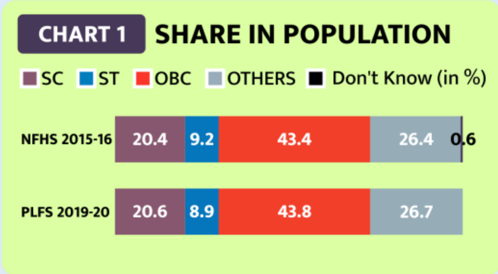
पहचान की राजनीति	सामान्यत: ऐसा कहा जाता है कि भारत में मतदाता केवल अपनी जाति के लिए मतदान करते हैं। **विभिन्न जातियों में जनसंख्या का विभाजन भारत में जाति-आधारित राजनीति को और भी मजबूत करेगा।** इस प्रकार की राजनीति स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जैसे विकासात्मक मुद्दों को प्रभावहीन कर सकती है।	यह न केवल जातिगत एवं उप-जातिगत आधार पर लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को समझने के लिए आवश्यक है, बल्कि सकारात्मक कार्रवाई एवं न्याय का पुनर्वितरण करने हेतु नीतियां तैयार करने के लिए भी मूल्यवान है। • इंद्रा साहनी वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि **आरक्षण के लाभों से विशेषाधिकार प्राप्त जातियों को बाहर करने के लिए प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर इस तरह के साक्ष्य/आंकड़े एकत्र किए जाने चाहिए।**
आरक्षण हेतु मांग में वृद्धि	जातिगत जनगणना के परिणामस्वरूप **उच्चतर कोटे की मांग को बढ़ावा मिल सकता है तथा आरक्षण पर निर्धारित 50% की सीमा प्रभावित हो सकती है।**	नवीनतम जातिगत आंकड़ों के अभाव ने विभिन्न सामाजिक समूहों की सार्वजनिक रोजगार तथा केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु आरक्षण की मांगों को प्रभावित नहीं किया है।

आगे की राह

- **जातिगत आंकड़ों की उपयोगिता को समझना:** पहले से मौजूद जातिगत आंकड़ों पर तथा सरकार और उसके विभिन्न विभागों द्वारा लाभ देने या वापस लेने हेतु इनको कैसे समझा तथा उपयोग किया गया है, इस तथ्य पर चर्चा की जानी चाहिए।
- **सभी उपलब्ध आंकड़ों का समग्र रूप से अध्यन करना:** जनगणना से संबंधित समस्त आंकड़ों को NSSO अथवा NFHS जैसे अन्य बड़े डेटासेट्स से संबद्ध करना चाहिए तथा उनका संकलन करना चाहिए। ज्ञातव्य है कि ये डाटासेट्स उन मुद्दों को शामिल करते हैं, जिन्हें जनगणना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, जैसे- मातृ स्वास्थ्य आदि। उल्लेखनीय है कि विद्वानों ने पूर्व में ही जनगणना को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आंकड़ों से जोड़ने का सुझाव दिया था।
- **जनगणना में परिवर्तन, समय की मांग है:** विशेषज्ञ मत प्रस्तुत करते हैं कि विश्व भर में जनगणना के संचालन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जा रहे हैं। ये परिवर्तन सटीक, त्वरित और लागत प्रभावी हैं। साथ ही, इनमें विभिन्न डेटा स्रोतों के मध्य समन्वय भी शामिल है।

जातिगत जनगणना पर सरकार का न्यायालय के समक्ष तर्क

- केंद्र सरकार ने एक याचिका के उत्तर में न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया कि **"वर्ष 1951 से जनगणना में जाति आधारित गणना को एक नीतिगत मामले के रूप में छोड़ दिया गया है।** इस प्रकार 1951 से वर्तमान तक की किसी भी जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त अन्य जातियों की गणना नहीं की गई है।
- **जाति आधारित जनगणना नहीं कराए जाने के अन्य कारण:**
    - अन्य पिछड़ा वर्गों (OBCs) की जाति आधारित जनगणना **प्रशासनिक रूप से कठिन और बोझिल** है।
        - सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना (SECC) 2011 द्वारा एकत्र किए गए OBCs के आंकड़ों के विश्लेषण से यह संकेत मिलता है कि **जाति आधारित जनगणना में कई त्रुटियां एवं अशुद्धियां** व्याप्त थीं तथा वह "विश्वसनीय नहीं है"।
    - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची के विपरीत (जो अनन्य रूप से संघ सूची के विषय हैं) कई राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों में OBCs की विभिन्न सूचियां प्रचलित हैं।
    - **केंद्र के अनुसार, जाति पर विवरण एकत्र करने के लिए जनगणना आदर्श साधन नहीं है** और इसमें संचालन संबंधी कई कठिनाइयां विद्यमान हैं। इसमें जनगणना के आंकड़ों की मूलभूत अखंडता से समझौता किये जाने का गंभीर जोखिम मौजूद है।
    - **प्रशासनिक अक्षमता,** क्योंकि प्रगणक (अधिकांशतः विद्यालयी शिक्षकों के समूह से) के पास सूचना की प्रामाणिकता को सत्यापित करने का कोई साधन नहीं है।
    - उप-जातियों के संबंध में अपर्याप्त ज्ञान उपलब्ध है।

- चूंकि विशेष रूप से एकत्रित किए जा रहे डेटा की प्रकृति संवेदनशील होती है, अतः यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि जनगणना कार्यों से जुड़े डिजिटल विकल्प और डेटा स्रोतों का जुड़ाव, समावेशी और गैर-भेदभावपूर्ण हो।

निष्कर्ष

एक और SECC संचालित करने से पहले, विगत अभ्यास का मूल्यांकन करना जरुरी है। ताकि यह समझा जा सके कि इससे क्या सीखा गया है और राज्य से सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के बहिष्करण मानदंड बदलने के आलावा इसमें कौन-से परिवर्तन आवश्यक हैं। यह जनगणना को प्रभावी नीतिगत कार्य और अकादमिक चिंतन हेतु उपयोगी बनाएगा। इस अभ्यास को प्रभावी बनाने के लिए कार्यप्रणाली, प्रासंगिकता, दृढ़ता, प्रसार, पारदर्शिता और गोपनीयता से संबंधित चिंताओं को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है।

1.7.3. आरक्षण से संबंधित अन्य सुर्ख़ियां (Other News Related to Reservation)

उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) में 27 प्रतिशत आरक्षण को बनाए रखा है	• **उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2021-22 में NEET-PG (स्नातकोत्तर) और NEET-UG (स्नातक) में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय कोटा (AIQ) सीटों में OBC उम्मीदवारों के लिए आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है।**
	  ○ **याचिकाकर्ताओं (कई NEET उम्मीदवारों) ने तर्क दिया था कि उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी मामले के निर्णय में आरक्षण को 50% तक सीमित कर दिया था। इसलिए, केंद्र को NEET के तहत AIQ सीटों में OBC आरक्षण लागू करने से पहले न्यायालय की पूर्व सहमति लेनी चाहिए थी।**
	  ○ AIQ योजना **वर्ष 1986** में आरंभ की गई थी। इसका उद्देश्य किसी भी राज्य के छात्रों को किसी अन्य राज्य के अच्छे मेडिकल कॉलेज में अध्ययन करने के लिए अधिवास प्रमाण-मुक्त (domicile-free) व योग्यता आधारित अवसर उपलब्ध करवाना है।
	  ○ पूर्व में, वर्ष 2007 तक AIQ योजना में कोई आरक्षण नहीं होता था।
	• **उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियां**
	  ○ **संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 15(5), अनुच्छेद 15(1) के अपवाद नहीं हैं।** यह अनुच्छेद स्वयं ही मौलिक समानता (मौजूदा असमानताओं की मान्यता सहित) के सिद्धांत को निर्धारित करता है।
	  ○ एक खुली प्रतियोगी परीक्षा में **मात्र प्रदर्शन के आधार पर संपूर्ण योग्यता का आकलन नहीं किया जा सकता।** यह परीक्षा अवसर की केवल औपचारिक समानता ही प्रदान करती है।
	  ○ एक परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त कर लेना मात्र ही योग्यता का आधार नहीं होता है। योग्यता **सामाजिक रूप से प्रासंगिक होनी चाहिए।** इसकी समानता जैसे सामाजिक मूल्यों को प्रोत्साहित करने वाले एक उपकरण के रूप में फिर से कल्पना की जानी चाहिए
	• संबंधित सुर्ख़ियों में **तमिलनाडु विधानसभा ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) के विरुद्ध विधेयक को फिर से पारित किया।**
	  ○ इस विधेयक का उद्देश्य, योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर **आयुर्विज्ञान व होम्योपैथी में स्नातक (UG) पाठ्यक्रमों में प्रवेश का प्रावधान करना है।**
	  ○ यह विधेयक सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए **चिकित्सा शिक्षा प्रवेश में 7.5 प्रतिशत के क्षैतिज आरक्षण** का भी उपबंध करता है।
	• **NEET के विरुद्ध राज्य की दलील**
	  ○ NEET **समाज के समृद्ध और अधिक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का पक्षधर है।** यह वर्ग कक्षा XII की पढ़ाई के अलावा विशेष कोचिंग का खर्च उठाने में सक्षम है।
	  ○ **संपन्न वर्ग के छात्र चिकित्सा स्नातक (UG) कार्यक्रमों के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं नहीं देते हैं।** ये छात्र स्नातकोत्तर स्तर की अपनी पढ़ाई अधिकांशतः विदेशों में करते हैं। इससे **राज्य में सेवारत चिकित्सकों की संख्या में कमी हो जाती है।**
	  ○ NEET का पाठ्यक्रम राज्य की बोर्ड परीक्षाओं की तरह "सभी संभव ज्ञान"(All Possible knowledge) के परीक्षण के लिए खुला नहीं है। यह **भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान जैसे विषयों के पक्ष में है।**

तमिलनाडु में वन्नियार समुदाय को आरक्षण	• सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें **वन्नियारों को प्रदान किए गए 10.5 प्रतिशत आरक्षण को मद्रास हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था।** तमिलनाडु विधान सभा ने फरवरी 2021 में वन्नियारों हेतु सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आंतरिक आरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया था।

- वन्नियार, **तमिलनाडु के सर्वाधिक पिछड़ा समुदाय (MBC)** से संबंधित एक समुदाय है।

- **तमिलनाडु द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग (1983)** ने वन्नियारों को **10.5%** आरक्षण देने की सिफारिश की थी। इन्हें पहले **वन्नियाकुला क्षत्रिय** के नाम से जाना जाता था।
  - वर्ष 2020 में, **"तमिलनाडु की जातियों, समुदायों और जनजातियों पर मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिए आयोग"** का गठन किया गया था। तमिलनाडु ने इस आयोग का गठन आरक्षण प्रदान करने के लिए विश्वसनीय जातिवार जनसंख्या संबंधी आंकड़ों की कमी के कारण किया था।
  - यह अधिनियम वर्ष 2020 में गठित आयोग की रिपोर्ट आने से पहले पारित किया गया था।
- तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (शैक्षिक संस्थान में सीटों का आरक्षण तथा राज्य के तहत सेवाओं में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण) अधिनियम, 1993 को वर्ष 1994 के अधिनियम के रूप में भी जाना जाता था। इसे संविधान की **नौवीं अनुसूची** में डाल दिया गया था। वर्ष 1994 के अधिनियम के तहत, तमिलनाडु में **69% आरक्षण** का प्रावधान किया गया था।
  - **सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2007 के मामले** (आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य) में फैसला सुनाया था कि सुप्रीम कोर्ट के पास नौवीं अनुसूची में जोड़े गए किसी भी कानून की समीक्षा करने की शक्ति है। इसलिए, तमिलनाडु का कानून जिसने आरक्षण को बढ़ाकर 69% कर दिया था, समीक्षा के लिए उपलब्ध है।

वन्नियार आरक्षण की न्यायिक व्याख्या

- **मौलिक अधिकारों का उल्लंघन:** यह कानून भारत के संविधान के **अनुच्छेद 15, 16 और 29** के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। साथ ही, तमिलननाडु में 115 अन्य सर्वाधिक पिछड़े समुदाय (MBC) समूहों और विमुक्त समुदाय (DNCs) के साथ भेदभाव करता है।
  - **वर्ष 1992 के इंदिरा साहनी मामले में, सुप्रीम कोर्ट** ने स्पष्ट रूप से कहा था कि "जाति आंतरिक आरक्षण के लिए प्रारंभिक बिंदु हो सकती है, लेकिन एकमात्र आधार नहीं"।
- **राज्य की क्षमता का समर्थन:** सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2021 के अधिनियम और उसके आरक्षण के प्रतिशत को असंवैधानिक ठहराया है। लेकिन, इसने अभिनिर्धारित पिछड़े समूहों के भीतर उप-वर्गीकरण करने तथा प्रतिशत आवंटित करने वाले एक कानून को अधिनियमित करने की राज्य की विधायी क्षमता को बनाये रखा है।
- **राज्य द्वारा परामर्श का अभाव:** राज्य ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) से परामर्श करने के बाद आरक्षण को संशोधित करने का निर्णय नहीं लिया, जैसा कि संविधान के **अनुच्छेद 338-B** द्वारा अनिवार्य किया गया है।
- **आंकड़ों की कमी:** आरक्षण का उप-वर्गीकरण MBC के भीतर वन्नियारों के पिछड़ेपन पर किसी भी मात्रात्मक डेटा के बिना किया गया था।
- **सहायक कानून:** वर्ष 2021 का अधिनियम वर्ष 1994 के अधिनियम के लिए केवल एक सहायक कानून था। यह वर्ष 1994 के अधिनियम के विरोध में नहीं था।

1.8. सहकारिता (Cooperatives)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संसदीय स्थायी समिति ने आवश्यक कानूनी और संस्थागत ढांचे के निर्माण के लिए सरकार के समक्ष एक सिफारिश प्रस्तुत की है। ऐसे ढांचे के निर्माण का उद्देश्य सभी बहुराज्य सहकारी समितियों (MSCS) के सदस्यों के हितों की रक्षा को सुनिश्चित करना है।

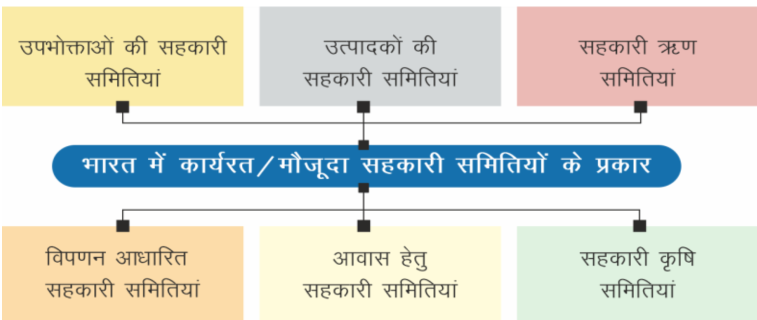

अन्य संबंधित तथ्य

संसदीय स्थायी समिति (PSC)[9] की अन्य सिफारिशें:

- अत्यधिक विवेकपूर्ण तरीके से **राष्ट्रीय स्तर पर गतिविधियों/योजनाओं/कार्यक्रमों की रूपरेखा** तैयार करनी चाहिए। इससे देश की **संघीय विशेषताओं** पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[9] Parliamentary standing committee

- सभी हितधारकों के साथ **व्यापक परामर्श के बाद ही नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति** तैयार करनी चाहिए।
- सहकारिताओं के अस्तित्व, वृद्धि और विकास के लिए **पर्याप्त अवसर/सुविधाएं** उपलब्ध करवाने हेतु एक प्रभावी तंत्र का निर्माण करना चाहिए।

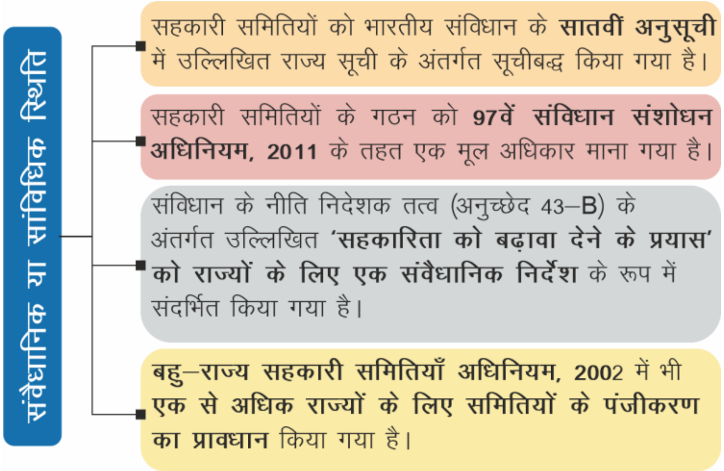

सहकारिता के बारे में

- यह समान आवश्यकताओं वाले **व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संघ** होता है, जो **साझे आर्थिक लक्ष्यों** और हितों की **प्राप्ति के लिए** एकजुट होते हैं।
- सहकारी समितियों के गठन के माध्यम से, **लोगों को एक समूह के रूप में संगठित** किया जाता है, **उनके व्यक्तिगत संसाधनों को एकत्रित/संग्रहित** किया जाता है तथा **सर्वोत्तम संभव तरीके से उनके उपयोग को सुनिश्चित किया जाता है। साथ ही, इससे कुछ साझे लाभ प्राप्त करने हेतु प्रयास** किए जाते हैं।
- एक सहकारी समिति में, **लोग अपनी इच्छा के अनुसार समिति से जुड़ सकते हैं** और स्वतंत्र रूप से समिति को छोड़ या समिति का परित्याग कर सकते हैं। **लेकिन, वे अपने हिस्से (शेयर) को हस्तांतरित नहीं कर** सकते हैं।
    - भारत में **सफल सहकारिताओं** के कुछ उदाहरण हैं- इंडियन कॉफी हाउस, सेल्फ-एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन (सेवा) आदि।

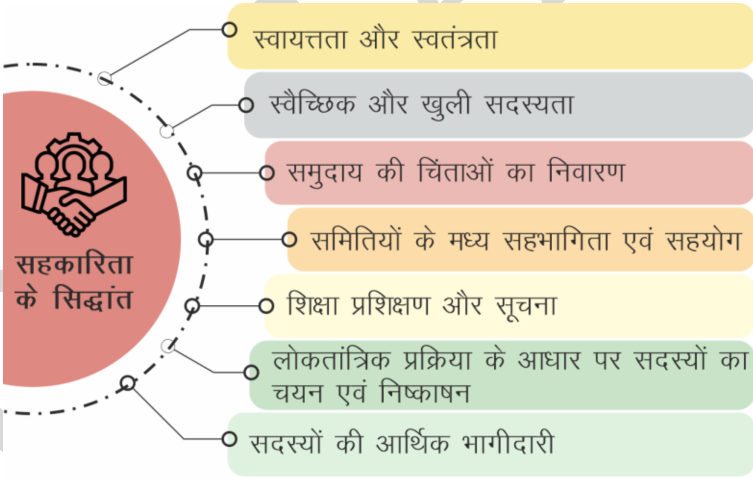

- **97वां संशोधन अधिनियम:** यह संशोधन अधिनियम देश में सहकारी समितियों के प्रभावी प्रबंधन से संबंधित है। संविधान में किए गए इस परिवर्तन के तहत **अनुच्छेद 19(1)(c)** को संशोधित (सहकारिताओं को संरक्षण देने के लिए) तथा इनसे संबंधित **अनुच्छेद 43B और भाग IXB** को संविधान में शामिल किया गया है।
    - **अनुच्छेद 19(1)(c):** यह कुछ निर्बंधनों के अधीन **संगम या संघ अथवा सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता** की गारंटी प्रदान करता है।
    - **अनुच्छेद 43B:** इसमें उपबंधित किया गया है कि राज्य, सहकारी सोसाइटियों के स्वैच्छिक गठन (voluntary formation), उनके स्वशासी कार्यकरण (autonomous functioning), लोकतांत्रिक नियंत्रण (democratic control) और पेशेवर या वृत्तिक प्रबंधन (professional management) का संवर्धन करने का प्रयास करेगा।
    - **संविधान का भाग IXB:** इसने सहकारी सोसाइटियों को संचालित करने के लिए शर्तों को निर्धारित किया है। यह एक सहकारी सोसाइटी के निदेशकों की संख्या या उनके कार्यकाल की अवधि और यहां तक कि सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता का निर्धारण करता है।

97वें संशोधन पर उच्चतम न्यायालय का रुख

- वर्ष 2021 में, उच्चतम न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की एक पीठ ने देश में "सहकारी सोसाइटियों" को शासित या नियंत्रित करने वाले **97वें संविधान संशोधन अधिनियम के कुछ भाग और संविधान के भाग IXB को निरस्त** कर दिया था।
- **अवलोकन:**
    - **"सहकारिता" राज्य सूची का एक विषय है।** हालांकि, 97वें संशोधन अधिनियम को संसद ने **राज्य विधान-मंडलों द्वारा अभिपुष्टि किए बिना** ही पारित कर दिया था, जबकि **संविधान के अनुसार यह अभिपुष्टि अनिवार्य थी।**

- न्यायालय ने घोषित किया है कि **संविधान का भाग IXB केवल तभी तक प्रभावी है जब तक यह** विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में **बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों से संबंधित है।**
- उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि **सहकारी सोसाइटियां, राज्य विधान-मंडलों की "अनन्य विधायी शक्ति" के अंतर्गत आती हैं।**

देश के सामाजिक-आर्थिक परिवेश में सहकारिता का महत्व

- **सामाजिक एकजुटता में वृद्धि।**
- **निम्नलिखित के द्वारा सामाजिक सशक्तीकरण:**
  - **समान अधिकारों की स्थापना।**
  - **निर्धनों की सौदेबाजी करने की शक्ति में वृद्धि।**
  - **नेतृत्व को बढ़ावा।**
- **नैतिक सिद्धांतों को बढ़ावा:** सहकारी समितियां अपने सदस्यों को नैतिक सिद्धांतों जैसे एकता, विश्वास, ईमानदारी, व्यवस्था, सहयोग आदि सिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये नैतिक सिद्धांत सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करते हैं।
- **इससे धन-संपदा से संबंधित असमानता की स्थिति में कमी होती है।**
- **इससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है।**

भारत में सहकारिता के समक्ष चुनौतियां

- **निम्नलिखित कारक सहकारी समितियों के लोकतांत्रिक कामकाज को प्रभावित करते हैं:**
  - **सरकारी हस्तक्षेप:** सरकार, सहकारी समितियों के लिए वित्तपोषण का प्रमुख स्रोत है। साथ ही, सरकार के पास विभिन्न विनियमों के माध्यम से सहकारी समितियों के कामकाज को विनियमित करने की शक्ति है। इसलिए, समय के साथ सरकार द्वारा उधार लेने पर प्रतिबंध, गैर-सदस्यों के साथ अन्य लेनदेन पर प्रतिबंध, धन के निवेश पर प्रतिबंध लगाने से सहकारी समितियों के कुशल प्रदर्शन में बाधा पैदा होती है।
  - **सहकारी समितियों का राजनीतिकरण:** कई सहकारी समितियों में समाज के स्थानीय रूप से शक्तिशाली सदस्यों का वर्चस्व होता है, जिनकी मजबूत राजनीतिक पकड़ होती है।
  - **आंतरिक झगड़ा और प्रतिद्वंद्विता।**
- **विषम भौगोलिक पहुँच:**
  - **विकास संबंधी क्षेत्रीय असंतुलन:** पूर्वोत्तर क्षेत्र और पश्चिम बंगाल, बिहार व ओडिशा जैसे राज्यों में सहकारी समितियां उतनी विकसित नहीं हैं, जितनी कि महाराष्ट्र और गुजरात में हैं।

हाल ही में, सहकारिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम:

- भारत में सहकारिता आंदोलन को कारगर बनाने के लिए नए **सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है:**
  - यह मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए **एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा** प्रदान करेगा।
    - इस कदम से पहले, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि क्षेत्रक में सहकारी आंदोलन के लिए कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग था।
  - **इस मंत्रालय का अधिदेश:**
    - **"सहयोग से समृद्धि की ओर"** के सपने को साकार करना।
    - देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करना और **जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच को सुनिश्चित** करना।
    - सहकारिता के क्षेत्र में साधारण नीति और **सभी क्षेत्रकों में सहकारिता क्रियाकलापों का समन्वय** करना।
    - **समुचित नीति, कानूनी और संस्थागत कार्य ढांचा सृजित करना।** इससे सहकारिता अपनी क्षमता को हासिल कर सकेगी।
    - सहकारी समितियों का निगमीकरण, विनियमन तथा समापन ताकि ये एक ही राज्य में सीमित न रह जाएं। यह बहु-राज्य सहकारिता सोसायटी अधिनियम, 2002 के कार्यान्वयन को भी देखेगा।
    - सहकारी विभागों और सहकारी संस्थाओं के कर्मियों का प्रशिक्षण।

  - **सीमित पहुँच:** सहकारी आंदोलन को इसके कामकाज के संबंध में निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण सीमाओं के कारण भी नुकसान उठाना पड़ा है:
    - **सहकारी समितियों का छोटा आकार।**
    - **एकल उद्देश्य वाली सहकारी समितियों का प्रभुत्व।**
- इस कारण ऐसी सहकारी समितियां सहायता मांगने वाले लोगों के बारे में पूरी तरह से विचार करने में असमर्थ होती हैं। साथ ही, वे विभिन्न तरीकों से समस्याओं का विश्लेषण और समाधान भी नहीं कर पाती हैं।
- **परिचालन संबंधी चुनौतियां:** निष्पक्ष लेखापरीक्षा तंत्र का अभाव, विभिन्न स्तरों पर मौजूद सहकारी समितियों के मध्य समन्वय का अभाव आदि।

* **कार्यात्मक कमजोरी:** इसमें इकोनॉमी ऑफ़ स्केल की अनुपस्थिति, कुशल कार्यबल की कमी और पेशेवर क्षमता का अभाव आदि शामिल हैं।

आगे की राह

* **संरचनात्मक सुधार:**
    * कमजोर और अक्षम सहकारी समितियों को समाप्त कर उन्हें **मजबूत तथा कुशल सहकारी समितियों में मिला देना** चाहिए।
    * **बहुउद्देशीय सहकारी समितियों को बढ़ावा** देना चाहिए।
* **सहकारी बैंकों के कामकाज में सुधार के लिए विधायी सुधार करने चाहिए।**
* **कामकाज में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए:**
    * सहकारी समितियों को **सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में** लाया जा सकता है।
    * सहकारी समितियों के निदेशक बनने के लिए **पात्रता मानदंड में प्रतिवर्ष संपत्ति की घोषणा का अनिवार्य प्रावधान** शामिल किया जा सकता है।
    * किसी भी वित्तीय मामले से निपटने वाले व्यक्तियों की टीका/टिप्पणियों आदि के साथ **सभी दस्तावेज सोसायटी की वेबसाइट पर अपलोड** किए जाने चाहिए।

निष्कर्ष

सहकारी समितियों की सफलता तब होगी जब भारत में हाशिए पर स्थित विशेषकर ग्रामीण भारत के वर्गों की सफलता होगी। इसलिए, सदस्यों और अन्य हितधारकों के लिए प्रबंधन की जवाबदेही सुनिश्चित करके कानून के प्रावधानों के उल्लंघन की संभावना को ख़त्म करना चाहिए तथा सहकारी समितियों के स्वायत्त और लोकतांत्रिक कामकाज को सुनिश्चित करना आवश्यक है। हमें जवाबदेही, भागीदारी लोकतंत्र और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के नेटवर्क के साथ साझेदारी को बढ़ाकर अधिक विकेंद्रीकरण की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

2. संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां (Issues and Challenges Pertaining to the Federal Structure)

2.1. संघवाद (Federalism)

संघवाद – एक नजर में

संघवादः विचार और इसकी विशेषताएं

संघवाद का अर्थ सरकार के दो या दो से अधिक स्तरों के बीच सत्ता का वितरण है . यह वितरण संवैधानिक रूप से किया जाता है। जैसे – एक; राष्ट्रीय स्तर पर और दूसरा; प्रांतीय, राज्य या स्थानीय स्तर पर।

मुख्य विशेषताएं

- महत्वपूर्ण निर्णय के लिए दोनों स्तरों पर सहमति की आवश्यकता होती है।
- राजस्व के निर्धारित स्रोत के साथ प्रत्येक को वित्तीय स्वायत्तता।
- एकता और क्षेत्रीय विविधता को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्य।
- सरकार के दो या दो से अधिक स्तर।
- प्रत्येक स्तर का अपना अधिकार क्षेत्र।
- संवैधानिक रूप से प्रत्येक स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी।

भारत में संघवाद का विकास

- **भारत शासन अधिनियम, 1935 में संघीय योजना की कल्पना** की गई थी। इस प्रकार, पहली बार भारत में संघीय अवधारणा प्रस्तुत की गई थी।
- हालांकि, इस अधिनियम ने देश की स्वतंत्रता के समय भारत में पूरी तरह से संघीय राजनीतिक व्यवस्था की परिकल्पना नहीं की थी। इसका कारण भविष्य की फूट और अलगाववादी प्रवृत्तियों का डर था।
- भारत के संघवाद की एक प्रमुख विशेषता इसकी **असममित प्रकृति है।**
- भारत में मुख्य राजनीतिक इकाई केंद्र और राज्य हैं। लेकिन इसके कुछ अन्य रूप भी हैं, जिन्हें सभी विशेष स्थानीय, ऐतिहासिक और भौगोलिक संदर्भों को संबोधित करने के लिए स्थापित किया गया है।

स्वतंत्रता के बाद, भारत का संघवाद निम्न चरणों में विकसित हुआ है:

- **पहला चरण:** एक दल संघवाद (1952–1967)– 'संघवाद का यह एक सहमति–जन्य मॉडल' था। इसमें राष्ट्रीय और राज्य नेतृत्व अपने संबंधित क्षेत्रों में सह–अस्तित्व में था।
- **दूसरा चरण:** भावबोधक संघवाद (1967–1989)– कांग्रेस के नेतृत्व वाले केंद्र और विपक्षी दलों के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों के बीच संघर्षपूर्ण संघीय गतिशीलता (Conflictual federal dynamics)।
- **तीसरा चरण:** बहुदलीय संघवाद (1989–2014)– कई क्षेत्रीय दलों के उदय ने गठबंधन की राजनीति के युग की शुरुआत की।
- **चौथा चरण:** प्रबल दल संघवाद की वापसी (2014–वर्तमान)।

प्रवृत्तियां जो कमजोर हो रहे संघवाद को प्रदर्शित करती हैं

- **केंद्रीकरण की बढ़ी हुई प्रवृत्ति:**
  - संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों के विभाजन में परिवर्तन।
  - दिल्ली तथा जम्मू और कश्मीर से संबंधित घटनाएँ।
  - कृषि कानून पारित करने के संबंध में आपत्तियां।
- **बढ़ती क्षेत्रीय मांगें:**
  - बढ़ती क्षेत्रीय पहचान अलगाववादी प्रवृत्तियों का कारण बन रही है।
  - बढ़ती क्षेत्रीय शक्ति विदेश नीति को प्रभावित कर सकती है।
- **राज्यपाल के पद का दुरुपयोग** वाद–विवाद का विषय रहा है।
- आर्थिक और वित्तीय क्षमताओं के संबंध में **राज्यों की आर्थिक असंगतता।**
- **'एक राष्ट्र, एक बाजार', 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड', 'एक राष्ट्र, एक ग्रिड'** आदि जैसी **विकासात्मक अवधारणाएं** संघीय सिद्धांत को कमजोर कर सकती हैं।
- नीति आयोग के गठन और वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत के परिणामस्वरूप **केंद्र व राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं।**

प्रवृत्ति जो प्रतिसंतुलन का प्रदर्शन करती है।

- प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद जैसे विचारों के आगमन के साथ क्षैतिज संघवाद को मजबूत करना।
- वित्तीय अवमूल्यन सुधार अर्थात राज्यों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाना तथा संसाधनों के वितरण को निष्पक्ष और अधिक प्रभावी बनाना।
- कोविड–19 संकट के प्रबंधन में राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्र सरकार ने भी राज्यों को इस संकट के दौरान पर्याप्त विस्तार और स्वायत्तता प्रदान की थी।
- नीति आयोग और GST परिषद के गठन के कारण संघीय चरित्र में वृद्धि हुई है।

संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए सुधारों की आवश्यकता है।

- संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत शक्तियों के वितरण पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है।
- राज्य और केंद्रीय नेतृत्व के बीच प्रभावी आपसी विश्वास के लिए नीति आयोग एवं अंतर–राज्य परिषद जैसे संघीय अंतराल पाटने वाले संस्थानों का प्रभावी उपयोग।
- प्रसिद्ध सरकारिया और पुंछी आयोग सहित अन्य आयोगों द्वारा सुझाई गई सिफारिशों को लागू करके राज्यपाल के पद को मजबूत करना।
- राज्य और स्थानीय सरकारों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए अधिक राजस्व के हस्तांतरण का प्रावधान। यह उन्हें राजकोषीय घाटे के राज्य–विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने और राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा।
- धीरे–धीरे 'वन साइज़ फिट ऑल' से एक लचीले आधुनिक संघवाद की दिशा में बढ़ना। यह आधुनिक संघवाद प्रत्येक राज्य को अभिशासन, नौकरशाही और स्थानीय सरकार के अपने मॉडल को अपनाने की अनुमति देता है।

2.2. एक राष्ट्र एक भाषा (One Nation One Language)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्री ने अंतर-राज्यीय संचार या संवाद में **अंग्रेजी के बजाय हिंदी को भाषा के रूप में प्रयोग** करने का आग्रह किया है।

हिंदी भाषा के बारे में

- हिंदी, **भारतीय-यूरोपीय भाषा परिवार की इंडो-आर्यन शाखा से संबंधित है।** हिंदी की उत्पत्ति प्राचीन भारतीय भाषा **संस्कृत से हुई** है।
- वर्ष 1949 में, **संविधान सभा ने अंग्रेजी के साथ हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा**[11] के रूप में अपनाया।
- वर्ष 1950 में, भारत के संविधान के **अनुच्छेद 343** के तहत **देवनागरी लिपि में हिंदी** को भारत की राजभाषा (Official language of India) के रूप में स्वीकार किया गया।
- वर्ष 1963 में, **राजभाषा अधिनियम**[12] **पारित किया गया।** इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि आधिकारिक संचार (Official Communication) के लिए हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी का भी उपयोग किया जा सकता है।
- वर्तमान में संविधान की **आठवीं अनुसूची** में **हिंदी सहित 22 भाषाएँ शामिल** हैं।

हिंदी: 'एक राष्ट्र, एक भाषा' का विकल्प

- **व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा:** 2011 की **भाषाई जनगणना** के अनुसार, हिंदी भारत में सबसे अधिक (**52.8 करोड़ व्यक्ति** या **आबादी का 43.6%**) बोली जाने वाली भाषा है। इसके बाद बंगाली और मराठी का स्थान आता है।
    - इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019 में 61.5 करोड़ बोलने वालों के साथ हिंदी **दुनिया की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है।**
- **राष्ट्रीय पहचान:** आजादी की लड़ाई के दौरान भारतीय नेताओं ने राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक के रूप में हिंदी को अपनाया था।
    - महात्मा गांधी ने देश को एकजुट करने के लिए हिंदी का उपयोग किया था। इसी कारण से हिंदी भाषा को "एकता की भाषा" भी कहा जाता है।
- **शिक्षा का माध्यम:** एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस (USIDE+)[10] के अनुसार, **देश में लगभग 42% बच्चे हिंदी माध्यम के स्कूलों में पढ़ते हैं,** इसके बाद अंग्रेजी (26%) और बंगाली (6%) का स्थान आता है।

एक राष्ट्र एक भाषा के मुद्दे पर वाद-विवाद

- **भाषा और पहचान के बीच के संबंध को समझना:** भाषा मुख्यतः पहचान से जुड़ी होती है। इसलिए भाषा अक्सर किसी राष्ट्र की पहचान बन जाती है।
- **भाषा और राष्ट्रवाद:** देश के झंडे और साहित्य के साथ-साथ भाषा को भी राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया जाता है। भाषा और राष्ट्र के बीच का संबंध मौलिक होता है, क्योंकि भाषा का प्रयोग अक्सर राष्ट्रों के निर्माण में किया जाता है।

एक राष्ट्र एक भाषा की आवश्यकता क्यों?	एक राष्ट्र एक भाषा से संबंधित मुद्दे
• **भाईचारे की भावना:** यह दुनिया भर में रहने वाले भारतीय प्रवासियों को एकजुट करता है। साथ ही, इससे एवं उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की खाई को कम भी किया जा सकता है। • **प्रशासनिक कार्यकुशलता:** एक भाषा लोगों की आकांक्षाओं और जरूरतों को समझने में भाषा संबंधी बाधा का समाधान कर सकती है। • **सेवाओं के वितरण में सुधार:** उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य देखभाल में भाषा संबंधी बाधा गलत उपचार का कारण बन सकती है। इसलिए एक भाषा ऐसे मुद्दे समाधान कर सकती है एवं गुणवत्तापूर्ण देखभाल और मरीज की	• **विविधता के विरुद्ध:** वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 19,569 मातृ भाषाएं बोली जाती हैं। इस प्रकार एक भाषा को थोपना विविधता के सिद्धांत के विरुद्ध है। • **संघीय मुद्दा:** वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में लोगों ने संचार के लिए हिंदी को पहली पसंद के रूप में चुना था। इस प्रकार हिंदी को एक राष्ट्र एक भाषा के रूप में थोपना **सहकारी संघवाद के विचार के विरुद्ध है।** • **बहुलतावादी समाज:** यह विचार कि एक भाषा एक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। यह उपनिवेशवाद के प्रभाव को उजागर करती है। साथ ही, यह **भारतीय इतिहास, संस्कृति और सभ्यता के अनुरूप नहीं है** क्योंकि भारत हमेशा से एक बहुभाषी समाज रहा है।

[10] Unified District Information System for Education Plus

[11] Official Language of Union of India

[12] Official Languages Act

सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है।

- **धन और समय की बचत:** एक भाषा होने से सार्वजनिक दस्तावेजों को न तो अलग-अलग भाषाओं में अनुवाद करना पड़ेगा न ही बाहर से अनुवाद संबंधी सेवाएं लेनी पड़ेंगी। इससे सरकारी धन और समय की बचत होगी।
  - **सहयोग को बढ़ावा: इससे समझ और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।** साथ ही, यह विचारों, मूल्यों और आस्था के संचार को सुविधाजनक बनाती है। इसके परिणामस्वरूप अलग-अलग क्षेत्रों और संस्कृतियों के लोगों के बीच मतभेद कम होता है।

- **अलगाववादी प्रवृत्ति:** इतिहास में भी इसके साक्ष्य मौजूद हैं कि इसको लागू करने **देश का विभाजन** हुआ है। उदाहरण के लिए, **पूर्वी पाकिस्तान पर उर्दू को थोपना** एक राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश के निर्माण के लिए उत्तरदायी एक प्रमुख कारण था।
  - **आर्थिक प्रभाव:** एक भाषा का विचार आर्थिक रूप से विनाशकारी होगा। ऐसा इसलिए हैं क्योंकि इससे प्रवास धीमा होगा, पूंजी प्रवाह में कमी आएगी और क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा मिलेगा।
  - **अल्पसंख्यक भाषा को खतरा:** उदाहरण के लिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, **बो भाषा को बोलने वाले अंतिम बोआ की मृत्यु से** लगभग 70,000 वर्षों के इतिहास वाली **बो भाषा विलुप्त हो गई।**

आगे की राह

- **तीन भाषा वाला फ़ॉर्मूला:** इसे पहली बार वर्ष 1968 में केंद्र सरकार द्वारा तैयार किया गया था। इस फ़ॉर्मूले को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी शामिल किया गया है। सभी राज्य सरकारों को भाषा के अंतराल को समाप्त करने के लिए इस फॉर्मूले अर्थात् **हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा** को अपनाना और लागू करना चाहिए।
- **विविधता का सम्मान:** भारत विभिन्न भाषाओं का देश है और हर भाषा का अपना महत्व है। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार होगा।
- **स्थानीय भाषाओं को मजबूत करना:** प्राचीन दर्शन, संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम की स्मृति को संरक्षित करने के लिए किसी एक भाषा का पक्ष लिए बिना स्थानीय भाषाओं को मजबूत किया जाना चाहिए।

2.3. सातवीं अनुसूची में सुधार (Reform in Seventh Schedule)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कई विशेषज्ञों ने भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है।

सातवीं अनुसूची के बारे में

- **संविधान के अनुच्छेद 246** के तहत, सातवीं अनुसूची **केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों का विभाजन करती है।**
- संघ सूची में **उन विषयों** को शामिल किया गया है, **जिन पर संसद कानून बना सकती है।** इसके विपरीत, **राज्य सूची** में उन विषयों को शामिल किया गया है, जो **राज्य विधान-मंडलों के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।**
  - **समवर्ती सूची** में ऐसे विषय शामिल हैं, जिनमें **संसद और राज्य विधानमंडल दोनों की अधिकारिता होती है।**

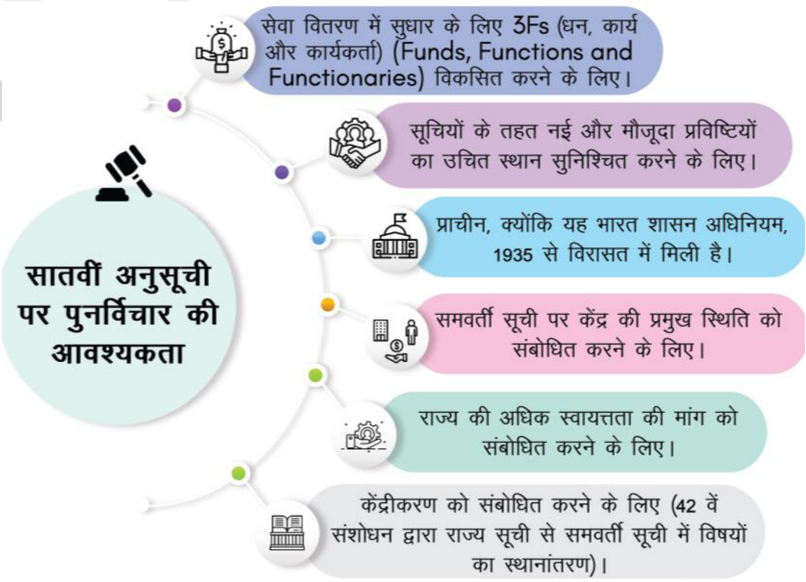

  - हालांकि, संघ और राज्य के मध्य संघर्ष की स्थिति में, **संविधान द्वारा समवर्ती सूची के विषयों पर संसद को संघीय सर्वोच्चता प्रदान की गई है।**
- **अनुच्छेद 248 संसद को अवशिष्ट शक्तियां (Residuary Powers) प्रदान करता है।**
  - अवशिष्ट शक्तियों से तात्पर्य ऐसे विषयों पर कानून बनाने की शक्ति से हैं, जिनका राज्य सूची या समवर्ती सूची में उल्लेख नहीं किया गया है।

- **सरकारिया आयोग** के अनुसार, समवर्ती सूची के विषय न तो विशेष रूप से राष्ट्रीय सरोकार के हैं और न ही स्थानीय सरोकार के हैं। इसलिए, इन्हें संवैधानिक 'ग्रे क्षेत्र' के रूप में वर्णित किया जाता है।
  - 'ग्रे क्षेत्र' एक ऐसी स्थिति होती है, जिसमें स्पष्टता का अभाव होता है।

संविधान में सातवीं अनुसूची को बनाए रखने का औचित्य

- **भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना:** देश के विभाजन के बाद, राष्ट्रीय एकीकरण पर बल दिया गया था, क्योंकि एक सशक्त केंद्र सरकार ही जटिल प्रशासनिक समस्याओं का प्रबंधन, बाहरी खतरों और आक्रमणों से राष्ट्र की रक्षा तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाए रख सकती थी।
- **उत्तरदायी शासन को सक्षम बनाना:** स्थानीय सरकारें राज्य सूची के अंतर्गत निम्नलिखित भूमिका निभाती हैं-
  - राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना,
  - विभिन्न विचारों को समायोजित करना और
  - अल्पसंख्यकों के अधिकारों एवं सामुदायिक मूल्यों को बढ़ावा देना।
- **संतुलित आर्थिक विकास प्राप्त करना:** सातवीं अनुसूची केंद्र सरकार को विधायी शक्तियां प्रदान करती है, ताकि **राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित आर्थिक विकास सुनिश्चित करने** के साथ ही राज्यों के **सामाजिक-आर्थिक विकास में समानता** लाई जा सके।
- **विविधता को बढ़ावा देना: भौगोलिक क्षेत्र, जनसंख्या और भाषाओं की संख्या** के संदर्भ में भारत की विविधता अनूठी है। ऐसे में राज्यों को विधायी शक्तियों के आवंटन से सांस्कृतिक स्वायत्तता को बढ़ावा मिल सकता है।
- **अन्य:** संयुक्त समिति की रिपोर्ट 1934 के अनुसार, यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि प्रांत स्वतंत्र रूप से अपने अधिकार क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए वास्तव में स्वायत्त रहे। इसका उद्देश्य **संघ और राज्यों के बीच सहयोग की भावना को मजबूत करना** था।
- **केंद्र-राज्य संघर्ष:** स्वतंत्रता के बाद भारत में **'राज्य की अधिक स्वायत्तता की मांग'** जैसे संघीय तनाव बढ़ गए थे। इसने सातवीं अनुसूची में सुधार की आवश्यकता पर बल डाला था।

आगे की राह

- **एक उच्च अधिकार प्राप्त आयोग का गठन:** इस आयोग में प्रशासनिक अनुभव प्राप्त प्रख्यात अधिवक्ताओं तथा न्यायविदों को शामिल किया जा सकता है। इसका उद्देश्य सातवीं अनुसूची में सूची **I** और सूची **III** की प्रविष्टियों की जांच करना और प्रविष्टियों के पुनर्वितरण पर सुझाव देना होगा।
- **संस्थागत ढांचा: सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने हेतु** केंद्र और राज्यों के बीच विश्वसनीय नीतिगत वार्ता के लिए एक परामर्श मंच की स्थापना पर विचार किया जाना चाहिए।
- **सरकारिया समिति की सिफारिशें (1998 की रिपोर्ट):**
  - **अवशिष्ट शक्तियां:** कर आरोपित करने की अवशिष्ट शक्ति के अलावा अन्य अवशिष्ट शक्तियों को **संघ सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित** किया जाना चाहिए।
  - **समवर्ती सूची:** समवर्ती सूची के विषयों से संबंधित शक्तियों का प्रयोग करने से पहले **केंद्र द्वारा राज्यों से परामर्श** किया जाना चाहिए।
- **आवधिक समीक्षा:** पुरानी प्रविष्टियों को हटाने, नई प्रविष्टियों को जोड़ने और मौजूदा प्रविष्टियों को उचित स्थान पर रखने पर ध्यान केंद्रित करते हुए सूचियों की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए।
- **प्रविष्टियों का स्थानांतरण: एम. एम. पुंछी आयोग, 2010** के अनुसार, केंद्र को केवल उन्हीं विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित करना चाहिए, जो राष्ट्रीय नीति के बुनियादी मुद्दों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं।

2.4. राज्यपाल-राज्य संबंध (Governor-State Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल के वर्षों में राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच संघर्ष के विभिन्न उदाहरण देखे गए हैं।

राज्यपाल- राज्य संघर्ष के कारण

- **नियुक्ति/हटाने की प्रक्रिया में खामियां:** राज्यपाल **राजनीतिक हितों से नियुक्त किया जाने वाला पद बन गया** है। साथ ही, राज्यपाल (जिसे राष्ट्रपति द्वारा **केंद्र की सलाह** पर नियुक्त किया जाता है) को पद से हटाने के लिए उस पर **महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है।**
- **कार्यकाल की कोई सुरक्षा नहीं**: राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन उसे राष्ट्रपति द्वारा **किसी भी समय** हटाया जा सकता है।
- **राज्य विधेयक को स्वीकृति देने की कोई समय सीमा नहीं: पुरुषोत्तम बनाम केरल राज्य वाद (1962)** में यह निर्णय दिया गया कि, अनुच्छेद 200 के तहत, स्वीकृति देने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। साथ ही उन मामलों के बारे में मार्गदर्शन की कमी है जिनमें यह स्पष्ट नहीं होता है कि उसे **स्वीकृति देनी चाहिए या स्वीकृति रोक लेनी चाहिए।**
- **वैधता (Legitimacy)**: राज्यपाल **निर्वाचित नहीं होता है।** इसलिए केवल अपनी स्वीकृति रोकने की घोषणा करके विधान-मंडल के संकल्प को खारिज करने की उसकी शक्ति से वैधता (Legitimacy) की समस्या पैदा होती है। इसके अतिरिक्त, किसी भी न्यायालय को **राज्यपाल द्वारा इस प्रकार स्वीकृति रोके जाने के औचित्य पर विचार करने की शक्ति नहीं है।**
- **शक्तियों का प्रयोग करने के लिए दिशा-निर्देशों का अभाव:** संविधान में, राज्यपाल की शक्तियों के प्रयोग के लिए कोई दिशा-निर्देश नहीं हैं। इन शक्तियों में **मुख्यमंत्री को नियुक्त करना या विधान सभा को विघटित करना** शामिल हैं। इस प्रकार राज्यपालों पर **राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य करने का आरोप लगता रहा है।**
- **मतभेदों को दूर करने के लिए तंत्र का अभाव: मतभेद होने पर राज्यपाल और राज्य सरकार को** किस प्रकार अपने मदभेद दूर करने चाहिए, इस बारे में कोई प्रावधान नहीं है। परंपरागत रूप से **एक-दूसरे के अधिकार क्षेत्र का सम्मान** करते हुए ही मतभेदों को हल किया गया है।

राज्यपाल और राज्य के बीच टकराव के कुछ हालिया उदाहरण

2022 तमिलनाडु के राज्यपाल ने स्नातक मेडिकल डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए नीट–आधारित प्रवेश को समाप्त करने की मांग करने वाले एक विधेयक को विधानसभा अध्यक्ष को वापस कर दिया था।

2020 केरल के राज्यपाल ने तीन केंद्रीय कृषि कानूनों पर बहस के लिए विधानसभा की विशेष बैठक बुलाने के अनुरोध को ठुकरा दिया था।

2018 जम्मू–कश्मीर के राज्यपाल ने इस संभावना के संकेत के बीच विधानसभा को भंग कर दिया था कि विभिन्न दल सरकार बनाने के लिए एक साथ आ रहे हैं।

2015 अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने सत्र के कार्यक्रम में बदलाव किया और मुख्यमंत्री की सिफारिश के बिना उसका एजेंडा निर्धारित किया।

विभिन्न आयोगों की सिफारिशें

सरकारिया आयोग	• किसी राज्य के राज्यपाल की **नियुक्ति में मुख्यमंत्री से परामर्श करने की प्रक्रिया** संविधान में ही निर्धारित होनी चाहिए। • किसी राज्य में राज्यपाल का **पांच वर्ष का कार्यकाल अत्यंत तार्किक कारण होने पर ही समय से पूर्व समाप्त किया जाना चाहिए, अन्यथा नहीं।** • जब तक मंत्रिपरिषद के पास **विधानसभा में बहुमत** है तब तक राज्यपाल उसे **बर्खास्त नहीं** कर सकता। • **अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन)** का प्रयोग अत्यंत विषम स्थितियों में **बहुत संयम से** और केवल अंतिम उपाय के रूप में ही किया जाना चाहिए।
पुंछी आयोग	• राज्यपालों के लिए पांच वर्ष का **निश्चित कार्यकाल** होना चाहिए। साथ ही, उनकी **पदच्युति** केंद्र सरकार की **इच्छा पर निर्भर नहीं होनी चाहिए।** • राष्ट्रपति पर **महाभियोग के लिए निर्धारित प्रक्रिया** को आवश्यक परिवर्तनों के साथ **राज्यपालों के लिए भी लागू किया जा सकता है।** • **विवेकाधीन शक्ति** का प्रयोग **तर्क से** नियंत्रित, **सद्भाव से** क्रियान्वित और **सावधानी से** संयमित होना चाहिए। • राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में, राज्यपाल को छह महीने के भीतर यह **निर्णय लेना** चाहिए कि क्या सहमति प्रदान की जाए या राष्ट्रपति के विचार के लिए इसे सुरक्षित रखा जाए।
संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCRWC)	• राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति **उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श के बाद** ही करनी चाहिए।

	• राज्य के मंत्रिमंडल के पास विधानसभा का विश्वास मत है अथवा नहीं, इस प्रश्न का निर्धारण **केवल सदन के पटल पर किया जाना चाहिए।**

महत्वपूर्ण न्यायिक घोषणाएं: राज्यपाल के संदर्भ में मार्गदर्शक निर्णय

बोम्मई वाद (1994)	रामेश्वर प्रसाद वाद (2006)	नबाम रेबिया वाद (2016)
• राज्य सरकार विधान सभा का **विश्वास मत खो चुकी है या नहीं** इस प्रश्न का निर्धारण **सदन के पटल पर** किया जाना चाहिए।। • अनुच्छेद 356 के तहत दी गई शक्ति एक **असाधारण शक्ति** है और इसका प्रयोग विशेष परिस्थितियों में **कभी-कभी ही** किया जाना चाहिए।	• लोकप्रिय सरकार बनाने के लिए चुनाव के बाद भी गठबंधन किए जाते हैं। अतः राज्यपाल ऐसी सरकारों की संभावना को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकता है। • सरकार बनाने के प्रयास में **खरीद-फरोख्त (horse- trading) या भ्रष्टाचार के निराधार दावों** को विधान सभा भंग करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है।	• उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि मुख्यमंत्री को सदन में बहुमत प्राप्त है तो राज्यपाल के पास **सदन की बैठक बुलाने के मामले में कोई विवेकाधिकार नहीं है।** इसलिए ऐसी स्थिति में वह मंत्रि-मंडल की **सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य होता है।** • इसके साथ ही, यदि राज्यपाल के पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हैं कि मुख्यमंत्री के पास बहुमत नही है, तो वह **बहुमत सिद्ध करने का आदेश दे सकता है।**

2.5. CBI बनाम राज्य (CBI vs States)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह स्पष्टीकरण दिया है कि पश्चिम बंगाल सरकार के पास **केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को राज्य के भीतर अपराधों की जांच करने से रोकने की कोई "पूर्ण" शक्ति प्राप्त नहीं है।**

केंद्र और राज्य के मध्य हुए अन्य हालिया विवाद

- केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन;
- वस्तु एवं सेवा कर तथा;
- प्रवर्तन निदेशालय (ED) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) आदि जैसी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाईयां।

अन्य संबंधित तथ्य

- केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा **संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत** भारत संघ के खिलाफ दायर किए गए एक मुकदमे के जवाब में ऐसा स्पष्टीकरण दिया है।
  - अनुच्छेद 131 **उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता से संबंधित है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय,** केंद्र और राज्य अथवा राज्यों के बीच **किसी भी विवाद का निपटारा करता है।**
- पश्चिम बंगाल राज्य ने कई मामलों में FIR दर्ज करने और जांच करने के CBI के क्षेत्राधिकार को चुनौती दी है।
  - पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि उसने वर्ष 2018 में ही **CBI से "सामान्य सहमति (General consent)" वापस ले ली** थी और CBI की कार्रवाई शासन के संघीय ढांचे पर प्रत्यक्ष हमला थी।

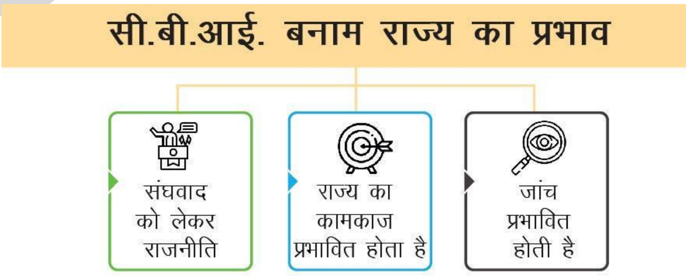

- महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान आदि जैसे **आठ राज्यों ने वर्तमान में CBI से "सामान्य सहमति" वापस ले ली है।**
- यह हालिया संघर्ष भारत में सहकारी संघवाद पर प्रश्न आरोपित करता है। इसके अतिरिक्त, यह **भारत में संघीय व्यवस्था की सुचारू कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने** की आवश्यकता को भी प्रकट करता है।

संघवाद के वे कौन-से पहलू हैं, जो CBI बनाम राज्य विवाद से प्रभावित होते हैं?

- **पुलिस:** संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची II में **'पुलिस' राज्य सूची का विषय है। अतः राज्य** को पुलिस के संबंध में कानून बनाने का **अनन्य अधिकार प्राप्त है।** हालांकि, CBI केंद्रीय एजेंसी के रूप में 'पुलिस' की भांति अपना कार्य करती आ रही है। गौरतलब है कि CBI की स्थापना दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DPSE) अधिनियम, 1946 के तहत की गई थी।

- **DPSE अधिनियम की धारा 5 और 6** क्रमश: अन्य क्षेत्रों में 'विशेष पुलिस स्थापना' की **शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के विस्तार** तथा राज्य सरकारों की सहमति की आवश्यकता से संबंधित हैं।

- **CBI के लिए सामान्य सहमति:**
  - DPSE अधिनियम के तहत, CBI को किसी राज्य में किसी अपराध की जांच शुरू करने से पूर्व **अनिवार्य रूप से संबंधित राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करनी होती है।**
  - राज्य सरकार की सहमति **या तो मामला-विशिष्ट या सामान्य** हो सकती है।
  - आम तौर पर राज्यों द्वारा अपने राज्य में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ **भ्रष्टाचार के मामलों की निर्बाध जांच में CBI की मदद करने के लिए** "सामान्य सहमति" दी जाती है।
  - इस सहमति के अभाव में **CBI को प्रत्येक मामले में**, और छोटी-छोटी कार्रवाई करने से पहले भी **राज्य सरकार को आवेदन करना पड़ता है।**
- **अधिकार क्षेत्र से बाहर (Extraterritorial) परिचालन:** CBI की अवधारणा अधिक उन्नत है। इसमें **अधिकार क्षेत्र से बाहर** परिचालन के दौरान विशेष जानकारी, तकनीकी ज्ञान आदि शामिल हैं।

भारत में सहकारी संघवाद के मामले में ऐसे मुद्दे क्यों सामने आते हैं?

सहकारी संघवाद, संघ और राज्यों के बीच क्षैतिज संबंध है। यह दर्शाता है कि कोई भी एक-दूसरे से ऊपर नहीं है। हालांकि, निम्नलिखित कारणों से सहकारी संघवाद सुनिश्चित करने में विभिन्न मुद्दे उभर रहे हैं:

- **समवर्ती क्षेत्राधिकार:** एक से अधिक क्षेत्राधिकार में होने वाले अपराधों में CBI, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) आदि जैसे निकायों की आवश्यकता होती है। फिर भी, स्थानीय पुलिस बल के साथ इनका टकराव (Concurrence) होता है तथा इनके पूर्व अधिकार बार-बार संघीय मुद्दों का कारण बनते हैं।
- **शक्ति का केंद्र की ओर झुकाव होना:** साथ ही, कमजोर केंद्रीय प्राधिकरण देश के हित में नहीं होगा। यह शांति सुनिश्चित करने, महत्वपूर्ण मामलों में समन्वय स्थापित करने आदि में असमर्थ होगा।
- **अनुच्छेद 131 की जटिलता:** "राज्य, अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र को चुनौती दे सकता है या नहीं" इस पर उच्चतम न्यायालय ने पिछले कुछ वर्षों में अलग-अलग निर्णय दिए हैं।
  - **उदाहरण के लिए:** छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र द्वारा पारित राष्ट्रीय जांच अधिनियम, 2008 को चुनौती देते हुए केंद्र के विरुद्ध वाद दायर किया था। छत्तीसगढ़ के अनुसार पुलिस राज्य सूची का विषय है तथा यह संविधान के प्रावधान के खिलाफ है।

- **समन्वय को बढ़ावा देने, वाद-विवाद का प्रबंधन करने और संघर्ष समाधान के लिए कोई निकाय नहीं है:** सरकारिया आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय की स्थापना का सुझाव दिया था। इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय के भीतर स्थापित किया गया था। इसलिए यह समन्वय को बढ़ावा देने, अंतर-सरकारी वाद-विवाद का प्रबंधन करने और संघर्ष समाधान के लिए स्वतंत्र निकाय नहीं रह गया।
  - वर्तमान में केंद्र-राज्य और अंतर्राज्यीय मुद्दों का समाधान करने के लिए कोई स्वतंत्र संस्थान नहीं है।
- **शक्ति का केंद्रीकरण टकराव उत्पन्न कर रहा है:** केंद्र और राज्यों के बीच विश्वास की कमी बढ़ रही है।
- **भिन्न राजनीतिक दल:** जब भिन्न-भिन्न राजनीतिक दल केंद्र और राज्य में सरकार बनाते हैं, तब उनके हित प्रायः सुमेलित नहीं होते हैं।

आगे की राह

- **केंद्र और राज्यों के बीच पारदर्शिता और समन्वय:** वर्तमान समष्टि-आर्थिक (Macroeconomic) परिदृश्य को लेकर पारदर्शी होने की आवश्यकता है। साथ ही, राजस्व अनुमानों की भी समीक्षा करने की जरूरत है। यह राज्यों के साथ परामर्श के लिए रणनीतिक मार्ग प्रदान कर सकता है।
- **केंद्र-राज्य संबंध समिति के सुझाव:** केंद्र-राज्य संबंधों पर **सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग** ने सहकारी संघवाद बेहतर बनाने के लिए कई सिफारिशें की और कार्रवाई योग्य कदमों का सुझाव दिया। कुछ संवैधानिक संशोधन संघवाद और इसके कार्यान्वयन को बेहतर बना सकते हैं। ये संशोधन इस प्रकार हैं:
  - **राज्यपाल का पद अराजनीतिक होना चाहिए** और उसे हटाए जाने की शर्तों में परिवर्तन किया जाना चाहिए;
  - **अंतर्राज्यीय परिषद के कार्य** मात्र सलाह और सिफारिशें प्रदान करने की जगह और अधिक व्यापक होने चाहिए;
  - **कानून निर्माण पर राष्ट्रपति के वीटो** का दुरुपयोग रोकने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करने चाहिए;
  - जब केंद्र कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता करता है, तो **राज्यों को शामिल करना** उचित होगा आदि।

VISION IAS

- **राजकोषीय क्षमता बढ़ाना:** केंद्र का हिस्सा कम किए बिना राज्यों की राजकोषीय क्षमता के क्रमिक विस्तार की कानूनी रूप से गारंटी दी जानी चाहिए।
- **चुनावी सुधार:** क्षेत्रीय राजनीतिक दलों और क्षेत्रीय नेताओं के लिए समान अवसर का निर्माण करने हेतु पर्याप्त चुनावी सुधार किये जाने चाहिए। यह राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धी राजनीतिक प्रतियोगिता की सुविधा प्रदान करेगा।
- **CBI जैसे निकायों के लिए विशिष्ट सिफारिशें:**
    - **सहायिकता (Subsidiarity) के यूरोपीय सिद्धांत का पालन करते हुए,** निश्चित आधार तैयार किये जाने चाहिए। इन आधारों पर राज्य सरकारें सामान्य सहमति रोक सकती हैं या उच्च स्तरीय जांच के लिए मामलों को CBI को हस्तांतरित कर सकती हैं। इससे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच टकराव कम करने में सहायता मिल सकती है।
    - **CBI को सांविधिक मान्यता,** इसे DPSE अधिनियम से स्वतंत्र रूप से मान्यता प्रदान करेगी।
    - **एक व्यापक प्रणाली** जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का **सहयोग शामिल** हो, CBI के लुप्त हो चुके गौरव को पुनर्जीवित कर सकती है।

2.6. भारत में अंतर्राज्यीय सीमा विवाद (Interstate Border Disputes in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, असम और मेघालय सरकार ने कम से कम **छह क्षेत्रों** में काफी समय से लंबित **अंतर-राज्यीय सीमा विवादों** को निपटाने हेतु सहमति व्यक्त की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- मेघालय का गठन असम को विभाजित करके किया गया था। इसे **वर्ष 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था।**
- दोनों राज्यों के बीच विस्तारित **884 कि.मी.** से अधिक सीमा क्षेत्र पर **12** विवादित क्षेत्र/बिंदु विद्यमान हैं। इनमें मुख्यत: कामरूप, **कामरूप महानगर और हैलाकांडी** जिलों में लैंगपीह, बोको आदि क्षेत्र शामिल हैं।
- इस विवाद की उत्पत्ति मेघालय सरकार द्वारा वर्ष **1969 के असम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम** को अस्वीकार किए जाने से हुई है।
- हालिया निर्णय दोनों राज्यों द्वारा इस मुद्दे के समाधान हेतु **विशेष क्षेत्रीय समितियों** के गठन के पश्चात् लिया गया है।

भारतीय प्रशासनिक प्रभाग और इसके अंतर्राज्यीय सीमा विवाद

वर्ष 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग (SRC)[13] ने भारतीय क्षेत्र को भाषाई एवं अन्य आधारों पर **14 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों (UTs)** में विभाजित किया था। वर्तमान में, परवर्ती पुनर्गठन के माध्यम से, भारत में प्रशासनिक प्रभागों की कुल संख्या **28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र** हो गई है। यह विभाजन कुछ सीमाओं को खंडित किए बिना नहीं हो सकता है-

- वर्ष 1963 में नागालैंड के गठन के साथ प्रारंभ हुए असम राज्य के पुनर्गठन ने **असम-मेघालय विवाद** सहित

13 State Reorganisation Commission

पूर्वोत्तर क्षेत्र में **4 अंतर्राज्यीय सीमा विवादों** को जन्म दिया है-

- **असम-नागालैंड विवाद** नागा पहाड़ियों तथा उत्तरी कछार और नगांव जिलों में सभी नागा-बहुल क्षेत्र से संबंधित है। ये वर्ष 1866 की ब्रिटिश अधिसूचना के तहत नागा क्षेत्र का हिस्सा थे।
- **असम-मिजोरम विवाद** दक्षिणी असम की बराक घाटी और लुशाई पहाड़ियों की सीमाओं से संबंधित है। यह विवाद वर्ष 1875 और वर्ष 1933 की दो ब्रिटिश-कालीन अधिसूचनाओं के आधार पर उत्पन्न हुआ था। इसमें मिजोरम द्वारा वर्ष 1875 के आधार पर सीमा निर्धारण की मांग की जा रही है।
- **असम-अरुणाचल प्रदेश** सीमा के मैदानी इलाकों में वन क्षेत्रों के संदर्भ में विवाद विद्यमान है।
  - हालांकि, दोनों राज्यों ने **कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों के गठन पर सहमति व्यक्त** की है। इन समितियों का गठन समयबद्ध तरीके से विवाद को समाप्त करने के लिए किया जाएगा।

- इसके अतिरिक्त, भारत में कुछ अन्य अंतर्राज्यीय सीमा विवाद भी मौजूद हैं, जो या तो सक्रिय हैं या निष्क्रिय हैं, जैसे कि:

सक्रिय विवाद	निष्क्रिय विवाद
• **पंचकूला के समीप परवाणू क्षेत्र में हरियाणा-हिमाचल प्रदेश विवाद।** • बेलगाम जिले के संबंध में **महाराष्ट्र-कर्नाटक विवाद।** बेलगाम जिले में एक बड़ी मराठी भाषा बोलने वाली आबादी निवास करती है। **वर्ष 1956 में कर्नाटक** के अधीन आने से पहले **यह बॉम्बे प्रेसीडेंसी** का भाग था। • लेह-मनाली राजमार्ग पर स्थित सरचू से संबंधित हिमाचल प्रदेश-लद्दाख विवाद।	• **ओडिशा-पश्चिम बंगाल विवाद** के अतीत में इनकी मुख्य भूमि की सीमाओं और बंगाल की खाड़ी में **कनिका सैंड्स द्वीप** से संबंधित मुद्दे थे। • चंडीगढ़ पर **हरियाणा-पंजाब** विवाद। • केरल के कासरगोड से संबंधित **कर्नाटक-केरल** विवाद, जहां बहुसंख्यक आबादी कन्नड़ भाषी है। • मानगढ़ हिल से संबंधित **गुजरात-राजस्थान** विवाद।

अंतर्राज्यीय विवादों के परिणाम

सामाजिक	• राज्यों के बीच हिंसा। उदाहरण के लिए: हाल ही में, 5 पुलिसकर्मियों की मौत के पश्चात् **असम-मिजोरम** विवाद **हिंसक संघर्ष** में परिवर्तित हो गया। • समाज के सामाजिक ताने-बाने में हुई क्षति क्षेत्र में सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा उत्पन्न करती है।
आर्थिक	• विवादित क्षेत्रों में **संवृद्धि एवं विकास का अभाव।** • **विवादित सीमाओं पर अतिरिक्त सुरक्षा तैनाती के कारण** लोगों और व्यवसायों के लिए **अवांछित लागत में वृद्धि।**
राजनीतिक	• **राज्यों के बीच विश्वास की कमी** के कारण नदीय जल, लोगों के प्रवास आदि जैसे अन्य अंतर-राज्यीय विवादों या अन्य विवादित सीमाओं पर **दूरगामी प्रभाव** या शृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया (चेन रिएक्शन)। • **अलगाववादी प्रवृत्तियों और समूहों का उदय,** जो आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यह शत्रु पड़ोसियों सहित भारत के दुश्मनों के साथ **समूहों के संगम** का कारण बन सकता है।

आगे की राह

- भूमि सर्वेक्षण के लिए भारतीय सर्वेक्षण और अन्य तटस्थ एजेंसियों के साथ कार्य करने के लिए **राज्य समितियों का गठन** किया जाना चाहिए। सीमाओं के इस सीमांकन में स्थानीय समुदायों को भी शामिल किया जा सकता है।
- पुलिस कर्मियों की सीमित उपलब्धता के साथ सतर्कता हेतु **UAV और सैटेलाइट इमेजरी** जैसी तकनीक का उपयोग करके **विवादित क्षेत्रों में शांति व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।**
- सीमा पर **नो-मैन्स लैंड बनाकर** दोनों तरफ से अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए। यह कदम विवाद के लिए उत्तरदायी आर्थिक और सामाजिक हितों को कम करता है। साथ ही, इससे क्षेत्रीय विवाद के लिए **"बिना किसी ठोस हानि"** के समाधान तैयार करने में सहायता मिलती है।
- राज्यों के बीच **हितों के सामंजस्य हेतु अंतर्राज्यीय परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों की लगातार बैठकें आयोजित करना** तथा विवाद समाधान द्वारा दोनों को लाभान्वित करने के लिए संस्थागत समाधान का सुझाव देना भी आवश्यक कदम है।
- **सीमा विवाद संबंधित मामलों का समयबद्ध समाधान करना** और न्यायालय की निगरानी में गठित आयोगों/मध्यस्थों या न्यायाधिकरणों के आदेशों एवं सिफारिशों को लागू करने के लिए तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।
  - उदाहरण के लिए, अंतर्राज्यीय सीमा विवादों की सुनवाई करने और समाधान तक पहुंचने हेतु पुराने विधिक दस्तावेजों (जैसे असम-मिजोरम विवाद में) की व्याख्या करने के लिए **अधिकरणों** की स्थापना की जा सकती है।
- केंद्र सरकार द्वारा सहकारी संघवाद की भावना के आधार पर राज्यों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने, मध्यस्थता पर सहमति का निर्माण करने अथवा समितियों या संयुक्त प्रशासन द्वारा प्रदत्त सिफारिशों को लागू करने के लिए अनुकूल परिवेश का निर्माण किया जाना चाहिए।

- **राजनीतिक प्रयास:** हालांकि, यह एक तदर्थ उपाय है, फिर भी राष्ट्रीय दल अपने दल के प्रशासन/सदस्यों (पार्टी मशीनरी) का उपयोग **राजनीतिक समझ** विकसित करने हेतु कर सकते हैं। इससे सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में इसके नकारात्मक परिणामों से बचने में सहायता मिल सकती है। इससे लोगों की मानसिक संकीर्णता को दूर कर इन सीमाओं को केवल भूमि तक ही सीमित किया जा सकेगा।

2.7. इनर लाइन परमिट (Inner Line Permit: ILP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

उच्चतम न्यायालय ने इनर लाइन परमिट (ILP) व्यवस्था पर केंद्र और मणिपुर सरकार को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने **मणिपुर में ILP प्रणाली के विस्तार की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और मणिपुर सरकार से उत्तर की मांग** की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- याचिका में केंद्र के एक निर्णय को चुनौती दी गई है। केंद्र ने **वर्ष 2019 में राष्ट्रपति द्वारा जारी एक आदेश के माध्यम से मणिपुर में ILP व्यवस्था का विस्तार करने का निर्णय** लिया था।
- याचिका में तर्क दिया गया है कि **ILP राज्य को गैर-स्थानीय लोगों या जो मणिपुर के स्थायी निवासी नहीं हैं, के प्रवेश और निकास को प्रतिबंधित करने के लिए अत्यधिक शक्ति** प्रदान करता है।
- याचिका के अनुसार, ILP **अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के तहत नागरिकों के मूल अधिकारों** का उल्लंघन करता है।

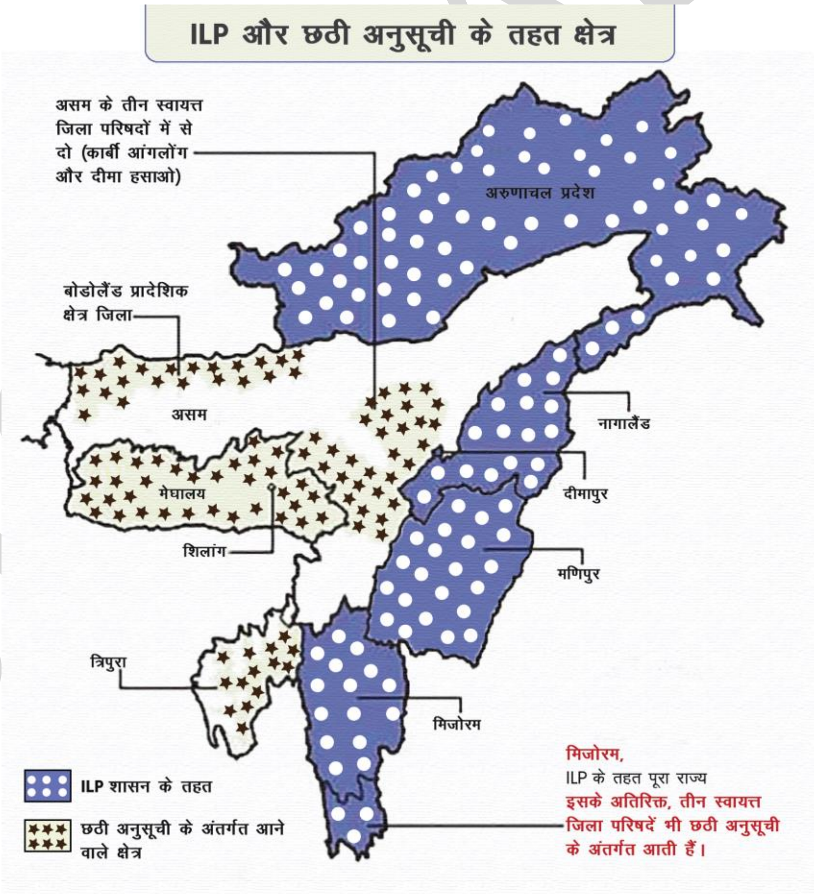

ILP के बारे में

- ILP एक **आधिकारिक यात्रा दस्तावेज या परमिट** होता है। यह **बाहरी लोगों को सीमित अवधि के लिए संरक्षित क्षेत्रों की यात्रा** करने हेतु दिया जाता है।
    - **अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के बाद मणिपुर ऐसा चौथा राज्य** है, जहां ILP व्यवस्था को लागू किया गया है।
    - **ILP को संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी** किया जाता है। इसके अलावा, **नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रावधान भी ILP क्षेत्रों पर लागू नहीं** होते हैं।
    - **ठहरने की अवधि के आधार पर पर्यटकों, किरायेदारों एवं अन्य रोजगार संबंधी उद्देश्यों के लिए** अलग-अलग प्रकार के परमिट प्रदान किए जाते हैं।
    - विदेशियों को इन क्षेत्रों के पर्यटन स्थलों की यात्रा करने के लिए एक **संरक्षित क्षेत्र परमिट (PAP)**[14] की आवश्यकता होती है। यह घरेलू पर्यटकों के लिए आवश्यक इनर लाइन परमिट से भिन्न होता है।
- इसे अंग्रेजों ने **वर्ष 1873 के बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन (BEFR)** के तहत लागू किया था।

[14] Protected Area Permit

- इसके तहत अंग्रेजों ने निर्दिष्ट क्षेत्रों में प्रवेश को प्रतिबंधित करने और बाहरी लोगों के ठहरने को नियंत्रित करने संबंधी नियम निर्मित किए थे। इस अधिनियम का उद्देश्य "ब्रिटिश प्रजा" (British Subjects) (भारतीयों) को इन क्षेत्रों में व्यापार करने से प्रतिबंधित कर क्राउन के अपने वाणिज्यिक हितों की रक्षा करना था।
- वर्ष 1950 में, भारत सरकार ने "**ब्रिटिश प्रजा**" को "**भारत के नागरिक**" से बदल दिया। इसका उद्देश्य दूसरे भारतीय राज्यों के बाहरी लोगों से देशज लोगों के हितों की रक्षा करने संबंधी स्थानीय चिंताओं को दूर करना था।

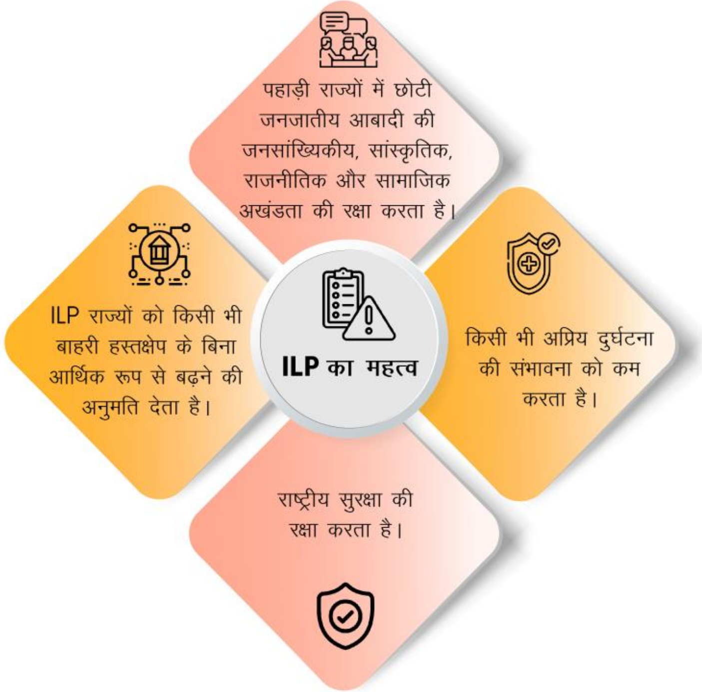

ILP के प्रभाव

- इन पहाड़ी राज्यों में 'बाहरी लोगों' के प्रवेश पर रोक लगाने से राज्य की **अर्थव्यवस्था पर प्रभाव** पड़ता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इसके कारण **पर्यटन प्रभावित हो रहा है एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था अपनी क्षमता को भी हासिल नहीं कर पा रही है।**
- मानवीय हस्तक्षेप के कारण इन दस्तावेजों को जारी करने में **गलती की संभावना** रहती है। इससे आगंतुकों को असुविधा होती है।
- **कुछ समुदायों में पिछड़ने का भय:** जैसे मेघालय में, जहाँ गैर-आदिवासी आबादी का एक बड़ा हिस्सा निवास करता है। ILP व्यवस्था के संबंध में गैर-आदिवासियों लोगों के मध्य संदेह बना हुआ है इसके लागू होने से उनके हितों को महत्व नहीं दिया जाएगा।

2.8. विशेष श्रेणी का दर्जा (Special Category Status)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **आंध्र प्रदेश** में **विशेष सहायता उपाय (SAM)[15] का विस्तार** किया गया। आंध्र प्रदेश को यह विशेष सहायता वहां की राज्य सरकार के अनुरोध पर विशेष श्रेणी के राज्य के दर्जे के बदले प्रदान की गयी है।

अन्य संबंधित तथ्य

- SAM को **आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 से उपजे दायित्व**, **वित्त आयोग की सिफारिशों** और **नीति आयोग की रिपोर्ट** के अनुसार विस्तारित किया गया है।
- यह सहायता राज्य की 'बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं'(EAP)[16] हेतु लिए गए ऋण और उसके ब्याज के पुनर्भुगतान के ज़रिए दी जाएगी। यह सहायता उन परियोजनाओं के लिए है जिन्हें वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान राज्य द्वारा हस्ताक्षरित और वित्त-पोषित किया गया था।

विशेष श्रेणी के दर्जे के बारे में (SCS)

- **विशेष श्रेणी का दर्जा केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। यह केंद्र सरकार द्वारा किया गया एक वर्गीकरण है। इसका उद्देश्य** कुछ राज्यों की उनके **विकास में सहायता करना है।** विशेष श्रेणी के दर्जे हेतु राज्यों को उनकी विभिन्न विशेषताओं के आधार पर चिन्हित किया जाता है। ये ऐसी विशेषताएं होती हैं जो उन्हें विशेष दर्जा दिया जाना आवश्यक बनाती हों। (इन्फोग्राफिक्स देखें)
  - वर्ष 1969 में, **पांचवें वित्त आयोग की सिफारिश पर** पहली बार SCS की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी।
  - **जम्मू और कश्मीर** SCS प्राप्त करने वाला पहला राज्य था।

---

[15] Special Assistance Measure

[16] Externally Aided Projects

- हाल के वर्षों में असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड **राज्यों को भी यह दर्जा दिया गया** हैं।

- **भारत के संविधान में विशेष श्रेणी के राज्य के रूप में राज्यों के वर्गीकरण का कोई प्रावधान नहीं है।**
  - हालांकि, भारत के 11 राज्यों के लिए संविधान में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। ये प्रावधान अनुच्छेद 371, 371-A से लेकर 371-H, और 371-J तक विस्तृत हैं।
- नीति आयोग के गठन के बाद **14वें वित्त आयोग** की सिफारिशों को लागू करते हुए SCS की **अवधारणा को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया** गया है।
  - 14वें वित्त आयोग ने **SCS को केवल उत्तर-पूर्वी राज्यों और तीन पहाड़ी राज्यों तक सीमित** रखने की सिफारिश की है।
  - इससे पहले, SCS का दर्जा देने का निर्णय **राष्ट्रीय विकास परिषद** और पूर्ववर्ती **योजना आयोग** द्वारा लिया जाता था। **वर्तमान में यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है।**

- आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त, बिहार, ओडिशा, गोवा और राजस्थान ने SCS का दर्जा देने की मांग की थी। हालांकि उन्हें यह दर्जा नहीं दिया गया क्योंकि वे निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करते थे।

विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त राज्यों को मिलने वाले लाभ

- केंद्र सरकार सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं और बाह्य सहायता पर **राज्य के खर्च का 90% वहन करती** है। **शेष 10 प्रतिशत राशि राज्य को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण के रूप में** दी जाती है।
- **अव्ययित धन व्यपगत नहीं होता है** और उसे अगले वर्ष के लिए रख दिया जाता है।
- **SCS दर्जा प्राप्त राज्यों को** निवेश आकर्षित करने के लिए सीमा शुल्क, निगम कर, आयकर और अन्य करों से छूट दी जाती है।
- **केंद्र के सकल बजट का 30 प्रतिशत** विशेष श्रेणी के राज्यों को आवंटित होता है।
- SCS राज्य **ऋण-स्वैपिंग और ऋण राहत योजनाओं का लाभ उठा सकते** हैं।

SCS और विशेष दर्जे के मध्य अंतर

- **संविधान के तहत विशेष दर्जा एक अधिनियम के माध्यम से प्रदान किया जा सकता है।** ऐसे अधिनियम को संसद के **दोनों सदनों के दो-तिहाई बहुमत से पारित** करना होता है। वहीं दूसरी ओर, SCS राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) द्वारा प्रदान किया जाता है जो सरकार का एक प्रशासनिक निकाय है।
- **विशेष दर्जा विधायी और राजनीतिक अधिकारों को सशक्त बनाता है** जबकि SCS केवल आर्थिक, प्रशासनिक और वित्तीय पहलुओं से संबंधित है।
- उदाहरण के लिए, **जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त था, साथ ही उसे SCS भी प्राप्त था।** हालांकि वर्तमान में, **अनुच्छेद 35A को समाप्त** कर दिया गया है और यह विधायिका वाला एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। **वर्तमान में जम्मू-कश्मीर पर SCS लागू नहीं है।**

विशेष श्रेणी के दर्जे की कार्यप्रणाली में खामियां

- **SCS मानदंड निर्धारण:** किसी राज्य को SCS प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों पर राज्यों के बीच सदैव सहमति का अभाव रहा है।
- **आर्थिक प्रगति:** आंकड़ों से पता चलता है कि जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड जैसे राज्यों को SCS का लाभ देने के बाद भी वे हरियाणा, पंजाब जैसे **गैर-SCS राज्यों से पीछे हैं।**
- **आवंटन में वृद्धि:** 14वें वित्त आयोग के बाद राज्यों को मिलने वाली राशि में वृद्धि (42%) हुई है। इसलिए वर्तमान संदर्भ में इस संरचना की कोई विशिष्ट प्रासंगिकता नहीं है।
- **समस्याओं में वृद्धि:** किसी भी नए राज्य को विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा देने पर विचार करने से अन्य राज्यों की मांगें भी बढ़ेंगी। साथ ही, इससे प्राप्त होने वाले लाभ कम हो जाएंगे।
- **ऋण संधारणीयता:** राज्य सरकारों की आउटस्टैंडिंग गारंटी ऋण संधारणीयता के लिए एक खतरा पैदा करती है। यह विशेष रूप से उस स्थिति में चुनौतीपूर्ण बन जाती है जब उधारकर्ता ऋण चुकाने में विफल रहता है।

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के प्रतिशत के रूप में आउटस्टैंडिंग गारंटी जम्मू और कश्मीर में 20 प्रतिशत और हिमाचल प्रदेश में 10 प्रतिशत है।

आगे की राह

- **मानदंड:** विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा देने के लिए प्रयोग किए जाने वाले मानदंडों को लेकर राज्यों के मध्य आम सहमति होनी चाहिए।
- **आर्थिक नीति:** SCS का लाभ एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य कर सकता है। हालांकि, राज्य का विकास राज्य की अपनी नीतियों पर निर्भर करता है। राज्यों द्वारा मजबूत आर्थिक नीतियों का अनुसरण करना आवश्यक है।
- **क्षमता:** राज्यों को अपनी औद्योगिक क्षमता को पहचानना चाहिए। उन्हें केंद्र की सहायता पर निर्भर होने के बजाय अपने विशेष संसाधनों का लाभ उठाने के लिए एक नीतिगत वातावरण तैयार करना चाहिए।

2.9. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 {Government Of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Act (GNCTD) 2021}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने "GNCTD (संशोधन) अधिनियम" में हुए व्यापक संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। हालांकि, इस अधिनियम को कुछ बदलाव लाने के उद्देश्य से पिछले वर्ष केंद्र द्वारा लाया गया था।

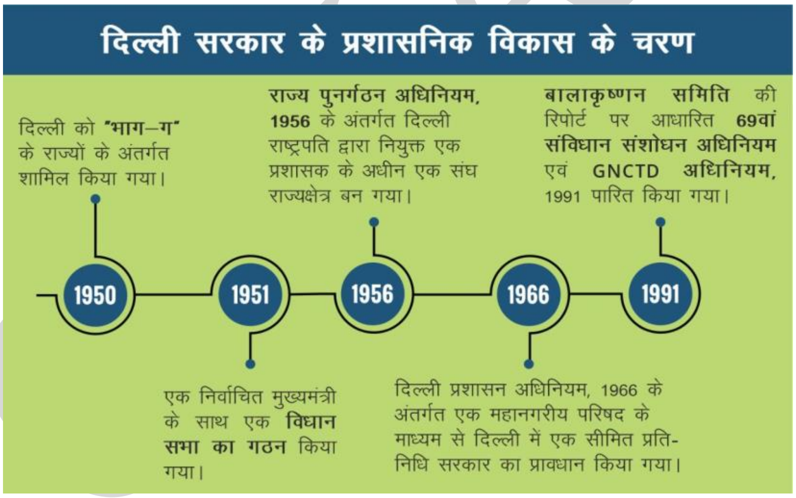

इस अधिनियम की आवश्यकता क्यों?

- वर्ष 2021 के अधिनियम के माध्यम से **GNCTD अधिनियम, 1991 में संशोधन किए गए हैं।** इस अधिनियम द्वारा दिल्ली विधान सभा एवं उपराज्यपाल (LG) को राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के शासन की संवैधानिक योजना के अनुरूप कुछ शक्तियां एवं दायित्व प्रदान किए गए हैं।
- केंद्र सरकार ने तर्क दिया है कि नियमों का समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए **वर्ष 1991 के अधिनियम में कोई संरचनात्मक व्यवस्था नहीं** थी।
  - **GNCTD अधिनियम, 1991 में इस उपबंध को लेकर भी कोई स्पष्टता नहीं थी कि किस प्रकार के प्रस्ताव या विषयों** को कोई आदेश जारी करने से पूर्व उपराज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करना है।
- केंद्र ने यह भी तर्क दिया है कि यह संशोधन **"माननीय उच्चतम न्यायालय की उस व्याख्या को प्रभावी बनाने के लिए** किया गया है, जो उसने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र बनाम भारत संघ वाद, 2018 में निर्धारित की थी।"

GNCTD (संशोधन) अधिनियम, 2021 के बारे में

विनिर्देश	GNCTD (संशोधन) अधिनियम, 2021	उच्चतम न्यायालय का निर्णय
"सरकार" (government) का अर्थ	• विधान सभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में **"सरकार" शब्द का अर्थ उपराज्यपाल (L-G) होगा।**	• उपराज्यपाल, उन मामलों पर मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श के लिए बाध्य है, **जो प्रत्यक्ष रूप से उपराज्यपाल के नियंत्रण में नहीं हैं।**
कार्यकारी आदेशों पर उपराज्यपाल की सहमति	• मंत्रिमंडल या किसी मंत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिए गए निर्णयों पर **किसी भी कार्यकारी कार्रवाई से पूर्व उपराज्यपाल का मत प्राप्त किया जाएगा।**	• **पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि संबंधी मामलों को छोड़कर** अन्य मामलों में उपराज्यपाल की सहमति की आवश्यकता नहीं है। • **परंतु, मंत्रिपरिषद के निर्णयों से** उपराज्यपाल **को अवगत कराना होगा।**

इस अधिनियम के अन्य प्रावधान

- **निर्वाचित सरकार द्वारा नियम निर्माण:** विधान सभा, दिल्ली के प्रशासन से संबंधित दिन-प्रतिदिन के मामलों पर विचार करने या प्रशासन के संबंध में जांच इत्यादि करने के लिए स्वयं को या अपनी किसी समिति को सक्षम करने हेतु कोई नियम नहीं बनाएगी। GNCTD (संशोधन) अधिनियम, 2021 के प्रभावी होने से पूर्व **इस प्रावधान का उल्लंघन करके बनाया गया कोई भी नियम अमान्य होगा।**
- **विधान सभा द्वारा पारित विधेयकों को उपराज्यपाल की स्वीकृति:** उन विधेयकों पर स्वीकृति को लंबित करने या उन्हें राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सुरक्षित रखने की शक्ति उपराज्यपाल को प्रदान की गई है, जो संयोगवश किसी ऐसे मामले को शामिल करते हैं, जो विधान सभा को प्रदत्त शक्तियों के दायरे से बाहर हैं। अनुच्छेद **239AA(4)** के अंतर्गत यदि **उपराज्यपाल** की किसी विषय पर निर्वाचित सरकार से असहमति है, तो उसे उस मामले को राष्ट्रपति को प्रेषित करने की शक्ति प्राप्त है।

अनुच्छेद 239AA
• **69वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1991** द्वारा संविधान में अनुच्छेद 239AA को शामिल किया गया था। इसमें दिल्ली को सभी संघ राज्यक्षेत्रों में एक विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। दिल्ली में विधान सभा और मंत्रीपरिषद का सृजन किया गया है। यह मंत्रीपरिषद विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है। • दिल्ली की विधान सभा को **लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि** को छोड़कर सभी विषयों पर विधि निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है। • **राज्य सूची व समवर्ती सूची के शेष मामलों** (जहां तक कि ऐसा कोई मामला संघ राज्यक्षेत्रों पर लागू होता है) के लिए विधान सभा को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र हेतु विधान निर्मित करने की शक्ति प्राप्त होगी।

आगे की राह

- **सहमति आधारित दृष्टिकोण:** अधिनियम को चयन समिति को प्रेषित किया जा सकता था और कृषि कानूनों की भांति शीघ्रता से पारित नहीं किया जाना चाहिए था। इस प्रकार के विषयों में सहमति से कार्य करना संघवाद के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित उच्च सिद्धांतों के अनुरूप भी होगा।
- **दिल्ली के लिए मिश्रित संतुलन:** किसी लोकतंत्र में वास्तविक और अधिकांश शक्ति निर्वाचित प्रतिनिधियों में होती है और वे विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
  - दिल्ली के विशेष दर्जे एवं दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र होने के **मूल सरोकार** को ध्यान में रखते हुए एक **मिश्रित संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए।**

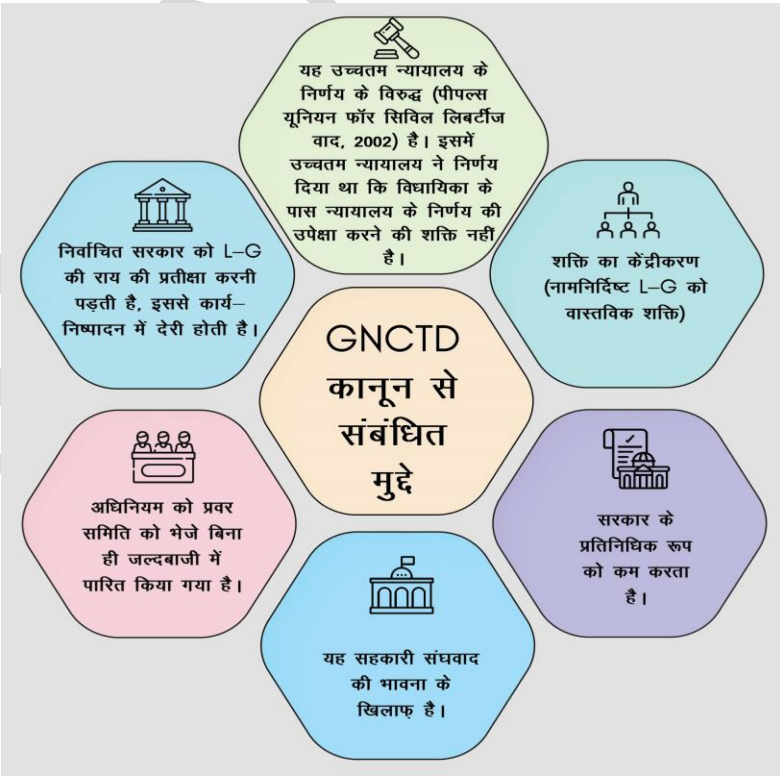

- **लोकतांत्रिक एवं अन्य सिद्धांतों को बरकरार रखना:** इस अधिनियम को **भागीदारी परक लोकतंत्र, सहकारी संघवाद, सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व** और सबसे बढ़कर संवैधानिक नैतिकता को बरकरार रखना चाहिए।

3. संसद और राज्य विधानमंडल: संरचना एवं कार्यप्रणाली (Parliament and State Legislatures: Structure and Functioning)

3.1. संसदीय उत्पादकता में गिरावट (Declining Parliamentary Productivity)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्ष 2021 का शीतकालीन सत्र **लोकसभा की 82% उत्पादकता** और **राज्य सभा की 48% उत्पादकता** के साथ संपन्न हुआ है।

संसद की उत्पादकता (या काम-काज) में कमी के हालिया उदाहरण

- **विधेयकों की जांच का अभाव:** बजट सत्र 2021 के दौरान संसद में 13 विधेयक पेश किए गए थे। इनमें से किसी भी विधेयक को जांच के लिए संसदीय समिति के पास नहीं भेजा गया।
    - **उदाहरण के लिए** - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक, 2021; खान और खनिज (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021 आदि को जल्दबाजी में पारित कर दिया गया।
- **संसदीय समितियों को विधेयक भेजने में गिरावट की प्रवृत्ति:** संसदीय समितियों को जाँच के लिए भेजे जाने वाले विधेयकों की संख्या में तेजी से गिरावट हुई है। 16वीं लोक सभा में 27% विधेयक ही संसदीय समितियों को भेजे गए, जो 17वीं लोकसभा (वर्ष 2019 से वर्तमान तक) में घटकर केवल 11% रह गए।
- **उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति:** 17वीं लोकसभा के सत्र में उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति बहुत अधिक रही है, जो संविधान के **अनुच्छेद 93** के विरुद्ध है।
- **उपस्थिति में कमी:** लोकसभा में सदस्यों की औसत उपस्थिति घटकर 71% और राज्य सभा में 74% रही।
- **केंद्रीय बजट पर चर्चा का अभाव:** हाल के बजट सत्र में लोकसभा में विस्तृत चर्चा के लिए केवल पांच मंत्रालयों के बजट सूचीबद्ध किए गए थे। इनमें से भी केवल तीन पर ही चर्चा की गई।
    - कुल बजट के 76% भाग को बिना किसी चर्चा के ही पारित कर दिया गया।

डाटा बैंक

- **कामकाज (बैठक) के घंटे:** वर्ष 2021 में, लोक सभा और राज्य सभा में क्रमशः 236 घंटे और 179 घंटे कामकाज हुआ।
    - लोक सभा और राज्य सभा में **कामकाज के वास्तविक घंटे** क्रमशः 410 और 250 हैं।
- वर्ष 2015 के बाद से **यह तीसरी बार है, जब विधि–निर्माण पर राज्य सभा में सर्वाधिक कामकाज** हुआ है।
- बजट सत्र 2021 में लोक सभा की 107% और राज्य सभा की 90% **उत्पादकता रही।**
    - यह दोनों सदनों में वर्ष 2014 के बाद से पांचवां सर्वाधिक उत्पादकता वाला सत्र रहा।

संसद की उत्पादकता को सुनिश्चित करना क्यों महत्वपूर्ण है?

- **लोकतंत्र में केंद्रीय भूमिका:** लोकतंत्र में संसद की केंद्रीय भूमिका होती है। इसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यह सरकार के काम पर नियंत्रण और संतुलन बनाए रखती है।

- **प्रस्तावित कानूनों की जांच करना:** संसद का कार्य सभी प्रस्तावित कानूनों की विस्तार से जांच करना होता है। साथ ही, संसद का कार्य ऐसे कानूनों में किए गए प्रावधानों की बारीकियों और उद्देश्यों को भी समझना होता है। इस आधार पर संसद इन कानूनों पर आगे की कार्यवाही करती है।
- **संवैधानिक दायित्वों को पूरा करना:** सदन का मुख्य कार्य संविधान द्वारा निर्धारित दायित्वों को पूरा करना होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि संसद 3D अर्थात् **विचार-विमर्श (Debate), चर्चा (Discussion) और मंत्रणा (Deliberation) जैसे सिद्धांतों का प्रभावी** ढंग से पालन करे।
  - **अनुच्छेद 75** में यह प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होगी।
- **प्रतिनिधात्मक निकाय:** भारत एक विविधतापूर्ण देश है। इसलिए भारत की संसदीय प्रणाली को **प्रतिनिधि व्यवस्था (Representativeness), अनुक्रियाशीलता (Responsiveness)** और **जवाबदेहिता (Accountability)** को बनाए रखना चाहिए।

संसदीय उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है?

- **बैठकों की संख्या बढ़ाना:** इस संबंध में संविधान के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग[17] ने सिफारिश की है। आयोग ने कहा है कि **लोक सभा और राज्य सभा में बैठकों की न्यूनतम संख्या क्रमशः 120 और 100** निर्धारित की जानी चाहिए।
- **संसद सदस्यों को विशेषज्ञ सहायता:** संसदीय समितियों को संस्थागत रूप से तकनीकी विषयों के बारे में सहायता प्रदान की जानी चाहिए। इससे समितियां **तकनीकी और जटिल नीतिगत मुद्दों की जांच करने में सक्षम हो पाएंगी।**
- **समिति को विधेयक भेजना:** समितियों द्वारा सभी विधेयकों और बजटों की अनिवार्य रूप से जांच की जानी चाहिए। साथ ही, समिति के विशेषज्ञ सदस्यों के कार्यकाल का विस्तार किया जाना चाहिए, ताकि जटिल विषयों पर उनकी तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग किया जा सके।
- **नियमित निगरानी:** समिति के **प्रदर्शन के नियमित मूल्यांकन करने के लिए एक व्यवस्था को स्थापित** करने की आवश्यकता है।
- **उत्तरदायी विपक्ष:** विपक्ष के सदस्यों को तर्कसंगत और सकारात्मक सुझावों पर आधारित प्रश्न पूछ कर, आपत्ति जताकर और सुझाव देकर अपनी प्रभावी भूमिका निभानी चाहिए।
  - **शैडो कैबिनेट:** यह मंत्रालयों की विस्तृत निगरानी और जांच को संभव बनाती है। साथ ही, यह रचनात्मक सुझाव देने में सांसदों की सहायता भी करती है।
- **जनता की प्रतिक्रिया:** सरकार द्वारा देश में संसदीय कामकाज पर एक व्यापक बहस को आयोजित किया जाना चाहिए। यह लोगों की दीर्घकालिक भागीदारी को प्रोत्साहन प्रदान करेगा।

3.2. राज्य सभा की प्रासंगिकता (Relevance of Rajya Sabha)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल के दिनों में राज्य सभा की प्रासंगिकता और संसद के दोनों सदनों को पुनः संतुलित करने के संबंध में विचार-विमर्श किया जा रहा है।

[17] National Commission to Review the Working

VISION

राज्य सभा की पृष्ठभूमि

- **संसद के द्वितीय सदन के उद्भव** को **1918 की मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट** में देखा जा सकता है।
- **भारत सरकार अधिनियम, 1919** में द्वितीय सदन के रूप में **'राज्य परिषद (Council of State)' के गठन** का प्रावधान किया गया था।
    - **राज्य परिषद में अधिकतर नामांकित सदस्य होते थे।** इसकी संरचना वास्तविक संघीय सिद्धांत के अनुरूप नहीं थी।

राज्य सभा के पक्ष में तर्क	राज्य सभा के विपक्ष में तर्क
• **भारत की संघीय व्यवस्था का सुरक्षा वाल्व:** राज्य सभा वस्तुतः केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के साझाकरण के संघीय सिद्धांतों का संस्थागत रूप है। यह राज्यों को अपने मुद्दों को उठाने के लिए एक मंच प्रदान करती है। • **समीक्षा और मूल्यांकन की भूमिका:** राज्य सभा का गठन एक 'समीक्षा सदन' (Revisionary House) के रूप में किया गया था। इसका उद्देश्य **लोकलुभावन अथवा दबाव में लोक सभा द्वारा जल्दबाजी में पारित किए जाने वाले कानून पर नियंत्रण रखना है।** ○ जब लोकसभा में सत्तारूढ़ दल के पास बहुमत होता है, तब **राज्य सभा सत्तारूढ़ सरकार को मनमानी करने से रोक सकती है।** • यह सार्वजनिक महत्व से संबंधित मुद्दों पर बहस करने हेतु एक **विशेषज्ञ निकाय।** • **कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व:** यह अल्पसंख्यकों और समाज के कमजोर वर्गों को अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। साथ ही, उन्हें कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल होने का मौका भी देती है। • **विशेषज्ञ:** इसमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले बारह सदस्यों को नामित किया जाता है। इस प्रकार यह विधि निर्माण में **अलग-अलग प्रतिभा और विशेषज्ञता वाले लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करती है।**	• **प्रतिनिधात्मक नहीं:** वर्ष 2003 में, **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में एक संशोधन किया गया। इस संशोधन ने राज्य से चुने जाने हेतु राज्य सभा सदस्य को उसी राज्य के मूल निवासी होने संबंधी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया।** इस प्रकार, यह संशोधन सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सभा के गठन के उद्देश्य को प्रभावित करता है। • **कम उपस्थिति:** नामित होने के बाद, सदस्य सदन के काम-काज में कम ही भाग लेते हैं। • **कानून बनाने में देरी:** राज्य सभा का उपयोग **विपक्षी दल द्वारा आवश्यक विधेयकों में देरी करने के लिए किया जाता है।** इससे राष्ट्र का विकास बाधित होता है। उदाहरण के लिए - लोकपाल विधेयक को राज्य सभा द्वारा विलंबित किया जाना। • **उत्पादकता में कमी:** सदन की कार्यवाही में बार-बार व्यवधान के कारण उत्पादकता में कमी से सार्वजनिक धन और समय की बर्बादी होती है। • **राज्य सभा की अनदेखी करना:** राज्य सभा की जांच के बिना भी कानून पारित किए जा रहे हैं। इसलिए एक समीक्षा सदन के रूप में राज्य सभा के गठन का उद्देश्य साकार नहीं हो रहा है। उदाहरण के लिए - आधार अधिनियम को धन विधेयक के रूप में पारित किया जाना।

आगे की राह

- **प्रतिनिधित्व:** प्रत्येक राज्य के लिए समान प्रतिनिधित्व को संभव बनाने के लिए एक संघीय व्यवस्था तैयार की जा सकती है।
- **चुनाव:** राज्यसभा के सदस्यों को सीधे राज्य के नागरिकों द्वारा चुना जा सकता है। इससे चाटुकार लोगों और पक्षपातपूर्ण नियुक्तियों में कमी आएगी।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग: बायोमेट्रिक उपस्थिति को अनिवार्य** बनाया जाना चाहिए। साथ ही, सदस्यों को उनकी उपस्थिति के अनुपात में ही वेतन और भत्ते प्रदान किए जाने चाहिए।
- **संसद (उत्पादकता में वृद्धि) विधेयक, 2017:** इसका उद्देश्य बैठकों या काम-काज में व्यवधान के कारण संसद की उत्पादकता में गिरावट को रोकने और उनका समाधान करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली की स्थापना करना है। इसके लिए विधेयक निम्नलिखित प्रावधान करता है:
    - **एक वर्ष में काम-काज हेतु न्यूनतम दिनों की संख्या निर्धारित करने के लिए कानूनी फ्रेमवर्क प्रदान करता है।** संविधान के काम-काज की समीक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग ने इस संबंध में 100 दिन निर्धारित करने का सुझाव दिया है।
    - मौजूदा तीन सत्रों के अतिरिक्त **विशेष सत्र की शुरुआत करना।**
    - व्यवधानों के कारण बेकार होने वाले समय के लिए मुआवजे का प्रावधान।
- **नामांकन में सुधार:** सदन में चर्चा की गुणवत्ता में सुधार के लिए नामांकन की बेहतर प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

3.3. लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee: PAC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, लोक लेखा समिति (PAC) का **शताब्दी समारोह** आयोजित किया गया।

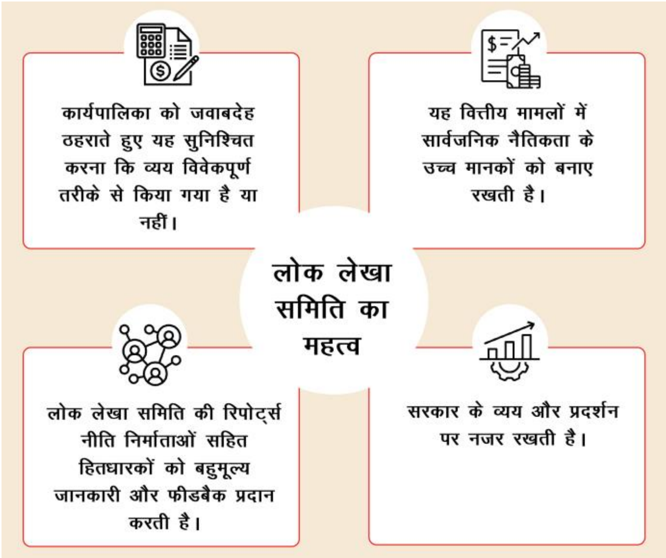

लोक लेखा समिति के बारे में

- **यह सबसे पुरानी संसदीय समिति है।** यह **वर्ष 1921** में भारत सरकार अधिनियम, 1919 (मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के परिणामस्वरूप) के प्रावधानों के तहत गठित की गई थी।
- **लोक सभा अध्यक्ष,** इस समिति के अध्यक्ष को उसके सदस्यों में से नियुक्त करता है।
- संसद द्वारा **प्रत्येक वर्ष इसका गठन** किया जाता है। **इस समिति के कार्यों में शामिल हैं-** भारत सरकार के खर्च के लिए संसद द्वारा स्वीकृत राशियों के व्यय को दर्शाने वाले खातों (या विनियोग लेखाओं) तथा भारत सरकार के वार्षिक वित्त लेखाओं और संसद के सामने रखे गये ऐसे अन्य खातों, जिन्हें समिति ठीक समझे, की जांच करना। साथ ही, यह समिति आवश्यकतानुसार स्वायत्त और अर्ध-स्वायत्त निकायों के लेखाओं की भी जांच करती है।
    - यह समिति ऐसे सरकारी उपक्रमों और सरकारी कंपनियों से संबंधित लेखाओं की जांच नहीं करती, जिनकी जांच सरकारी उपक्रमों से संबंधित समिति करती है।

लोक लेखा समिति के प्रमुख कार्य

- **लेखाओं की संवीक्षा और जांच**[18]: यह भारत सरकार के **विनियोग लेखाओं तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट्स** की जांच करती है।
    - यह **राज्य निगमों, व्यापारिक तथा विनिर्माण योजनाओं, परियोजनाओं और स्वायत्त तथा अर्ध-स्वायत्त निकायों की आय एवं व्यय** को दर्शाने वाले लेखाओं के विवरण की जांच करती है।
- **विनियोग लेखाओं तथा कैग की रिपोर्ट्स** की जांच करते समय यह समिति स्वयं को संतुष्ट करने के लिए यह भी देखती है कि-

[18] Scrutiny and Examinations of Accounts

- लेखाओं में व्यय/संवितरण के रूप में दिखाया गया धन क्या उसी सेवा या उद्देश्य के लिए व्यय किया गया है, जिसके लिए उसे विधिवत रूप से उपलब्ध कराया गया था;
- क्या व्यय प्राधिकार के अनुसार किया गया है; और
- क्या प्रत्येक पुनर्विनियोग (re-appropriation), सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार किया गया है।

- **अन्य:**
  - उन मामलों में **कैग की रिपोर्ट्स पर विचार करना** जिनमें राष्ट्रपति ने किन्हीं प्राप्तियों की लेखापरीक्षा करवाने की अपेक्षा की हो।
  - व्यापक अर्थों में नीतिगत प्रश्नों से चिंतित हुए बिना **वित्तीय अनुशासन और सिद्धांत के बिंदुओं पर विचार-विमर्श करना।**

लोक लेखा समिति की कार्य पद्धति को और मजबूत करने हेतु आगे की राह

- **नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग/CAG) के संदर्भ में बेहतर संबंध:** कैग की नियुक्ति से पहले PAC से परामर्श किया जाना चाहिए और कैग को विधायिका के प्रति जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।
  - **कैग की रिपोर्ट्स नवीन या समसामयिक तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए और उनकी जांच भी तेजी से होनी चाहिए।** इससे मुद्दों को शीघ्रता से निपटाया जा सकेगा।
- **व्यापक क्षेत्र:** PAC को सार्वजनिक मुद्दों और सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों का स्वत: संज्ञान लेना चाहिए और वित्तीय अनियमितताओं की जांच करनी चाहिए।
- **संसद में विचार-विमर्श:** प्रत्येक सत्र में, 'PAC की सिफारिशों' को लेकर 'मंत्रालयों द्वारा उठाए गए कदम' पर चर्चा और बहस के लिए कम-से-कम ढाई घंटे आवंटित किये जाने चाहिए।
- **जनता की राय:** लोक लेखा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट्स को अंतिम रूप देने से पूर्व सिफारिशों के लिए जनता की प्रतिक्रिया लेनी चाहिए। साथ ही, संवेदनशील मामलों के अलावा PAC की अन्य कार्यवाहियाँ प्रेस के लिए खुली होनी चाहिए।
- **बाध्यकारी सिफारिशें:** लोक लेखा समिति की सिफारिशों को सरकार के लिए बाध्यकारी बनाया जाना चाहिए।
- **बाहरी विशेषज्ञों की सहायता:** लोक लेखा समिति द्वारा तकनीकी मामलों पर विशेषज्ञों की सेवाएं ली जानी चाहिए। साथ ही, PCA को सेवानिवृत्त अधिकारियों से भी पूछताछ करने का अधिकार मिलना चाहिए।

3.4. लोक सभा का उपाध्यक्ष (Deputy Speaker of Lok Sabha)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान लोक सभा सचिवालय से 2 वर्ष से अधिक समय से लोक सभा के उपाध्यक्ष के रिक्त पद पर जवाब मांगा है।

उपाध्यक्ष और उसके निर्वाचन के बारे में

- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष **लोक सभा के पीठासीन अधिकारी** होते हैं।
- जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है या सदन की किसी बैठक से अध्यक्ष अनुपस्थिति होता है, तब **अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन उपाध्यक्ष करता है।**
- **संविधान के अनुच्छेद 94** के अनुसार, लोक सभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है।

विधान सभा उपाध्यक्ष

- हाल ही में, महाराष्ट्र राज्य में स्थायी अध्यक्ष की अनुपस्थिति में हुई राजनीतिक उथल-पुथल को देखते हुए उपाध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 178,** विधान सभा के सदस्यों को अपने सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति का उपाध्यक्ष के रूप में चयन करने का अवसर प्रदान करता है।
  - साथ ही, इसमें यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि **अध्यक्ष के अनुपस्थित होने या अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर, अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन उपाध्यक्ष** द्वारा किया जाएगा।
  - इसके अतिरिक्त, यह भी उपबंधित किया गया है कि उपाध्यक्ष को विधान सभा की बैठक की अध्यक्षता के दौरान उसे अध्यक्ष के समान ही शक्तियां प्राप्त होंगी।
- उपाध्यक्ष **विधान सभा के विघटन तक पद धारण** कर सकता है। हालांकि, यदि उसे भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 179** में निर्दिष्ट किसी भी कारण से **विधान सभा की सदस्यता से वंचित** कर दिया जाता है तो वह इस स्थिति में उपाध्यक्ष का पद धारण नहीं करेगा।

- **अनुच्छेद 93** के तहत, "लोक सभा यथाशीघ्र अपने दो सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब-जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब-तब लोक सभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी।"
- हालांकि **अनुच्छेद 93** के तहत निर्वाचन के लिए **कोई समय-सीमा प्रदान नहीं** की गई है। लेकिन एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद होने के कारण सामान्यत: अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद अगली बैठक में उपाध्यक्ष का निर्वाचन होता है।

- **राष्ट्रपति,** अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि निर्धारित करता है। जब अध्यक्ष का निर्वाचन हो जाता है तब अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि निर्धारित की जाती है।

उपाध्यक्ष का पद रिक्त क्यों है?

- **चयन तिथि के निर्धारण में देरी:** वर्ष 2019 में लोक सभा के गठन के उपरांत से दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी 17वीं लोक सभा के लिए उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि अब तक निर्धारित नहीं की गई है।
- **विपक्षी दल का कमजोर होना:** उपाध्यक्ष का पद **(मोरारजी देसाई सरकार** के समय से) लोक सभा के सबसे बड़े विपक्षी दल को देने की परंपरा रही है। हालांकि, इसके कुछ अपवाद भी रहे हैं। वर्तमान लोक सभा में **संयुक्त विपक्ष इतना मजबूत नहीं है** कि वह अपनी पसंद का कोई सदस्य चुन सके। ऐसे में उपाध्यक्ष के चुनाव का दायित्व मौजूदा सरकार पर आ जाता है। वह यह कार्य दो तरह से कर सकती है:
  - **संसदीय परंपरा को जारी रखते हुए** सबसे बड़े विपक्षी दल से उपाध्यक्ष का निर्वाचन करे, या
  - लोक सभा में उपाध्यक्ष के पद के लिए **किसी अन्य दल से समझौता कर ले।** जैसे कि, 16वीं लोक सभा में उपाध्यक्ष पद AIADMK के पास था।

निष्कर्ष

उपाध्यक्ष का पद रिक्त रहने से न केवल लोक सभा का कार्य-संचालन प्रभावित होता है, बल्कि इससे संसदीय लोकतंत्र को भी प्रतीकात्मक रूप से क्षति पहुंचती है। इस संदर्भ में, उपाध्यक्ष के पद को जल्द से जल्द भरना आवश्यक है।

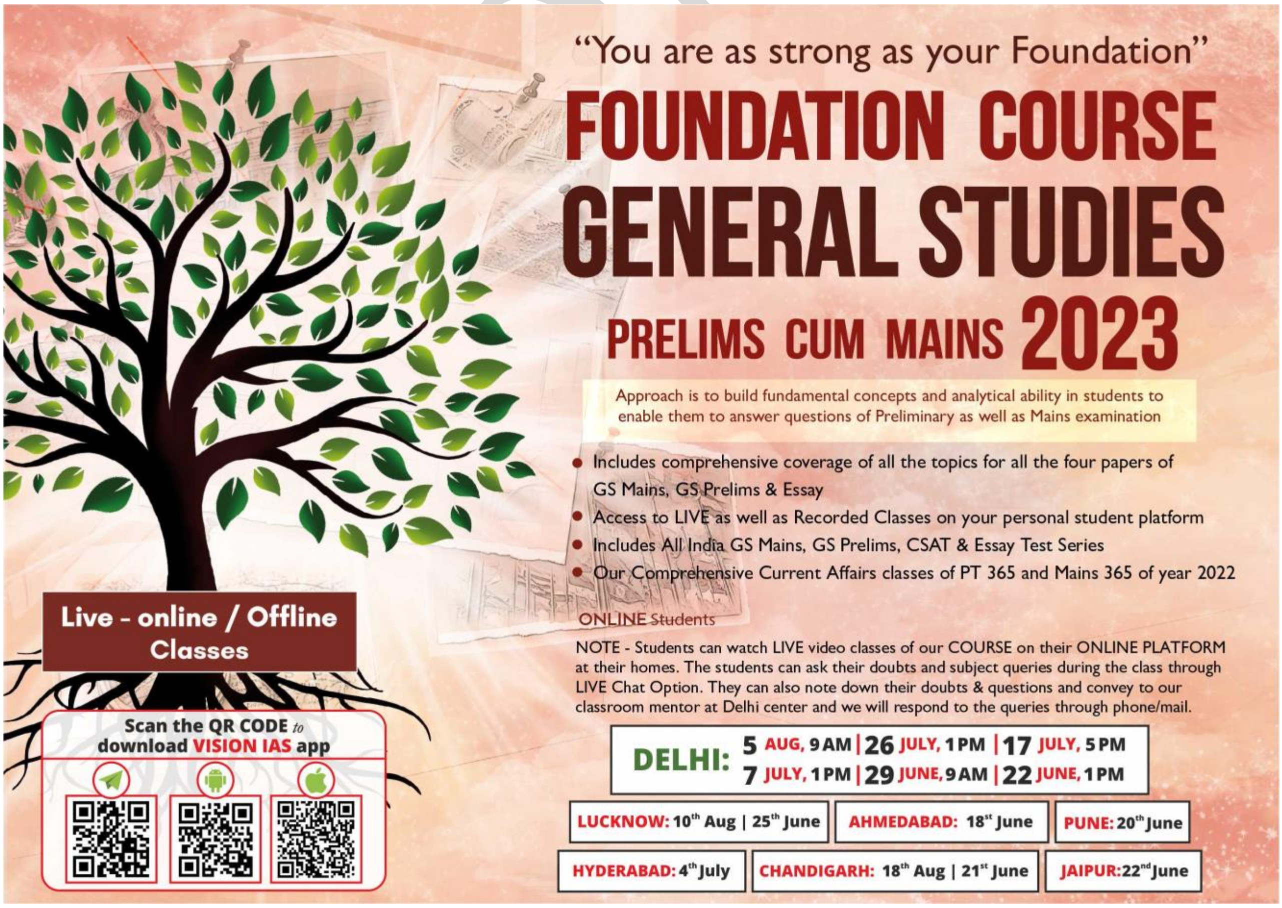

4. न्यायपालिका और अन्य अर्द्ध-न्यायिक निकायों की संरचना एवं कार्यप्रणाली (Structure and Functioning of Judiciary and Other Quasi-Judicial Bodies)

4.1. आपराधिक न्याय प्रणाली (Criminal Justice System)

आपराधिक न्याय प्रणाली (CRIMINAL JUSTICE SYSTEM: CJS) - एक नज़र में

आपराधिक न्याय प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था होती है जो कानूनी संहिता को लागू करती है। इसके उद्देश्य हैं:

- अपराध की रोकथाम करना;
- कमजोर वर्गों की सुरक्षा करना;
- प्रभावी न्याय प्रदान करना;
- नि:शुल्क और निष्पक्ष सुनवाई करना।

घटक

- क़ानूनी फ्रेमवर्क
- प्रवर्तन
- अभियोजन (Prosecution)
- न्यायनिर्णयन
- सुधार

दृष्टिकोण

- निवारक (Deterrence), जैसे- मृत्यु दंड।
- प्रतिकारी (Retribution), जैसे- डकैती के लिए 1 साल की सजा।
- अशक्तता (Incapacitation), जैसे- हाउस अरेस्ट (घर में नजरबंद रखना)
- पुनर्वास (Rehabilitation), जैसे- किशोर न्याय अधिनियम के तहत विशेष गृह
- पीड़ित व्यक्ति को हर्जाना (Reparation), जैसे- पीड़ितों को मुआवजा

कमियां

- कानूनों में औपनिवेशिक काल का प्रभाव
- प्रत्यर्पण में सफलता की कम दर
- पुलिस तंत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप
- जवाबदेही का अभाव
- अत्यधिक बोझ और स्टाफ, संसाधनों और पुलिस वाहनों का अभाव
- लोक अभियोजन अधिकारियों की कमी और गवाहों की देखभाल का अभाव
- काफी पुराने और लंबित मामले
- अत्यधिक खली पड़े न्यायिक पद
- खराब बुनियादी ढांचा
- जेल में क्षमता से अधिक कैदी
- कर्मचारी की कमी और वित्त का अभाव

उठाए गए कदम

- MHA द्वारा आपराधिक कानून में सुधार
- पुलिस की स्वायत्तता में वृद्धि
- CCTV का उपयोग
- सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग
- गवाह संरक्षण योजना
- न्यायिक अवसंरचना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना
- फ़ास्ट ट्रेक कोर्ट की स्थापना और डिजिटलीकरण
- खुली जेल की अवधारणा को अपनाना
- कैदियों का कौशल विकास करना।

आगे की राह

- पीड़ित को केंद्र में रखकर कानूनी ढांचे में सुधार करना; बदलते सामाजिक परिवेश के अनुसार नए अपराधों की पहचान करना; और अपराधों का पुन: वर्गीकरण करना।
- पुलिस में क़ानूनी सुधार करना; बुनियादी ढांचे, संसाधनों और तकनीक को बढ़ाना; अभियोजन की स्वतंत्रता में वृद्धि करना।
- मलीमथ समिति की सिफारिशों को लागू करना।
- मामलों का सुनवाई से पहले वर्गीकरण करना; न्यायाधीशों का कौशल विकास करना और सौदा अभिवाक् या प्ली बारगेनिंग।
- अखिल भारतीय कारागार सेवा का गठन करना; कारागार अवसंरचना को बेहतर करना आदि।

4.1.1. आपराधिक कानूनों में संशोधन (Criminal Laws Amendment)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने सभी हितधारकों से परामर्श करके **आपराधिक कानूनों में व्यापक संशोधन** की प्रक्रिया शुरू की है।

भारत में आपराधिक कानूनों के बारे में

आपराधिक कानून और आपराधिक प्रक्रिया समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। इसके विपरीत, पुलिस और जेल से संबंधित मामले **राज्य सूची** के अंतर्गत आते हैं। भारत में आपराधिक कानून को नियंत्रित करने वाले कानून एवं संहिताएं हैं - **भारतीय दंड संहिता, 1860; भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872; और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973**[19]

आपराधिक कानूनों में बड़े बदलाव की आवश्यकता क्यों है?

- **वैवाहिक बलात्कार का अपराधीकरण:** अभी तक, भारत में वैवाहिक बलात्कार को बलात्कार के रूप में नहीं माना गया है। विधि आयोग द्वारा लंबे समय से वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में लाने की सिफारिश की जाती रही है। विभिन्न समितियों और समाज के कई वर्गों द्वारा भी वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण की मांग की गई है।
- **IPC के तहत लैंगिक अपराधों की परिभाषा में लैंगिक तटस्थता:** लैंगिक अपराधों से संबंधित धाराओं की भाषा को स्त्रीलिंग से संबंधित बनाए रखने के स्थान पर उनमें संशोधन द्वारा उन्हें लैंगिक रूप से तटस्थ बनाने की आवश्यकता है।
- **राजद्रोह कानून से संबंधित IPC की धारा 124A की भाषा में संशोधन:** इस कानून की भाषा अस्पष्ट है। यही कारण है कि सरकार की नीतियों और निर्णयों से एक सामान्य असहमति पर भी राजद्रोह का आरोप लगाया जा सकता है। इसलिए, इस खंड की भाषा में भी संशोधन की आवश्यकता है।

आपराधिक कानून में पहले किये गए संशोधन

- **आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 {Criminal Law (Amendment) Act, 2013}:** यह अधिनियम भारत में बलात्कार से संबंधित कानूनों को और अधिक कठोर बनाने के उद्देश्य से लाया गया था। इस संशोधन ने ओरल सेक्स और महिलाओं के शरीर में अन्य वस्तुओं को प्रविष्ट कराने को अपराध के रूप में शामिल करके बलात्कार की परिभाषा को विस्तृत किया था। इस अधिनियम के तहत पीछा करना भी अपराध की श्रेणी में रखा गया था।
- **आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018:** इस अधिनियम को बलात्कार कानूनों को सशक्त करने के लिए विस्तारित किया गया था। इसमें दंड की न्यूनतम मात्रा को 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया था। इसके अंतर्गत 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के लिए 20 वर्ष का न्यूनतम कारावास होगा। इसे आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक बढ़ाया जा सकता है।
- साथ ही, 16 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के बलात्कार के लिए 20 वर्ष या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है।

- **हिरासत में यातना और हत्या पर कानून:** इस विषय पर एक सख्त कानून की आवश्यकता है, क्योंकि हिरासत में यातना से संबंधित मामलों में वृद्धि देखी जा रही है।

आपराधिक कानून पर हाल के ऐतिहासिक निर्णय:

- **अमीश देवगन बनाम भारत संघ वाद (2020):** यह मामला समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने से संबद्ध था। इस मामले में संबंधित धाराओं में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 153B और धारा 295A शामिल हैं।

[19] {Indian Penal Code 1860; the Indian Evidence Act, 1872; and the Criminal Procedure Code, 1973 (CrPC)}

- उच्चतम न्यायालय ने माना कि फ्री स्पीच (स्वतंत्र अभिव्यक्ति) और हेट स्पीच के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। फ्री स्पीच में सरकारी नीतियों की आलोचना करने का अधिकार शामिल है, जबकि हेट स्पीच का अर्थ किसी समूह या समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाना है।

- **अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ वाद (2020):** इस मामले में एक मुद्दा दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 की **धारा 144** का अधिकाधिक प्रयोग करने से संबंधित था।
  - उच्चतम न्यायालय ने माना कि CrPC की धारा 144 को विचारों की वैध अभिव्यक्ति को रोकने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने आगे कहा कि CrPC की धारा 144 न केवल उपचारात्मक बल्कि निवारक भी है। साथ ही, इसे केवल उन मामलों में प्रयोग किया जाना चाहिए, जहां खतरा हो या खतरे की आशंका हो।
- **नवतेज सिंह जौहर बनाम. भारत संघ (2018):** भारतीय दंड संहिता (IPC) की **धारा 377** के अनुसार "प्रकृति के खिलाफ" होने के कारण एक ही लिंग के व्यक्तियों के बीच सहमति से लैंगिक संबंध अपराध है।
  - हालांकि, **न्यायालय ने भारत में LGBTQI समुदाय के सभी सदस्यों के समान नागरिकता के अधिकार को बरकरार रखा था।** इस प्रकार न्यायालय ने वयस्कों के बीच सहमति से बने लैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए धारा 377 को अवैध घोषित कर दिया है, चाहे वह संबंध समान-लिंग वाले व्यक्तियों के बीच बने हों या विपरीत लिंग के व्यक्तियों के बीच।
- **जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ वाद (2018):** उच्चतम न्यायालय ने IPC की **धारा 497** को रद्द कर दिया था। इसमें एक विवाहित महिला को उसके पति की संपत्ति के रूप में मानते हुए व्यभिचार को अपराध की श्रेणी में रखा गया था।

आगे की राह

- **पुराने कानूनों की प्रासंगिकता और उन्हें लागू करने में आने वाली समस्याओं यानी प्रवर्तनीयता (enforceability) की जांच करना:** जो कानून पुराने हो गए हैं और वर्तमान समय में प्रासंगिक नहीं हैं, उनकी पहचान की जानी चाहिए। साथ ही, पुराने कानून के प्रावधानों को लागू करने में आने वाली समस्याओं की भी जांच की जानी चाहिए।
- **अपराध के नए रूपों को शामिल या समायोजित करना:** दोहराव और भ्रम से बचने के लिए, IPC में साइबर कानून, आर्थिक अपराध आदि जैसे अपराधों के नए रूपों पर अलग-अलग अध्याय जोड़े जाने चाहिए।
- **पुराने कानून को अपडेट करना:** आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधारों पर **मलिमथ समिति** की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861 पुराना हो गया है। इसलिए, राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा तैयार किए गए प्रारूप की तर्ज पर एक नया पुलिस अधिनियम बनाया जाना चाहिए।
- **विधि आयोग की सिफारिशें:**
  - DNA को साक्ष्य की सामग्री के रूप में स्वीकार करना पूरी तरह से न्यायालय के विवेक पर निर्भर है।
  - कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए **धारा 53A** को शामिल करना।
  - आयोग ने जेल में विचाराधीन कैदियों की रिहाई के लिए दंड प्रक्रिया संहिता में **धारा 436A** को शामिल करने का सुझाव दिया है।

4.1.2. कारागार सुधार (Prison Reforms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

गृह मंत्रालय (MHA) ने **कारागारों (जेलों) के आधुनिकीकरण (MoP)** की परियोजना के कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

पृष्ठभूमि

- **कारागार** संविधान में सातवीं अनुसूची की सूची- II के तहत **राज्य सूची का विषय है।**
- **कारागारों** का प्रबंधन और प्रशासन **अनन्य रूप से राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह कारागार अधिनियम, 1894 और संबंधित राज्य सरकारों की कारागार नियमावली** द्वारा शासित होता है।
- **हालांकि, गृह मंत्रालय** कारागारों और कैदियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर **राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को नियमित दिशा-निर्देश और परामर्श देता है।**

कारागार सुधारों की आवश्यकता

- **कारागारों में कैदियों की संख्या अधिक होना।**
- **विचाराधीन कैदियों को अलग ना करना:** हमारे देश के कारागारों में लगभग 75% कैदी विचाराधीन कैदी हैं। जब ये कैदी अन्य दोषसिद्ध कैदियों के संपर्क में आते हैं तो वे अपराध की दुनिया के प्रति प्रभावित हो जाते हैं।
- हिरासत में हिंसा।
- **कारावास के स्वास्थ्य संबंधी परिणाम:** पोषण की कमी, अस्वच्छता और अपर्याप्त व्यायाम के कारण कारावास में कैदियों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है।
- **कारावास और निर्धनता:** कारावास का किसी कैदी और उसके परिवार की निर्धनता पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि परिवार के किसी सदस्य को कारावास होने पर नए खर्चों से पारिवारिक वित्तीय बोझ बढ़ जाता है, जैसे - वकील की फीस, जेल आने-जाने का खर्च आदि।
- **कर्मचारियों की गंभीर कमी।**
- **महिला कैदियों की समस्याएं:** महिला कर्मचारियों का भी गंभीर अभाव है तथा स्वच्छता एवं सफाई के लिए आवश्यक शौचालयों, स्नानघरों और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी है।
- **हानिकारक सामाजिक प्रभाव:** कारावास रिश्तों में बाधा उत्पन्न करता है और सामाजिक समरसता को दुर्बल बनाता है। पारिवारिक संरचना का विघटन, पति-पत्नी के साथ-साथ माता-पिता और बच्चों के बीच संबंधों को भी प्रभावित करता है। यह कई पीढ़ियों तक परिवार और समुदाय के ढांचे को परिवर्तित कर देता है।
- **कोविड-19 प्रेरित परिवर्तन:** कई कारागार अत्यावश्यक कोविड-19 निवारक उपायों को लागू करने में विफल रहे हैं। कारागार में रहने वाले कैदी बहुत कम जगह में रहने की बाध्यता, **स्वच्छता संबंधी आपूर्ति** की कमी और खराब स्वास्थ्य स्थिति के कारण विशेष रूप से सुभेद्य होते हैं।

आगे की राह

- **कैदियों की अधिक संख्या की समस्या का समाधान निम्नलिखित उपायों के द्वारा किया जा सकता है:**
    - **खुले कारागार निर्मित करना।**
    - **पैरोल और फरलो (Furlough) की व्यवस्था में सुधार करना।**

कारागारों का आधुनिकीकरण (MoP) परियोजना के बारे में

- भारत सरकार ने **कारागारों में अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करने के लिए MoP के माध्यम** से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता (अनुदान सहायता के रूप में) प्रदान करने का निर्णय लिया है:
    - **कारागारों की सुरक्षा बढ़ाना** और
    - सुधारात्मक प्रशासन कार्यक्रमों के माध्यम से **कैदियों के सुधार और पुनर्वास कार्य** को सुविधाजनक बनाना।
- इस परियोजना की अवधि पांच वर्ष **(वर्ष 2021 से वर्ष 2026 तक)** है।
- **MoP परियोजना के उद्देश्य**
    - कारागारों **की सुरक्षा अवसंरचना में विद्यमान कमियों को दूर करना।**
    - **कारागारों को** अत्याधुनिक तकनीकों के अनुरूप **नए सुरक्षा उपकरण प्रदान करना।**
    - कारागार सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना।
    - **सुधारात्मक प्रशासन** पर ध्यान देना, जिसमें कैदियों की देखरेख / प्रबंधन करने वाले कारागार अधिकारियों की मानसिकता में व्यापक प्रशिक्षण के माध्यम से बदलाव लाना शामिल है।
- इस परियोजना में **सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को कवर** किया जाएगा। साथ ही, इसमें **व्यापक तौर पर अग्रलिखित प्रकार के कारागार शामिल होंगे:** केंद्रीय कारागार, जिला कारागार, उप-कारागार, महिला कारागार, खुले कारागार, विशेष कारागार आदि।

भारत में अब तक किए गए महत्वपूर्ण सुधार

1835	**टी. बी. मैकाले द्वारा** आधुनिक जेल प्रणाली की **परिकल्पना की गई।**
1836	जेलों में अनुशासन संबंधी सुधार के लिए **विलियम बैंटिक द्वारा जेल अनुशासन समिति का गठन किया गया।**
1894	**जेल अधिनियम, 1894** बनाया गया। इसका उद्देश्य भारत में कैदियों के प्रबंधन में एकरूपता लाना था।
1919-20	अखिल भारतीय जेल समिति का आरंभ किया गया।
1957-59	एक आदर्श जेल नियमावली तैयार करने के लिए **अखिल भारतीय जेल नियमावली** समिति का गठन किया गया।
1980-83	न्यायमूर्ति ए. एन. मुल्ला के तहत **अखिल भारतीय जेल सुधार समिति** का गठन किया गया।
1987	भारत में महिला कैदियों की स्थिति पर न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर समिति का गठन किया गया।
2007	**कारागार सुधार और सुधारात्मक प्रशासन पर राष्ट्रीय नीति का प्रारूप** तैयार किया गया।
2016	**आदर्श कारागार नियमावली 2016** को तैयार किया गया। इसका उद्देश्य जेलों के प्रशासन को नियंत्रित करने वाले कानूनों, नियमों और विनियमों में बुनियादी एकरूपता लाना था।
2018	**सुप्रीम कोर्ट ने** जेल सुधारों के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था।
2018	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा **"जेल में महिलाएं" शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।**

  - **फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित** करना।
- **प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मानकों का पालन करना, जैसे:**
  - **यू.एन. स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर (नेल्सन मंडेला रूल्स),** जो कारागार में कैदियों के उपचार और अच्छे कारागार प्रबंधन के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करते हैं।
  - **यू.एन. रूल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ विमिन प्रिजनर एंड नॉन कस्टोडियल मेजर ऑफ वीमेन ऑफेंडर्स (बैंकॉक रूल्स)** महिलाओं के अनावश्यक कारावास को कम करने और कारागार में बंद महिलाओं की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए दिशा-निर्देश देते हैं।
  - **यू.एन. स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉर नॉन कस्टोडियल मेजर (टोक्यो रूल्स)** गैर-हिरासत उपायों और प्रतिबंधों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत सिद्धांतों का एक सेट प्रदान करते हैं। ये कारावास के विकल्प के अधीन व्यक्तियों के लिए न्यूनतम सुरक्षा उपाय भी प्रदान करते हैं।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** स्वचालन और अन्य तकनीकी प्रगति कारागार के कर्मचारियों का कार्यबोझ काफी कम कर सकती है।
- **राष्ट्रीय कारागार आयोग:** एक राष्ट्रीय कारागार आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। यह कारागार पर एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य प्रदान करने के साथ-साथ इनके लिए एक जिम्मेदार केंद्रीय निकाय के रूप में भी कार्य करेगा।
- **एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र:** सभी कारागारों में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कैदियों के अधिकारों का उल्लंघन न हो और उनकी चिंताओं को निष्पक्ष रूप से सुना जाए।
- **स्वास्थ्य देखभाल संबंधी आवश्यकताएं:** शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को उचित और नियमित रूप से पूरा किया जाना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सकों और मनोवैज्ञानिकों तक कैदियों की पहुंच होनी चाहिए।
- **कौशल विकास:** कारागार में शैक्षिक सुविधाओं, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल सुविधाओं को भी उन्नत किया जाना चाहिए। इससे कैदियों के दैनिक जीवन में सुधार हो सकता है और कारागार से छूटने के बाद उन्हें आर्थिक सहायता मिल सकती है।

4.1.3. मृत्युदंड {Death Penalty (Capital Punishment)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने स्वत: संज्ञान (Suo moto) लेते हुए उस प्रक्रिया का पुनर्विलोकन आरंभ किया है, जिसके द्वारा न्यायालय मृत्युदंड देते हैं।

मृत्युदंड के बारे में

- मृत्युदंड को **'कैपिटल पनिशमेंट'** भी कहा जाता है। इसे 'कानून द्वारा स्वीकृत एक ऐसे कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके तहत एक व्यक्ति को एक उचित कानूनी सुनवाई के बाद अपराध की सजा के रूप में मृत्युदंड दिया जाता है।'
- अत्यंत **प्राचीन काल से** ही इसका उपयोग **दंड के एक तरीके के रूप** में किया जाता रहा है। लेकिन मृत्युदंड की नैतिक स्वीकार्यता अर्थात् राज्य द्वारा लोगों को मृत्युदंड देने की शक्ति और इसकी परिस्थितियां वैश्विक स्तर पर वाद-विवाद का विषय रही हैं।

भारत में मृत्युदंड और इसकी रूपरेखा

- भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है, जो गंभीर अपराधों के लिए विभिन्न कानूनों के तहत (विधि आयोग की अनुशंसाओं से इतर) मृत्युदंड को बरकरार रखे हुए है। **(इन्फोग्राफिक देखिए)।**

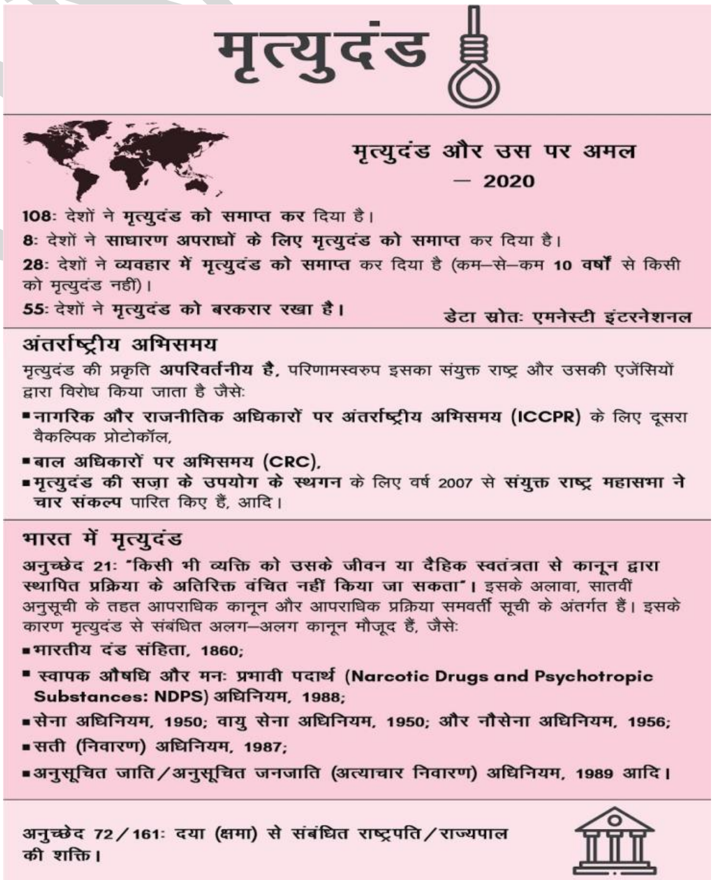

- **वर्ष 2021 के अंत तक, 488** (21 प्रतिशत बढ़ोतरी) ऐसे कैदी थे, जिन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई जा चुकी है। मृत्युदंड को बनाए रखते हुए और अधिक कानूनों को भी प्रस्तावित किया गया है, जैसे:
    - **पंजाब और मध्य प्रदेश** में जहरीली शराब पीने से होने वाली मृत्यु के लिए जहरीली शराब बेचने वाले व्यापारियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है।
- **वर्ष 1980 में, बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य वाद में,** उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने अंतर्निहित **उचित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों** (Reasonable Procedural Safeguards) और इसकी प्रक्रिया के कारण मृत्युदंड की **संवैधानिक वैधता** को बरकरार रखा, जो **न तो मनमानी है और न ही न्यायाधीशों को अत्यधिक विवेकाधिकार** देती है।
    - हालांकि, इसने भविष्य में दंड देने वाले न्यायाधीशों के लिए **आजीवन कारावास** और **मृत्युदंड** के बीच निर्णय करते हुए एक **रूपरेखा** प्रदान की है **(चित्र देखिए)।**
- इस निर्णय के 40 वर्ष पश्चात् भी, यह रूपरेखा व्यक्ति-निष्ठ बनी हुई है और प्राय: इसकी व्याख्या **अनुचित ढंग से** की जाती है।

मृत्युदंड की सजा का कानूनी विकास

- **बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1980:** इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड देने के मामले में "रेयरेस्ट ऑफ रेयर" क्राइम का सिद्धांत स्थापित किया था। साथ ही, न्यायालय ने उत्तेजक परिस्थितियों और गंभीरता को कम करने वाली परिस्थितियों के बीच तुलनात्मक विश्लेषण को अनिवार्य किया था।
- **माछी सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1983:** अपराध को अंजाम देने का उद्देश्य, अपराध की गंभीरता और अपराध का पीड़ित कौन है, इसकी पहचान करना।
- **शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ, 2014:** मृत्युदंड को अमल में लाने में अनुचित, अत्यधिक और अनावश्यक देरी यातना के बराबर है। यह सजा को कम करने का एक आधार हो सकता है।

मृत्युदंड के पक्ष में तर्क

- **निवारक (Deterrence):** समाज की अधिक सार्थकता के लिए मृत्युदंड के समर्थकों द्वारा इसे यह तर्क देकर उचित ठहराया जाता है कि इससे समाज में गंभीर अपराध के लिए मृत्युदंड दिए जाने का भय उत्पन्न होता है। इस प्रकार यह महत्वपूर्ण निवारक के रूप में कार्य करता है।
- **प्रतिकारी (Retributive) न्याय:** मृत्युदंड प्रतिकार का एक उचित रूप है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार दोषी लोगों को उनके अपराध की गंभीरता के अनुपात में दंडित किया जाना चाहिए।
- **आनुपातिकता का सिद्धांत:** न्याय की मांग है कि सजा की मात्रा अपराध की गंभीरता के अनुपात में होनी चाहिए।
- **नागरिकों की इच्छा:** वर्ष 2012 में, एक सर्वेक्षण में पाया गया कि लगभग 70% भारतीयों ने मृत्युदंड जारी रखने का समर्थन किया था।
- **पुलिस की मदद के लिए प्रोत्साहन:** मृत्युदंड का भय मौत की सजा पाने वाले कैदियों को अपनी सजा कम करवाने हेतु पुलिस की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करता है (अर्थात्, दलील-सौदेबाजी द्वारा)।

मृत्युदंड से संबद्ध नैतिक मुद्दे

- **आजीवन कारावास** जैसी अपेक्षाकृत कम कठोर सजा की तुलना में मृत्युदंड के सबसे बड़े निवारक या अधिक **प्रभावी निवारक होने का कोई सांख्यिकीय प्रमाण नहीं है।**
- एक **सभ्य समाज में प्रतिकार का कोई संवैधानिक मूल्य नहीं** है, क्योंकि मृत्युदंड, जीवन के बदले जीवन, आंख के बदले आंख जैसे प्रतिशोध को दर्शाता है।

मृत्युदंड से संबंधित अन्य मुद्दे

- **वस्तुनिष्ठता का अभाव**
  गंभीरता बढ़ाने वाले और **कम करने वाले कारकों** पर **कोई ठोस रूपरेखा नहीं** होने के कारण।
- **प्रक्रियात्मक निष्पक्षता का अभाव**
  रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों की विवेकाधीन व्याख्या के कारण।
- **सत्यनिष्ठा का अभाव**
  जैसा कि **मीडिया का दबाव** अक्सर **समुदाय की सामूहिक चेतना** को निर्देशित करता है।
- **प्रतिकूल आपराधिक न्याय प्रणाली**
  संरचनात्मक और प्रणालीगत मुद्दों, जैसे– संसाधनों की कमी, अप्रभावी अभियोजन आदि।
- **अतिविलंब**
  मृत्युदंड की सजा पाए कैदियों द्वारा **मुकदमों, अपीलों और उसके बाद कार्यकारी क्षमादान** में देरी का सामना करना।

- **मृत्युदंड की नैतिकता** संदेहास्पद है, क्योंकि यह दोषी को मनुष्य और नागरिक होने की प्रास्थिति से वंचित कर देता है। यह **मानवीय गरिमा** के विरुद्ध है और अहरणीय **जीवन के अधिकार** का उल्लंघन है, यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जो कानून के दूसरे पक्ष की ओर हैं।

- **मृत्युदंड का समर्थन इस आधार पर करना कि इससे पुलिस को मदद मिलती है** चिंताजनक है, क्योंकि इसी तरह के तर्कों का प्रयोग **यातना,** गोपनीयता के उल्लंघन और अन्य अनैतिक प्रथाओं **को सही ठहराने के लिए** किया जा सकता है।
- जब कानून और व्यवस्था को प्रतिकारात्मक न्याय के दृष्टिकोण से देखा जाता है, तो **न्याय के सुधारात्मक और पुनर्वास संबंधी पहलुओं** की उपेक्षा हो जाती है। उदाहरण के लिए, लोगों की **शिक्षा एवं सामाजिक-आर्थिक** स्थितियों में सुधार होने के साथ-साथ गंभीर अपराधों में भी कमी आती है।

दया याचिका (क्षमा याचना) {Mercy Plea (Clemency Petition)}

न्यायालयों द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्ति के लिए, **दया याचिका एक अंतिम संवैधानिक उपाय** है। यह संविधान के **अनुच्छेद 72 (राष्ट्रपति), और अनुच्छेद 161 (राज्यपाल)** के तहत प्रदान किया गया है।

दया याचिका की आवश्यकता क्यों है?

- दया याचिका न्यायिक प्रक्रिया में एक **मानवतावादी पक्ष** जोड़ती है, क्योंकि दंड की समीक्षा विधिक दृष्टिकोण से परे भी की जा सकती है।
- यह **न्यायपालिका द्वारा न्याय प्रदान करने में हुई चूक (Miscarriage of Justice) या संदिग्ध दोषसिद्धि (Doubtful conviction)** के मामलों में **निर्दोष व्यक्तियों को सजा से बचाने** में मदद कर सकती है।
  - यातना, झूठे साक्ष्यों, खराब विधिक सहायता आदि जैसे मुद्दों के कारण **हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में मौजूद संकट के कारण न्याय प्रदान करने में चूक या संदिग्ध दोषसिद्धि** की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

दया याचिका संबंधी मुद्दे

- दया याचिका पर कार्रवाई करने के लिए **कोई निश्चित समय सीमा नहीं** है। इस कारण इसके क्रियान्वयन में अत्यधिक देरी होती है। विधि आयोग ने कुछ ऐसे राष्ट्रपतियों का उल्लेख किया है, जिन्होंने **दया याचिका के निपटान पर रोक** लगा दी थी।
- दया याचिका की अस्वीकृति या स्वीकृति के कारणों को सार्वजनिक रूप से साझा करने की कोई बाध्यता नहीं है। इसलिए **पारदर्शिता की कमी है।** लेकिन, यह **सीमित न्यायिक समीक्षा** (एपुरु सुधाकर और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश सरकार वाद, 2006) के अधीन है।

आगे की राह

मृत्युदंड के नैतिक कार्यान्वयन में पालन किए जाने वाले सिद्धांत

- न्याय प्रदान करने में चूक या न्याय प्रणाली की विफलता से बचने के लिए **कानूनों व खराब आपराधिक न्याय प्रणाली के मुद्दों को हल करना।**
- मृत्युदंड देने से पैदा होने वाले किसी गंभीर परिणाम से बचने के लिए **न्याय के सुधारात्मक और पुनर्वास संबंधी पहलुओं** पर उचित विचार के साथ **सुसंगत न्यायिक दृष्टिकोण** रखना।
- अत्यधिक दंड दिए जाने से बचने और जीवन के मूल्य के प्रति अधिकतम सम्मान बनाए रखने के लिए मृत्युदंड दिए जाने हेतु **मजबूत औचित्य प्रदान करना।**
- अभियुक्त को अनिश्चितता की यातना से बचाने हेतु **यह सुनिश्चित करना कि दया याचिका** न्याय प्रदान करने में चूक के विरुद्ध समयबद्ध निपटान के साथ **अंतिम बचाव के रूप में कार्य करे।**

संबंधित तथ्य

उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड का सामना कर रहे दोषियों की समग्र जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर बल दिया है।

- न्यायालय ने रेखांकित किया है कि मृत्युदंड को केवल "दुर्लभ में भी दुर्लभतम (रेयरेस्ट ऑफ रेयर)' मामलों में ही उचित सजा के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इन मामलों में भी **न्यायालयों को उस व्यक्ति के बारे में अच्छी तरह से सूचित किया जाना चाहिए, जिसे मृत्युदंड दिए जाने पर विचार किया जा रहा हो।**
  - वर्तमान में, सजा की सुनवाई में केवल मूल विवरण शामिल होते हैं, जैसे कि दोषी की **अपनी पारिवारिक संरचना, शैक्षणिक योग्यता और गिरफ्तारी से पहले उसके कार्य की स्थिति।**
  - उस व्यक्ति के **मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन** को प्रस्तुत करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता है। उल्लेखनीय है कि निम्नलिखित के कारण मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन आवश्यक माना जाता है:
    - बचपन की प्रतिकूल स्थितियों के अनुभव,
    - विगत कई पीढ़ियों से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का इतिहास,
    - दुःखदायी घटनाओं का सामना करना, तथा
    - पारिवारिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक।
- **शमन अन्वेषक (Mitigation investigators)** ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए व्यापक विश्लेषण के माध्यम से इसमें मदद कर सकते हैं।
  - **शमन अन्वेषक समाज कार्य, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, अपराध विज्ञान, मनोविज्ञान और अन्य सामाजिक विज्ञान में योग्य पेशेवर** होते हैं। वे **शमन की जा सकने वाली परिस्थितियों का पता लगाकर** न्यायालयों को दंड निर्धारित करने में मदद कर सकते हैं।
  - वे अपनी रिपोर्ट के माध्यम से मुकदमे के दौरान मृत्युदंड की सजा प्राप्त **कैदी के जीवन के अनुभवों पर एक संक्षिप्त विवरण** प्रस्तुत कर सकते हैं।
  - नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के **प्रोजेक्ट 39A** ने एक **शमन अन्वेषक** का प्रावधान किया है।

4.2. न्यायिक जवाबदेहिता (Judicial Accountability)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **उड़ीसा उच्च न्यायालय** ने राज्य की न्यायपालिका के प्रदर्शन पर एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की है। ऐसी **रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला** यह **देश का पहला न्यायालय** है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस रिपोर्ट में मामलों का **जिलेवार विवरण** दिया गया है। साथ ही, यह न्यायालय में **न्यायाधीशों की उपलब्धता** के बारे में जानकारी प्रदान करती है।
- यह **ओडिशा प्रशासनिक अधिकरण को समाप्त करने** के कारण जिला न्यायपालिका के स्तर पर विलंब और बैकलॉग के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह अधिकरण एक अर्ध-न्यायिक निकाय था, जो सरकारी कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच विवादों की सुनवाई करता था।

न्यायिक जवाबदेहिता के बारे में

- **न्यायिक जवाबदेहिता:** इसका आशय संवैधानिक या कानूनी मानकों के विपरीत व्यवहार और निर्णयों के लिए न्यायाधीशों तथा न्यायालयों को व्यक्तिगत या संस्थागत रूप से उत्तरदायी बनाने से है।
    - न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की संरक्षक और संविधान की व्याख्याकार होती है। इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र और राजनीतिक एवं आर्थिक संस्थाओं के प्रभाव से मुक्त रखना अनिवार्य होता है।
    - अनुच्छेद 235 के तहत, संविधान **अधीनस्थ न्यायपालिका पर उच्च न्यायालय के 'नियंत्रण' का प्रावधान करता है।** यह **अधीनस्थ न्यायपालिका पर जवाबदेहिता को लागू करने के लिए एक प्रभावी तंत्र** के प्रावधान को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

न्यायिक जवाबदेहिता को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

- **आंतरिक स्तर पर प्रयास (In-house procedure):** न्यायाधीशों के विरुद्ध **दुर्व्यवहार या कदाचार के किसी भी आरोप की जांच** के लिए एक आंतरिक प्रक्रिया मौजूद है। इसके तहत जांच करने का कार्य भारत के मुख्य न्यायाधीश और कुछ वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा किया जाता है।
- **मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, 2016:** इस पर अभी-भी विचार-विमर्श चल रहा है। इसका उद्देश्य न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता लाना है। साथ ही, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए **सर्वोच्च न्यायालय में एक स्थायी सचिवालय भी स्थापित करना है।**

- **न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2020:** इस विधेयक पर अभी-भी विचार-विमर्श चल रहा है। इसमें न्यायाधीशों को अपनी संपत्ति घोषित करना अनिवार्य किया गया है। साथ ही, इसमें न्यायिक मानकों को निर्धारित किया गया है और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए प्रक्रियाओं को भी स्थापित किया गया है।
  - वर्ष 2009 में, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने अपने न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति की स्वैच्छिक घोषणा को प्रकाशित करने का संकल्प लिया था।
  - इसके अलावा, **बेंगलुरू न्यायिक आचरण सिद्धांतों**[20] को वर्ष 2002 में अपनाया गया था।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** इसके तहत कानूनी प्रक्रिया को डिजिटल किया गया और किसी भी मामले के पूरे जीवन चक्र की निगरानी करना संभव हो पाया।
  - **कानूनी सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग सिस्टम (LIMBS)**[21]**:** यह एक **वेब-आधारित एप्लिकेशन है।** इसका उद्देश्य भारत की केंद्र सरकार से जुड़े मामलों की अधिक प्रभावी और पारदर्शी तरीके से निगरानी करना है।
- **न्यायालयों की अवमानना (संशोधन) विधेयक, 2003:** इसे लोकसभा में पेश किया गया और गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के पास भेज दिया गया। इस विधेयक द्वारा मूल अधिनियम में आपराधिक अवमानना की परिभाषा से **'न्यायालय की निंदा करना या न्यायालय के प्राधिकार को कम करना'** शब्दों को हटाने का प्रावधान किया गया है।

न्यायिक स्वतंत्रता बनाम न्यायिक जवाबदेहिता

- **न्यायिक स्वतंत्रता (Judicial Independence):** इसका आशय **राज्य के अन्य अंगों जैसे कार्यपालिका और विधायिका द्वारा न्यायपालिका के कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा न पहुँचाने से है।** साथ ही, इसमें निष्पक्ष और ईमानदारी से न्याय करने की न्यायपालिका की शक्ति भी शामिल है।
  - **न्यायिक स्वतंत्रता को उजागर करने वाले प्रावधानों** में निम्नलिखित शामिल हैं:
    - कार्यकाल की सुरक्षा,
    - संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर कोई चर्चा नहीं करना,
    - **सेवानिवृत्ति के बाद वकालत करने पर रोक।**
- दोनों शब्द इस अर्थ में परस्पर जुड़े हुए हैं कि **"अत्यधिक स्वतंत्रता से जवाबदेही" तथा "अत्यधिक जवाबदेही से स्वतंत्रता" प्रभावित हो सकती है।** इसलिए दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है।
  - निम्नलिखित के माध्यम से न्यायपालिका को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाकर इस संतुलन को प्राप्त किया जा सकता है:
    - संसद द्वारा न्यायाधीशों को हटाने के प्रावधान के माध्यम से,
    - अपीलों के लिए प्रावधान करके,
    - न्यायालयों के आदेशों की जाँच और समीक्षा करके,
    - न्यायाधीशों के लिए नैतिक आचार संहिता के माध्यम से आदि।

निष्कर्ष

न्यायाधीशों के लिए एक अधिक औपचारिक और व्यापक आचार संहिता तैयार की जानी चाहिए। साथ ही, इसे कानून द्वारा लागू भी किया जाना चाहिए। इसके अलावा, हाल ही में उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट की तरह ही **काम-काज और दक्षता संबंधी वार्षिक रिपोर्ट** को भी प्रकाशित करना चाहिए। इससे न्यायिक जवाबदेहिता को बढ़ावा मिलेगा।

4.3. अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (All India Judicial Service: AIJS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार AIJS के गठन को नए सिरे से बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है। इसका उद्देश्य केंद्रीय सिविल सेवा की तर्ज पर निचली न्यायपालिका के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है।

AIJS के बारे में

- **केंद्रीकृत न्यायिक सेवा का विचार पहली बार विधि आयोग की 14वीं रिपोर्ट** में प्रस्तावित किया गया था। वर्ष 1958 में प्रकाशित इस रिपोर्ट का शीर्षक **"न्यायिक प्रशासन का सुधार" (Reform of Judicial Administration)** था।

[20] Bangalore Principles of Judicial Conduct

[21] Legal Information Management & Briefing System

* संसद को **एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के गठन** के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार **42वें संवैधानिक संशोधन, 1976 के तहत अनुच्छेद 312 (1) में संशोधन करके दिया गया है।** इसमें AIJS भी शामिल है, जो संघ और राज्यों दोनों के लिए समान है।
  * इस संशोधन का उद्देश्य **चयन करने के मानक में एकरूपता सुनिश्चित करना** और न्यायपालिका में **बुद्धिमान और युवा प्रतिभाओं को आकर्षित** करना था। इससे पूरे देश में प्रत्येक नागरिक को निष्पक्ष सुनवाई और त्वरित न्याय उपलब्ध हो सकेगा।

* वर्ष 2006 में कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति[22] ने अपनी 15वीं रिपोर्ट में **अखिल भारतीय न्यायिक सेवा** के विचार का समर्थन किया था।
* **AIJS पर न्यायपालिका की राय:**
  * वर्ष 1992 में, सुप्रीम कोर्ट ने **अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ** मामले में केंद्र को AIJS स्थापित करने का निर्देश दिया था। इसके अलावा, प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग[23] ने AIJS के गठन पर विचार करते हुए इसकी सिफारिश भी की थी। इस आयोग को **न्यायमूर्ति शेट्टी आयोग** के रूप में भी जाना जाता है।
  * हालांकि, 1993 में फैसले की समीक्षा करते हुए अदालत ने केंद्र को इस मुद्दे पर पहल करने की स्वतंत्रता प्रदान की थी।
  * वर्ष 2017 में, सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया और एक **"केंद्रीय चयन प्रणाली (Central Selection Mechanism)"** पर विचार करने के लिए कहा।

AIJS क्या है?

* यह **न्यायपालिका में सुधार** की एक पहल है। इसका उद्देश्य **सभी राज्यों के लिए अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों और जिला न्यायाधीशों के स्तर पर न्यायाधीशों की भर्ती को केंद्रीकृत करना है।**
* UPSC केंद्रीय भर्ती प्रक्रिया को आयोजित करता है और कार्यपालिका को सफल उम्मीदवारों की सूची भेजता है। इसी प्रकार AIJS अधीनस्थ न्यायालयों के लिए न्यायाधीशों की भर्ती करेगा और सफल उम्मीदवारों की सूची राज्यों को भेजेगा।
* वर्तमान में, अलग-अलग उच्च न्यायालय और राज्य सेवा आयोग न्यायिक अधिकारियों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करते हैं।

AIJS के गठन के समक्ष आने वाली चुनौतियां निम्नलिखित हैं:

* **प्रत्येक राज्य में न्यायिक रिक्तियों की विशिष्ट स्थिति:** यह आवश्यक नहीं है कि AIJS न्यायिक रिक्तियों से संबंधित समस्याओं को कुशलता से हल कर सके। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकांश रिक्तियां अधीनस्थ (Subordinate) स्तर पर मौजूद हैं, न कि जिला न्यायाधीशों के स्तर पर।
* **भाषाई बाधा:** राज्यों की प्रमुख चिंता 'भाषा' और 'प्रतिनिधित्व' को लेकर है।
* **संरचनात्मक मुद्दे:** AIJS के गठन से अधीनस्थ न्यायालयों की संरचनात्मक समस्याओं का समाधान नहीं होगा।
* **संघवाद के विरुद्ध:** यह जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु नियम बनाने और उन्हें प्रबंधित करने से संबंधित राज्यों की मौलिक शक्ति के विरुद्ध है।

[22] Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice

[23] National Judicial Pay Commission

- **न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरा:** AIJS के गठन से अधीनस्थ न्यायपालिका पर उच्च न्यायालयों का नियंत्रण कम हो जाएगा। इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित होगी।
- **राज्य के अधिकारियों हेतु पदोन्नति के विकल्प में कमी:** यदि वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को AIJS द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राज्य सेवाओं के माध्यम से प्रवेश कर चुके लोगों के लिए पदोन्नति के विकल्प कम हो जाएंगे। यह राज्य न्यायिक सेवा के संचालन को प्रभावित करेगा।

आगे की राह

- **भाषाई अवरोध को दूर करना:** इसके तहत आवेदक अपने आवेदन में अपनी पसंद के राज्य का उल्लेख कर सकते हैं। साथ ही, साक्षात्कार के दौरान या उससे पहले भाषा से संबंधित एक छोटी परीक्षा ली जा सकती है।
- **पर्याप्त धन:** AIJS को लागू करने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी।
- **हितधारकों को शामिल करना:** सरकार को एक साझा निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए परामर्श प्रक्रिया में सभी हितधारकों को शामिल करना चाहिए।
- **करियर ग्रोथ की संभावनाएं:** अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों को करियर ग्रोथ हेतु अवसर पैदा करने की आवश्यकता है।
- **अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों का क्षमता निर्माण** करना चाहिए। इसके लिए उन्हें कानूनी शिक्षा जारी रखने हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता है।

4.4. भारत में न्यायिक अवसंरचना (Judicial Infrastructure in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने **भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण (NJIAI)**[24] के गठन का प्रस्ताव दिया है।

NJIAI के बारे में

- इसका उद्देश्य देश में **अधीनस्थ न्यायालयों के बजट और अवसंरचना विकास को** NJIAI के नियंत्रण के अधीन लाना है।
- **प्रस्तावित निकाय की मुख्य विशेषताएँ:**
  - इसे **नालसा अर्थात् राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA)**[25] **मॉडल पर स्थापित** किया जाएगा, जहां यह एक **केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। इसमें प्रत्येक राज्य का अपना राज्य न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण होगा।**
  - **भारत के मुख्य न्यायाधीश NJIAI के प्रमुख संरक्षक (Patron-In-Chief) होंगे।** नालसा, विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन है, जबकि NJIAI को भारत के **उच्चतम न्यायालय के अधीन रखा जाएगा।**
  - NJIAI के सदस्यों में **उच्च न्यायालयों के कुछ न्यायाधीश तथा केंद्र सरकार के कुछ अधिकारी शामिल होंगे।**

---

[24] National Judicial Infrastructure Authority of India

[25] National Legal Services Authority

भारत में न्यायिक अवसंरचना

- न्यायिक अवसंरचना में **न्यायालयों, अधिकरणों, वकीलों के चैम्बर आदि जैसे भौतिक परिसर शामिल हैं।**
- **कुशल 'न्यायिक अवसंरचना' का अर्थ है न्याय तक समान और निःशुल्क पहुँच सुनिश्चित करना।** ऐसी कुशल 'न्यायिक अवसंरचना' को 'बाधा रहित तथा नागरिक अनुकूल परिवेश' के माध्यम से हासिल किया जा सकता है।
- वर्तमान में, न्यायपालिका के लिए **अवसंरचनात्मक सुविधाओं** के विकास का प्राथमिक **उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है।**
- केंद्र सरकार **न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना** (CSSDJI)[27] के तहत वित्तीय सहायता जारी करके **राज्य सरकारों के संसाधनों में वृद्धि करती है।**

न्यायिक अवसंरचना में ऐसे सुधारों की आवश्यकता क्यों?

- **देश में न्यायिक अवसंरचना की खराब स्थिति।**
- **'पर्याप्त न्यायिक अवसंरचना' और 'न्याय वितरण में कुशलता' के बीच सकारात्मक संबंध:** न्यायाधीशों, वकीलों और न्यायिक अधिकारियों के लिए पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण न्यायिक अवसंरचना मूलभूत शर्त है, ताकि वे न्याय प्रदान करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को कुशलतापूर्वक निभा सके। गौरतलब है कि वर्तमान में न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या लगभग 3.3 करोड़ है।
- **सरकार के डिजिटलीकरण कार्यक्रम में सुधार:** कोविड-19 महामारी तथा डिजिटल मोड पर अधिक बल देने के कारण, देश में न्यायिक अवसंरचना का आधुनिकीकरण और भी महत्वपूर्ण हो गया है।
- **उत्तरदायित्व की कमी।**
  - **अधिकांश जिला न्यायाधीश अस्थायी नियुक्तियों और बार-बार होने वाले तबादलों** के कारण विकास परियोजनाओं को सख्ती से आगे नहीं बढ़ाते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि **जिला न्यायाधीश** ट्रायल कोर्ट के प्रमुख होते हैं।

न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना:

- इसका उद्देश्य सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय भवनों और आवासीय घरों के निर्माण में राज्य सरकार की सहायता करना है।
- हाल ही में, केंद्र सरकार ने इस योजना को वर्ष 2021 से वर्ष 2026 तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया है।

- इस योजना के तहत दी जाने वाली सहायता में, न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMJDLR)[26] के एक भाग के रूप में ग्राम न्यायालय योजना के कार्यान्वयन के लिए निधि भी शामिल है।
  - भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय प्रणाली की त्वरित और आसान पहुँच के लिए ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत, ग्राम न्यायालय स्थापित किये गए हैं।
  - प्रणालीगत विलंब और लंबित मामले को कम करते हुए न्याय तक पहुँच बढ़ाने के लिए NMJDLR को वर्ष 2011 में स्थापित किया गया था।

[26] National Mission for Justice Delivery & Legal Reforms

[27] Centrally Sponsored Scheme for the Development of Judicial Infrastructure

- **निधि का कम उपयोग:** कुछ राज्य केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत आवंटित निधि को गैर-न्यायिक उद्देश्यों में लगा देते हैं।
- **कार्यान्वयन संबंधी मुद्दा:** इस उद्देश्य के लिए एक समर्पित एजेंसी की कमी के कारण न्यायिक अवसंरचना-सुधार तथा रखरखाव का कार्य अभी भी अनौपचारिक और अनियोजित तरीके से किया जा रहा है।

निष्कर्ष:

अत्याधुनिक न्यायिक अवसंरचना को तैयार करने और सशक्त बनाने के लिए न्यायिक तंत्र को संस्थागत बनाना होगा। इससे अधिक-से-अधिक मामले निपटाए जा सकेंगे और समुचित न्याय प्रदान करने में भी मदद मिलेगी। इसके साथ ही, वंचित एवं शोषित वर्ग को समुचित न्याय भी दिलाया जा सकेगा।

संबंधित तथ्य

राष्ट्रीय अपील न्यायालय (National Courts of Appeal: NCA)

- **भारत के महान्यायवादी ने उच्चतम न्यायालय पर कार्यभार कम करने के लिए राष्ट्रीय अपील न्यायालयों की स्थापना पर बल दिया है**
  - इस विचार को स्वयं **उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1986 में और विधि आयोग ने अपनी 229वीं रिपोर्ट में** प्रस्तुत किया था।
- **प्रस्तावित NCA के बारे में**
  - NCA **राज्य के उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के बीच मध्यवर्ती अपीलीय न्यायालयों** के रूप में कार्य करेंगे।
  - इनमें प्रत्येक में **15 न्यायाधीश होंगे।**
  - ये दीवानी, फौजदारी, श्रम और राजस्व मामलों में अपने क्षेत्र **के उच्च न्यायालयों तथा अधिकरणों के निर्णयों के विरुद्ध की जाने वाली अपीलों से निपटने में न्याय के अंतिम न्यायालय के रूप में कार्य करेंगे।**
  - इन अपीलीय न्यायालयों के निर्णय अंतिम रूप से मान्य होंगे।
  - हालांकि, NCA की स्थापना के लिए **संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता हो सकती है।**
- **महत्व**
  - **ये न्यायपालिका में लंबित मामलों की संख्या को कम करने में सहायक होंगे।**
  - **इससे वैवाहिक विवादों, किराया नियंत्रण के मामलों और अन्य मामलों का त्वरित निपटान संभव होगा,** जो उच्चतम न्यायालय के समक्ष अवरोध उत्पन्न करते हैं।
  - **इससे उच्चतम न्यायालय केवल विधि,** संदर्भ, मृत्युदंड आदि के मामलों के संवैधानिक प्रश्नों की व्याख्या पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा।

राष्ट्रीय मुकदमा नीति (National Litigation Policy: NLP)

- हाल ही में, सरकार ने सूचित किया है कि **मुकदमेबाजी को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने** के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करने हेतु एक NLP विचाराधीन है।
  - इससे पहले वर्ष 2010 में तत्कालीन कानून मंत्री ने एक NLP प्रस्तुत की थी। इसका उद्देश्य सरकार को निरर्थक मुकदमेबाजी में शामिल होने से रोकना था, विशेषकर जहां सरकार के विरुद्ध कोई ऊंचा/बड़ा दावा न किया गया हो।
  - हालांकि, इस नीति को लागू नहीं किया गया था।

मुकदमेबाजी को कम करने के लिए उठाए गए कदम

- **लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम (LIMBS):** यह भारत संघ से जुड़े मुकदमों की निगरानी के उद्देश्य से निर्मित एक वेब-प्लेटफॉर्म है।
- **विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र (Administrative Mechanism for Resolution of Disputes:AMRD):** इसकी स्थापना अंतर-मंत्रालयी/ विभागीय विवादों के समाधान के लिए की गई है।
- **पूर्व-संस्थान मध्यस्थता और निपटान (PIMS)** तंत्र के लिए वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को वर्ष 2018 में संशोधित किया गया था।
- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (CPSE) विवादों के समाधान के लिए **प्रशासनिक तंत्र (AMRCD)।**

भारतीय न्यायिक प्रक्रियाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का महत्व

- सरकार ने न्यायपालिका में **मशीन लर्निंग (ML) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)** जैसी नई व अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। इनसे **न्याय वितरण प्रणाली की दक्षता बढ़ाने** में मदद मिलेगी।
- **इसके संभावित लाभ निम्नलिखित हैं -**
  - भारतीय न्यायपालिका में **निर्णयों से संबंधित मुक्त रूप से उपलब्ध डेटा तक पहुंच** संबंधी चुनौतियां मौजूद हैं। इससे इन चुनौतियों से निपटा जा सकेगा।
  - **इसके द्वारा प्रोसेस री-इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन** के माध्यम से **न्याय तक पहुंच में सुधार** किया जा सकता है। साथ ही, **न्यायिक प्रक्रिया में भी तेजी लाई जा सकती है।**
  - बुद्धिमत्तापूर्ण कानूनी विश्लेषण और अनुसंधान जैसे साधनों के माध्यम से **बेहतर निर्णय** लिया जा सकता है।

- ○ **विश्व स्तर पर इनसे संबंधित सर्वोत्तम कार्यप्रणाली से सीखने का अवसर** मिलेगा। जैसे कि, यूनाइटेड किंगडम में बार-बार अपराध करने वाले का पूर्वानुमान लगाने की एक प्रणाली विकसित की गयी है।
- **न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने से संबंधित चुनौतियां**

अल्पकालिक चुनौतियां	दीर्घकालिक चुनौतियां
• **पारदर्शिता को सुनिश्चित करना:** परिणाम तक पहुँचने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित गणितीय प्रणालियाँ अपारदर्शी होती हैं। साथ ही, इनकी सार्वजनिक निगरानी संभव नहीं है। • सामाजिक असमानताओं को बरकरार रखने वाले **डेटा और डिजाइन संबंधी पूर्वाग्रहों को रोकना भी एक चुनौती** है। • ऐसी **निर्णय समर्थन प्रणाली का निर्माण** करना, जो मानवीय निर्णय प्रणाली में सहायक बने न कि उसे हटाए।	• **वेल्यु लॉक-इन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।** यह उस स्थिति को संदर्भित करती है, जिसके तहत पूर्व के निर्णयों की लगातार मिसाल देने से कानूनी जड़ता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। साथ ही, इससे यह स्थिति और भी कठोर हो सकती है। इसके अतिरिक्त, आवश्यक परिवर्तन की संभावना भी सीमित हो सकती है। • सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि **क्या एक एल्गोरिदमिक निर्णय लेने वाला साधन न्यायाधीशों की जटिल संवैधानिक भूमिका और शक्तियों के विभाजन के कार्य को संपन्न कर सकता है।**

- **सुझाव:**
  - ○ ऐसी प्रौद्योगिकियों के लिए **मूलभूत नियम बनाने चाहिए।**
  - ○ **हितधारकों की पहचान करनी चाहिए** और उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
  - ○ ऐसी प्रौद्योगिकियों के विकास में सहायता के लिए **साझेदारी को बढ़ावा देना** चाहिए।

अब तक किए गए उपाय

- **सुवास या SUVAS (सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर):** यह एक लैंग्वेज लर्निंग एप्लीकेशन है। इसका उपयोग अंग्रेजी में दिए गए निर्णयों को क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए किया जाता है।
- **सुपेस या SUPACE (सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी):** यह दक्षता में सुधार करने और लंबित मामलों को कम करने में मदद करता है। यह उन न्यायिक प्रक्रियाओं की पहचान करता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से स्वचालित हो सकती हैं।
- **एस.सी.आई-इंटरैक्ट (SCI-Interact):** यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा तैयार किया गया एक सॉफ्टवेयर है। यह न्यायाधीशों को फाइलों, याचिकाओं के अनुलग्नकों (annexures) आदि तक पहुंच प्रदान कर सभी 17 पीठों को कागज रहित बनाता है।

4.5. जनहित याचिका (Public Interest Litigation: PIL)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने बेमतलब की जनहित याचिकाओं पर आपत्ति जताई है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने लग्जरी मुकदमे (luxury litigation) दायर करने के लिए याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना भी लगाया है।

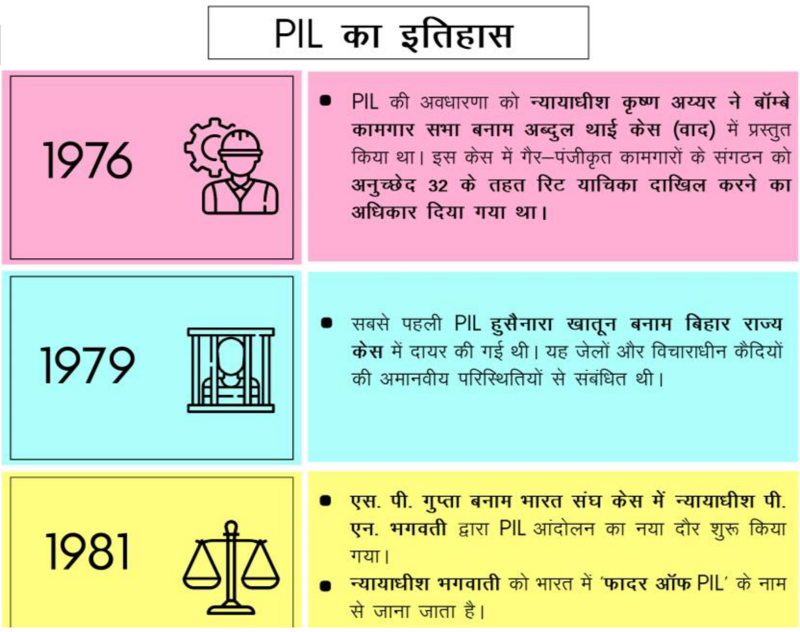

जनहित याचिका और उसके महत्व के बारे में

- जनहित याचिका के तहत **मानवाधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने** या जनहित के व्यापक मुद्दों को उठाने के लिए कानून का उपयोग किया जाता है।
  - ○ जनहित याचिका पद को **अमेरिकी न्यायशास्त्र से लिया** गया है।
  - ○ जनहित याचिका **अनुच्छेद 39A पर आधारित** है। यह सुनिश्चित करता है कि **राज्य** जाति, धर्म, पंथ आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के **न्याय सुनिश्चित और प्रदान करेगा।**
  - ○ जनहित याचिका, न्यायालयों द्वारा जनता को दी गई एक प्रकार की शक्ति है।

* **जनहित और निजी, दोनों प्रकार के कानूनी मामलों से संबंधित** जनहित याचिकाएँ दायर की जा सकती हैं।
    * जनहित याचिका किसी भी **उच्च न्यायालय या सीधे उच्चतम न्यायालय में** भी दायर की जा सकती हैं।

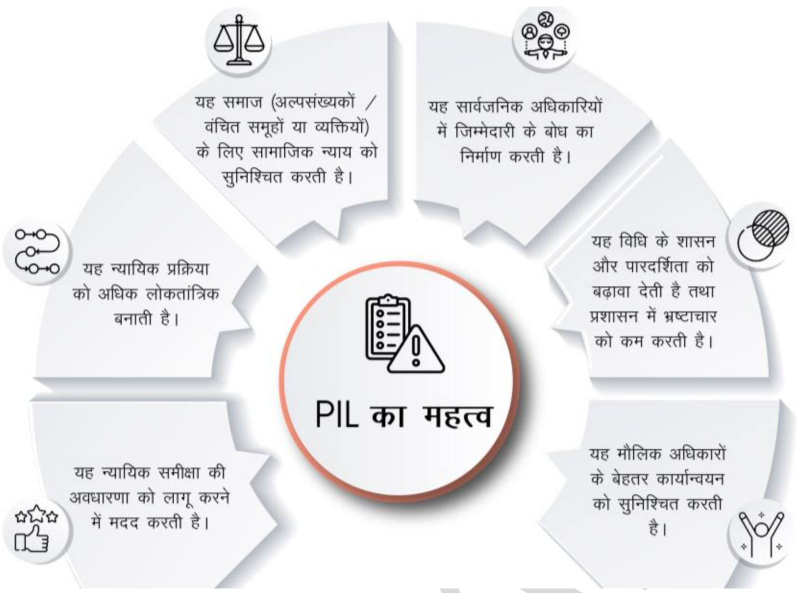

जनहित याचिका से संबंधित मुद्दे

* **कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग:** पिछले कुछ वर्षों में, जनहित याचिका ने **निजी हित याचिका, राजनीतिक हितों के लिए मुकदमेबाजी और पब्लिसिटी याचिका** का रूप ले लिया है।
    * उदाहरण के लिए, प्याज के मूल्य में वृद्धि; रेल के किराए में वृद्धि; रेलवे स्टेशनों की जर्जर स्थिति तथा लाल किले के मामले को लेकर PIL दायर करना आदि।
* **न्यायिक समय की बर्बादी:** बेमतलब की जनहित याचिकाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। इससे न्यायालय के मूल्यवान समय का नुकसान होता है। इस समय का उपयोग समाज के विकास से संबंधित वास्तविक मुद्दों पर विचार करने के लिए किया जा सकता था।
* **विकासात्मक गतिविधियों का ठप होना:** जनहित याचिका का उपयोग विकासात्मक गतिविधियों में देरी लाने हेतु एक साधन के रूप में भी किया गया है। उदाहरण के लिए, पुरी जगन्नाथ मंदिर के परिसर में श्रद्धालुओं की भलाई हेतु ओडिशा सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को रोकने के लिए जनहित याचिका का उपयोग किया गया था।
* **शक्ति के पृथक्करण का उल्लंघन:** PIL की विश्वसनीयता पर अब इस आधार पर सवाल उठाया जा रहा है कि **न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं का उल्लंघन कर** रही है। उदाहरण के लिए, राजमार्गों पर शराब की बिक्री पर रोक लगाना जैसे हस्तक्षेप।

जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले

* **एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ वाद, 1981:** इस मामले में कहा गया कि, जन सामान्य या NGO का कोई भी सदस्य निष्पक्ष इरादे से अनुच्छेद 226 या 32 के तहत HC और SC के रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग कर सकता है। इसका उपयोग व्यक्तियों के **कानूनी या संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के निवारण** के लिए किया जा सकता है। इसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हैं, जो सामाजिक या आर्थिक या किसी अन्य असमर्थता के कारण न्यायालय तक नहीं पहुंच सकते हैं।
* **एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ वाद, 1987:** गंगा जल प्रदूषण के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "**हालांकि, याचिकाकर्ता गंगा नदी के किनारे किसी संपत्ति का स्वामी नहीं है, फिर भी वह वैधानिक प्रावधानों को लागू करने के लिए न्यायालय जाने का हकदार** है। ऐसा इसलिए, क्योंकि उस व्यक्ति की मंशा गंगा जल का उपयोग करने वाले लोगों के जीवन की रक्षा करना है।"
* **विशाखा बनाम राजस्थान राज्य वाद, 1997:** सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न को अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करार दिया।
* **भारतीय बैंक संघ, बॉम्बे और अन्य बनाम मेसर्स देवकला कंसल्टेंसी सर्विस और अन्य वाद, 2004:** इसमें कहा गया कि, ऐसा हो सकता है कि याचिकाकर्ता द्वारा अपने निजी हित में और व्यक्तिगत शिकायत के समाधान के लिए न्यायालय में याचिका को दायर किया गया हो। ऐसे में मामले की प्रासंगिकता के आधार पर न्यायालय जनहित को आगे बढ़ाते हेतु न्याय के हित में दायर याचिका की जांच कर सकता है। इस प्रकार, **एक निजी हित के मामले को भी जनहित का मामला** माना जा सकता है।

* **विलंब:** शोषित और वंचित समूहों से संबंधित PIL के मामले कई वर्षों से लंबित हैं। PIL मामलों के निपटान में अत्यधिक देरी से कई प्रमुख निर्णय केवल शैक्षणिक विषय के रूप में रह जाते हैं।

आगे की राह

- **सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश:** जनहित याचिका की शुचिता और पवित्रता को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने **उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफल वाद** में कई निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश वास्तविक जनहित याचिकाओं को बेमतलब की याचिकाओं से अलग करने में न्यायालयों की मदद करते हैं। (इन्फोग्राफिक्स देखें)।
- **सिद्धांत का पालन करना:** शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। न्यायालयों को अन्य निकायों के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए।
- **समय पर निपटान:** सामाजिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए शोषित और वंचित समूहों से संबंधित PIL का निपटान समयबद्ध रूप से किया जाना चाहिए।
- **जुर्माना:** PIL के दुरुपयोग को रोकने हेतु बिना शोध किए और बेमतलब की PIL दायर करने के लिए वकीलों, नागरिकों पर आर्थिक दंड लगाना चाहिए।

4.6. अधिकरण (Tribunals)

सुर्ख़ियों में क्यों?

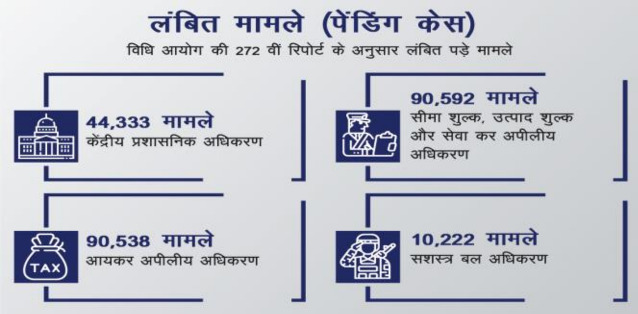

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि **राष्ट्रीय हरित अधिकरण** (NGT) प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र[28] के मामले में **उच्च न्यायालय के अधीनस्थ** है। यह निर्णय विशाखापट्टनम में **रुशिकोंडा पहाड़ियों पर निर्माण कार्य को रोकने वाले NGT के एक निर्णय** के संबंध में दिया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- किसी मामले में परस्पर विरोधी निर्णय की स्थिति में **न्यायालयों के निर्णय, सांविधिक अधिकरण[29] के निर्णय पर प्रभावी होते हैं।**
- इससे पहले, **एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997) मामले में,** उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि संविधान के अनुच्छेद 323A और 323B के तहत स्थापित अधिकरण के निर्णय **उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र** के अधीन हैं।

भारत में अधिकरण प्रणाली

- **अधिकरण:** यह संसद या राज्य विधान-मंडल के अधिनियम द्वारा **अनुच्छेद 323A और अनुच्छेद 323B** के तहत स्थापित **न्यायिक या अर्ध-न्यायिक संस्थाएं** होती हैं। **स्वर्ण सिंह समिति** की सिफारिश

[28] Territorial Jurisdiction

[29] Statutory Tribunals

पर **42वें संशोधन अधिनियम, 1976** के द्वारा **अनुच्छेद 323A और अनुच्छेद 323B** को संविधान में शामिल किया गया है।

- **अनुच्छेद 323-A प्रशासनिक अधिकरण** से संबंधित है।
- **अनुच्छेद 323-B अन्य मामलों हेतु अधिकरण** से संबंधित है।

- ये **न्यायालयों की तुलना में विवादों के शीघ्र न्याय-निर्णयन** के लिए एक **मंच प्रदान** करने के साथ-साथ कुछ विषयों पर विशेषज्ञता भी प्रदान करते हैं।
- अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सभी नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं। अधिकरण **प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते** हैं।
- अधिकरण को कुछ मामलों में **सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त** होती हैं। इसमें **स्वयं के निर्णयों की समीक्षा करना** आदि शामिल है। इसके **निर्णय पक्षकारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होते** हैं। हालांकि, इनके निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है।

अधिकरण प्रणाली से जुड़े मुद्दे

- **स्वतंत्रता का अभाव:** उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2010 में पाया कि **भारत में अधिकरणों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं** है।
  - **चयन समितियों के माध्यम से अधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति** की व्यवस्था, अधिकरणों की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से प्रभावित करती है।

- **एकरूपता का अभाव: अधिकरण के लिए अलग-अलग प्रभारी नोडल मंत्रालय हैं। साथ ही, योग्यता, नियुक्तियों, सेवा-शर्तों, सदस्यों के कार्यकाल, आदि** के मामले में भी एकरूपता का अभाव है। यह स्थिति अधिकरण के प्रबंधन और प्रशासन में खामियां लाती है।
- **स्टाफ की कमी:** उदाहरण के लिए, **केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) में 64 में से 27 पद खाली** पड़े हैं। इसके परिणामस्वरूप कुछ पीठों में तो मामलों की सुनवाई के लिए आवश्यक संख्या भी मौजूद नहीं है।
- **बुनियादी ढांचे की कमी:** अधीनस्थ न्यायपालिका और अधिकरण में न्यायाधीशों, वकीलों एवं वादियों के लिए न्यायिक बुनियादी ढांचे जैसे- कोर्टरूम तथा बुनियादी सुविधाओं का अभाव एक गंभीर विषय है।
- **हाई पेंडेंसी:** अधिकरणों में अनावश्यक स्थगन और अधिकरण के सदस्यों की अनुपस्थित रहने संबंधी प्रवृत्ति के कारण लंबित मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। साथ ही, अधिकरणों की अपने संबंधित मंत्रालय पर अत्यधिक वित्तीय निर्भरता भी इस समस्या को और अधिक बढ़ाती है।
- **शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन:** अक्सर अधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति और उन्हें हटाने के मामलों में कार्यपालिका का हस्तक्षेप देखा जाता है। साथ ही, दिन-प्रतिदिन के काम-काज के लिए आवश्यक वित्त, बुनियादी ढांचे, कर्मियों और अन्य

संसाधनों को प्रदान करने में भी कार्यपालिका का हस्तक्षेप देखा जा सकता है। यह हस्तक्षेप शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध है।

आगे की राह

- **स्वतंत्र स्वायत्त निकाय: अधिकरणों के काम-काज की निगरानी और नियुक्ति प्रणाली में एकरूपता सुनिश्चित** करने की आवश्यकता है। इसके लिए **कानून और न्याय मंत्रालय** के अधीन **राष्ट्रीय अधिकरण आयोग (NTC)**[30] की स्थापना करनी चाहिए।
  - NTC का विचार सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने **एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ वाद** (1997) में दिया था।

अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) विधेयक, 2021

- **यह विधेयक कुछ मौजूदा अपीलीय निकायों[31] को भंग करने का प्रस्ताव करता है।** साथ ही, यह विधेयक इन निकायों के कार्यों को अन्य मौजूदा न्यायिक निकायों में हस्तांतरित करने का भी प्रस्ताव करता है।
  - उदाहरण के लिए, सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के तहत अपीलीय अधिकरण के कार्यों को उच्च न्यायालय में हस्तांतरित करना।
- इसके तहत एक खोज-सह-चयन समिति गठित करने का प्रस्ताव किया गया है। यह समिति अलग-अलग अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों का चयन तथा उनकी नियुक्ति करेगी।
- यह वित्त अधिनियम, 2017 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित को इन समितियों में शामिल करता है:
  - **अध्यक्ष: भारत के मुख्य न्यायाधीश**, या **उनके द्वारा नामांकित सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश;** (साथ ही, बराबरी की स्थिति में उसे निर्णयक मत सौंपा गया है),
  - केंद्र सरकार द्वारा नामित दो सचिव,
  - **एक सदस्य:**
    - **अधिकरण के चेयरपर्सन की नियुक्ति के मामले में- सेवामुक्त होने वाला अध्यक्ष, या**
    - **अधिकरण के सदस्य की नियुक्ति के मामले में- अधिकरण का सेवारत चेयरपर्सन, या**
    - **यदि मौजूदा चेयरपर्सन को फिर से नियुक्त किया जाना है तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश**, या हाई कोर्ट का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश (इनकी नियुक्ति CJI द्वारा की जाएगी)
  - **जिस मंत्रालय के तहत अधिकरण का गठन किया जाना है, उस मंत्रालय का सचिव** (मतदान के अधिकार के बिना)।
- यह विधेयक अध्यक्ष या सदस्य के पद के कार्यकाल को चार साल तक निर्धारित करता है। इसमें पुनर्नियुक्ति के प्रावधान भी शामिल हैं। अध्यक्ष के लिए कार्यकाल की अधिकतम आयु 70 वर्ष और अन्य सदस्यों के लिए 67 वर्ष होगी।

- **सदस्यों का चयन:** भारतीय विधि आयोग की 272वीं रिपोर्ट ने सुझाव दिया है कि **सदस्यों का चयन निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। इसके साथ ही, नियुक्ति प्रक्रिया में सरकारी एजेंसियों की भागीदारी भी न्यूनतम होनी चाहिए,** क्योंकि सरकार सामान्यतः हर मुकदमे में एक पार्टी होती है।
- **रिक्तियों को भरना:** अधिकरण में होने वाली रिक्तियों को समय पर यथाशीघ्र भरना चाहिए। इस संबंध में **पद रिक्ति होने के छः महीने के भीतर पद को भरा जाना चाहिए।**
- **अधिकरण की पीठ: देश के अलग-अलग हिस्सों में** अधिकरण की पीठ स्थापित करना चाहिए। इससे देश में **लोगों तक न्याय की बेहतर पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी।** आदर्श रूप से देखें तो, जहां उच्च न्यायालय स्थित है वहीं अधिकरण की पीठ भी स्थापित होनी चाहिए।

अधिकरण के रूप में लोक सभा / विधान सभा अध्यक्ष

- लोक सभा / विधान सभा अध्यक्ष का कार्यालय विधायकों की अयोग्यता (Disqualification) पर अपने निर्णयों को लेकर विवादों में रहा है।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अध्यक्ष किसी न किसी राजनीतिक दल से (या तो 'डी जुरे' या 'डी फैक्टो') संबंधित होता है। इसलिए, सुप्रीम कोर्ट ने संसद से इस पर फिर से विचार करने के लिए कहा है कि **क्या अयोग्यता से संबंधित याचिकाओं को अध्यक्ष (अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण के रूप में) को सौंपा जाना चाहिए।**
- संसद को 10वीं अनुसूची के तहत होने वाली अयोग्यता से संबंधित विवादों को स्थायी अधिकरण के माध्यम से निपटाना चाहिए। इस संबंध में लोक सभा और विधान सभाओं के अध्यक्ष की इन शक्तियों को ऐसे स्थायी अधिकरण में हस्तांतरित करने हेतु संविधान में संशोधन करने पर संसद को गंभीरता से विचार करना चाहिए।

[30] National Tribunal Commission

[31] Appellate Bodies

- **योग्य कार्यबल:** अधिकरण के सदस्यों को संबंधित विषय-क्षेत्र में कम-से-कम पंद्रह साल का विशेष ज्ञान और पेशेवर अनुभव होना चाहिए। साथ ही, सदस्यों की क्षमता और सत्यनिष्ठा को महत्व देना चाहिए।
- **निवारण तंत्र:** अधिकरण से संबंधित सभी कानूनों में मामलों के समयबद्ध निवारण हेतु कठोर प्रावधान शामिल किए जाने चाहिए।

4.7. वैकल्पिक समाधान विवाद (Alternative Dispute Resolution: ADR)

वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) – एक नज़र में

ADR एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत **न्यायालय के बाहर विवादों का समाधान और निपटान** किया जाता है। इसके तहत सभी प्रकार के मुद्दों का समाधान किया जा सकता है, जैसे– सिविल, वाणिज्यिक, औद्योगिक आदि। इसके तहत विवादों पर बात करने के लिए और उनका समाधान करने के लिए किसी निष्पक्ष थर्ड पार्टी को शामिल किया जाता है। आपराधिक मामलों में अंतिम निर्णय न्यायालय में ही दिया जाता है। ADR पांच प्रकार के होते हैं, ये हैं–

आर्बिट्रेशन या माध्यस्थम (Arbitration): इसके तहत विवाद को एक माध्यस्थम अधिकरण के समक्ष रखा जाता है। इनका **निर्णय अधिकतर मामलों** में पक्षकारों के लिए **बाध्यकारी होता है।**

सुलह (Conciliation): यह एक **गैर–बाध्यकारी प्रक्रिया** है। इसके तहत एक निष्पक्ष थर्ड पार्टी होती है। इसे **सुलहकार** (Conciliator) कहते हैं। यह **विवाद में शामिल पक्षकारों** को परस्पर रूप से सहमत समाधान तक पहुँचने में **सहायता प्रदान करता है।**

मध्यस्थता (Mediation): इसके तहत 'मध्यस्थ' (Mediator) के रूप में एक निष्पक्ष व्यक्ति होता है। वह विवाद में शामिल पक्षकारों को परस्पर रूप से स्वीकृत समाधान तक पहुँचने में सहायता करता है।

समझौता (Negotiation): यह एक गैर–बाध्यकारी प्रक्रिया है। **इसके तहत बिना किसी थर्ड पार्टी के हस्तक्षेप के विवाद में शामिल पक्षकार आपस में बातचीत करते हैं।** इस बातचीत का उद्देश्य समझौता आधारित समाधान सुनिश्चित करना होता है।

लोक अदालत (People's Court): इसके तहत **अनौपचारिक रूप से किसी न्यायिक अधिकारी की उपस्थिति में बातचीत के माध्यम से समझौता किया जाता है।** हालांकि, इसमें क़ानूनी औपचारिकताओं पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है।

लोक अदालत का **निर्णय अंतिम होता है और इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।**

ADR की आवश्यकता क्यों?

- न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों का समाधान कर न्यायालयों पर बोझ को कम करने के लिए।
- संविधान की प्रस्तावना में स्थापित सिद्धांतों, जैसे– **सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने** तथा समाज में **बंधुत्व को बनाए रखने** के लिए।
- **DPSP** के अनुच्छेद 39 में के तहत **समान न्याय तथा निःशुल्क क़ानूनी सहायता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए।**

ADR के लाभ

- न्यायालयों के मुकाबले इसमें **कम समय लगता है।**
- यह काफी किफ़ायती पद्धति है।
- **न्यायालयों की लंबी औपचारिकताओं के बिना** विवादों का समाधान करने के लिए अनौपचारिक तरीकों को अपनाया जाता है।
- लोगों को **स्वयं को अपना पक्ष रखने की पूरी आज़ादी होती है।** साथ ही, वे किसी भी न्यायालय में जाए बिना **सटीक तथ्यों को प्रस्तुत कर सकते हैं।**
- **यह विवाद में शामिल पक्षकारों के संबंधों को बेहतर बनाए रखता है,** क्योंकि पक्षकार साथ में बैठकर एक ही मंच पर बातचीत के द्वारा समाधान निकालते हैं।

ADR की सीमाएं

- **आर्बिट्रेशन से जुड़ा निर्णय बाध्यकारी और अंतिम होता है। इन निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती।**
- पक्षकारों के मध्य शक्ति असंतुलन को जांचने का बहुत कम या कोई तरीका नहीं होता है। यह **आवश्यक नहीं है कि इसके तहत पक्षकारों के क़ानूनी अधिकारों की रक्षा हमेशा हो।**
- ADR प्रक्रिया के दौरान **अलग–अलग भाषाई क्षेत्र वाले पक्षकारों के कारण भाषा एक बाधा बन जाती है,** जिससे विवाद समाधान प्रभावित होता है।
- **बाध्यता का अभाव:** इसके तहत किसी भी पक्षकार को बातचीत जारी रखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसलिए कोई भी पार्टी, दूसरी पार्टी द्वारा लगाए गए समय, धन और की गई कोशिशों को ध्यान में रखे बिना स्वयं को बातचीत से किसी भी समय अलग कर सकती है।
- इसके बारे में लोगों के मध्य **जागरूकता की कमी है।**

आगे की राह:

- इसके बारे में सेमिनार्स, वेबिनार्स और कार्यशालाओं का आयोजन करके **जागरूकता** लाई जा सकती है।
- **न्यायिक अधिकारियों को उन मामलों को पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जिनका समाधान कोर्ट के बाहर किया जा सकता है।**
- जिला और तहसील क्षेत्रों में **मध्यस्थता केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए।** इससे नागरिकों को बिना किसी मुकदमेबाज़ी के अपने विवादों का त्वरित समाधान करने में मदद मिलेगी।
- ADR व्यवस्था को **अधिक किफायती और सुगम बनाना चाहिए,** ताकि न्यायपालिका में बढ़ती मामलों की संख्या का समाधान किया जा सके।
- बीच में बाहर निकलने वाले पक्षकारों पर ADR के **निर्णय को बाध्यकारी बनाया जाना चाहिए।**

4.7.1. ऑनलाइन विवाद समाधान (Online Dispute Resolution: ODR)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, ODR पर गठित नीति आयोग की विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसका शीर्षक **'डिजाइनिंग द फ्यूचर ऑफ डिसप्यूट रिजॉल्युशनः द ODR पॉलिसी प्लान फॉर इंडिया'** है।

ODR के बारे में

- **परिभाषा:** ODR के तहत **न्यायिक प्रणाली के बाहर विवादों के समाधान हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है।**
  - ODR केवल एक ई-वैकल्पिक विवाद समाधान से कहीं ज़्यादा है, क्योकि इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता/ मशीन लर्निंग टूल्स की सहायता से विवादों को सुलझाया जा सकता है। साथ ही, इसमें प्रक्रियाओं की कोई निर्धारित व्यवस्था भी नहीं होती है।

ODR के लाभ	
लागत प्रभावी, सुविधाजनक, कुशल	इसमें **प्रक्रियाओं** को आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित करते हुए ऐसे **पक्षपात** से बचा जा सकता है, जो मानवीय वार्तालापों के परिणामस्वरूप होता है।
यह 'विवादों को सुलझाने' का केवल एक तरीका नहीं है, बल्कि उससे बढ़कर है।	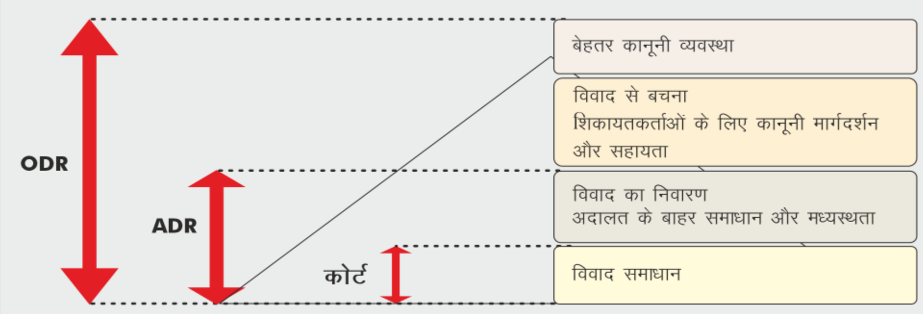 न्याय तक पहुंच के लिए चार स्तरीय मॉडल
महामारी	मौजूदा कोविड-19 संकट के दौरान **इसके तात्कालिक लाभों का दोहन** किया जा सकता है। कोविड-19 के कारण **न्यायपालिका के समक्ष मामलों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना** है, उदाहरण के लिए, उपभोक्ता, किरायेदारी और श्रम संबंधी विवादों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
न्यायालय	ODR निजी क्षेत्रक की क्षमता का लाभ उठाकर न्यायालयों के बोझ को कम करने में सहायता कर सकता है। दीर्घ अवधि में, ODR ई-कॉमर्स लेन-देन जैसे बड़ी संख्या में उत्पन्न होने वाले सभी कम-मूल्य वाले **विवादों के समाधान का प्रमुख तरीका** हो सकता है, हालांकि यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

ODR को अपनाने से जुड़ी चुनौतियाँ

- **संरचनात्मक चुनौतियाँ**
  - **डिजिटल साक्षरता:** भारत में लगभग 743.19 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। हालांकि, **ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की प्रसार दर 32.24%** है, जो शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट की प्रसार दर 99.12% की तुलना में एक तिहाई से भी कम है।
  - **डिजिटल अवसंरचना:** सार्थक सुनवाई के लिए सुनवाई की अवधि के दौरान कंप्यूटर, स्मार्ट फोन और मध्यम से उच्च बैंडविड्थ वाले इंटरनेट कनेक्शन तक पहुंच होना आवश्यक है।
  - **प्रौद्योगिकी तक पहुंच में असमानता:** इंटरनेट इंडिया रिपोर्ट 2019 के अनुसार, **भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का केवल एक-तिहाई हिस्सा महिलाएं हैं,** जो ग्रामीण क्षेत्रों में केवल **28%** हैं। **ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 27% लोगों के पास इंटरनेट तक पहुंच है,** जबकि **शहरी क्षेत्रों में 51% लोगों के पास इंटरनेट उपलब्ध है।**
- **परिचालन संबंधी चुनौतियाँ**
  - **निजता और गोपनीयता संबंधी चिंताएं:** इसके अंतर्गत ODR प्रक्रियाओं के दौरान ऑनलाइन प्रतिरूपण (impersonation), दस्तावेजों का प्रसार और डेटा साझा करके गोपनीयता का उल्लंघन हो सकता है। ऑनलाइन प्रतिरूपण की सहायता से वास्तविक व्यक्ति के बजाय भेष बदलकर किसी अन्य व्यक्ति को उपस्थित किया जा सकता है।

- **ODR प्रक्रिया के तहत लिए गए निर्णयों को लागू करने में कठिनाई:** जिन मध्यस्थता प्रक्रियाओं की शुरुआत न्यायालयों द्वारा नहीं की जाती है, उनमें एक विधिक शून्यता होती है। ODR के तहत मामले का निपटारा केवल एक समझौते के रूप में किया जा सकता है और किसी भी पक्षकार द्वारा समझौते का पालन न करने पर न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लेने की आवश्यकता होगी।
- **अप्रचलित कानूनी प्रक्रियाएं:** उदाहरण के लिए, राज्य सरकारें अभी भी पक्षकारों से स्टाम्प शुल्क के भुगतान के प्रमाण हेतु समझौते में ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र की एक प्रति संलग्न करने की मांग करती हैं।
- **सक्षम मध्यस्थों की कमी:** ऐसे स्वतंत्र एवं योग्य मध्यस्थों का अभाव है, जो विवाद के पक्षकारों को आपस में सर्वसम्मति पर पहुँचने में सहायता कर सकें।

- **व्यवहार संबंधी चुनौतियाँ:** लोगों में जागरूकता एवं ODR के प्रति विश्वास की कमी देखी गई है और सरकार द्वारा भी ODR का उपयोग करने में विशेष रुचि नहीं प्रदर्शित की गई है।

आगे की राह

- **प्रौद्योगिकी तक बेहतर पहुंच:** यह **प्रौद्योगिकी अवसंरचना तक भौतिक पहुंच के साथ-साथ डिजिटल साक्षरता के स्तर में वृद्धि** के मामलों में भी आवश्यक है।
- **वर्तमान क्षमता का विस्तार करना:** प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थानों का विस्तार किया जा सकता है। व्यावहारिक अनुभव एवं सिमुलेशन प्रशिक्षण के साथ-साथ एक समान प्रशिक्षण मानक अनिवार्य किया जा सकता है।

भारत में ODR की स्थिति

कार्यपालिका	विधायिका	न्यायपालिका
➤ **डिजिटल भुगतान** के लिए RBI ने **ODR नीति जारी की है।** ➤ MSME क्षेत्रक के लिए **समाधान पोर्टल** की शुरुआत की गई है। विधि कार्य विभाग द्वारा देश भर में ODR सेवा प्रदाताओं की जानकारी को एकत्रित किया जा रहा है।	➤ **ODR के ADR पहलू का समर्थन** करने वाले कानून (आर्बिट्रेशन और सुलह अधिनियम 1996 या सिविल प्रक्रिया संहिता,1908) मौजूद हैं। साथ ही, **ODR के प्रौद्योगिकी पहलू** के समर्थन हेतु भी कानून (भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1972 तथा सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000) मौजूद हैं। ➤ भारत द्वारा **यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मीडिएशन 2018** को भी लागू किया गया है।	➤ **ई–कोर्ट मिशन मोड परियोजना** के माध्यम से कई महत्वपूर्ण पहलें शुरू की गई हैं। इनका प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से होगा। ➤ कई लोक अदालतों को ऑनलाइन तरीके से **"ई–लोक अदालतों"** में रूपांतरित कर दिया गया है।

- **मानव संसाधन क्षमता में वृद्धि:** प्रशिक्षित मध्यस्थों, ODR का उपयोग करने में याचिकाकर्ताओं की सहायता हेतु पैरालीगल वालिंटियर, कोर्ट रजिस्ट्री अधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों की संख्या में वृद्धि करना। ये न्यायिक अधिकारी मामलों को ODR के लिए भेज सकते हैं।
- **निजी क्षेत्रक की भागीदारी सुनिश्चित करना:** निजी क्षेत्रक को नवाचार एवं विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे दीर्घकाल में विवाद समाधान पारितंत्र और सरकार दोनों को लाभ होगा।
- **ODR में लोगों के विश्वास को बढ़ाना:** इसके लिए ODR को कुछ सरकारी विभागों जैसे कि उपभोक्ता मामले विभाग के साथ एकीकृत किया जा सकता है। दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC), 2016 के तहत विवादों के समाधान में भी ODR प्रक्रिया का उपयोग किया जा सकता है।

- **ODR को सही ढंग से विनियमित करना:** ODR को साधारण दृष्टिकोण अपनाते हुए विनियमित करना चाहिए। इसमें ऐसे दिशा-निर्देश या सिद्धांत हों, जिन्हें ODR सेवाएं प्रदान करने वाले हितधारकों द्वारा अक्षरशः अपनाया जा सके। हालांकि, यह स्वैच्छिक आधार पर होना चाहिए।
    - इस रिपोर्ट में सिद्धांतों के तीन सेटों की सिफारिश की गयी है-
    - **ODR प्लेटफॉर्म के लिए सिद्धांतों का निर्धारण** (जिन्हें व्यवसायों के भीतर या स्वतंत्र रूप से स्थापित किया जा सकता है), और
    - **ODR केंद्रों के लिए नैतिक सिद्धांतों के अलग-अलग सेट, तथा**
    - **तीसरे पक्ष के मध्यस्थ।**

5. भारत में चुनाव (Elections In India)

5.1. चुनावी सुधार (Electoral Reforms)

चुनावी सुधार– एक नज़र में

चुनाव शब्द वस्तुतः लैटिन शब्द 'एलिगेरे (Eligere)' से लिया गया है। इसका अर्थ "चुनना या चयन करना" होता है। प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र में चुनाव सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इनका आयोजन एक नियमित अंतराल पर किया जाता है। इसके तहत लोग स्वतंत्र रूप से अपनी पसंद के उम्मीदवार को अपना मत देते हैं।

लोकतंत्र में चुनावों की भूमिका

- उत्तरदायी और जवाबदेह सरकार।
- सत्ता में बदलाव।
- राजनीतिक दलों की भागीदारी।
- स्थायी लोकतंत्र।
- आम जन पर ध्यान केंद्रित करके **राष्ट्रवाद और देशभक्ति का प्रतीक**।
- सत्ताधारी दलों पर नियंत्रण रखकर **स्व-सुधारात्मक व्यवस्था** और जनता की मांगों पर विचार करना।
- नागरिकों को एक-दूसरे से जोड़कर **सामाजिक एवं राजनीतिक एकीकरण को सुगम बनाना** और इस तरह राज्यव्यवस्था की व्यवहार्यता की पुष्टि करना।
- एक राजनीतिक समुदाय से दूसरे के पास सत्ता हस्तांतरण।

भारत में चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दे

- चुनावों का वित्तपोषण
- बाहुबल
- सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग
- राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण
- राजनीतिक दलों के अकुशल उम्मीदवार
- जातिवाद
- सांप्रदायिकता
- सोशल मीडिया का प्रभाव

चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए सुधार

- पारदर्शिता को बढ़ावा
  - चुनावी बॉण्ड
  - आय के स्रोतों की अनिवार्य रूप से घोषणा करना
- मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ाना
  - मतदान की आयु कम करना
  - डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान
  - चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021
- मतदान प्रक्रिया को मजबूत बनाने हेतु प्रौद्योगिकियों का उपयोग
  - इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन
  - नोटा का विकल्प
- चुनाव की शुचिता को बनाए रखना
  - दल-बदल विरोधी कानून बनाना
  - दागी राजनेताओं पर मुकदमा चलाना
- सभी को एक समान अवसर प्रदान करना
  - आदर्श आचार संहिता
  - चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा का निर्धारण
  - एग्जिट पोल पर प्रतिबंध

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को साकार करने की कार्ययोजना

- **सहभागी लोकतंत्र:** चुनावी प्रबंधन निकायों (EMBs) के संस्थागत ढांचे में युवाओं और महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाना चाहिए।
- सार्वजनिक जांच और राज्य की ओर से आंशिक वित्त-पोषण को शामिल करके **वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ावा देना चाहिए।**
- राजनीतिक पार्टियों में **अंतर-दलीय लोकतंत्र स्थापित करना चाहिए।**
- राजनीतिक पार्टियों द्वारा उम्मीदवारों का चयन लोकतांत्रिक तरीके से किया जाना चाहिए।
- **राजनीति के अपराधीकरण को रोकना** चाहिए।
- **चुनाव विवाद का न्याय निर्णयन करना** चाहिए।
- **दल-बदल विरोधी कानून की समीक्षा करनी** चाहिए।
- ओपिनियन पोल, उम्मीदवारों की अत्यधिक संख्या पर प्रतिबंध लगाकर और टोटलाइजर मशीनों को अपनाकर **चुनाव का संचालन और बेहतर प्रबंधन करना।**

5.2. राजनीति का अपराधीकरण (Criminalization of Politics)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और नेशनल इलेक्शन वॉच** ने सांसदों के **आपराधिक, वित्तीय और अन्य पृष्ठभूमि से संबंधित विवरणों का विश्लेषण** किया है। गौरतलब है कि यह विश्लेषण राज्य सभा के 233 मौजूदा सांसदों में से 226 सांसदों से संबंधित है।

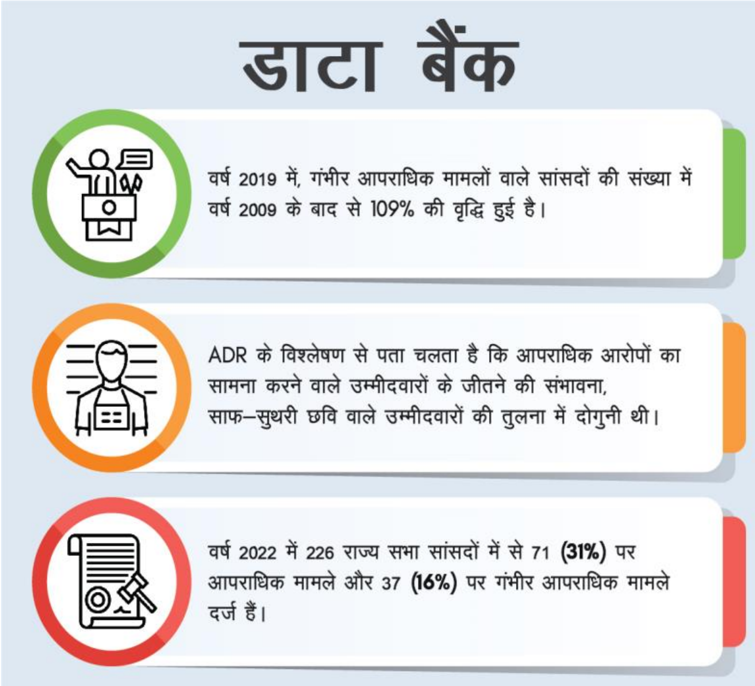

राजनीति के अपराधीकरण के बारे में

- राजनीति के अपराधीकरण को दो अलग-अलग अर्थों में देखा जा सकता है। **संकीर्ण अर्थ में,** इसका तात्पर्य है-
  - **राजनीतिक दलों, राज्य विधान सभाओं और देश की संसद में अपराधियों का सीधा प्रवेश और हस्तक्षेप,**या
  - राजनेताओं द्वारा अपने राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपराधिक साधनों का उपयोग।
- **व्यापक अर्थ में,** इसका तात्पर्य है-
  - राजनीति में अपराधियों का **प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप।**
  - जैसे- किसी उम्मीदवार को धन उपलब्ध कराना, असामाजिक तत्त्वों की सहायता उपलब्ध कराना, बूथ पर कब्ज़ा करना, पैसे लेकर प्रतिद्वंदी उम्मीदवार की हत्या करना, बाहुबल द्वारा सहायता करना और चुनाव लड़ने वाले किसी उम्मीदवार के लिए प्रचार करना आदि।

राजनीति के अपराधीकरण पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय:

- **यूनियन ऑफ़ इंडिया बनाम ADR, 2002:** किसी सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड़ने वाले **उम्मीदवारों के बारे में जानकारी प्राप्त करना मतदाताओं का मूल अधिकार है।**
- **पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया, 2004: इस वाद में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA)[32] की धारा 33B को चुनौती दी गई थी। इस धारा के तहत ADR वाद (2002) में दिए गए निर्णय को प्रभावहीन कर दिया गया था।**
  - **कोर्ट ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) की धारा 33B को असंवैधानिक और शून्य माना, क्योंकि यह** "निर्वाचकों के जानने के अधिकार" का उल्लंघन करती है।
- **लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया, 2013:** इसके अंतर्गत, कम-से-कम 2 वर्ष की कैद की सजा पाने वाले और किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए सांसद या विधायक सदन के सदस्य नहीं रहेंगे।
- सांसदों या विधायकों से जुड़े लंबित मुकदमों की तीव्र सुनवाई के लिए वर्ष 2017 में **देश भर में विशेष अदालतें स्थापित की गई थीं।**
- **पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन केस, 2018 में,** कोर्ट ने कहा कि **चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को** भारत निर्वाचन आयोग (ECI)[33] के समक्ष **अपने आपराधिक इतिहास की घोषणा करनी होगी।**

राजनीति के अपराधीकरण के कारण

- **बाहुबल: राजनीतिक दलों तथा अपराधियों के बीच गठजोड़ बढ़ रहा** है। इसका कारण यह विचारधारा है कि यदि कोई राजनीतिक दल समाज का विश्वास जीतने में विफल रहता है, तो सत्ता के लिए वोट प्राप्त करने में भय और हिंसा उसकी मदद कर सकते हैं।
- **धन बल: वोट खरीदने** और **मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए मुफ्त उपहारों** की संस्कृति के कारण चुनावी खर्च में वृद्धि हुई है। इसलिए, उम्मीदवार जीत हासिल करने हेतु धन जुटाने के लिए अवैध तरीकों का सहारा लेते हैं।
- **गवर्नेंस का अभाव:** भारत में **चुनावी प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए** उचित कानून और नियम नहीं हैं।

[32] Representation of People Act

[33] Election Commission of India

* **भारतीय राजनीतिक प्रणाली में कमियां:** अपराधी हमारे समाज में मौजूद मतभेदों का लाभ उठाते हैं और राजनीति में प्रवेश करने के लिए स्वयं को संबंधित जाति, वर्ग या धर्म के रक्षक के रूप में प्रस्तुत करते हैं।
* **न्यायिक विलंब:** विशेष रूप से राजनेताओं के मामलों में न्याय में विलंब के कारण राजनीति के अपराधीकरण का मुद्दा अधिक गंभीर हो गया है।

आगे की राह

* **चुनावों के लिए राज्य द्वारा वित्तपोषण:** इससे **भ्रष्टाचार, काले धन के उपयोग, धनबल आदि पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।** साथ ही, कम वित्तीय संसाधनों वाले साफ़-सुथरी छवि के उम्मीदवार भी चुनाव लड़ सकेंगे।
* **विधि आयोग की रिपोर्ट:** इसने सिफारिश की है कि बूथ कैप्चरिंग, धांधली और मतदाताओं को डराने-धमकाने जैसे कुछ गंभीर अपराधों को अयोग्यता का आधार बनाया जाना चाहिए।
* **निर्वाचन आयोग को मजबूत बनाना:** स्वच्छ चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु **राजनीतिक दलों के मामलों को विनियमित करने के लिए** चुनाव आयोग को मजबूत बनाने की जरूरत है।
* **व्यवहार संबंधी परिवर्तन:** मतदाताओं को चुनाव के दौरान धन के दुरुपयोग, उपहारों और अन्य प्रलोभनों के बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता है। इससे राजनीतिक दल स्वच्छ पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनाव में उतारने के लिए बाध्य होंगे।
* **वोहरा समिति की रिपोर्ट: राजनीति के अपराधीकरण** तथा अपराधियों, राजनेताओं और नौकरशाहों के बीच गठजोड़ पर वोहरा समिति द्वारा की गई सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए।
* **राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश लगाने के अन्य उपाय निम्नलिखित हैं:**
    * **आपराधिक आरोपों वाले राजनेताओं के टिकटों को अस्वीकार करने के लिए** एक संशोधन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
    * राजनेताओं के खिलाफ लंबित वादों के शीघ्र निपटान के लिए **फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाने चाहिए।**
    * **राजनीतिक दलों के भीतर लोकतंत्र को** बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
    * **नोटा अर्थात् 'उपर्युक्त में से कोई नहीं' (NOTA)[34] विकल्प के बारे में लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए।**

5.3. एक राष्ट्र एक निर्वाचन (One Nation One Election)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि निर्वाचन आयोग (EC) प्रधान मंत्री के **'एक राष्ट्र एक निर्वाचन'** के आह्वान पर **एक साथ निर्वाचन कराने** के लिए तैयार है।

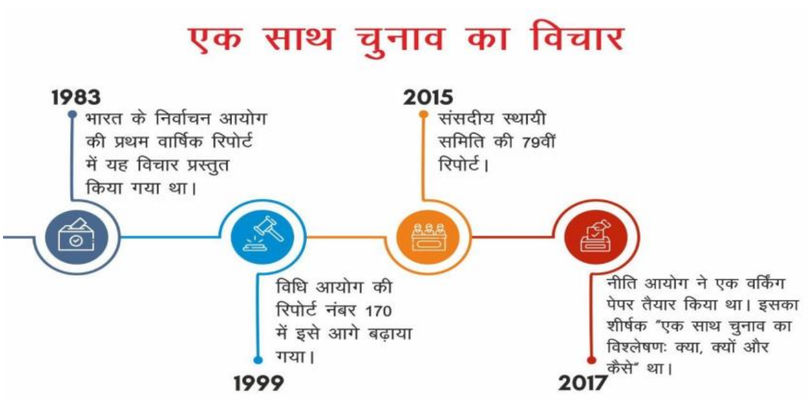

[34] None of The Above

एक राष्ट्र एक निर्वाचन के बारे में

- आदर्श रूप से **'एक राष्ट्र एक निर्वाचन'** का अर्थ संवैधानिक संस्थाओं के **तीनों स्तरों के निर्वाचन एक साथ और समन्वित तरीके से** कराने से है। इसका तात्पर्य यह है कि मतदाता एक ही दिन में सरकार के सभी स्तरों के लिए सदस्यों के निर्वाचन हेतु मतदान कर सकता है।

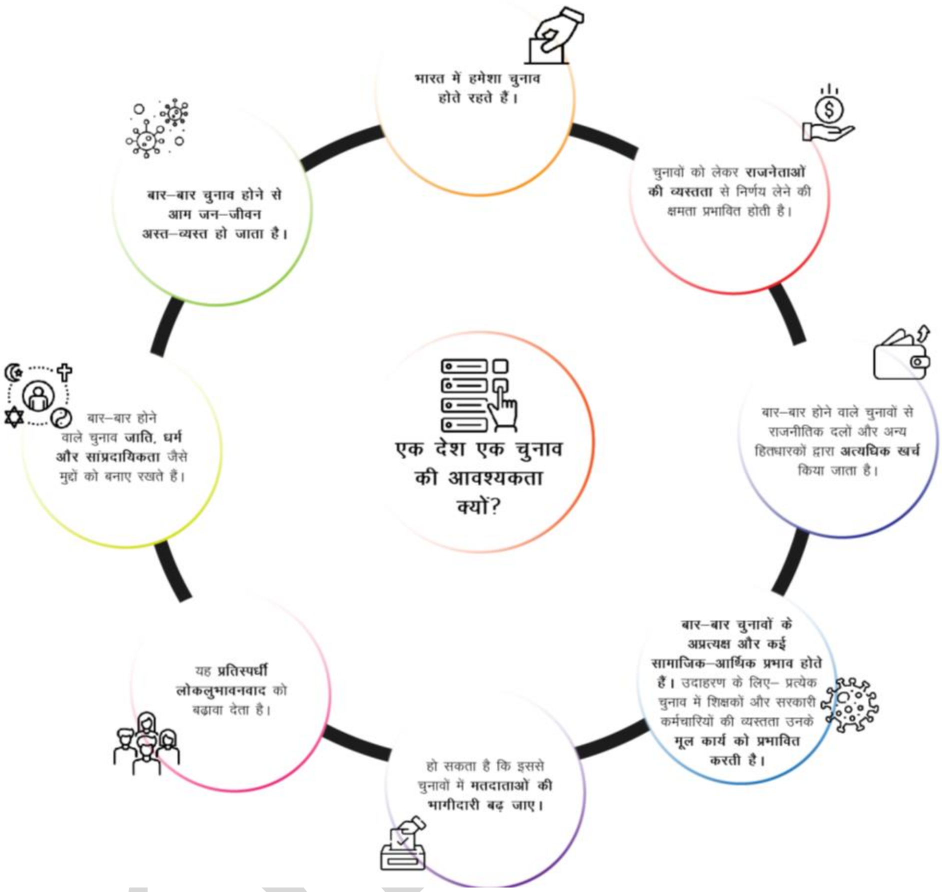

- हालांकि, संविधान के अनुसार **तीसरे स्तर के संस्थानों के निर्वाचन** राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा, तीसरे स्तर के निर्वाचन **राज्य निर्वाचन आयोगों** द्वारा निर्देशित और नियंत्रित होते हैं तथा देश में **उनकी संख्या भी काफी अधिक** है।
    - इस प्रकार, **तीसरे स्तर** के निर्वाचन कार्यक्रमों को लोकसभा और राज्य विधान सभा निर्वाचनों के साथ समन्वयित एवं संरेखित करना **अव्यवहारिक** होगा।
- तदनुसार, भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया में **"एक राष्ट्र एक निर्वाचन"** शब्द को **लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन एक साथ कराने के रूप में परिभाषित** किया गया है।

एक राष्ट्र एक निर्वाचन से जुड़ी चिंताएं

- **परिचालन संबंधी व्यवहार्यता:** ऐसी कई चिंताएं हैं, जिनकी **संवैधानिक और सांविधिक सीमाओं के भीतर,** उचित रूप से समाधान करने की आवश्यकता होगी।
    - इसमें ऐसे पहलू शामिल हैं जैसे कि विधानसभाओं/लोकसभा के कार्यकाल को **पहली बार कैसे समन्वयित किया जाएगा** और क्या एक राष्ट्र एक निर्वाचन को सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ राज्य विधानसभाओं के **मौजूदा कार्यकाल का विस्तार करना या उसमें कटौती करना संभव होगा।**
    - चूंकि**, संवैधानिक प्रावधान किसी राज्य विधान सभा या लोकसभा का कार्यकाल निर्धारित नहीं करते हैं,** इसलिए निर्वाचन प्रणाली बार-बार बाधित होगी।
- **वेस्टमिंस्टर लोकतंत्र और संघवाद के साथ असंगत:** किसी भी राज्य के निर्वाचन कैलेंडर को केंद्र के निर्वाचन कैलेंडर के समकालिक बनाना **राज्य को वेस्टमिंस्टर लोकतंत्र के आवश्यक तत्वों में से एक से वंचित कर देगा।** इसके अनुसार एक **सरकार स्वयं को भंग करने का विकल्प चुन सकती है** या यदि सरकार अपना बहुमत खो देती है तो वह गिर सकती है।
- **मतदाताओं के व्यवहार पर प्रभाव:** यह भी संभव है कि एक साथ निर्वाचन होने की स्थिति में मतदाता राज्य विधान सभा और लोक सभा के लिए **मतदान विकल्पों के बीच अंतर न कर पाएं।** इसके निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं:
    - **राष्ट्रीय मुद्दे राज्य विधानसभा निर्वाचनों में** मतदान के लिए मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं; या
    - **राज्य विशिष्ट मुद्दे** लोकसभा निर्वाचन में मतदान के लिए मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं।

- **क्षेत्रीय दलों को नुकसान:** इससे क्षेत्रीय दलों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि **ऐसा माना जाता है कि मतदाताओं द्वारा प्रभावी रूप से एकतरफ़ा मतदान करने की संभावना होती है।** इससे केंद्र के प्रमुख दल को लाभ मिल सकता है। इस प्रकार, केंद्र में राजनीतिक दल की प्रभावी स्थिति **राज्य स्तर पर उसे लाभ प्रदान कर सकती है।**
- **अन्य: प्रत्येक 5 वर्ष में एक से अधिक बार मतदाताओं के सामने आना** राजनेताओं की जवाबदेही बढ़ाता है और उन्हें अपने कार्य के प्रति गंभीर रखता है।

आगे की राह

- **दो चरणों में निर्वाचन आयोजित करना:** संसदीय स्थायी समिति ने सुझाव दिया है कि एक साथ निर्वाचन **दो चरणों में** कराने पर विचार किया जाए। **चरण-I** को लोक सभा निर्वाचनों के साथ संपन्न कराने का सुझाव दिया गया है, जबकि **चरण-II** को लोक सभा की अवधि के लगभग बीच में संपन्न कराने का सुझाव दिया गया है।
    - इस प्रकार, लोक सभा और सभी राज्य विधान सभाओं के **संपूर्ण निर्वाचन चक्रों** के **समन्वयित होने के बाद देश में प्रति 2.5 वर्ष** (30 महीने) में निर्वाचन कराने की परिकल्पना की गई है।
- **समय से पहले विघटन से बचना:** इस संदर्भ में निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:
    - **लोक सभा के मामले में:** किसी भी **'अविश्वास प्रस्ताव'** के साथ **एक 'विश्वास प्रस्ताव' भी शामिल होना चाहिए।** यह उस प्रस्ताव में भावी प्रधान मंत्री के रूप में नामित व्यक्ति की अध्यक्षता वाली सरकार के पक्ष में होगा।
    - **विधान सभा के मामले में:** 'अविश्वास प्रस्ताव' की स्थिति में, इस प्रस्ताव के साथ ही **वैकल्पिक सरकार के गठन के लिए एक 'विश्वास प्रस्ताव' भी प्रस्तुत करना** अनिवार्य होना चाहिए। यह सामान्य तौर पर विधान सभाओं के **समय से पहले विघटन के मामलों को समाप्त कर देगा।**
- **उप-निर्वाचनों की अनुसूची:** संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि एक वर्ष के दौरान रिक्त होने वाली **सभी सीटों के लिए उप-निर्वाचन एक पूर्व निर्धारित समय अवधि के दौरान** एक साथ कराए जा सकते हैं।
- **विधि आयोग की सिफारिशें:** भारतीय विधि आयोग ने सुझाव दिया था कि ऐसी विधानसभाओं के लिए निर्वाचन, जिनका कार्यकाल लोक सभा के साधारण निर्वाचन के **छह महीने बाद समाप्त होने वाला है, एक साथ कराए जा सकते हैं।** हालांकि, ऐसे निर्वाचन के परिणाम विधानसभा के कार्यकाल के अंत में घोषित किए जा सकते हैं।

5.4. निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक {Election Laws (Amendment) Bill}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद द्वारा **निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2021** पारित किया गया है।

इस विधेयक के बारे में

- इस विधेयक में कुछ चुनावी सुधारों को लागू करने के लिए **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950**[35] और **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951**[36] में संशोधन करने का प्रावधान किया गया है।
- संशोधन द्वारा लाये गए बदलाव इस प्रकार हैं (तालिका में देखें):

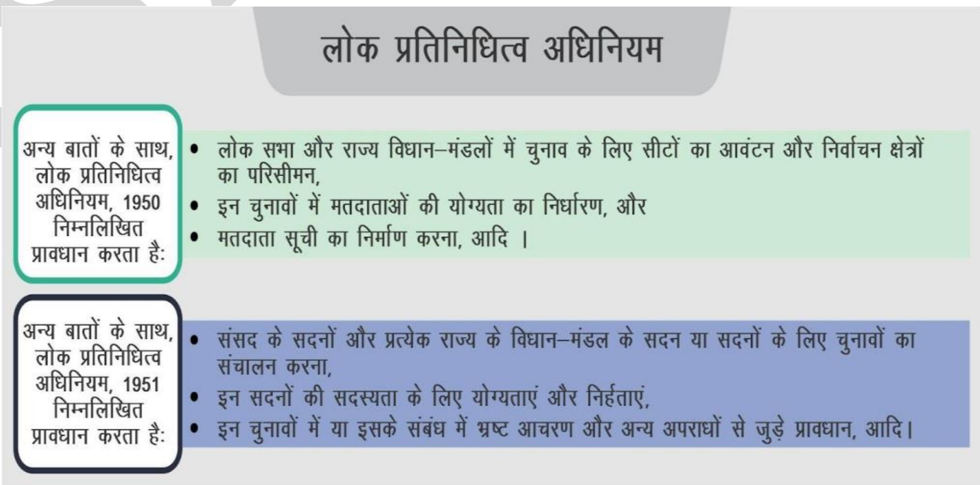

[35] Representation of the People Act (RPA), 1950

[36] Representation of the People Act, 1951

VISION IAS

संशोधन	किये गए परिवर्तन
मतदाता सूची के डेटा को आधार संख्या से जोड़ना	• निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी **किसी व्यक्ति** से कह सकता है कि **अपनी पहचान साबित करने के लिए वह अपनी आधार संख्या उपलब्ध कराए।** • यदि उस व्यक्ति का नाम पहले से ही मतदाता सूची में है तो इसमें दर्ज विवरणों के **सत्यापन**[37] **के लिए** आधार संख्या की आवश्यकता हो सकती है। • यदि कोई व्यक्ति किन्हीं निर्धारित कारणों से अपनी **आधार संख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ** है, तो उसे मतदाता सूची में शामिल करने से **वंचित नहीं किया जाएगा** या उसका नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। ○ ऐसे व्यक्तियों को **केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित** वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की **अनुमति दी जा सकती है।**
मतदाता सूची में नामांकन के लिए पात्रता तिथि	• यह विधेयक एक कैलेंडर वर्ष में **चार पात्रता तिथियाँ** प्रदान करने के लिए इसमें संशोधन करता है, जो **1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर होंगी।**
लिंग-तटस्थ या जेंडर-न्यूट्रल प्रावधान	• विधेयक के द्वारा RPA, 1950 और 1951 में **'पत्नी (Wife)'** शब्द की जगह **'पति/पत्नी (Spouse)'** शब्द को शामिल किया गया है।
निर्वाचन संबंधी उद्देश्यों के लिए परिसर की मांग	• यह विधेयक उन **उद्देश्यों का विस्तार** करता है, जिनके लिए ऐसे परिसरों की मांग की जा सकती है। • इनमें **मतगणना, वोटिंग मशीन और चुनाव संबंधी सामग्री रखने** और सुरक्षा बलों एवं मतदान कर्मियों के **रहने के लिए** परिसर का उपयोग शामिल हैं।

इस विधेयक से जुड़ी चिंताएं

- **निर्वाचक अधिकारी के पास विवेकाधिकार:** यह निर्वाचक अधिकारी को अपरिभाषित विवेकाधिकार सौंपता है, क्योंकि संशोधित कानून ऐसा **कोई मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित नहीं** करता है कि आधार संख्या **कब आवश्यक** हो सकती है।
- **मतदाताओं पर सत्यापन का बोझ:** सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के लिए सरकार सक्रिय रूप से मतदाता सूची (जैसे कि घर-घर जाकर सत्यापन) में पंजीकरण सुनिश्चित करती है। अब यह **बोझ लोगों पर डाल दिया गया है,** जो मतदाता सूची के साथ **अपने आधार को लिंक करने में असमर्थ/अनिच्छुक भी हो सकते हैं।**
- **मताधिकार से वंचित होने का जोखिम:** मतदाता सूची को सही करने हेतु आधार का उपयोग, विशेष रूप से **हाशिए पर स्थित समुदायों** के लिए जोखिम से भरा हो सकता है। आधार डेटाबेस में **शामिल होने और बाहर रह जाने से जुड़ी गलती**[38] चुनावी डेटाबेस पर व्यापक प्रभाव डाल सकती है।

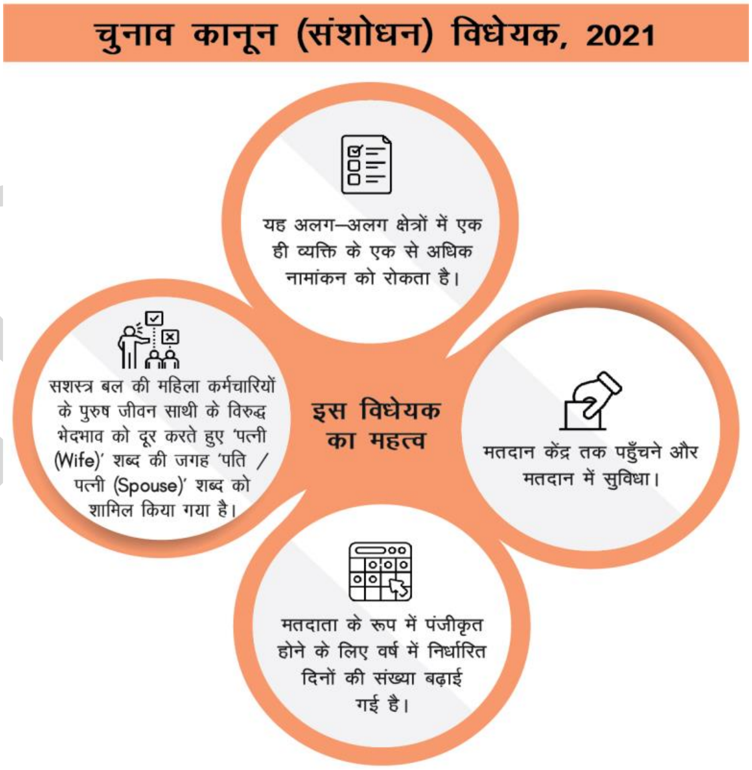

- **राजनीतिक लाभ:** मतदाता पहचान-पत्र को आधार संख्या से जोड़कर यह पता लगाना आसान है कि **किन मतदाताओं ने अपने आधार का उपयोग करके कल्याणकारी सब्सिडी और लाभ प्राप्त किये हैं।** राजनीतिक दल **विशेष मतदाताओं तक अपने संदेशों को पहुँचाने में** इसका उपयोग कर सकते हैं।
- **जल्दबाजी में पारित:** इस विधेयक को व्यापक **विचार-विमर्श तथा सार्वजनिक परामर्श** के बगैर पारित कर दिया गया है। यह **संसदीय लोकतंत्र की मूल भावना को कमजोर करता है।**

[37] Authentication of Entries in the Roll

[38] Inclusion And Exclusion Errors

- ○ **संसदीय लोकतंत्र** निर्वाचित प्रतिनिधियों को उन प्रावधानों पर **अपने क्षेत्र के उन लोगों की चिंताओं को सामने रखने** का अवसर देता है, जो इससे प्रभावित हो सकते हैं।
- **आधार के उपयोग के साथ अन्य मुद्दे:**
  - ○ इसके अतिरिक्त, आधार को केवल **पहचान का प्रमाण** होना था, निवास का प्रमाण नहीं। इसके विपरीत, निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 (RPA, 1950 के तहत तैयार) **निर्वाचक नामावली के लिए पते को एक प्रमुख प्रमाण के रूप में** स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है।
    - ▪ इसके साथ ही, **आधार का मतलब नागरिकता का प्रमाण नहीं है।** 182 दिनों तक निवास के पश्चात् एक गैर-नागरिक भी आधार पहचान-पत्र के लिए पात्र बन सकता है। ऐसे में वह मतदान के लिए भी पात्र बन सकता है।
  - ○ मतदाता सूची और आधार के लिए **नामांकन प्रक्रियाएँ पूरी तरह से अलग हैं।** आधार नामांकन **मौजूदा दस्तावेजों के प्रस्तुत किये जाने** पर आधारित है। इसके विपरीत, मतदाता सूची में नाम दर्ज करने हेतु पंजीकरण अधिकारी या किसी प्रतिनिधि को **भौतिक सत्यापन के साथ-साथ "घर का दौरा" भी करना पड़ता है।**
  - ○ मतदाता सूचियों का रखरखाव एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय अर्थात् भारतीय निर्वाचन आयोग की प्राथमिक जिम्मेदारी है, जबकि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI)[39] भारत सरकार के अधीन है। चूंकि , आधार में **नामांकन या दोहराव को हटाने पर निर्वाचन आयोग का कोई नियंत्रण नहीं है,** इसलिए मतदाता सूची के लिए आधार का उपयोग करना **हितों का संभावित टकराव**[40] प्रतीत होता है।
  - ○ आधार दोहराव को हटाने के प्रभाव या आधार डेटाबेस की प्रामाणिकता पर कोई **लेखापरीक्षा रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।**

निष्कर्ष

उपर्युक्त चिंताओं को ध्यान में रखते हुए संशोधनों को लागू करने से पूर्व उपयुक्त **संस्थागत और तकनीकी तंत्र** विकसित करने की आवश्यकता है, जैसे कि एक मजबूत **व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून** को सही से लागू करना। इसके अतिरिक्त, मुद्दों की जटिलता और विवादास्पद प्रकृति को देखते हुए **पर्याप्त बहस और विचार-विमर्श की आवश्यकता पर भी अत्यधिक जोर नहीं दिया जा सकता है।**

5.5. राजनीतिक दल का आंतरिक लोकतंत्र (Internal Party democracy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल के दिनों में पंजाब के पूर्व सत्ताधारी कांग्रेस दल के भीतर गुटबाजी को लेकर अव्यवस्था उत्पन्न हुई है। इसके अतिरिक्त, हाल के महीनों में राष्ट्रीय स्तर पर भी दल के नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं। **इन सब कारणों से, अब देश में राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतंत्र के व्यापक मुद्दे को समझना महत्वपूर्ण हो गया है।**

राजनीतिक दल और आंतरिक लोकतंत्र के बारे में

- राजनीतिक दल **नागरिकों का एक ऐसा संगठित समूह** होता है, जिसका शासन के संबंध में समान विचार होता है। इसके अतिरिक्त, यह **एक ऐसी राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करता है,** जो अपने एजेंडा और नीति को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का नियंत्रण प्राप्त करना चाहता है।
- हालांकि, भारत के संविधान में सहकारी समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है। यह संविधान के **अनुच्छेद 19(1)(C)** के तहत एक मूल अधिकार है, लेकिन **राजनीतिक दल बनाने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है।**

---

[39] Unique Identification Authority of India

[40] Potential Conflict Of Interest

- **राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र** से दल की संरचना के भीतर निर्णय लेने और विचार-विमर्श में दल के सदस्यों को शामिल करने के स्तर एवं तरीके का बोध होता है।

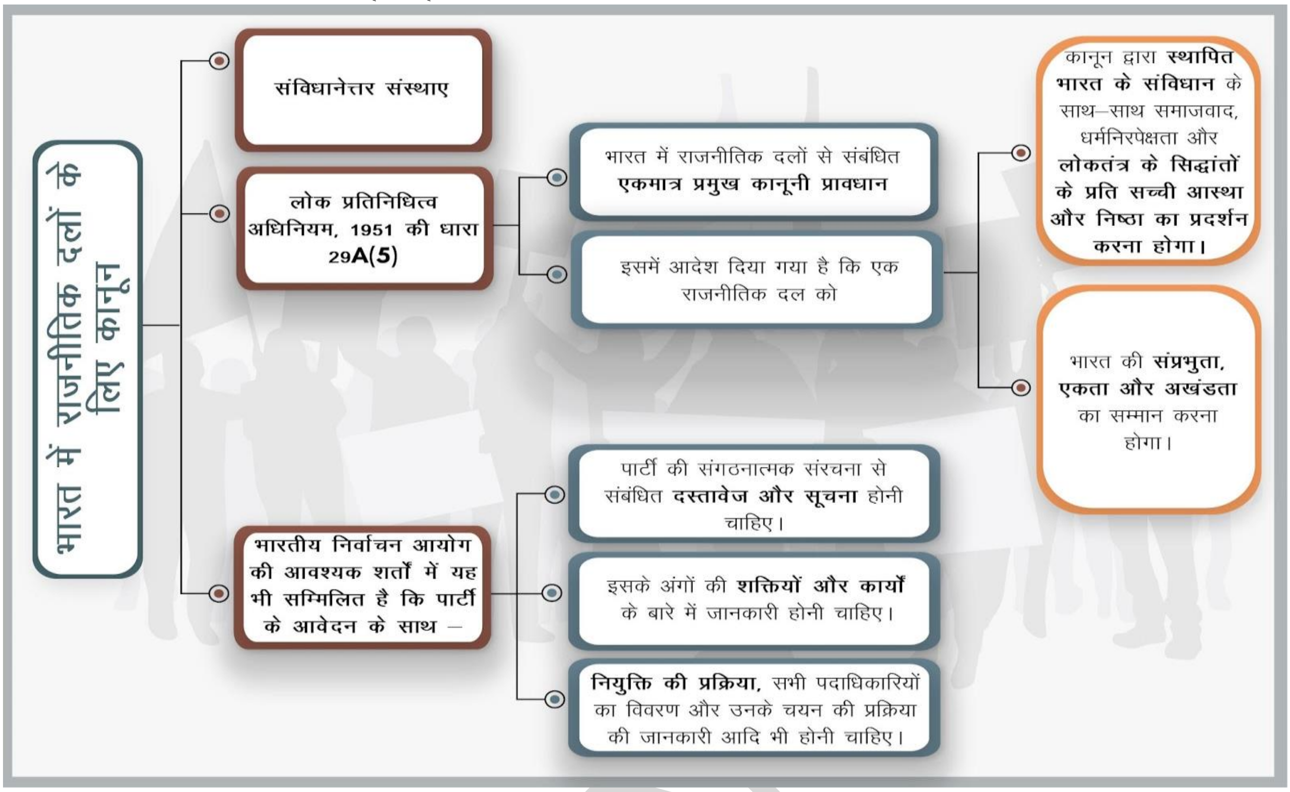

दल के भीतर लोकतंत्र स्थापित करने से संबंधित चुनौतियां

- **चुनाव आयोग के पास अपर्याप्त शक्ति:** भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) के पास **राजनीतिक दलों के कामकाज को नियमित करने की शक्ति नहीं है।** 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाम सामाजिक कल्याण संस्थान एवं अन्य' 2002 वाद में, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय सुनाया था कि **निर्वाचन आयोग, दल के आंतरिक लोकतंत्र के सिद्धांतों का उल्लंघन करने के लिए पंजीकृत राजनीतिक दलों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता है।**
- **परिवारवादी, जातिवाद और धर्म आधारित दलों द्वारा विरोध:** अधिकांश दल खुले तौर पर जातिवाद या धर्म पर आधारित हैं तथा उनका वित्तपोषण भी संदेहास्पद एवं अपारदर्शी है।
- **राजनीतिक दलों में संभ्रांतवाद:** राजनीतिक दलों के नेतृत्व का निर्णय अधिकांशतः दल के पदाधिकारियों की एक मंडली लेती है। इसका दल के प्रशासन पर नियंत्रण होता है।

आगे की राह

- **संवैधानिक दर्जा देना:** राजनीतिक दलों को संवैधानिक दर्जा दिया जा सकता है। **उदाहरण के लिए:** जर्मनी में राजनीतिक दलों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसके कानून के अनुसार, उनका आंतरिक संगठन **लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए।**
- **राजनीतिक दलों के भीतर जिम्मेदार निकाय:** यूनाइटेड किंगडम में, कंजर्वेटिव पार्टी की एक केंद्रीय परिषद और एक कार्यकारी समिति होती है। जिनकी वार्षिक बैठकों **में अध्यक्ष, चेयरमैन और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है।**
- **वित्तपोषण की जानकारी देना:** उन्हें सार्वजनिक रूप से अपनी संपत्तियों और वित्तपोषण के स्रोत एवं उपयोग की जानकारी देनी चाहिए।
- **दल परिवर्तन कानून पर पुनर्विचार:** दल की आंतरिक प्रक्रियाओं पर विचार करने की बजाय, सत्ता के विकेंद्रीकरण का एक अन्य तरीका दल परिवर्तन विरोधी कानून से मुक्ति पाना है। विधायिका में मत प्राप्त करने की इच्छा से दल के संगठन के भीतर भी वार्ता या सौदेबाजी की संभावना बनेगी।
- **समितियों आदि के सुझावों को लागू करना:**
  - सरकार द्वारा गठित कई समितियों ने देश में राजनीतिक दलों के पारदर्शी तरीके से कार्य करने का प्रबल समर्थन किया है। इन समितियों में **दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति** शामिल हैं।

- ○ **वर्ष 1999 की विधि आयोग की रिपोर्ट में** राजनीतिक दलों की आतंरिक संरचनाओं और दल के आंतरिक लोकतंत्र को नियंत्रित करने के लिए एक विनियामकीय रूपरेखा लाने का सुझाव दिया गया था।
- ○ **राजनीतिक दल (पंजीकरण और कार्यप्रणाली का विनियमन) विधेयक, 2011 का प्रारूप** केंद्रीय कानून मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
  - इस विधेयक का उद्देश्य चुनाव में भाग लेने वाले राजनीतिक दलों के **संविधान, कामकाज, वित्त पोषण, खातों और लेखा परीक्षा तथा अन्य मामलों** को विनियमित करना था।

5.6. चुनावी मुफ्त उपहार (Election Freebies)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष** ने बढ़ते राजनीतिक चुनावी मुफ्त उपहारों पर चिंता व्यक्त की है। इस कारण उन्होंने **उप-राष्ट्रीय दिवालियापन** की अवधारणा को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है।

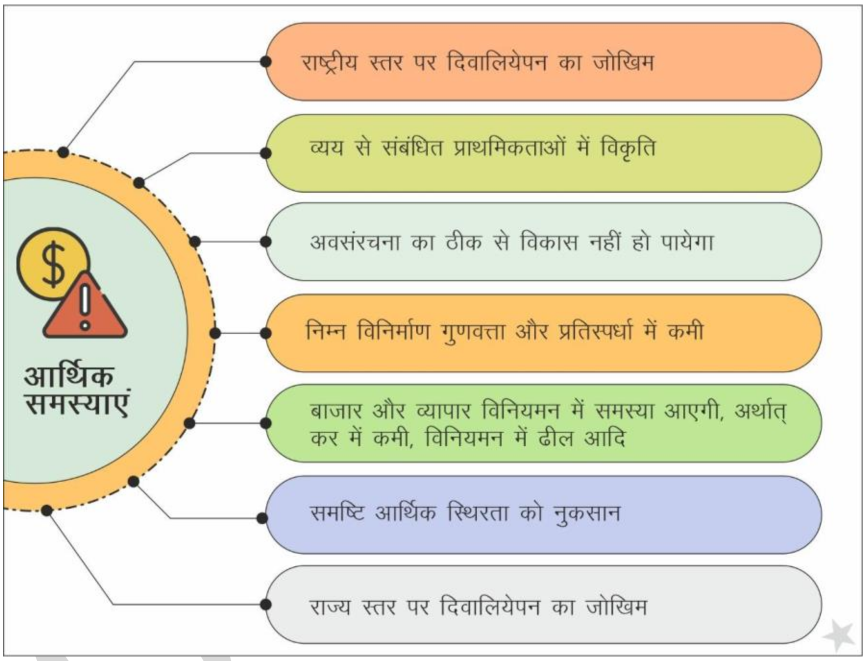

चुनावी मुफ्त उपहारों के बारे में

- चुनावी मुफ्त उपहार **राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी वादों के भाग के रूप में तर्कहीन मुफ्त उपहारों की पेशकश/वितरण है।** जैसे, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त यात्रा, कर्ज माफी, भत्ते, लैपटॉप आदि।
- इनमें से कुछ 'मुफ्त उपहार' **लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने** में सहयोग करते हैं। साथ ही, ये अस्थायी रूप से अन्य मुद्दों जैसे बेरोजगारी, जीवन यापन की बढ़ती लागत, आर्थिक असमानता आदि को दूर करने में भी सहयोग करते हैं। लेकिन यह प्रवृत्ति **लोकतंत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन** के मूल उद्देश्य के विरुद्ध है तथा अनेक समस्याओं को उत्पन्न करती है।

मुफ्त उपहारों से संबंधित मुद्दे: मुफ्त उपहारों का नकारात्मक प्रभाव

- **आर्थिक मुद्दे:** मुफ्त उपहार राज्य के राजकोष पर अत्यधिक बोझ डालते हैं। यह बोझ देश के राजकोषीय संतुलन एवं व्यापक आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करता है। यदि इन्हें नियंत्रित नहीं किया गया तो ये उच्च ऋण-जीडीपी अनुपात के कारण **राज्य के दिवालियापन** सहित बड़े जोखिमों को उत्पन्न कर सकते हैं (चित्र देखें)। उदाहरण के लिए:
  - ○ तेलंगाना ने अपनी राजस्व प्राप्तियों का 35% मुफ्त उपहारों पर केंद्रित ऐसी लोकलुभावन योजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए निर्धारित किया है। यह राज्य के कर राजस्व का लगभग 63% है।
- **राजनीतिक मुद्दे:** ये राजनीतिक दलों के बीच समान प्रतिस्पर्धा के अवसर को समाप्त कर देते हैं। साथ ही, सत्ता में मौजूद राजनीतिक दल को अन्य दलों की तुलना में लाभ पहुंचाता है। इस प्रकार ये संविधान के **अनुच्छेद 14** के विरुद्ध हैं। ये मतदाताओं पर भी गलत प्रभाव डालते हैं। इनसे मतदाता तत्काल लाभ के लोभवश दूरदर्शी निर्णय नहीं ले पाते हैं।
- **सामाजिक-मनोवैज्ञानिक मुद्दे:** विकृत आर्थिक निर्णयों में **समता एवं निष्पक्षता का अभाव** होता है। इस अभाव के कारण विभिन्न सामाजिक-मनोवैज्ञानिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे आजीविका अर्जन हेतु अल्प प्रयास या आलस्य आदि। साथ ही, यह मुफ्त उपहारों को प्राप्त करने वाले लोगों तथा उनसे वंचित लोगों के बीच कृत्रिम विभाजन पैदा करता है। इससे सामाजिक सामंजस्य के लिए भी खतरा उत्पन्न होता है।
- **पर्यावरण:** मुफ्त उपहार सरकारों और लोगों को पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय प्रथाओं से दूर करके असंधारणीय प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए,
  - ○ **मुफ्त बिजली** किसानों और घरेलू परिवारों को **सौर पैनल स्थापित करने** या अधिक कुशल सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को अपनाने हेतु प्रोत्साहन को कम करती है।

आगे की राह

- आदर्श आचार संहिता (MCC) को कानूनी दर्जा देकर निर्वाचन आयोग को इसके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सशक्त बनाया जाना चाहिए। इसके तहत, MCC का उल्लंघन करने वाले राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति शामिल होनी चाहिए। भारत सरकार की निर्वाचन सुधार समिति द्वारा भी इसे अनुशंसित किया गया है।
- अधिक समृद्धि के लिए, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों पर आधारित या उत्कृष्ट विषयों जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को प्राथमिकता देते हुए **मुफ्त उपहारों के बीच अंतर स्पष्ट किया जाना चाहिए।**
- संपन्न लोगों और वंचितों के बीच विभेद करके तथा वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करके **पारदर्शिता के साथ आवश्यकता आधारित उपहार प्रदान किए जाने चाहिए।** उदाहरण के लिए, यह सुनिश्चित करना कि कृषि ऋण माफी केवल वास्तविक किसानों को प्राप्त हो।
- सब्सिडी और मुफ्त उपहारों में से **मुफ्त उपहारों के लिए वित्तीय बजट का प्रावधान** करना चाहिए। साथ ही, मांग-आधारित हस्तक्षेपों को बढ़ावा देने हेतु लोगों को शिक्षित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना चाहिए।
- **अधिक समावेशी और उच्च आर्थिक विकास दर प्राप्त करना**, ताकि लोगों की रोजगार संबंधी आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके, उनका जीवन स्तर बेहतर किया जा सके और असमानताओं को कम किया जा सके। इससे मुफ्त उपहारों के प्रति प्रलोभन कम होगा।
    - बेहतर नीतिगत पहुंच और व्यय दक्षता के माध्यम से **परिणामोन्मुखी सरकारी योजनाएं** इसमें सहायक हो सकती हैं।

चुनावी मुफ्त उपहार की राजनीति पर रोक: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा उठाए गए कदम

- भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन कराना ECI की जिम्मेदारी है।
- **सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य (2013) के वाद में,** उच्चतम न्यायालय ने प्रावधानों की कमी को उजागर किया और ECI को राजनीतिक दलों के परामर्श से मुफ्त उपहारों पर रोक लगाने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया।
- निर्वाचन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए, वर्ष 2016 में **आदर्श आचार संहिता (MCC) के भाग VIII** के अंतर्गत मुफ्त उपहारों पर रोक लगाने के दिशा-निर्देशों को शामिल किया गया था।
- इन दिशा-निर्देशों में कल्याणकारी उपायों **(राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के भाग के रूप में)** को अनुमति देते हुए कहा गया कि राजनीतिक दलों को:
    - वादों के पीछे निहित तर्क को स्पष्ट करना चाहिए, तथा
    - वादों को पूरा करने के **तरीकों और साधनों को** स्पष्ट करते हुए केवल वही वादे करने चाहिए, जिन्हें वे चुनावी विश्वास प्राप्त करने के लिए व्यवहार्य वादों के तौर पर पूरा कर सकते हैं।
- लेकिन, ये दिशा-निर्देश राजनीतिक दलों की नीतियों और निर्णयों को नियमित नहीं कर सकते हैं। इसका कारण किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति वाले कानून का अभाव है।

निष्कर्ष

उचित उत्तरदायित्व के बिना सार्वजनिक धन का उपयोग करदाताओं द्वारा कर चोरी जैसे अन्य जोखिम भी उत्पन्न करता है। इसलिए, यदि इसे रोका नहीं गया तो यह सभी स्तरों पर चुनावी मुफ्त उपहारों वाली राजनीति (डोमिनो प्रभाव) की संस्कृति को जन्म दे सकता है। इससे व्यापक आर्थिक स्थिरता और राष्ट्र की अखंडता के लिए खतरा पैदा हो सकता है।

5.7. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (Electronic Voting Machines: EVMs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **चुनाव पर नागरिक आयोग**[41] ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT)[42] पर अपनी **रिपोर्ट** जारी की है।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के बारे में

- EVM एक **माइक्रोकंट्रोलर-आधारित पोर्टेबल उपकरण** है। इसे चुनाव संचालन की प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- EVM में **अधिकतम 64 उम्मीदवारों (नोटा सहित) का नाम** शामिल किया जा सकता है। जबकि, एक बैलेट यूनिट में 16 उम्मीदवारों के लिए प्रावधान होता है।

[41] Citizens' Commission on Elections

[42] Voter Verifiable Paper Audit Trail

EVMs के उपयोग के लाभ

EVM के संबंध में चिंताएं

- **धोखाधड़ी की आशंका:** कई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामरों ने दावा किया है कि EVM दुर्भावनापूर्ण प्रोग्रामिंग का शिकार हो सकती है। यदि यह इससे प्रभावित होती है, तो कोई भी हैकर मशीन को हैक कर सकता है और मतगणना में आसानी से छेड़छाड़ कर सकता है।
- **वैश्विक उदाहरण:** जर्मन संवैधानिक न्यायालय के निर्णय (2009) के बाद जर्मनी को EVM को रद्द कर पेपर बैलेट की ओर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तकनीकी रूप से विकसित कई देशों, जैसे- नीदरलैंड और आयरलैंड ने भी EVM का उपयोग बंद कर दिया है।
- **गोपनीयता की कमी:** बैलेट पेपर व्यवस्था के तहत मतगणना से पहले सभी बूथों के मतपत्रों को एक साथ मिला दिया जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था, ताकि उम्मीदवारों को यह पता न चल सके कि किन बूथों में उनके पक्ष या विपक्ष में मतदान किया गया है। EVM के मामले में, उम्मीदवार यह जानने की स्थिति में होते हैं कि उन्होंने प्रत्येक मतदान केंद्र में कैसा प्रदर्शन किया है। कोई उम्मीदवार इस जानकारी का दुरुपयोग कर सकता है।
- **भंडारण और गणना संबंधी चिंताएँ:** EVM को विभिन्न स्थानों पर विकेंद्रीकृत तरीके से रखा जाता है। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि वोटिंग मशीनों को उनकी संपूर्ण उपयोग की अवधि तक सुरक्षित परिवेश में रखा जाना चाहिए।

निष्कर्ष

- चुनावी लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मतदाताओं की प्राथमिकताओं को एक राजनीतिक जनादेश में बदल देते हैं। यह जनादेश ही नीति निर्माण का आधार बनता है। अधिक सटीक और कुशल मतदान प्रक्रियाएँ लोकतांत्रिक संस्थाओं की क्षमता बढ़ाती हैं।
- अतः निर्वाचन आयोग को विभिन्न पक्षों द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करना चाहिए। साथ ही, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता के संबंध में अधिक पारदर्शिता लानी चाहिए।

EVM की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग की पहलें

- अत्यधिक पारदर्शिता और विश्वसनीयता लाने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर EVM के साथ VVPAT मशीनों का उपयोग किया जाता है।
- निर्वाचन आयोग ने VVPAT पर्चियों की गिनती पर राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए सुझावों को भी ध्यान में रखा है। अब VVPAT पर्चियों के एक निश्चित प्रतिशत की गणना की जाती है।
- निर्वाचन आयोग ने एक 'चैलेंज' का आयोजन किया था। इसके तहत राजनीतिक दलों को इस बात की चुनौती दी गई थी कि वे दिखाएँ कि किस तरह EVM से छेड़छाड़ की जा सकती है।
- निर्वाचन आयोग चुनाव के दौरान सभी महत्त्वपूर्ण कदमों में सभी दलों की निरंतर भागीदारी सुनिश्चित करता है। इन क़दमों में शामिल हैं: प्रथम स्तर की जाँच (FLC), EVMs/VVPATs की यादृच्छिक जाँच, मॉक मतदान, EVM सीलिंग और भंडारण आदि।

ECI द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले वोटिंग उपकरण; इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM)

चुनाव आयोग बार–बार यह क्यों कहता है कि भारतीय EVMs को हैक या उसमें हेरफेर नहीं किया जा सकता है

लगभग सभी राजनीतिक दलों ने EVM में हेरफेर के बारे में संदेह व्यक्त किया है। दुनिया भर में, पेपर बैलट्स अधिक लोकप्रिय हैं। केवल 25 देश ही EVMs का प्रयोग कर रहे हैं।

- 275 सुरक्षा संबंधी प्रोटोकॉल EVMs को हेरफेर से सुरक्षित बनाते हैं।
- इंटरनेट सुविधा के अभाव के कारण यह WiFi/ब्लूटूथ/वायरलेस सिग्नल से नहीं जुड़ पाता है।
- इसे अत्यंत सुरक्षित परिस्थितियों में उत्पादित और तैयार किया जाता है।
- EVM चिप में सूचनाओं को केवल एक बार डाला जा सकता है। यह एन्क्रिप्टेड होती है। अतः इसमें सूचनाओं को पढ़ा या ओवरराइट नहीं किया जा सकता।
- परिवहन और भंडारण के समय इसकी सख्त सुरक्षा की जाती है।
- किसी भी उम्मीदवार को आवंटित किए गए बटन की जानकारी, उम्मीदवारी वापस लेने की तिथि तक नहीं होती है।
- अलग–अलग निर्वाचन क्षेत्रों में दल को आवंटित बटन का क्रम अलग–अलग हो सकता है।
- चुनाव शुरू होने के पहले राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि VVPAT के माध्यम से EVM बटन की विश्वसनीयता की जांच करते हैं।
- EVMs में त्वरित अवैध मत नहीं डाले जा सकते, क्योंकि प्रत्येक वोट को पंजीकृत होने में 7 सेकंड का समय लगता है।
- किसी भी गड़बड़ी का सरलता से पता लगाया जा सकता है।

5.8. सोशल मीडिया और राजनीति (Social Media and Politics)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, एक सर्वेक्षण किया गया था। इसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि पसंदीदा समाचार स्रोत, **राजनीतिक झुकाव और यहां तक कि महामारी के बाद आर्थिक सुधार की धारणा** को संभावित रूप से कैसे प्रभावित कर सकते हैं।

राजनीति में सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग को दर्शाने वाले तथ्य

- वर्ष 2019 में, राजनीतिक दलों ने फरवरी और मई के बीच **गूगल और फेसबुक जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 53 करोड़ रुपये** से अधिक व्यय किए थे।
- वर्ष 2017 के CSDS-लोकनीति सर्वेक्षण के अनुसार, भारत के व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं में से 1/6 उपयोगकर्ता, किसी न किसी राजनीतिक दल या उसके नेता द्वारा प्रबंधित व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थे।
- वर्ष 2019 के CSDS-लोकनीति सर्वेक्षण में पाया गया था कि, सोशल मीडिया पर **प्रत्येक तीन भारतीय नागरिकों में से एक** दैनिक या नियमित रूप से राजनीतिक कंटेंट का अनुसरण करता है।
- वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में सोशल मीडिया पर राजनीतिक हलचल अधिक थी। **पहली बार मतदान करने वाले 15 करोड़ मतदाताओं में से 30 प्रतिशत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े हुए थे** और उससे प्रभावित थे।

सोशल मीडिया के बारे में और राजनीति में इसका महत्व

सोशल मीडिया का आशय **इंटरनेट-आधारित और मोबाइल से जुड़ी सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला** से है जो-

- उपयोगकर्ताओं को विचारों के ऑनलाइन आदान-प्रदान में भाग लेने,
- उपयोगकर्ता-निर्मित सामग्री में योगदान करने, या

- ऑनलाइन कम्युनिटी में शामिल होने, की अनुमति देती है। इसके उदाहरणों में **ब्लॉग्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, स्टेटस-अपडेट सेवाएं** आदि शामिल हैं।

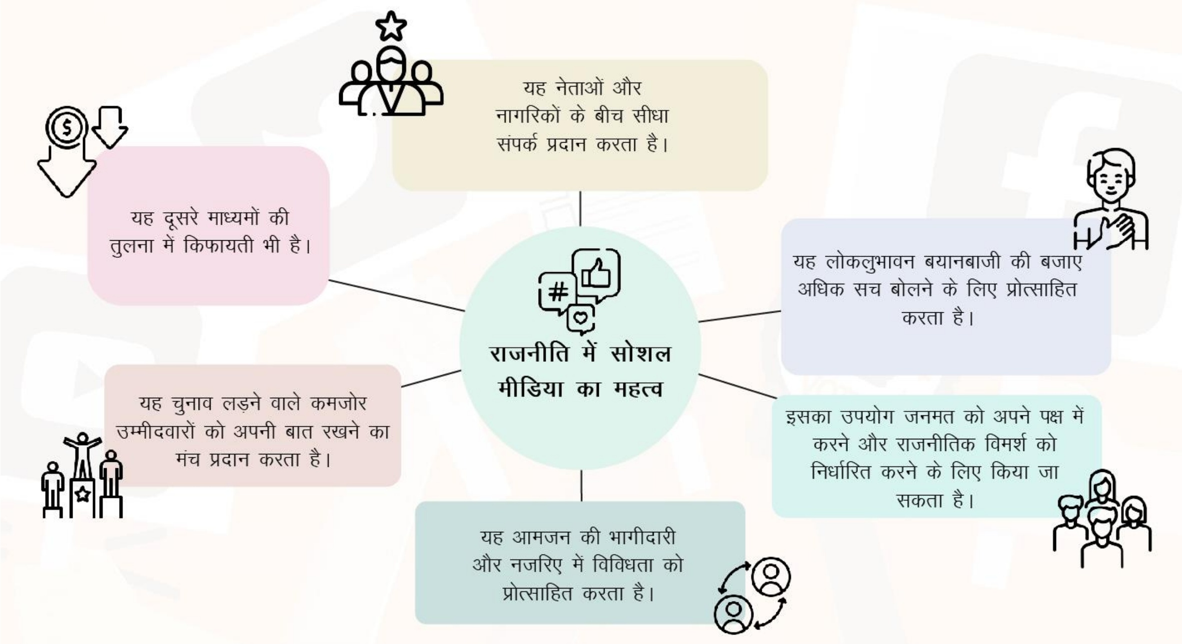

संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए उठाए गए कदम

- **चुनाव आयोग (EC) द्वारा जारी निर्देश:** चुनाव प्रचार में **सोशल मीडिया के उपयोग पर चुनाव आयोग ने कुछ दिशा-निर्देश** जारी किए हैं:
  - **आदर्श आचार संहिता और राजनीतिक विज्ञापन से संबंधित इसके पूर्व-प्रमाणित नियम** सोशल मीडिया पर भी लागू होंगे।
  - उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करते समय अपने सोशल मीडिया अकाउंट (यदि कोई हो) का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। सोशल मीडिया पर उनके द्वारा प्रचार-प्रसार पर होने वाले खर्च को उनके चुनावी खर्च की सीमा में शामिल किया जाएगा।
  - सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को मतदान से 48 घंटे पहले प्रभावी होने वाले **साइलेंस पीरियड** का पालन करना आवश्यक है।
  - जिला एवं राज्य स्तरीय **मीडिया प्रमाणन तथा निगरानी समितियों** में एक विशेष **सोशल मीडिया विशेषज्ञ** को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य सोशल मीडिया की निगरानी करना और उल्लंघन की रिपोर्ट करना है।
- **आचार संहिता:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) ने **"आम चुनाव 2019 के लिए स्वैच्छिक आचार संहिता"** प्रस्तुत की है। इसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखना है। साथ ही, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करना है।
  - सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उच्च प्राथमिकता वाले समर्पित रिपोर्टिंग तंत्र बनाने पर सहमत हुए हैं। साथ ही,वे किसी भी उल्लंघन पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए समर्पित टीमों की नियुक्ति पर भी सहमत हुए हैं। ये पेड (paid) राजनीतिक विज्ञापनों में पारदर्शिता लाने का भी वादा कर रहे हैं।
- **आई.टी. नियम 2021: सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021**[43] को **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000**[44] की **धारा 87(2)** के तहत तैयार किया गया है। ये नियम, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के आम उपयोगकर्ताओं को उनके अधिकारों के उल्लंघन के मामले में उनकी शिकायतों का समाधान करने और इनकी जवाबदेही तय करने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त बनाते हैं।

राजनीति में सोशल मीडिया के उपयोग को अपेक्षाकृत अधिक रचनात्मक बनाने के लिए अन्य उपाय

- **उत्तरदायित्व-आधारित दृष्टिकोण:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को स्वयं **दुष्प्रचार के प्रसार को अधिक प्रभावी ढंग से रोकना** चाहिए। साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लिए भी कार्य करना चाहिए कि प्लेटफॉर्म्स सामाजिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के वाहक न बनें।

---

[43] Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021

[44] Information Technology Act, 2000

- इस संबंध में अप्रामाणिक सामग्री और अनुचित व्यवहार से उत्पन्न संकेतों का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी उन्नत तकनीक का उपयोग करना चाहिए।

- **शोध या अनुसंधान: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा लाए गए बदलावों** की रूपरेखा को जाने बिना वर्तमान राजनीति को प्रभावी ढंग से नहीं समझा जा सकता है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स की गतिशीलता और उनकी विघटनकारी क्षमता को समझने के लिए आवश्यक अध्ययन किए जाने चाहिए।
  - **स्वीकार्य और प्रतिबंधित सामग्री, डेटा प्रबंधन,** नागरिक संलग्नता आदि के लिए **दिशा-निर्देश** कुछ **सर्वोत्तम उपाय** हैं। इन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
- **हितधारकों के बीच समन्वय:** विनियामक प्राधिकरणों **तथ्य-जांचकर्ताओं (Fact-checkers), नागरिक समाज संगठनों, शिक्षाविदों, थिंक टैंक** आदि के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। इससे सोशल मीडिया के इस युग में **नैतिक संचार सिद्धांतों को व्यवहार में लाने** में मदद मिलेगी।

निष्कर्ष

सोशल मीडिया के आगमन ने राजनीति को संगठित और संचालित करने के साथ-साथ भारत में राजनीतिक संचार की प्रकृति को भी बदल दिया है। एक ओर राजनीति का लोकतांत्रीकरण बढ़ा है, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया के गैर-नैतिक उपयोगों के कारण कई नैतिक दुविधाएं भी उत्पन्न हुई हैं। बहु-हितधारक दृष्टिकोण के माध्यम से इस मुद्दे से युद्ध स्तर पर निपटने की आवश्यकता है।

ऑनलाइन चुनाव-प्रचार अभियान (Online Campaigning)

देश में जारी **महामारी के प्रकोप और संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों के कारण,** निर्वाचन आयोग ने आगामी राज्य विधान सभा चुनावों के लिए **भौतिक रैलियों पर अस्थायी प्रतिबंध** लगा दिया है। साथ ही, आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से **वर्चुअल अभियानों की अनुमति भी प्रदान की है।**

ऑनलाइन चुनाव-प्रचार से जुड़ी चिंताएं

- **ऑनलाइन प्रचार का विनियमन:** निर्वाचन आयोग के पास सीमित संसाधन हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की विविधता व्यापक है। इस कारण से निर्वाचन आयोग के लिए ई-कैंपेन तथा लागू किए जाने योग्य नियमों की निगरानी एक कठिन कार्य है। लागू नियमों में चुनाव से पहले चुनाव सामग्री के प्रसारण पर रोक, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल आदि से संबंधित नियम शामिल हैं।
- **पारदर्शिता संबंधी चिंताएँ:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स किसी विशेष राजनीतिक दल का पक्ष ले सकते हैं। ऐसा एल्गोरिदम के माध्यम से उस राजनीतिक दल की सामग्री को दूसरे दलों की तुलना में अधिक महत्व देकर किया जा सकता है। इसके अलावा, लक्षित दुष्प्रचार अभियानों के लिए स्वचालित प्रोग्राम (Bots)

का उपयोग किया जा सकता है।

- **विभाजनकारी मुद्दों (Wedge Issues) पर प्रचार:** ऑनलाइन प्रचार अभियान में उम्मीदवारों/दलों द्वारा विभाजनकारी मुद्दों पर प्रचार करने की अधिक संभावना रहती है। इन मुद्दों में आप्रवासन (Immigration) और कल्याण से संबंधित मामले शामिल हो सकते हैं। इन मुद्दों से संबंधित संदेश बड़े पैमाने पर गुप्त रूप से प्रचारित किए जाते हैं।
- **वित्त-पोषण के स्रोत पर नजर रखना:** देश के बाहर से चलाए जाने वाले चुनाव-प्रचार अभियानों पर व्यय, निर्वाचन हेतु निर्धारित व्यय के विनियमन के समक्ष गंभीर चुनौतियां पैदा कर सकते हैं। साथ ही, ये व्यय संदेश प्रसार के विनियमन को भी प्रभावित कर सकते हैं।
- **मध्यस्थों की भूमिका:** इन साइटों पर जानकारी को संग्रहित तथा उसे प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली विधियाँ अपारदर्शी हैं। इसका अर्थ यह है कि उनके दावों को स्वतंत्र रूप से प्रमाणित करना असंभव है।
- **छोटे दलों के लिए नुकसान:** ऑनलाइन तकनीकों के ज्ञान और उन तक पहुँच में असमानताएँ छोटे एवं क्षेत्रीय दलों के लिए दुविधा उत्पन्न करती हैं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि छोटे और क्षेत्रीय दल, बड़े दलों के समान सोशल मीडिया मंचों पर प्रभाव नहीं रखते हैं।
  - बड़े राष्ट्रीय दल अधिक धन और संसाधनों के साथ विस्तृत एवं गहन प्रचार अभियान संचालित करने में सक्षम हो सकते हैं।
- **डिजिटल विभाजन:** भारत में अभी भी बड़े पैमाने पर डिजिटल विभाजन मौजूद है। डिजिटल रूप से निर्वाचन का अर्थ है कि गरीब व निचली जातियाँ शहरी, मध्यम और अमीर वर्गों तथा उच्च जातियों की तुलना में एक नुकसानदेह स्थिति में होंगी।
- **निजता:** ऑनलाइन क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ प्रत्येक बातचीत, टिप्पणी या पोस्ट रिकॉर्ड की जाती है। इस रिकॉर्डिंग का वाणिज्यिक और राजनीतिक उपयोग के लिए विश्लेषण किया जा सकता है। इसका गोपनीयता, स्वतंत्र अभिव्यक्ति एवं विचारों के आदान-प्रदान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- **अन्य चिंताएँ:** राजनीतिक दलों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले प्रॉक्सी (छद्म) उम्मीदवारों की निगरानी करने में कठिनाई; घृणा फ़ैलाने वाले अभियानों, फेक न्यूज व उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता पर नियंत्रण आदि।

6. गवर्नेंस/ शासन (Governance)

6.1. लोकतंत्र की वैश्विक स्थिति (Global State of Democracy)

लोकतंत्र की वैश्विक स्थिति – एक नज़र में

लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सरकार चलते हैं। इसके आधारभूत मूल्य हैं–

- अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए।
- एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य का अनुपालन होना चाहिए।
- वर्तमान सरकार को बदलने हेतु जनता के पास न्यायसंगत अवसर होना चाहिए।
- संविधान द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर सरकार को कार्य करना चाहिए।

लोकतंत्र दुनिया भर में सरकार की पसंदीदा प्रणाली क्यों है?

- यह राजनीतिक समानता, नागरिक स्वतंत्रता जैसे सिद्धांतों का पालन करते हुए **नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है।**
- यह मतभेदों को सुलझाने के लिए रचनात्मक तरीके प्रदान करते हुए **विविधता में एकता सुनिश्चित करता है।**
- यह आपस में परामर्श की सुविधा द्वारा **जल्दबाजी में निर्णय लेने की संभावना को कम करता है।**
- यह सार्वजनिक चर्चा को स्वीकृति प्रदान करते हुए **अपनी गलतियों में सुधार को सुनिश्चित करता है।**
- यह आंतरिक सशस्त्र संघर्षों या आतंकवाद को समाप्त करते हुए **वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता को बढावा देता है।**
- यह **आर्थिक संवृद्धि के लिए बेहतर अवसर प्रदान करता है।**

देशों को लोकतंत्र से तानाशाही शासन व्यवस्था की ओर ले जाने वाले खतरे?

- कम आर्थिक संवृद्धि, उच्च बेरोजगारी, गरीबी आदि के कारण स्थापित लोकतंत्रों के नागरिकों में व्याप्त **आर्थिक असंतोष।**
- **बढ़ते ध्रुवीकरण** से न्यायपालिका कमजोर हो जाती है। इससे वैध और शांतिपूर्ण तरीके से सरकार परिवर्तन में बाधा आती है।
- सोशल मीडिया के युग में **डिजिटलीकरण और दुष्प्रचार** के कारण लोकतंत्र को खतरे में डालने वाले कारकों की संख्या भी बढ़ गई है।
- न्यायिक स्वतंत्रता, विधायी निरीक्षण, मीडिया की अखंडता, सिविल सोसाइटी की भागीदारी, निर्वाचन प्रक्रिया जैसी **लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का कमजोर होना।**
- **जलवायु परिवर्तन** लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन और संघर्ष के लिए आधार प्रदान कर सकता है।
- **उभरते हुए लोकतंत्रों की नाजुक प्रकृति;** गैर-लोकतांत्रिक देशों का प्रभाव; तथा कोविड-19 महामारी का प्रभाव।

आगे की राह

- **लोकतांत्रिक देशों में तख्तापलट / असंवैधानिक रुकावटों को रोकनाः**
  - **राष्ट्रीय प्रयासः** संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से सरकार का शांतिपूर्ण परिवर्तन सुनिश्चित करना; तख्तापलट के खिलाफ विशिष्ट कानूनी उपाय करना।
  - **वैश्विक प्रयासः** लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों में व्यवधान डालने या उनको धमकी देने वाले देशों को जवाबदेह बनाना।
- **लोकतंत्र के पतन को रोकनाः**
  - **राष्ट्रीय प्रयासः** असंतुष्ट मतदाताओं की शिकायतों को दूर करना; सामाजिक ताने-बाने को फिर से तैयार करना; राजनीतिक संस्थानों और प्रक्रियाओं को मजबूत करना।
  - **वैश्विक प्रयासः** स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए मानकों को विकसित करना।
  - **पर्यावरणीय संधारणीयता सुनिश्चित करना।**
  - **नागरिक समाज संगठनों और मीडिया की अखंडता को मजबूत करना।**
- **जनता को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए।**

6.1.1. वैश्विक शासन में लोकतांत्रिक सिद्धांत (Democratic Principles in Global Governance)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री ने **लोकतंत्र के विषय पर आयोजित पहले शिखर सम्मेलन**[45] को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने **वैश्विक शासन (ग्लोबल गवर्नेंस) का मार्गदर्शन करने के लिए लोकतांत्रिक सिद्धांतों** की वकालत की।

वैश्विक शासन और वैश्विक खतरे (Global Governance and Global Risks)

वैश्विक शासन विश्व को प्रभावित करने वाले मुद्दों के प्रबंधन का एक साधन है। इसका उद्देश्य एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण दुनिया का निर्माण करना है।

- इसमें **संस्थानों, नीतियों, मानदंडों, प्रक्रियाओं और पहलों की एक जटिल** प्रणाली शामिल है। इस प्रणाली का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर **सामूहिक कार्रवाई का समन्वय** करना और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान करना है।
- पुर्वानुमान में वृद्धि करने, स्थिरता एवं कानून-व्यवस्था लाने के लिए अनेक प्रकार के हस्तक्षेपों की आवश्यकता होगी। इन हस्तक्षेपों में जनता की भलाई के लिए काम करना, एकीकृत मानकों का विकास करना तथा राज्य/राष्ट्र एवं उसके नागरिकों के बीच समानता व न्याय सुनिश्चित करना शामिल हैं।
- लोकतांत्रिक सिद्धांत बिना किसी भेदभाव के मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए विश्व में संघर्ष को न्यून करके और समृद्ध समाजों का निर्माण करके इस विचार में मदद कर सकते हैं।

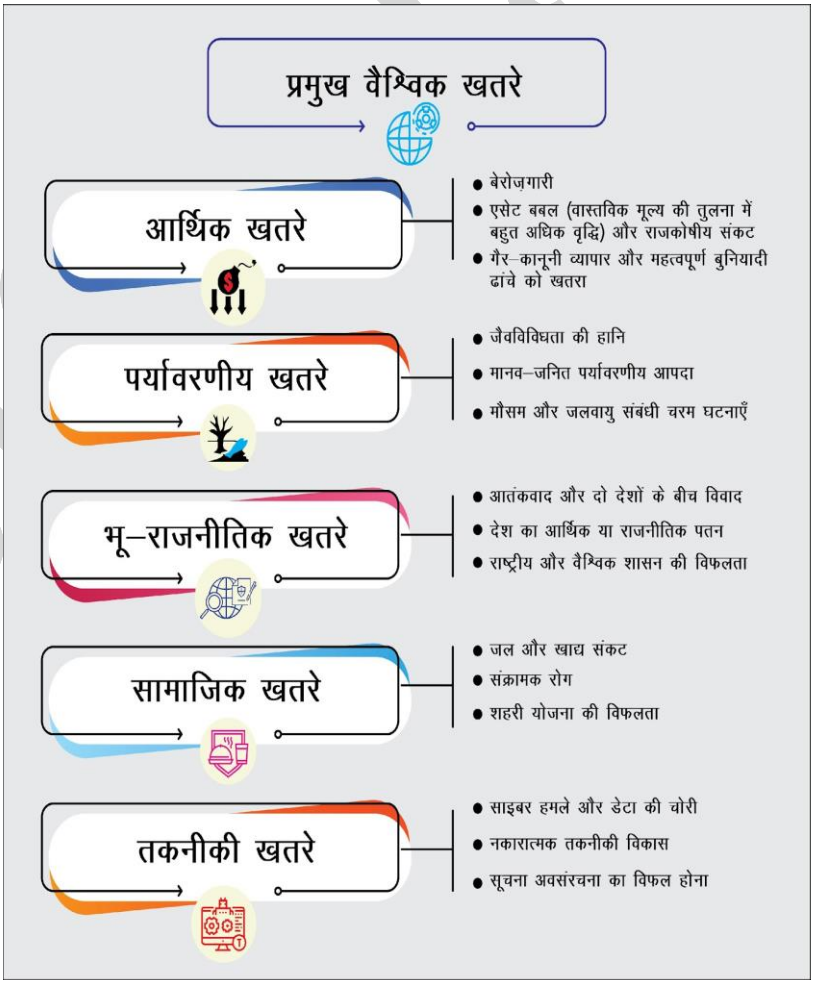

लोकतांत्रिक सिद्धांत और वैश्विक शासन में इनके लाभ

- **ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट, 2021 में लोकतंत्र के पांच मुख्य सिद्धांतों** तथा इसकी अनूठी विशेषताओं की पहचान की गई है (इन्फोग्राफिक देखें)। ये विशेषताएं शासन के अन्य रूपों से अलग हैं।
- **वैश्विक शासन में इन लोकतांत्रिक सिद्धांतों के कुछ प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं:**
  - **ये सार्वजनिक कल्याण** के लिए साझेदारी के निर्माण हेतु लोगों, निगमों, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को एक साथ **लाने में सहायक होंगे।**

[45] Summit for Democracy

- ये सार्वभौमिक रूप से सुलभ और नागरिक केंद्रित लोक सेवाओं के माध्यम से **वैश्विक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं।**
- ये संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक शासन प्रणालियों को नियम-आधारित व्यवस्थाओं के माध्यम से मजबूत करते हुए वैश्विक स्तर पर **मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा में सहायक होंगे।**
- ये नए युग के अभिकर्ताओं को शासन में शामिल करते हुए **समकालीन मानव संपर्क को बढ़ावा देंगे।**
- ये विभिन्न स्तरों तथा कार्यात्मक क्षेत्रों में विकेंद्रित होती समग्र शासन प्रणाली को बढ़ावा देंगे।

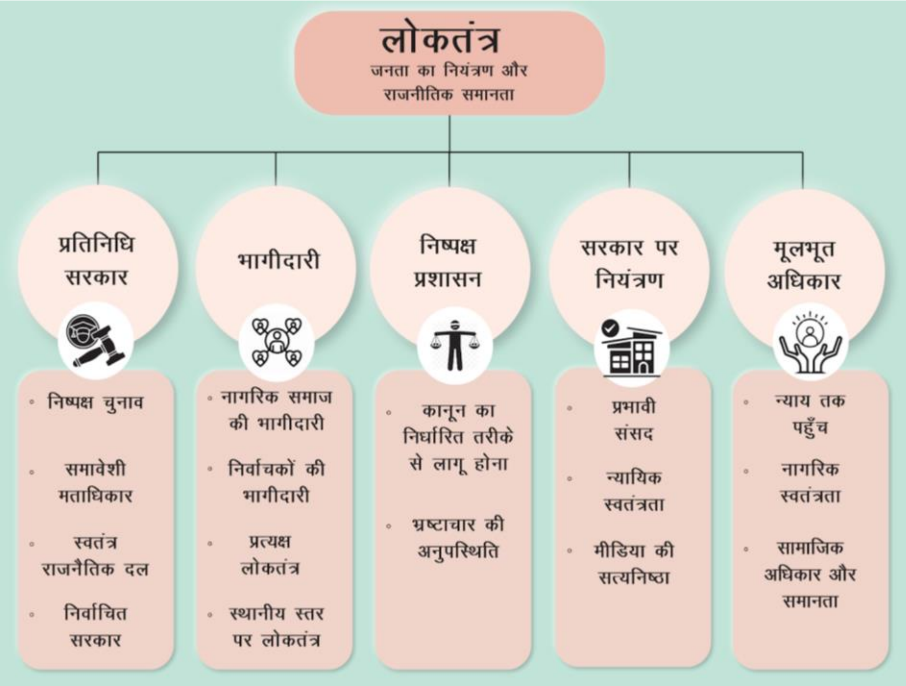

- ये न्याय के मूल्यों के माध्यम से वैश्विक मुद्दों को हल करने में **समान किंतु अलग-अलग उत्तरदायित्वों और संबंधित क्षमताओं[46] को बढ़ावा देंगे।**
- ये सत्ता के दुरुपयोग को रोककर राष्ट्रों में **एक समावेशी, जवाबदेह और उत्तरदायी संप्रभु सरकार की स्थापना में सहायक होंगे।**
- ये सरकार और उसके निर्णयों को **वैधता प्रदान करने में सहायक होंगे।** यह प्रवृत्ति बहुत कम नियमों वाले या उन नियम-रहित देशों में दिखाई देती है, जो स्वयं को लोकतांत्रिक बताकर वैधता प्राप्त करना चाहते हैं।

आगे की राह

यदि हम निम्नलिखित सुधारों के माध्यम से लोकतांत्रिक सिद्धांतों की चुनौतियों को दूर करते हैं, तो इससे अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता एक साथ आ सकते हैं:

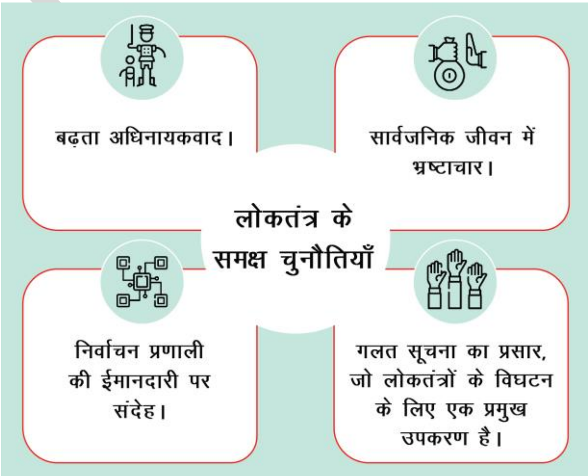

- निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाज के नए अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्ताओं और लोगों के मध्य संबंधों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे **लोकतांत्रिक मूल्य तथा संस्थान मजबूत होंगे।**
- प्रतिस्पर्धी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए **स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित किये जाने चाहिए।** इससे विपक्ष को सत्ता हासिल करने का समान अवसर मिलेगा।
- प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए **मुक्त और स्वतंत्र मीडिया का समर्थन किया जाना चाहिए।** साथ ही, भ्रामक सूचना से दूर रहना और सरकारी संस्थानों को **तानाशाही साधनों का उपयोग करने से रोकना भी आवश्यक है।**
- बिग डेटा व कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए नए तरीके से **भ्रष्टाचार से लड़ना होगा। साथ ही**, शासन में धोखाधड़ी तथा भ्रष्टाचार का पता लगाने और इसे रोकने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना भी आवश्यक है।
- प्रौद्योगिकी कंपनियों की सहायता से "खुले और लोकतांत्रिक समाज" को बचाने या उसे जीवंत बनाए रखने के लिए **प्रौद्योगिकी को उन्नत करना आवश्यक है।** इसके साथ ही, सोशल मीडिया तथा क्रिप्टो-करेंसी जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर वैश्विक मानदंडों को भी लागू किया जाना चाहिए।
- लोकतांत्रिक सुधार को आगे बढ़ाते हुए शक्तिहीन संस्थानों या खराब शासन जैसी समस्याओं का समाधान करना होगा। इससे **लोकतंत्र में सुधार होगा।**

[46] Common but differentiated responsibilities and respective capacities

* **शासन के दूसरे स्वरूप से लोकतंत्र अपनाने वाले देशों की सहायता करना आवश्यक है।** साथ ही, मध्यस्थ निकायों जैसे कि आसियान, यूरोपीय संघ आदि के रूप में कार्य करने वाले क्षेत्रीय समूहों के साथ भागीदारी कर **क्षेत्रीय प्रयासों का मार्गदर्शन करना भी आवश्यक है।**
* संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तथा अन्य **वैश्विक संस्थानों में सुधार किया जाना चाहिए। इससे** लोकतंत्र की आवाज को और मुखर बनाने तथा वैश्विक खतरे को दूर करने के लिए साझेदारी की राह आसान होगी।

6.2. ई-गवर्नेंस (e-Governance)

ई–गवर्नेंस – एक नज़र में

सरकारी सेवाएं प्रदान करने, सांख्यिकी के आदान–प्रदान, संचार करने, अलग–अलग स्वतंत्र प्रणालियों तथा सेवाओं के एकीकरण के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के उपयोग को **ई–गवर्नेंस** कहते हैं।

ई–गवर्नेंस के प्रकार

* **सरकार से नागरिक (G2C)**: राशन कार्ड, पासपोर्ट, कर, शिक्षा आदि जैसी सेवाएं।
* नागरिक से सरकार (C2G): मतदान, फीडबैक, RTI आदि के माध्यम से नागरिकों की सरकार के साथ परस्पर क्रिया।
* **सरकार से सरकार (G2G)**: प्रशासन, समन्वय, साइबर कानून आदि के उद्देश्य से केंद्र सरकार की राज्य सरकारों के साथ परस्पर क्रिया।
* **गवर्नमेंट टू बिजनेस (G2B)**: ई–लाइसेंसिंग, कंपनियों के पंजीकरण आदि जैसी सेवाओं के लिए सरकारों की उद्योग के साथ परस्पर क्रिया।

ई–गवर्नेंस के स्तंभ

* नागरिक केंद्रित
* मानकीकृत साझा अवसंरचना
* बैक–ऑफिस रीऑर्गेनाइजेशन
* गवर्नेंस
* न्यू आर्गेनाईजेशनल मॉडल
* सामाजिक समावेशन

ई–गवर्नेंस के लिए सरकारी पहल

* **राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना (NeGP)**: इसका उद्देश्य पूरे देश में ई–गवर्नेंस प्रणाली को स्थापित करना और सरकारी सेवाओं की ई–डिलीवरी के लिए एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क बनाना है।
* **ई–न्यायालय**: यह कुशल और समयबद्ध तरीके से नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करता है।
* **ई–क्रांति**: यह डिजिटल इंडिया पहल का एक अनिवार्य आधार है। इसका विजन **"ट्रांसफॉर्मिंग ई–गवर्नेंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस" है।**
* **MyGov**: इसका उद्देश्य सुशासन के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में सरकार और नागरिकों के बीच एक कड़ी स्थापित करना है।
* **डिजिलॉकर**: यह कागज के उपयोग को कम करके सरकारी विभागों के प्रशासनिक बोझ को कम करता है।

ई–गवर्नेंस के लाभ

* यह **कार्य और सेवाओं की दक्षता बढ़ाते** हुए प्रक्रिया को सरल बनाता है।
* ICT का उपयोग **काम की लागत को कम कर सकता है।** साथ ही, यह **भ्रष्टाचार को भी नियंत्रित** कर सकता है।
* **समावेशी विकास** के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करता है।
* प्रबंधन और परिचालन में ICT के प्रसार से सरकार में **पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा।**
* वंचित समुदायों के **जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है।**

ई–गवर्नेंस के नुकसान

* इंटरनेट तक आम जन की पहुंच कम है। साथ ही, इंटरनेट पर भरोसेमंद जानकारी का **अभाव जनता की राय को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।**
* **डेटा की चोरी से जनता का विश्वास सरकार पर कम होता है।**
* प्रौद्योगिकी सेटअप और मशीनों के नियमित रखरखाव की **अधिक लागत।**
* **डिजिटल डिवाइड,** क्योंकि ई–सरकारी सेवाओं के उपयोगकर्ताओं और गैर–उपयोगकर्ताओं के बीच अधिक अंतर मौजूद है।
* विद्युत, इंटरनेट जैसे **आवश्यक बुनियादी ढांचे का अभाव** और प्रौद्योगिकी को अपनाने का निम्न स्तर।

आगे की राह

* शिक्षित नागरिकों और संबंधित संस्थाओं को **ई–गवर्नेंस के बारे में जागरूकता पैदा करनी चाहिए,** ताकि लोग ई–सेवाओं से लाभान्वित हो सकें।
* दूर दराज के क्षेत्रों के नागरिकों तक पहुंचने के लिए **मोबाइल गवर्नेंस को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।**
* **ई–गवर्नेंस सेवाओं के नैतिक उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए।** इसके लिए सरकारी, निजी क्षेत्र की जानकारियों तथा साइबर वर्ल्ड को सुरक्षित करना होगा।
* ई–गवर्नेंस उपयोगों के बीच इंटर–पोर्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए **हाइब्रिड दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।** इसमें रिकॉर्ड प्रबंधन, सूचना प्रबंधन, फ़ाइल प्रबंधन, शिकायत प्रबंधन आदि के लिए एक केंद्रीकृत दृष्टिकोण शामिल है।

6.2.1. सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम (IT नियम), 2021 {Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules (IT Rules), 2021}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)** ने **IT नियम, 2021 में संशोधन के ड्राफ्ट पर** नए सिरे से टिप्पणियां आमंत्रित की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- MeitY के इस ड्राफ्ट अधिसूचना का तात्पर्य यह है कि एक **सरकारी पैनल** मध्यवर्तियों के **कंटेट मॉडरेशन पर नजर रखेगा।**
- प्रस्तावित संशोधित IT नियमों का उद्देश्य **शिकायत निवारण के लिए न्यायालयों के अलावा अन्य माध्यम प्रदान करते हुए** भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है।
- **यह उपयोगकर्ताओं के लिए** अपेक्षित गोपनीयता, लगन और पारदर्शिता के साथ **सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करेगा।**
- **प्रस्तावित प्रमुख संशोधन:**
    - **शिकायत अपीलीय समिति का गठन:** यह समिति उपयोगकर्ताओं को मध्यवर्तियों (सोशल मीडिया कंपनी का कानूनी वर्गीकरण) की **शिकायत निवारण प्रक्रिया के खिलाफ अपील करने** का विकल्प प्रदान करेगी।
        - वर्तमान में, मध्यवर्तियों द्वारा कोई अपीलीय तंत्र प्रदान नहीं कराया गया है और न ही कोई विश्वसनीय स्व-नियामक तंत्र मौजूद है।
    - **कंपनियों के लिए 72 घंटे की समय सीमा तय करना:** यदि **कंपनियां** दस प्रकार के उल्लंघनों में से किसी एक में भी शामिल हैं, तो शिकायतों पर **कार्रवाई करने** के लिए 72 घंटे की समय सीमा होगी। इन उल्लंघनों में कॉपीराइट उल्लंघन, मानहानी करने वाले कंटेंट का प्रसार और झूठी जानकारी शामिल हैं।
    - **उपयोगकर्ता के अधिकारों का सम्मान करना: नए नियमों में ये प्रावधान शामिल हैं।** इसके तहत मध्यवर्तियों को भारतीय संविधान के तहत उपयोगकर्ताओं को प्रदान किए गए अधिकारों का सम्मान करना होगा।
        - सरकार ने कई मध्यवर्तियों को भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए पाया है।

कंटेंट मॉडरेशन

- यह एक ऐसी **प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करती है कि उपयोगकर्ता का कंटेंट, प्लेटफ़ॉर्म के विशेष दिशा-निर्देशों और नियमों** का पालन करता है या नहीं। इसका उद्देश्य प्रकाशन के लिए कंटेंट की सार्थकता स्थापित करना है।
- **कंटेंट मॉडरेशन के लाभ:**
    - यह ऐसे लोगों से ब्रांड और उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करता है, जो आमतौर पर हानिकारक, भ्रामक या वैमनस्य उत्पन्न करने वाले कंटेंट साझा करते हैं।
    - **इंटरनेट ट्रैफिक और सर्च इंजन रैंकिंग बढ़ाने में** मदद करता है।
    - यह कट्टरपंथी अभियानों को पहचानने और उनकी रोकथाम करने में मदद करता है, क्योंकि इनका इस्तेमाल लोगों को कट्टरपंथी बनाने के लिए किया जाता है।
    - ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग को रोकता है।
    - यह ऑनलाइन उपस्थिति, ग्राहक संबंध, खरीदारी करने से संबंधित व्यवहार और प्रक्रिया आदि को प्रोत्साहित करता है।

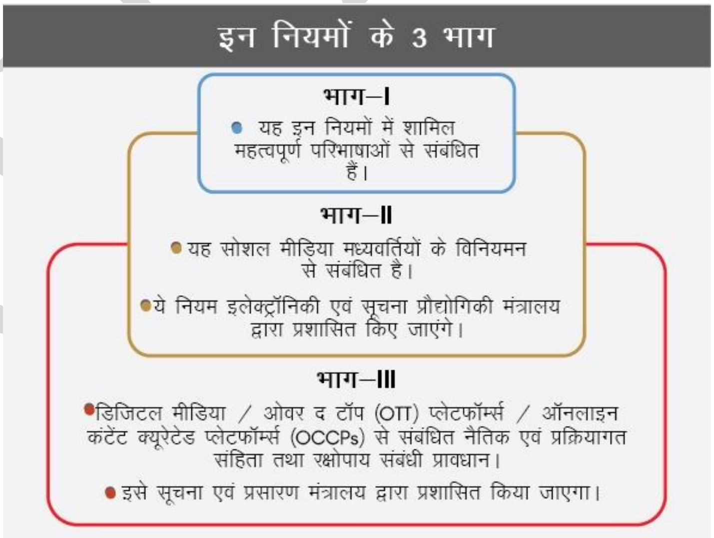

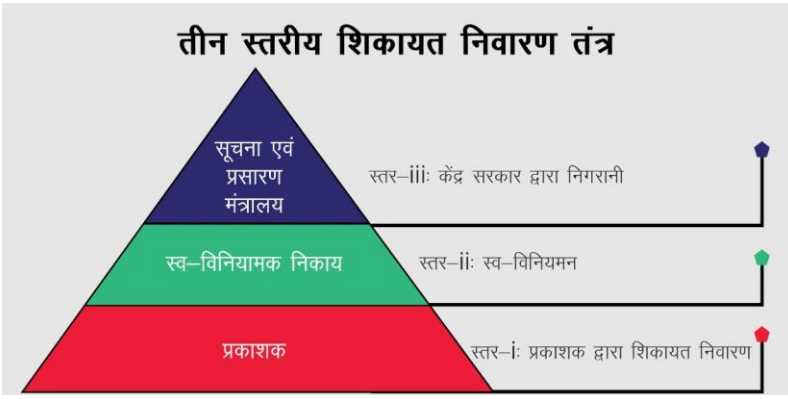

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के बारे में

IT नियम, 2021 को **IT अधिनियम, 2000 की धारा 87(2) के तहत** जारी किया गया है। इसे सोशल एवं डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए जारी किया गया है। यह पूर्व के **आई.टी. (मध्यवर्ती दिशानिर्देश) नियम, 2011 का स्थान लेता है।**

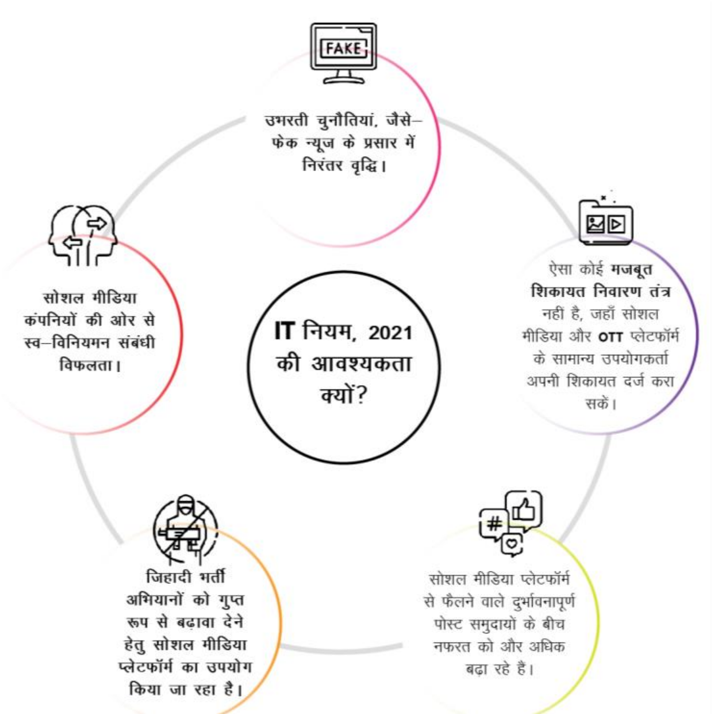

- **उद्देश्य:** सभी भारतीय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए एक **मुक्त, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट** सुविधा उपलब्ध कराना। साथ ही, मध्यवर्तियों (विशेष रूप से बिग टेक प्लेटफॉर्म के भीतर) की उपयोगकर्ताओं के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करना।
- **मध्यवर्तियों की अधिक तत्परता:** सोशल मीडिया मध्यवर्तियों को अधिक तत्पर होना चाहिए। उदाहरण के लिए, उपयोगकर्ता की जानकारी को 180 दिनों की अवधि के लिए बनाए रखना, साइबर सुरक्षा घटनाओं की रिपोर्ट करना, आदि।
- **सोशल मीडिया मध्यवर्ती (SSMIs)[47]:** अधिसूचित सीमा से ऊपर पंजीकृत उपयोगकर्ताओं वाले मध्यवर्तियों को SSMIs के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इन SSMIs द्वारा अधिक तत्परता बरतने की जरूरत है और इसमें शामिल है:
    - अधिनियमों और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए **मुख्य अनुपालन अधिकारी** की नियुक्ति करना। इसके अलावा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ **24x7 समन्वय के लिए** एक **नोडल संपर्क व्यक्ति की नियुक्ति करना।** साथ ही, शिकायतों के निवारण के लिए **शिकायत अधिकारी** की नियुक्ति करना। ये सभी अधिकारी भारत के निवासी होने चाहिए।
    - जानकारी या सामग्री को **पहली बार प्रसारित करने वाले व्यक्ति की पहचान** करना।
    - प्रौद्योगिकी आधारित उपायों को अपनाना।

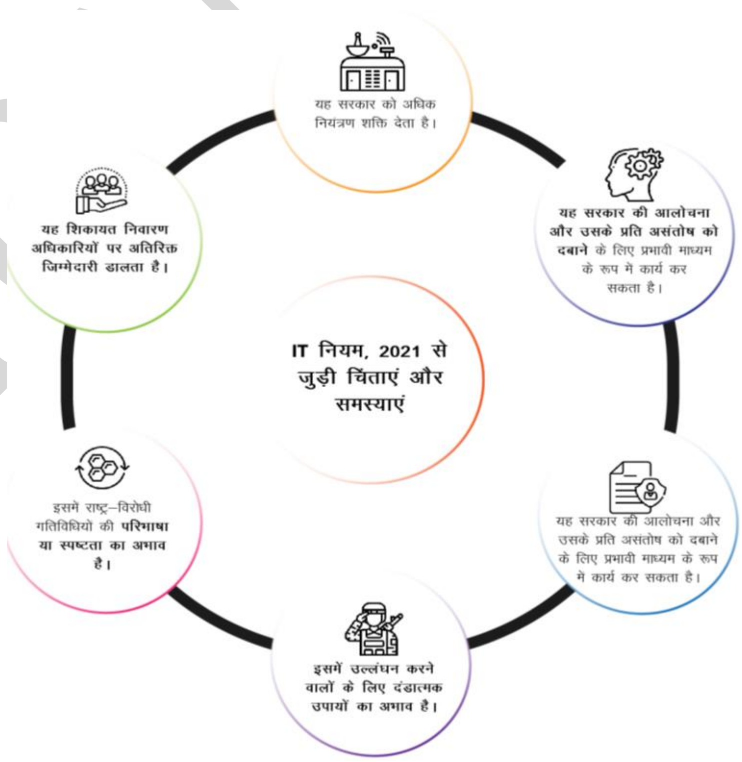

- **शिकायत-निवारण: प्रकाशित सामग्री से परेशान कोई भी व्यक्ति प्रकाशक के पास शिकायत दर्ज करा सकता है।** प्रकाशक से यह अपेक्षित है कि वह इस शिकायत का **निवारण 15 दिनों के भीतर** करे।
- **डिजिटल मीडिया प्रकाशक:** ये नियम **समाचारों और समसामयिक विषयों** एवं क्यूरेटेड ऑडियो-विजुअल कंटेंट **के ऑनलाइन प्रकाशकों** के विनियमन हेतु एक फ्रेमवर्क प्रस्तुत करते हैं।
- **आचार संहिता: समसामयिक विषयों और समाचार** के प्रकाशकों पर पत्रकारिता आचरण तथा कार्यक्रम संहिता के मानदंड लागू होंगे। पत्रकारिता और कार्यक्रम संहिता के मानदंड क्रमशः भारतीय प्रेस परिषद एवं केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम के तहत निर्मित हैं।

[47] Social Media Intermediaries

- ○ **ये नियम क्यूरेटेड कंटेंट के ऑनलाइन प्रकाशकों** के लिए आचार संहिता निर्धारित करते हैं। इस संहिता में प्रकाशकों को **कंटेंट को** निम्नलिखित तरह से **वर्गीकृत** करने के लिए कहा गया है:
  - **निश्चित आयु के लिए उपयुक्त श्रेणी बनाना,**
  - जो कंटेंट बच्चों के लिए उपयुक्त न हो, उस तक बच्चों की पहुंच को प्रतिबंधित करना,
  - **दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कंटेंट को अधिक सुलभ बनाना** आदि।

आगे की राह

- **उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा:** अवैध गतिविधियां सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर एक समान हैं। इन **पर लगाम लगाना जरूरी है।** इसका उद्देश्य पूरे भारत में सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी **उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके** सोशल मीडिया कंटेंट की **नियमित रूप से निगरानी** की जानी चाहिए। इससे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कंटेंट को हटाते समय मनमाने ढंग से लिए जाने वाले निर्णयों को रोका जा सकेगा।
- **स्पष्ट परिभाषा:** 'राष्ट्र-विरोधी', 'संप्रभुता के विरुद्ध' आदि पदों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में इन शब्दों के दुरुपयोग को कम किया जा सकेगा।
- **स्वतंत्र प्राधिकरण:** सरकारी नियंत्रण से स्वतंत्र रहने वाली अपीलीय समितियों का गठन किया जाना चाहिए। इनके पास सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा लिए गए कंटेंट मॉडरेशन निर्णयों की समीक्षा करने और आवश्यकता होने पर उन्हें बदलने का अधिकार होगा।
- **उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाना:** डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। इससे वे **अपनी शिकायतों के निवारण के लिए** और अपने अधिकारों के उल्लंघन के मामले में **जवाबदेही की मांग कर सकेंगे।**

6.2.2. राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति (National Data Governance Framework Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति (NDGFP) का संशोधित प्रारूप जारी किया है।

राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति (National Data Governance Framework Policy: NDGFP)

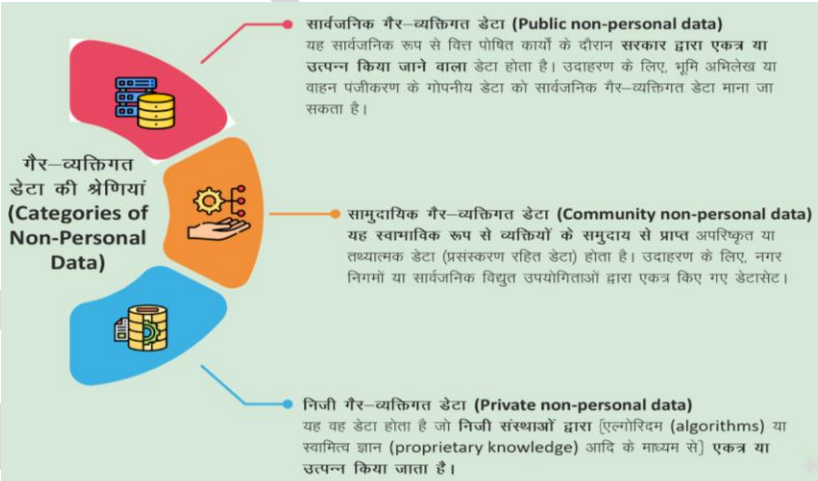

यह फ्रेमवर्क नीति **'इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी, 2022' प्रारूप का संशोधित संस्करण है,** जिसे फरवरी 2022 में परामर्श के लिए जारी किया गया था। हालांकि, निजी इकाइयों को लाइसेंस प्रदान करने और बिक्री के माध्यम से डेटा के मुद्रीकरण करने संबंधी विचार के कारण इसे आलोचना का सामना करना पड़ा था।

- **लक्ष्य:** इसका लक्ष्य वर्तमान और दशक की उभरती प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं के अनुरूप **डेटा तक पहुंच, गुणवत्ता और उपयोग** को बढ़ाना है।
- **उद्देश्य:** डिजिटल अभिशासन में तेजी लाना, सरकार के सभी स्तरों में मानकीकृत डेटा प्रबंधन और सुरक्षा मानक सुनिश्चित करना आदि।

- **लागू:** यह सभी सरकारी विभाग और संस्थाओं, सभी गैर-व्यक्तिगत डेटासेट एवं डेटा व मंचों, शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स की इस तक पहुंच तथा उपयोग को नियंत्रित करने वाले नियमों एवं मानकों आदि पर लागू होगी।

NDGFP के तहत घटक:

- **भारतीय डेटासेट प्लेटफ़ॉर्म:** यह एक वन-स्टॉप प्लेटफ़ॉर्म है। यहाँ सभी सरकारी संस्थाओं द्वारा एकत्र (भारतीय नागरिकों या भारत में रह रहे लोगों से एकत्र) किए गए अनामीकृत या अनामित गैर-व्यक्तिगत डेटासेट को संग्रहित किया जाता है। यह प्लेटफ़ॉर्म, **अनुरोधों को संसाधित कर भारतीय शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स को डेटासेट तक पहुंच प्रदान करेगा।**
- **भारतीय डेटा प्रबंधन कार्यालय (IDMO):** यह नीति IDMO के त्रि-आयामी कार्यों को समाहित करती है (इन्फोग्राफिक देखें)।
- **डेटा प्रबंधन इकाइयां (DMUs):** प्रत्येक मंत्रालय/ विभाग में मुख्य डेटा अधिकारी (CDO) की अध्यक्षता में "DMUs" स्थापित की जाएंगी। ये DMUs नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए IDMO के साथ मिलकर कार्य करेंगी।

गैर-व्यक्तिगत डेटा संग्रह और उपयोग से जुड़ी चुनौतियां

- **व्यक्तिगत और गैर-व्यक्तिगत डेटा का पारस्परिक निष्कासन कठिन हो सकता है:** यहाँ तक कि अनाम बनाए जाने के बाद भी ऐसे डेटा की फिर से पहचान का जोखिम बना रहता है।
- **सुरक्षा निहितार्थ:** इस तरह के डेटा का शत्रु देशों के हाथों में पहुंच जाने पर राष्ट्रीय सुरक्षा या देश के सामरिक हितों पर प्रभाव पड़ सकता है।
- **निजता संबंधी चिंताएं:** इस तरह का डेटा किसी समूह के लिए सामूहिक नुकसान का जोखिम पैदा कर सकता है, जैसे कि नस्ल, धर्म, लैंगिक रुझान आदि के आधार पर संस्थागत कट्टरता।
- **गोपनीयता संबंधी चिंताएं:** इस तरह का डेटा व्यावसायिक रूप से संवेदनशील हो सकता है या उसमें गोपनीय जानकारी शामिल हो सकती है। कुछ कंपनियों द्वारा विकसित स्वामित्व वाली तकनीक का उपयोग करके इस डेटा को प्राप्त किया जा सकता है।

सुरक्षित और पारदर्शी डेटा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उपाय:

- NDGFP के साथ साझेदारी बढ़ाने हेतु **गैर-व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए डेटा संरक्षण विधेयक, 2021 और विनियमों को अंतिम रूप प्रदान** किया जाना चाहिए।
- **डेटा अनामिता के लिए तकनीकी सीमा को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।**
- **सभी के लिए निष्पक्ष डेटा बाजार और** गैर-व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग एवं बाजार की विफलताओं को रोकने के लिए **मजबूत विनियमन हेतु प्रयास किए जाने की आवश्यकता** है।
- NDGFP की दिशा में भावी प्रयास के रूप में सभी अभिकर्ताओं के लिए निजी तौर पर संग्रहित **गैर-व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच को अनिवार्य रूप से विनियमित** किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

- डेटा आधारित अभिशासन, सरकार के डिजिटल अभिशासन दृष्टिकोण की आधारशिला है। साथ ही, भारत की डेटा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में इस रूपरेखा की महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है।
- इस प्रारूप के तहत अभी **केवल व्यापक ढांचे को स्थापित किया गया है। इस डेटा साझाकरण से संबंधित व्यवस्था की विस्तृत शर्तों को अभी जारी नहीं किया गया है।** NDGFP के अधिकांश अंतःक्रियात्मक प्रभाव उत्पन्न करने वाले घटकों (जैसे कि **डेटा गोपनीयता, सुरक्षा, बौद्धिक संपदा और डेटा एकाधिकार) से जुड़े मुद्दों को इस समय चर्चा के लिए खुला रखा गया है।**
- डेटा अनामिता से जुड़े मानकों को नियंत्रित करने वाली विशेष नीतियां; निजी अभिकर्ताओं को ऐसे डेटा तक पहुंच प्रदान करने के क्रम में शर्तों के निर्धारण हेतु नियम तथा निजी इकाइयों द्वारा ऐसे डेटा के प्रसंस्करण व उचित एवं नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करने वाले नियम संभवतः सुरक्षित व पारदर्शी डेटा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे।

संबंधित सुर्ख़ियां

नीति आयोग ने मुक्त सार्वजनिक उपयोग के लिए नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म (NDAP) लॉन्च किया है।

- नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया NDAP **उपयोगकर्ता के अनुकूल वेब प्लेटफॉर्म है।** इस प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग **सरकारी एजेंसियों के मूलभूत डेटासेट** उपलब्ध कराए गए हैं। यह प्रयोग में लाए गए किसी भी उपकरण, प्रौद्योगिकी या क्षमता को विशेष न मानते हुए सभी उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ है।
- **उद्देश्य:** भारत सरकार द्वारा प्रकाशित डेटा तक पहुंच और उपयोग को आसान बनाकर सार्वजनिक सरकारी डेटा का लोकतंत्रीकरण करना।
- **आवश्यकता:**
  - यदि डेटा को उपयोगकर्ता को ध्यान में रखकर प्रकाशित नहीं किया जाता है, तो आगे इसके विश्लेषण में कठिनाई पैदा होती है।
  - अलग-अलग मानकों के कारण डेटा प्रणाली बेमेल है।
- **महत्व:**
  - यह **उपयोगकर्ता के अनुकूल होने के साथ रुचिकर** भी है। साथ ही, इसे नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, नागरिकों आदि की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित किया गया है।
  - **मानकीकृत** प्रारूप होने के कारण यह **सभी क्षेत्रों के विश्लेषण** को आसान बनाता है।
  - **डेटा को नियमित रूप से अपडेट** करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया भी बनाई गयी है।
  - यह सोशल मीडिया पर **विचार-विमर्श** को प्रोत्साहित करता है।
  - निर्णय लेने में **डेटा को आधार बनाने के लिए** प्रोत्साहित करेगा आदि।

ई-गवर्नेंस पर "हैदराबाद घोषणा" को अपनाया गया।

- **24वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन** ने सभी की सहमति से **हैदराबाद घोषणा** को स्वीकार किया है।
  - यह सम्मेलन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeITY) तथा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने संयुक्त रूप से तेलंगाना सरकार के सहयोग से आयोजित किया था।
- ई-गवर्नेंस सरकार के सभी स्तरों पर **सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT)** का उपयोग है। इसका उद्देश्य नागरिकों, व्यवसायों और सरकार के अन्य अंगों के साथ संबंधों में सकारात्मक परिवर्तन लाना है।
  - इसने सरकार को कवरेज बढ़ाने, पारदर्शिता में वृद्धि करने, नागरिकों के प्रति अनुक्रिया में सुधार करने और लागत कम करने में सहायता की है। साथ ही, नागरिकों को बेहतर पहुंच, समानता और सामाजिक सशक्तीकरण की सुविधा प्रदान की है।
- **हैदराबाद घोषणा की मुख्य विशेषताएं**
  - आधार, यू.पी.आई., डिजिलॉकर, उमंग, ई-साइन आदि का उपयोग करके नागरिक सेवाओं को बदलना।
  - प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों (जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि आदि) में राष्ट्रीय स्तर के सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का बहुत जल्दी कार्यान्वयन करना।
  - उभरती हुई प्रौद्योगिकियों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, 5जी आदि के जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना।
  - महामारी जैसी बाधाओं से निपटने के लिए मजबूत तकनीकी समाधान सुनिश्चित करना।
  - डिजिटल तकनीक को सरकारी सेवा डिजाइन और वितरण का प्राथमिक पहलू बनाना।
  - राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण का मूल्यांकन (NeSDA) को MeITY के सहयोग से अपनाया जाएगा।

कुछ ई-गवर्नेंस पहलें:

- **भूमि परियोजना (कर्नाटक):** भूमि रिकॉर्ड की ऑनलाइन उपलब्धता।
- **ई-सेवा** (आंध्र प्रदेश)।
- **ज्ञानदूत (मध्य प्रदेश):** सेवा आपूर्ति पहल।
- **लोकवाणी (उत्तर प्रदेश):** शिकायतों के निपटान, भूमि रिकॉर्ड के रखरखाव और आवश्यक सेवाओं का मिश्रण प्रदान करने के लिए।
- **फ्रेंड्स ((FRIENDS) योजना (केरल):** सेवाओं के वितरण के लिए तेज़, विश्वसनीय, कुशल व तत्काल नेटवर्क।

संबंधित तथ्य

मेघालय उद्यम स्थापत्य परियोजना (Meghalaya Enterprise Architecture Project: MeghEA/ मेघईए) आरंभ की गई है।

- **मेघईए (MeghEA)** का लक्ष्य पारंपरिक सेवा वितरण प्रक्रिया को डिजिटल सेवा प्रणाली में परिवर्तित करना है।
  - **मेघईए 6 स्तंभों में विस्तारित है:** अभिशासन, मानव संसाधन, उद्यमिता, प्राथमिक क्षेत्र, बुनियादी ढांचा तथा पर्यावरण।
- ध्यातव्य है कि मेघालय **भारत उद्यम स्थापत्य (IndEA /इंडईए) को मेघईए** के रूप में लागू करने वाला प्रथम राज्य है।

- इंडईए **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** द्वारा प्रारंभ किया गया है। यह एक ऐसा तंत्र है, जो समान प्रतिमानों एवं मानकों के अनुरूप संपूर्ण भारत में सभी सरकारों तथा उनके अभिकरणों द्वारा स्वतंत्र एवं समानांतर रूप से **एंटरप्राइज़ आर्किटेक्चर्स** के विकास व उनके कार्यान्वयन को सक्षम बनाता है।
    - यह ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में विविधता में एकता स्थापित करने का एक माध्यम है।

- **इस तंत्र में आठ संदर्भ मॉडल शामिल हैं:** व्यवसाय, अनुप्रयोग, डेटा, प्रौद्योगिकी, प्रदर्शन, सुरक्षा, अखंडता और संरचना शासन।
- **इंडईए के प्रमुख लाभ:**
    - कई चैनलों के माध्यम से **एकीकृत सेवाओं** की आपूर्ति द्वारा **नागरिकों एवं व्यवसायों** को एकल सरकारी अनुभव (ONE Government Experience) प्रदान करना।
    - सेवाओं के वितरण की दक्षता में वृद्धि तथा **विकासात्मक व कल्याणकारी योजनाओं** के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता में सुधार लाना।
    - सूचना तक सुगम पहुंच के माध्यम से कर्मचारियों तथा एजेंसियों की उत्पादकता में वृद्धि करना।
    - संपूर्ण सरकारी-तंत्र में **निर्बाध अंतःक्रियाशीलता के माध्यम से एकीकृत एवं परस्पर आधारित सेवाएं** प्रदान करना।

6.3. कानूनों में अस्पष्टता को कम करना (Reducing Ambiguity in Laws)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अलग-अलग विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है कि कानून निर्माण में विद्यमान अस्पष्टता, न्यायिक व्याख्या पर निर्भरता को बढ़ा देती है।

कानूनों की अस्पष्टता के बारे में

- कानूनों में **अस्पष्टता की दो श्रेणियां होती हैं: अप्रत्यक्ष अस्पष्टता (Latent Ambiguity) और प्रत्यक्ष अस्पष्टता (Patent Ambiguity)**।
    - **अप्रत्यक्ष अस्पष्टता** में इस्तेमाल की गई भाषा वैसे तो स्पष्ट और समझने लायक होती है, लेकिन कुछ बाहरी तथ्य या साक्ष्य उसे अस्पष्ट बना देते हैं। इन **बाहरी तथ्यों या साक्ष्यों के आधार पर** उसकी **व्याख्या करने या उससे उत्पन्न** या दो या दो से अधिक संभावित अर्थों में से किसी एक को चुनने **की आवश्यकता उत्पन्न होती है।**
    - **प्रत्यक्ष अस्पष्टता** किसी **दस्तावेज या लेखन में स्पष्ट रूप से दिखाई देती** है। यह अस्पष्टता दस्तावेज या लेखन में अनिश्चित या अस्पष्ट भाषा के प्रयोग के कारण उत्पन्न होती है।
- **कानूनों में अस्पष्टता के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:**
    - **IPC की धारा 124 में दिए गए,** "घृणा या अवमानना पैदा करना" या "असंतोष पैदा करने का प्रयास करना" जैसे शब्दों की कई तरह से व्याख्या की जा सकती है।
    - **धर्मांतरण विरोधी कानूनों में बल, धोखाधड़ी, प्रलोभन जैसे शब्दों को बड़े ही अस्पष्ट रूप से परिभाषित** किया गया है। इससे ऐसे कानूनों के दुरुपयोग की संभावना काफी बढ़ जाती है।
    - **आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 में, शारीरिक माप को परिभाषित किया गया है। इसके तहत व्यक्ति की कई प्रकार की शारीरिक सूचनाओं को शामिल किया गया है।** दरअसल, आपराधिक जांच के संदर्भ में इन सभी की **विश्वसनीयता और उपयोगिता का स्तर अलग-अलग होता है। इसलिए, यह अत्यधिक अस्पष्टता उत्पन्न करती है।**
    - **IT अधिनियम, 2000 में इंटरनेट का कोई संदर्भ नहीं दिया गया है।** इस अधिनियम को वर्ष 2008 में संशोधित किया गया था।

कानूनों में स्पष्टता लाने की आवश्यकता क्यों है?

- **कानूनों का पुराना हो जाना:** भूमि अधिग्रहण अधिनियम को **वर्ष 1894 में बनाया गया था।** यह अधिनियम बड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के संबंध में अनेकों बार विवादों के केंद्र में रहा है। इसी तरह, नागरिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, को क्रमशः वर्ष 1908 और 1872 में बनाया गया था।

- **दुरुपयोग:** कुछ व्यक्तियों द्वारा इन पुराने हो चुके कानूनों का **उत्पीड़न, रिश्वतखोरी और धन उगाही (Rent seeking) के लिए** प्रयोग किए जाने की संभावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति में न्यायालयों के पास सामान्यतः इन कानूनों के आधार पर निर्णय देने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता है।
    - उदाहरण के लिए, क्रिकेट मैचों के प्रसारण अधिकारों का दावा करने के लिए दूरदर्शन (सरकारी चैनल) ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 का कई बार इस्तेमाल किया है।
- **स्पष्टता की कमी:** संविधान में वर्णित लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार शब्दों को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिए, इन शब्दों की **गलत व्याख्या** और अस्पष्टता की संभावना पैदा होती है।
- **विकास के लिए:** उन्नत प्रौद्योगिकी के जमाने में केवल सरकारी कानून पर निर्भर रहना उचित नहीं है। ये कानून, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों के साथ विकसित नहीं हो पाए हैं। उदाहरण के लिए, वर्तमान कानूनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ब्लॉकचेन आदि को शामिल करना।
- **सामाजिक समस्या को पहचानना:** विधि आयोग और विभिन्न समितियां, लंबे समय से वैवाहिक बलात्कार पर कानून बनाने की सिफारिश कर रही हैं। साथ ही, समाज के अनेक वर्ग भी इसकी मांग कर रहे हैं।

कानूनों की न्यायिक व्याख्या के चार चरण

पाठवादी दृष्टिकोण

सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में संविधान में लिखे गए शब्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पाठवादी दृष्टिकोण अपनाया था। उदाहरण के लिए– **ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य मामले (1950)** में मौलिक अधिकार की व्याख्या की गई।

↓

संरचनावादी दृष्टिकोण

सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या हेतु संरचनावादी दृष्टिकोण का उपयोग करना शुरू किया। उदाहरण **के लिए– केशवानंद भारती मामले (1973)** में न्यायालय ने **मूल संरचना का सिद्धांत (बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन)** प्रस्तुत किया था।

↓

सारसंग्रहवाद

सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या के **परिणाम उन्मुख** दृष्टिकोण को अपनाया। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्षता की अवधारणा के आधार पर निर्णय लेना शुरू किया। यह निर्णय पूर्व के उदाहरण, सिद्धांत और व्याख्या के स्थापित तरीकों से अलग थे। उदाहरण के लिए– NJAC **को समाप्त करना।**

↓

सामाजिक क्रांति और परिवर्तन

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी **क्रांतिकारी और रूपांतरकारी क्षमता** के अनुसार संविधान की व्याख्या करना शुरू किया। उदाहरण के लिए– धारा 377 को समाप्त करना, CJI के कार्यालय को RTI अधिनियम के तहत लाना आदि।

कानून में अस्पष्टता का क्या प्रभाव होता है?

- **संवैधानिक मूल्यों को खतरा:** सरकार की आलोचना पर अंकुश लगाने के लिए राजद्रोह अधिनियम का उपयोग करना अनुच्छेद 19 के तहत निहित मूल्यों का उल्लंघन है। अनुच्छेद 19 वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है।

> **कानून निरस्त करने की प्रक्रिया**
> - **संविधान का अनुच्छेद 245** संसद को कानून बनाने के साथ-साथ **निरसन और संशोधन अधिनियम द्वारा उसे निरस्त करने की शक्ति भी देता है।**
>   - **किसी कानून को पूरी तरह से या आंशिक रूप से निरस्त किया जा सकता है। इसे उस सीमा तक भी निरस्त किया जा सकता है, जहां तक यह अन्य कानूनों का उल्लंघन कर रहा होता है।**

- **जांच में देरी:** दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत, किसी राज्य के भीतर किए गए अपराधों की जाँच करने या उस जाँच को जारी रखने हेतु राज्य की सहमति महत्त्वपूर्ण है। हालांकि, इस तरह की सहमति को अक्सर या तो अस्वीकार कर दिया जाता है या उसे प्रदान करने में देरी की जाती है। इससे जांच प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है।
- **दुरुपयोग:** स्पष्ट परिभाषा की कमी, काम की असंगठित प्रकृति और मामलों को रिपोर्ट नहीं किए जाने के कारण, नियोक्ता **बड़ी संख्या में बच्चों को आसानी से काम पर रख** लेते हैं। ऐसा करते हुए नियोक्ताओं को किसी दुष्परिणाम की चिंता भी नहीं होती है।
    - उदाहरण के लिए, बागान श्रम अधिनियम, बाल विवाह अधिनियम में बच्चों की अलग-अलग न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है।
- **मुकदमेबाजी में वृद्धि:** कानूनों की समझ की कमी के कारण **लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। इससे न्यायालयों पर और अधिक बोझ बढ़ जाता है।**

आगे की राह

- **पुराने हो चुके कानूनों को निरस्त करना:** औपनिवेशिक काल से चले आ रहे IPC, साक्ष्य अधिनियम, जैसे कानूनों को समाप्त किया जाना चाहिए। साथ ही, इन्हें 21वीं सदी की आवश्यकता के अनुसार अपडेट किया जाना चाहिए।

- **सुस्पष्ट रूप से परिभाषित करना:** अस्पष्ट शब्दों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। इससे कानूनों के दुरुपयोग और उसकी गलत व्याख्या से बचा जा सकता है। साथ ही, इससे सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।
- **उभरती समस्याओं का समाधान:** डेटा प्राइवेसी, माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण जैसे समसामयिक मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही, कानूनों का उद्देश्य उभरते खतरों से रक्षा करना और उनसे निपटना होना चाहिए।
- **कार्यात्मकता:** कानूनों के तहत **मंत्रालयों/विभागों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया जाना चाहिए, ताकि** संघर्ष से बचा जा सके। साथ ही, इसमें तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी आवश्यक प्रावधान शामिल होने चाहिए।
    - उदाहरण के लिए, कोविड महामारी के दौरान उपयोग किए जाने वाले अधिनियम, इस महामारी से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इन अधिनियमों में आपदा प्रबंधन अधिनियम, महामारी अधिनियम आदि शामिल हैं।
- **सार्वजनिक विचार-विमर्श:** कानून निर्माण के सभी चरणों में **पूर्व विधायी संवीक्षा (Pre-legislative Scrutiny), हितधारकों के साथ भागीदारी, संसदीय समितियों द्वारा जांच** जैसे उपायों को अपनाया जाना चाहिए। इससे समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सकेगा।
- **केंद्रित दृष्टिकोण:** किसी कानून के **शब्दशः अर्थ को अपनाने के बजाय उसे बनाने के पीछे की विधायिका की मंशा या उसके निहित उद्देश्य पर ध्यान देना आवश्यक है।** इससे कानून में पैदा होने वाली अधिकांश अनिश्चितताएं और अस्पष्टता की समस्या का समाधान हो सकता है।

6.4. प्रौद्योगिकी और कानून (Technology and Law)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने उभरती प्रौद्योगिकियों के इस सूचना-युग में **निजता संबंधी चिंताओं के निवारण हेतु कानूनों के निर्माण पर बल** दिया है।

उभरती प्रौद्योगिकी और इन्हे विनियमित करने के लिए आवश्यक सिद्धांत

- उभरती प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग सामान्यतः एक निश्चित समय पर **प्रचलित उन्नत और भविष्योन्मुखी तकनीक का वर्णन करने के लिए किया जाता है।** यह **मौजूदा तकनीक** के निरंतर विकास (AI, 5G, ब्लॉकचैन आदि) से भी संबंधित है।
- वर्ष 2020 में, विदेश मंत्रालय (MEA) ने, **न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज (NEST) डिविजन** की स्थापना की है। यह भारत में इस प्रकार का पहला प्रयास है।
    - यह **5G और AI** के क्षेत्र में **विदेशी भागीदारों के साथ सहयोग** स्थापित करने में मदद करेगा।
    - यह नई और उभरती प्रौद्योगिकियों की **विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से संबंधित निहितार्थों** का आकलन करने में सहायता करेगा। साथ ही, यह इसमें उपयुक्त विदेश नीति संबंधी विकल्पों की सिफारिश करने में भी सहायता करेगा।

उभरती प्रौद्योगिकी के साथ कानून को बदलने की आवश्यकता क्यों है?

* **एकरूपता बनाए रखने के लिए:** विश्व आर्थिक मंच (WEF)[48] के अनुसार, प्रौद्योगिकी का विकास घातांकीय दरों पर हो रहा है, किंतु सरकारी कानून इस गति से विकसित नहीं हो पा रहे हैं। इसके कारण लागू होने तक कानून पुराने या वर्तमान प्रौद्योगिकी के लिए अप्रासंगिक हो जाते हैं।

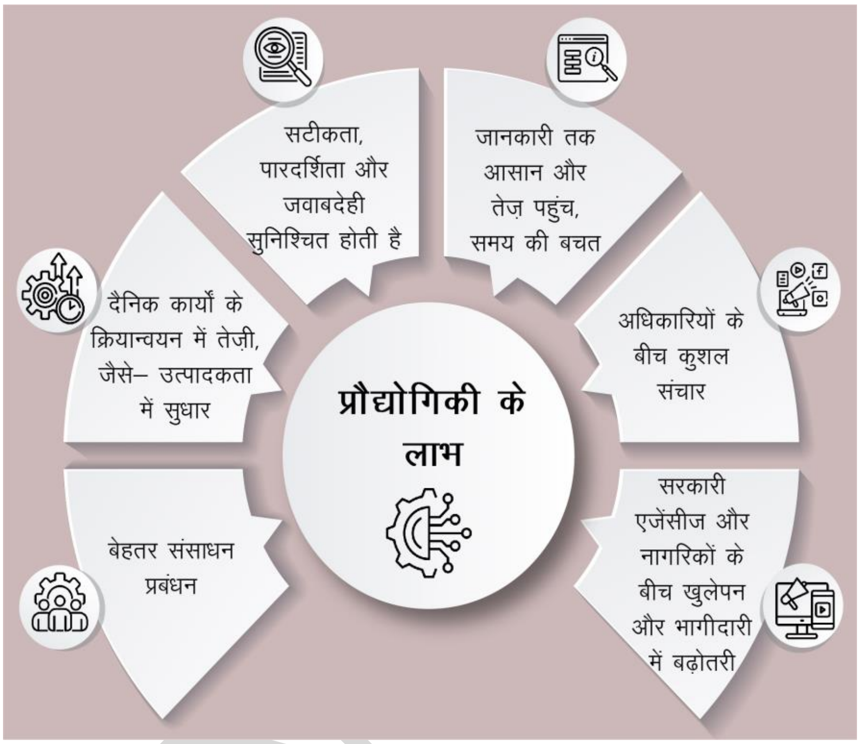

* **डेटा सुरक्षा:** वर्ष 2017 में, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया **कि भारतीय नागरिकों को सूचना संबंधी निजता का मौलिक अधिकार प्राप्त है।** इसकी गारंटी अनुच्छेद 21 के तहत दी गई है।
* **प्रौद्योगिकी संबंधी विशिष्टताओं को शामिल करने के लिए:** उन्नत प्रौद्योगिकी के युग में कानूनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त विशिष्टताओं से लैस कानून तैयार करना अनिवार्य है।
    * उदाहरण: वर्ष 2008 में संशोधित **आई.टी. अधिनियम, 2000** में कहीं भी **इंटरनेट का कोई संदर्भ शामिल नहीं है।**
* **अपराध का पता लगाने और उसकी रोकथाम के लिए:** उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ, इंटरनेट **अपराधियों को सुरक्षा प्रदान करते हुए गुप्त रहने का एक उन्नत अवसर प्रदान करता है। इसलिए, ये अपराधी नाबालिगों को आसानी से लक्षित करते हुए उनके साथ ऑनलाइन दुर्व्यवहार कर सकते हैं।** इसमें प्रताड़ित करना, जानकारी प्राप्त करना, सूचनाओं का अनुचित प्रयोग करना, आदि शामिल हैं।
    * **आईपीसी की धारा 354D बिना किसी भेदभाव के ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनो प्रकार की स्टॉकिंग के अपराध को दंडित करती है।** हालांकि, इसकी उप-धारा (2) उस तरीके को स्पष्ट करने में विफल रही है, जिसके तहत माना जाए कि पीड़ित की 'निगरानी' की गई या उस पर 'नज़र रखी गई' है। साथ ही, यह ऐसे कृत्यों में शामिल गतिविधियों को स्पष्ट करने में भी असफल रही है।

* **व्यवसाय की नई पद्धतियां:** व्यवसायों के लिए समान अवसर बनाए रखने और प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं को रोकने के लिए **ऐसे कानून निर्मित किए**

[48] World Economic Forum

जाने चाहिए, जो नई प्रौद्योगिकीयों द्वारा उत्पन्न चिंताओं को समायोजित करने में सक्षम हों।

- उदाहरण के लिए, अमेज़न और फ्लिपकार्ट ने अपने प्लेटफॉर्म पर विशेष रूप से फोन बेचने के लिए फ़ोन निर्माताओं के साथ टाई-अप किया है। इससे अन्य वितरकों की बिक्री पर प्रभाव पड़ता है।

आगे की राह

- **एक सुविधा प्रदाता के रूप में राज्य:** नए कानूनों द्वारा **नई प्रौद्योगिकी के विकास को सक्षम बनाना चाहिए, ताकि इसका उपयोग जन कल्याण हेतु न्यायसंगत और विवेकपूर्ण तरीके से किया जा सके।**
- **दैनिक शासन में इसको आत्मसात करना चाहिए:** प्रभावी विनियमन और शासन सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन के बुनियादी ढांचे को प्रौद्योगिकियों के अनुसार सुसज्जित और अनुकूलित होना चाहिए।
- **सामाजिक जागरूकता:** नागरिकों के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकी के उपयोग और लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, **मृदा के नमूनों का विश्लेषण करने के लिए कृषि क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग।**
- **प्रशिक्षित जनशक्ति:** नई प्रौद्योगिकियों द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का उपयोग करने के लिए जनशक्ति को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है।
- **6Cs पर ध्यान केंद्रित करना:** विकासशील देशों को इक्कीसवीं सदी में एक प्रभावी और सुशासित देश के रूप में विकसित होने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को 6Cs पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। **6Cs का तात्पर्य कंप्यूटर घनत्व (Computer Density), संचार (Communication), कनेक्टिविटी, साइबर कानून, लागत (Cost) और सामान्य ज्ञान (Common Sense)** से है।
- **प्रौद्योगिकी का व्यवहारिक स्तर पर उपयोग करना:** कानून को प्रौद्योगिकी के साथ तारतम्यता स्थापित करनी चाहिए। इसे निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है-
  - दैनिक कार्यों में शामिल करके,
  - अधिक संख्या में वर्चुअल/ आभासी बैठकों को प्रोत्साहित करके,
  - प्रणाली की उत्पादकता और दक्षता में सुधार के लिए एक या एक से अधिक तकनीकों का उपयोग करके।

6.5. नागरिक समाज (Civil Society)

सिविल सोसाइटी– एक नज़र में

सिविल सोसायटी

यह सार्वजनिक क्षेत्र का एक हिस्सा है। यह राज्य और बाजार से सीधे नहीं जुड़ा होता है। इसमें व्यक्ति सामाजिक मुद्दों को उठाते हुए राज्य द्वारा लिए गए या भावी निर्णय को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं या अलग मांग करते हैं। सिविल सोसाइटी के व्यक्ति अपने सामूहिक हितों को पूरा करने का प्रयास करते हैं या अलग-अलग उद्देश्यों के लिए समर्थन की मांग करते हैं।

भारत में सिविल सोसाइटी का विकास

- **प्राचीन और मध्यकाल:** शिक्षा, चिकित्सा, सांस्कृतिक प्रचार आदि के क्षेत्र में स्वैच्छिकवाद (Voluntarism) व्यापक रूप से दिखाई देता था।
- **ब्रिटिश युग:** सामाजिक-राजनीतिक आंदोलनों के प्राथमिक फोकस के रूप में सेल्फ-हेल्प का उदय हुआ। इसके परिणामस्वरुप फ्रेंड-इन-नीड सोसाइटी (1858), प्रार्थना समाज (1864), सत्य शोधक समाज (1873), आर्य समाज (1875), भारत में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिषद (1875) आदि जैसे कई संगठनों की स्थापना हुई।
- **स्वतंत्रता के बाद:** भारत सरकार ने सामाजिक कल्याण और विकास में अपनी उपस्थिति बढ़ाई। साथ ही, इसने सिविल सोसाइटी को एक पूरक के रूप में पहचाना, जिसमें सरकार के प्रयासों को बढ़ावा देने की क्षमता थी।

लोकतंत्र में सिविल सोसायटी की भूमिका

- **सिविल सोसाइटीज लोकतंत्र के लिए एक सामाजिक आधार** हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करते हैं। साथ ही, ये पारदर्शिता तथा जवाबदेही को बढ़ावा देकर राजनीतिक व्यवस्था में विश्वसनीयता लाते हैं।
- **नीति निर्माण और कार्यान्वयन में मूल्यवान भागीदार।**
- **महत्वपूर्ण दबाव समूहों के रूप में कार्य करते हैं।**
- **ये क्रॉस-सेक्टर परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं।**
- **नागरिकों के बीच नागरिक एकजुटता की भावना को मजबूत करते हैं।**
- **मितव्ययी नवाचार को बढ़ावा देते हैं।**
- **ये स्थानीय मुद्दों को उठाते हैं।**

सिविल सोसायटी के कुशल कामकाज में बाधाएं

- सिविल सोसायटी की गुणवत्ता और चरित्र को प्रभावित करने वाले **सक्षम स्वयंसेवकों की कमी।**
- जवाबदेही संबंधी मुद्दे, क्योंकि इन संगठनों द्वारा **धन के दुरुपयोग की घटनाओं में वृद्धि** हुई है।
- भारतीय समाज की सामाजिक, धार्मिक, जातीय और आर्थिक समस्याएं **ऐसे संगठनों के भीतर असमानता और संघर्ष** उत्पन्न करती हैं।
- **सरकार का असहनशील रवैया और अत्यधिक विनियमन** ऐसे संगठनों की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को प्रभावित करते हैं।
- **कुछ सिविल सोसायटी की नकारात्मक छवि:** इन्हें "राष्ट्र-विरोधी" और "विकास-विरोधी" के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। साथ ही, इन पर विदेशी हितों को पूरा करने का आरोप लगाया जाता है।
- **अभिजात वर्ग का वर्चस्व** नागरिक समाज के उद्देश्य को ही विफल कर रहा है।

सविल सोसायटी को मजबूत करने और संभावित अवसरों की खोज हेतु आगे की राह

- सिविल सोसायटी आर्गेनाइज़ेशन्स (CSOs) और सरकार के बीच सहजीवी संबंध की पारस्परिक समझ।
- सरकार द्वारा प्रक्रियाओं और निर्णय लेने में पारदर्शिता की आवश्यकता।
- CSOs को वैधानिक निकाय का दर्जा प्रदान करना।
- CSOs के कामकाज में पारदर्शिता, रिपोर्टिंग और जवाबदेही सुनिश्चित करना।
- यह ध्यान रखना कि सिविल सोसायटी एडवोकेसी से बचें।
- कार्य के नए अवसरों की खोज।
- कोविड-19 के बाद के दौर में परिवर्तनकारी सुधार के लिए सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देना।
- भारत की विकास भागीदारी को आकार देने में सिविल सोसायटी की भूमिका की खोज करना।

6.5.1. उभरते भारत में नागरिक समाज की बदलती भूमिका (Changing Role of Civil Society in Emerging India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने कहा कि यदि नागरिक समाज का व्यवस्था भंग करने, विभाजन करने और अपने फायदे के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यह "राष्ट्रीय हित को चोट पहुंचाएगा"।

नागरिक समाज क्या है एवं उनकी क्या भूमिकाएं हैं?

- विश्व बैंक के अनुसार, **नागरिक समाज या सिविल सोसाइटीज़ गैर-सरकारी एवं गैर-लाभकारी संगठनों की विस्तृत श्रृंखला को संदर्भित करते हैं।** ये संगठन सार्वजनिक जीवन से संबंधित होते हैं। ये संगठन नैतिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, धार्मिक या परोपकारी विचारों के आधार पर अपने सदस्यों एवं अन्य लोगों के हितों तथा मूल्यों को व्यक्त करते हैं।
- सिविल सोसाइटीज़ में **लोग स्वेच्छा से समाज कल्याण, वांछित उद्देश्य की प्राप्ति** या राज्य के समक्ष लोगों की समस्याओं को उठाने हेतु संगठित होते हैं। मूल रूप से, राज्य की निष्प्रभाविता को नागरिक समाज उचित रूप फिर से प्रभावी कर सकता है।
    - उदाहरण के लिए, केरल में महिलाओं के नेबरहुड ग्रुप (NHGs) के एक सामुदायिक संगठन **कुदुम्बश्री को लिया जा सकता है। इसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु** एक प्रभावी रणनीति के रूप में देखा जाता है।

उभरते भारत के साथ भारतीय नागरिक समाज की भूमिका कैसे बदल रही है?

- **शासन:** नागरिक समाज की सुदृढ़ता का **राज्य और बाजार पर सकारात्मक प्रभाव** पड़ सकता है। इसलिए, इसे सुशासन (जैसे- पारदर्शिता, प्रभावशीलता, खुलापन, अनुक्रियाशीलता और जवाबदेही) को बढ़ावा देने हेतु एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है।
    - नागरिक समाज **सूचना तक पहुंच के अधिकार को सुनिश्चित** करते हैं। यह ऐसे देश में सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने में पहला चरण है, जहां शासकीय गुप्त-बात अधिनियम (OSA)[49] प्रबल रूप से प्रभावी है। उदाहरण के लिए- RTI[50] अधिनियम के लिए मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS)।
- **सामाजिक:** नागरिक समाज **अभिव्यक्ति हीन और असंगठित समुदायों के हितों** का प्रतिनिधित्व कर उन्हें **सक्षम बनाते हैं**। दूसरे शब्दों में, नागरिक समाज का **लक्ष्य स्थानीय समुदायों का सशक्तीकरण करना** है।
    - उदाहरण के लिए, चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन, वर्ल्ड विजन, आरंभ इंडिया जैसे गैर-सरकारी संगठनों ने बाल यौन शोषण पर जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- **आर्थिक:** नागरिक समाज ने भारत के विधायी परिदृश्य स्थायी बदलाव लाने वाले कई सुधारों को प्रेरित किया है और उन्हें आगे बढ़ाया है।

---

[49] Official Secrecy Act

[50] सूचना का अधिकार

- **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम,** शिक्षा का अधिकार अधिनियम, आगामी भोजन का अधिकार विधेयक और भूमि अधिग्रहण अधिनियम जैसे अनेक कानून इसके प्रमुख उदाहरण हैं।

- **पर्यावरण:** भारत में वर्तमान में पर्यावरण आंदोलन सशक्त रूप ले चुके हैं। यह भी देखा गया है कि भारत में नागरिक समाज के आंदोलनों के बाद कई परियोजनाओं को निरस्त कर दिया गया है।
  - **उदाहरण के लिए,** राज्य स्तर पर स्थानीय कार्यकर्ता चिल्का झील, खंडाधार जलप्रपात परियोजना, ओलिव रिडले कछुओं, समुद्र तट आदि के संरक्षण हेतु कार्य कर रहे हैं।
- **राजनीतिक:** नागरिक समाज **कानून एवं व्यवस्था तंत्र की जवाबदेही सुनिश्चित करने** का कार्य करते हैं। तात्पर्य यह है कि अप्रत्यक्ष रूप से ये राजनीतिक दलों और निर्वाचन प्रक्रिया पर नियंत्रण की निगरानी करते हैं।
  - **एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स** जैसे गैर-सरकारी संगठन ने ढाई दशक से अधिक समय से लंबित सभी आवश्यक सुधारों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करने का फैसला किया है। इन सुधारों में निर्वाचन संबंधी सुधार, निर्वाचन प्रबंधन सुधार, लोकतांत्रिक सुधार इत्यादि शामिल हैं ।

नागरिक समाज के समक्ष अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त करने संबंधी चुनौतियां

- **तकनीकी:** अधिकांश भारतीय नागरिकों में डिजिटल साक्षरता का अभाव है। साथ ही, अनेक डिजिटली साक्षर लोग ऑनलाइन सुरक्षा से परिचित नहीं हैं।
  - **भाषा, पहुँच संबंधी बाधाएं,** सीमित डेटा तथा ढांचागत प्रणालियां इस परिदृश्य को और जटिल बनाती हैं।
- **आर्थिक:** कई विशिष्ट परियोजनाओं के लिए NGOs उन्हें मिलने वाले दान पर निर्भर करते हैं। इसके कारण उनके कार्यों में निरंतरता और एकरूपता नहीं आ पाती है।
- **सामाजिक:** कई कॉर्पोरेट परियोजनाओं को बड़े पैमाने पर लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। किंतु कुछ नागरिक समाज अक्सर ऐसी कॉर्पोरेट परियोजनाओं के उदारीकरण एवं मंजूरी में बाधक बन कर इनमें देरी का कारण बन जाते हैं।
  - नागरिक समाज संगठनों की मौजूदगी और कर्तव्यों के संबंध में जनता के बीच **जागरूकता का अभाव है।**
- **राजनीतिक:** वर्ष 2015 में, केंद्र सरकार ने ई-फाइलिंग संबंधित आवश्यकताओं में वृद्धि की थी। गैर-सरकारी संगठनों को प्राप्त विदेशी अनुदानों की तिमाही फाइलिंग करनी अनिवार्य थी।
  - उदाहरण के लिए, केंद्र ने वर्ष 2015 में 10,069 विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA)[51] पंजीकरण रद्द कर दिए थे। साथ ही, वर्ष 2017 में 4,943 अन्य पंजीकरण रद्द किए गए थे।
- **सुरक्षा:** आसूचना ब्यूरो या खुफिया विभाग के इनपुट के अनुसार भारत में आने वाली विदेशी निधि का उपयोग राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को अस्थिर करने से संबंधित गतिविधियों के लिए किया जाता है। ये सूचनाएं यह भी दर्शाती हैं कि उस निधि का उपयोग नक्सलियों को प्रशिक्षित करने के लिए भी किया गया था।

आगे की राह

- **जवाबदेही:** नागरिक समाज संगठनों के कार्यों के न केवल आर्थिक अथवा वित्तीय, बल्कि व्यापक सामाजिक और पर्यावरणीय परिणाम होते हैं। अतः इन संगठनों को उनके कार्यों और दोषों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
- **वित्तपोषण:** धनी दानदाताओं पर निर्भरता कम करने के लिए वित्तपोषण के कई स्रोतों का विकास किया जाना चाहिए।
- **सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को नियोजित करना:** नागरिक समाज संगठन **सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित** करने की दिशा में कार्य कर सकते हैं। हालांकि, नागरिक समाज संगठनों में रोजगार पाने वाले व्यक्तियों को पहले ग्रामीण या शहरी निम्न आय वाले क्षेत्रों में निर्धन या वंचित समुदायों के साथ कार्य करना चाहिए। उन्हें केवल निर्वहनीय वेतन पर ऐसे समुदायों को कम से कम तीन वर्षों की स्वैच्छिक सेवा प्रदान करनी चाहिए।
- **प्रौद्योगिकीय:** व्यापक पैमाने पर प्रौद्योगिकी आधारित पहलों को सामान्य बनाने के लिए सरकार, दानकर्ताओं और अन्य नागरिक समाज भागीदारों के साथ सहयोग महत्वपूर्ण है।

[51] Foreign contribution regulation Act

7. स्थानीय स्वशासन (Local Governance)

7.1. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 {Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, छत्तीसगढ़ सरकार ने पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम के तहत मसौदा नियमों को मंजूरी प्रदान की है।

अन्य संबंधित तथ्य

मसौदा नियमों के अनुसार **अनुसूचित जनजातियों को न्यूनतम 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व** प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनारक्षित वर्ग को भी उनकी जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा।

पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम या पेसा (PESA) अधिनियम, 1996 के बारे में

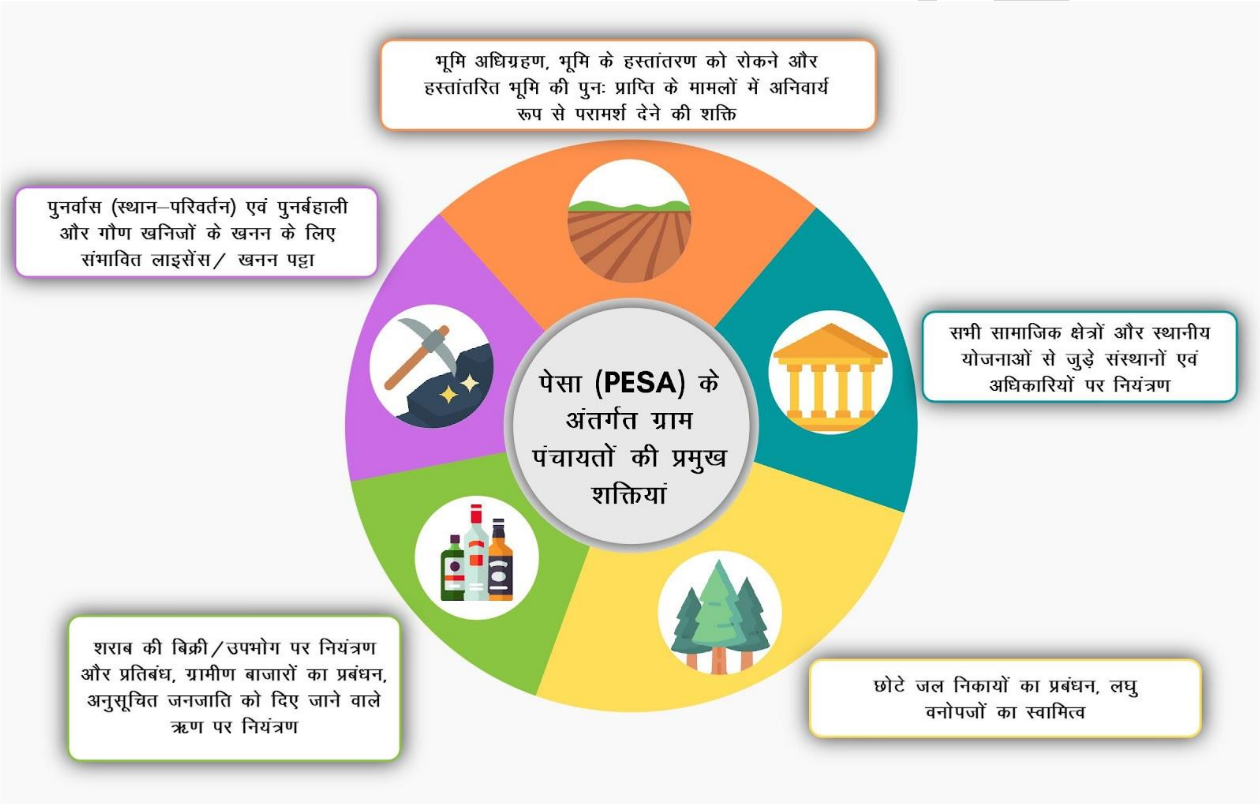

- संविधान के **अनुच्छेद 243M** के तहत संविधान के **भाग IX में निहित पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों को छूट प्रदान की गई है।** हालांकि, संसद को विधि द्वारा अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों में इसके प्रावधानों का विस्तार करने का अधिकार है। संसद के इस कार्य को संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा।
- **पेसा अधिनियम को वर्ष 1996 में** अधिनियमित किया गया था। यह **दिलीप सिंह भूरिया समिति** की सिफारिशों पर आधारित था। इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों का सशक्तीकरण करना और उन्हें मुख्यधारा में लाना था।
- पेसा अधिनियम को 'संविधान के भीतर संविधान' कहा जाता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि यह संविधान के **पंचायती राज (भाग IX) के प्रावधान** को कुछ संशोधनों और अपवादों के साथ विस्तारित करता है। ये प्रावधान **अनुच्छेद 244 के खंड (1)** के अंतर्गत **10 राज्यों के पांचवीं अनुसूची में आने वाले क्षेत्रों** तक विस्तारित हैं।
    - **ये 10 राज्य हैं: आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना।**

- यह इन क्षेत्रों में ग्राम सभा और समुदाय की भूमिका को मान्यता प्रदान करता है। साथ ही, यह राज्य सरकार को यह निर्देश देता है कि वह **ग्राम सभा और पंचायतों को प्रत्यक्ष रूप से शक्ति एवं अधिकार हस्तांतरित करे।**
- **पंचायती राज मंत्रालय** पेसा अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु **नोडल मंत्रालय** है।

पेसा अधिनियम के मुख्य प्रावधान

पेसा के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं और सहभागी लोकतंत्र को प्रोत्साहन प्रदान करना है। इस उद्देश्य के लिए पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों हेतु अधिनियमित सभी राज्य पंचायती राज अधिनियमों में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं शामिल की गई हैं:

- पंचायतों के संबंध में राज्यों द्वारा बनाए गए कानून, **परंपरागत कानून, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं एवं समुदाय के संसाधनों की परंपरागत प्रबंधन पद्धतियों** के अनुरूप होंगे।
- प्रत्येक ग्राम की **एक ग्राम सभा** होगी। यह ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जिनके नाम ग्राम स्तर पर **पंचायत के लिए निर्वाचक नामावलियों** में शामिल हैं।

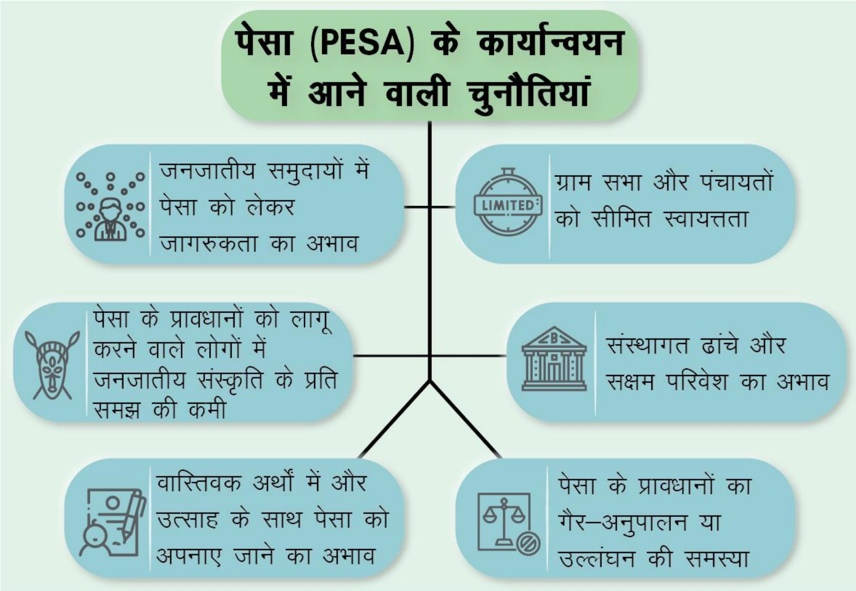

- प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की **परंपराओं और रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, समुदाय के संसाधनों तथा विवाद निपटाने के रुढ़िजन्य ढंग का संरक्षण और परिरक्षण** करने के लिए सक्षम होगी।
- प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जनजातियों के लिए समुदाय की आबादी के अनुपात में **(न्यूनतम 50%) सीटों का आरक्षण** होगा, जो सभी स्तरों पर **पंचायतों के अध्यक्ष** के साथ उपबंधित होगा।
- **ग्राम सभाओं की भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व:** ग्रामों में सभी विकास कार्यों को मंजूरी प्रदान करना, लाभार्थियों की पहचान करना, निधियों के उपयोग के प्रमाण-पत्र जारी करना आदि।

पेसा अधिनियम की सीमाएं

पेसा अधिनियम ने **जनजातीय समुदायों की आजीविका में वृद्धि** की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन, इसके कार्यान्वयन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है **(जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है)** तथा कुछ राज्य सरकारों की धीमी अनुक्रिया इन चुनौतियों में और अधिक वृद्धि कर देती है, जैसे-

- **पेसा नियम:** चार प्रमुख जनजातीय राज्यों अर्थात् **झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा** ने अभी तक पेसा नियमों का निर्माण नहीं किया है।
- **कानून की उपेक्षा करने के लिए अनुचित साधनों का उपयोग:** भूमि का अधिग्रहण अन्य अधिनियमों के तहत होता है। यह पेसा की अंतर्निहित भावना अर्थात् जनजातीय भूमि का संरक्षण और ग्राम सभाओं की सहमति लेने के प्रावधान का उल्लंघन है।

- उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में प्राधिकारियों ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957[52] का उपयोग कर भूमि अधिग्रहण करने का निर्णय लिया था।

- **कानून का निम्न स्तरीय कार्यान्वयन:** भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (IIPA)[53] ने वर्ष 2010 में **आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा** में "पेसा की स्थिति" पर एक अध्ययन किया था। इस अध्ययन में अधिनियम के **निम्न स्तरीय कार्यान्वयन** पर प्रकाश डाला गया था।
  - उदाहरण के लिए, झारखंड के खूंटी जिले में, जिन लोगों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था, उनमें से 65 प्रतिशत लोगों से इसके संबंध में सहमति नहीं ली गई थी। झारखंड के गुमला जिले में इन लोगों की संख्या लगभग 26% थी।

आगे की राह

- **अनुसूचित क्षेत्रों पर नगरपालिकाओं के विस्तार (MESA)[54] को लागू करना:** भूरिया समिति ने **73वें और 74वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को पांचवीं अनुसूची के तहत शामिल क्षेत्रों में** विस्तारित करने के लिए **PESA (पेसा)** और **MESA** की सिफारिश की थी। लेकिन **नगरीय जनजातीय क्षेत्रों** में अभी तक **MESA** को लागू नहीं किया गया है।
- **पेसा नियमों का निर्माण:** शेष राज्यों को पेसा नियमों का तीव्रता से निर्माण करना चाहिए। इन्हें **पंचायती राज मंत्रालय के वर्ष 2009 के मॉडल नियमों** के आधार पर लागू करना चाहिए।
- **अन्य विनियमों के साथ पेसा का समन्वय:** पेसा के प्रावधानों को वन अधिकार अधिनियम (2006), भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार आदि के साथ समन्वित किया जाना चाहिए। इससे **जनजातीय अधिकारों/संस्कृति का संरक्षण किया जा सकेगा।**
- **नया जनजातीय सामुदायिक विकास मॉडल:** पंचायती राज मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय को जनजातीय समुदायों के लिए एक नए विकास मॉडल का निर्माण करना चाहिए। **ग्राम पंचायत विकास योजना** (GPDP)[55] तैयार करते समय जनजातीय समुदाय की परंपराओं और समन्वय के प्रयासों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- **अन्य उपाय:** जनजातीय समुदाय के लोगों के बीच भूमि से अलगाव को कम किया जाना चाहिए। साथ ही, जनजातीय समुदायों की क्षमता निर्माण के लिए व्यापक सामाजिक विकास (स्वास्थ्य और शिक्षा) पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

7.2. जन योजना अभियान (People's Plan Campaign)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने **जन योजना अभियान 2021- सबकी योजना सबका विकास** आरंभ किया है। साथ ही, **वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड** का भी शुभारंभ किया गया है।

जन योजना अभियान के बारे में

- जन योजना अभियान वस्तुतः **ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP)**[56] तैयार करने हेतु एक प्रभावी रणनीति है। इस अभियान के दौरान आगामी वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए ग्राम सभा की बैठकें आयोजित की जाएंगी।
- बैठकों का आयोजन भौतिक रूप से किया जाएगा। बैठक के दौरान 29 क्षेत्रकों के अग्रिम मोर्चे के कामगार/पर्यवेक्षक मौजूद होंगे। इसके तहत **समाज के कमजोर वर्गों** जैसे कि अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित

[52] Coal Bearing Act of 1957

[53] Indian Institute of Public Administration

[54] Municipalities Extension to Scheduled Areas

[55] Gram Panchayat Development Plan

[56] Gram Panchayat Development Plan: GPDP

DELHI | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | JAIPUR | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI 8468022022

जनजातियों/ महिलाओं आदि की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं।

- पंचायत विकास योजना का उद्देश्य ग्राम सभा को प्रभावी बनाने के लिए **पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों** की भूमिका को मजबूत करना है। साथ ही, इसमें **दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं** की भूमिका को भी मजबूत किया जाना है। देश भर में **कुल 31.65 लाख निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि हैं, जिनमें से 14.53 लाख महिलाएं हैं।**

ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) और इसका महत्व

- भारतीय संविधान में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय का लक्ष्य अंतर्निहित है। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु संविधान के **अनुच्छेद 243G ने ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत विकास योजनाएं तैयार करने एवं उसे लागू करने का दायित्व सौंपा है।** ग्राम पंचायत विकास योजना तीन आवश्यक कार्य करती है:
  - यह लोगों को एक **विजन** प्रदान करती है कि लोग अपने गांव को कैसा देखना चाहेंगे;
  - यह उस विजन को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट **लक्ष्य** निर्धारित करती है; तथा
  - उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए **कार्य योजना** प्रदान करती है।

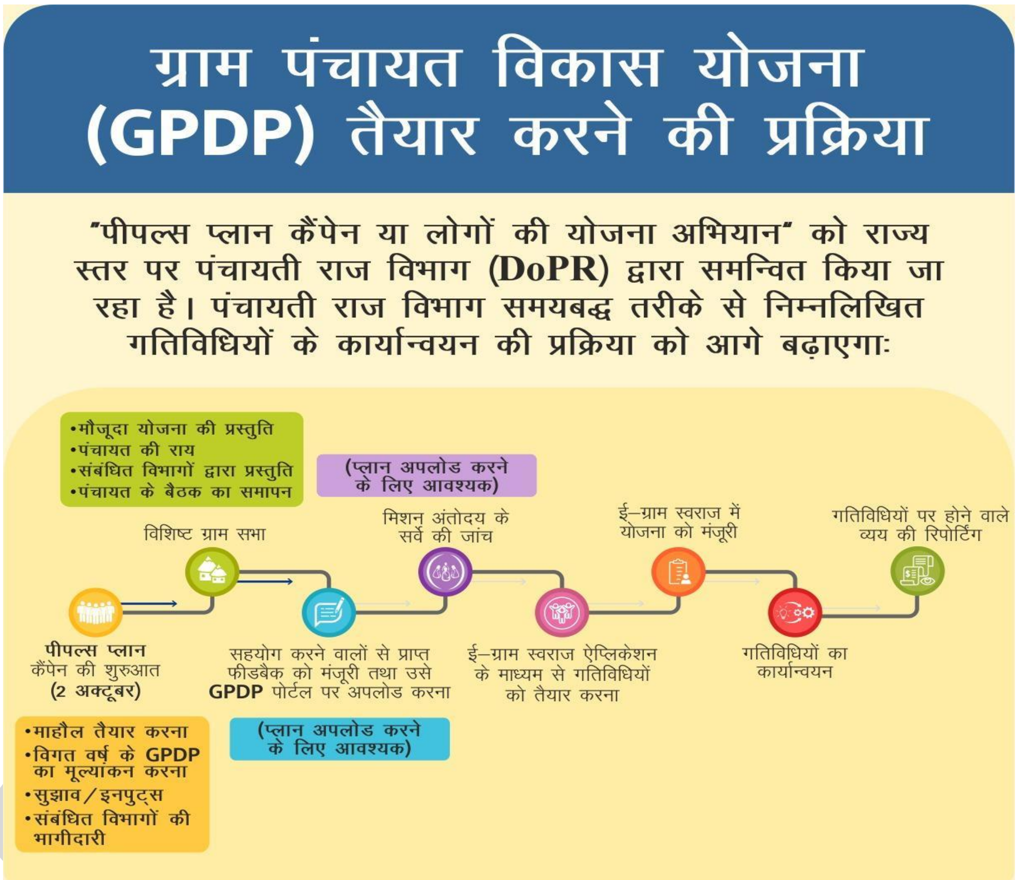

- ग्राम पंचायत विकास योजना को व्यापक और समुदाय (विशेष रूप से ग्राम सभा) को शामिल करने वाली सहभागी प्रक्रिया पर आधारित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इसे संविधान की **11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से जुड़े** सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों की योजना के साथ तालमेल पर आधारित होना चाहिए।
- पंचायतें, **राष्ट्रीय महत्व के विषयों से संबंधित प्रमुख योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन** में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इससे **ग्रामीण भारत में परिवर्तन की राह आसान होगी।** इस संदर्भ में अन्य योजनाओं के साथ तालमेल या अभिसरण का व्यापक महत्व है।
- **पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायत विकास योजना के आदर्श दिशा-निर्देश तैयार कर लिए हैं।** इन्हें उन सभी राज्यों को प्रेषित कर दिया गया है, जहां संविधान का भाग IX लागू है।

7.3. सेवा वितरण में पंचायतों की भूमिका (Role of Panchayats in Service Delivery)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **पंचायतों द्वारा सेवा वितरण के मैसूर घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।** इस घोषणा-पत्र पर पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यशाला (Workshop) में हस्ताक्षर किए गए थे।

अन्य संबंधित तथ्य

- 16 राज्यों के प्रतिभागियों ने **मैसूर घोषणा-पत्र** पर हस्ताक्षर किए हैं। इन प्रतिभागियों ने 1 अप्रैल 2022 से देश भर में पंचायतों द्वारा **सामान्य न्यूनतम सेवा वितरण शुरू करने का संकल्प लिया है।**
- इस घोषणा-पत्र का लक्ष्य नागरिक केंद्रित सेवाओं को **"शासन के केंद्र"** के **रूप में मान्यता देना है।**
  - **इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर संस्था-निर्माण को बढ़ावा देना है।** यह नागरिकों को सशक्त बनाता है और उन्हें सेवाएं प्रदान करता है। इससे विशेष रूप से समाज के कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है।

सार्वजनिक सेवाओं के प्रभावी वितरण के लिए पंचायतों को क्या उपयुक्त बनाता है?

PRIs में आवश्यक सेवाओं के **प्रभावी वितरण के लिए निम्नलिखित कई सकारात्मक विशेषताएं शामिल हैं:**

- **सहभागी शासन:** ग्राम सभाओं को स्थानीय स्तर पर ऐसी योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने का अधिकार दिया गया है, जो स्थानीय सामाजिक पारंपरिक ज्ञान के आधार पर लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी की सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
- **सामाजिक समावेश:** पंचायतों में महिलाओं (1/3 सीटों) और हाशिए पर रहने वाले अन्य समुदायों जैसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए संवैधानिक रूप से अनिवार्य आरक्षण का उपबंध किया गया है। यह आरक्षण ग्राम स्तर के शासन में इनकी भागीदारी सुनिश्चित करता है और विकासात्मक आकांक्षाओं को शामिल करता है।
  - उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के संदर्भ में, महिला PRI सदस्य पोलियो उन्मूलन, स्वास्थ्य शिविरों, सेवाओं के लिए महिलाओं को संगठित करने आदि में सक्रिय भूमिका निभाती हैं।

पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहलें-

- **राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (RGPSA):** इसका उद्देश्य पंचायतों एवं ग्राम सभाओं की क्षमता और प्रभावशीलता को बढ़ाना, पंचायतों में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना तथा पंचायतों के क्षमता निर्माण के लिए संस्थागत ढांचे को सशक्त करना है।
- **आदर्श नागरिक घोषणा-पत्र (Model Citizen's Charter):** यह पंचायत द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों, सेवा शर्तों एवं समय सीमा और स्थानीय संधारणीय विकास लक्ष्यों (SDGs) के साथ कार्यों को संरेखित करने का विवरण देता है।
- **सबकी योजना सबका विकास:** पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और राज्य के संबंधित विभागों के बीच अभिसरण के माध्यम से ग्राम सभा में योजना बनाने के लिए एक गहन तथा संरचित अभ्यास।
- **मिशन अंत्योदय:** यह मानव और वित्तीय संसाधनों को एकत्रित करके सरकारी हस्तक्षेपों को ग्राम पंचायतों के साथ मिलाने का प्रयास करता है।
- **ई-ग्राम स्वराज:** यह एक वेब आधारित पोर्टल है। यह ग्राम पंचायतों के नियोजन, लेखा और निगरानी कार्यों को एकीकृत करता है।

- **उत्तरदायित्व:** पंचायतों के नियमित चुनाव के माध्यम से मतदाताओं द्वारा निर्वाचित निकायों को उनके प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी ठहराना आसान हो जाता है। इसके अतिरिक्त, ग्राम सभा को मनरेगा जैसे कुछ कार्यक्रमों के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा करने का अधिकार भी है।
- **अनुक्रियता:** मतदाताओं से अपनी निकटता के कारण, स्थानीय रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि अपने छोटे निर्वाचन क्षेत्र को बेहतर जानते हैं। इसके अतिरिक्त, अपने मतदाताओं की पसंद के अनुसार बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए लाभप्रद स्थिति में भी होते हैं।
  - नीति आयोग के अनुसार, बुनियादी सेवाओं के प्रावधान के लिए सतत विकास लक्ष्यों (SDGs)[57] को प्राप्त करने हेतु **SDGs का स्थानीयकरण** अर्थात् उप-राष्ट्रीय या जमीनी स्तर पर उनका कार्यान्वयन आवश्यक है।
- **ऊर्ध्वगामी (बॉटम-अप) दृष्टिकोण:** ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDP) की तैयारी हेतु संवैधानिक रूप से अधिदेशित किया गया है। ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (GPDP) 29 विषयों से संबंधित सभी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/संबंधित विभागों की योजनाओं के साथ जुड़ी हुई हैं। प्रमुख योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इस जुड़ाव का अधिक महत्व है।
- **कार्यात्मक पारदर्शिता:** ग्राम पंचायतों को ग्राम स्वराज अभियान के तहत संबंधित विभागों की विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्ध करायी गयी धनराशि और प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में सार्वजनिक प्रकटीकरण करना अनिवार्य है।

57 Sustainable Development Goals

सेवाओं के प्रभावी वितरण में पंचायती राज संस्थाओं के समक्ष बाधाएं

- **अभिजात्य वर्ग द्वारा अधिग्रहण:** स्थानीय निकायों को हस्तांतरित की गई शक्तियों और संसाधनों को प्राय: उच्च जाति के शक्तिशाली लोगों द्वारा हासिल कर लिया जाता है। इसके परिणामस्वरूप, सेवाओं तक पहुंच में असमानता होती है।
- **राजकोषीय विकेंद्रीकरण का अभाव:** अधिकांश राज्यों में, पंचायतों को वित्तीय और प्रशासनिक संसाधनों के बिना व्यापक जिम्मेदारियां मिलती हैं। PRIs द्वारा उपयोग की जाने वाली 90 प्रतिशत से अधिक निधियां, योजनाओं (ज्यादातर केंद्रीय योजनाओं) से जुड़ी होती हैं। शर्त-रहित या मुक्त (अनटाइड) निधियों का अभाव प्रयासों को रोकता है और सार्थक योजना प्रक्रियाओं में स्थानीय निकायों को शामिल होने से हतोत्साहित करता है।

पंचायतों द्वारा सेवा वितरण की श्रेष्ठ गतिविधियां

केरलः कोविड के दौरान महामारी की रोकथाम में

प्रभावी हस्तांतरण की मजबूत प्रणाली को अपनाए जाने से **कुंडुंबाश्री कार्यक्रम** को पंचायतों के साथ मिलकर लागू करने में सहायता प्राप्त हुई।

बेयरहट्टी ग्राम पंचायत, तमिलनाडुः सामाजिक सुरक्षा लाभ

पात्र लाभार्थियों की सूची बनाने और उन्हें अपने सामाजिक सुरक्षा अधिकारों को प्राप्त करने में सहायता के लिए विशेष अभियान।

दक्षिण कन्नड़ जिला पंचायत, कर्नाटकः समग्र स्वच्छता (सैनिटेशन) अभियान

आंगनवाड़ी समन्वय समितियों और स्थानीय लोगों की उच्च भागीदारी, मजबूत निगरानी प्रणाली, सक्रिय स्वयं सहायता समूह (SHGs)A

डिब्रूगढ़ जिला परिषद, असमः विज़न डॉक्यूमेंट पहल

यह दस्तावेज या डॉक्यूमेंट, संबंधित जिले के विकास के प्रति एक उपयुक्त दृष्टिकोण देता है। यह अच्छी प्रशासनिक प्रथाओं को भी सम्मिलत करता है जैसे कि कार्यसंचालन में पारदर्शिता और ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता देना जो स्थानीय लोगों की अत्यावश्यक जरूरतों को पूरा करती हैं।

गेरेथांग–लाबिंग ग्राम पंचायत, सिक्किमः सहभागी लोकतंत्र के माध्यम से सेवा वितरण

प्रगतिशील प्रशासनिक गतिविधियां जैसे कि संयुक्त ग्राम प्रशासनिक केंद्र, सिंगल विंडो सिस्टम, युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत तथा बहु–उद्देशी सहकारी समितियां (MPCS)।

- **संरचनात्मक खामियां:** किसी भी सचिव स्तरीय समर्थन की अनुपस्थिति और तकनीकी ज्ञान के निचले स्तर ने, ऊर्ध्वगामी योजना निर्माण के संयोजन को प्रतिबंधित कर दिया है।
- **तदर्थवाद (Adhocism):** स्थानीय स्तर पर सूचना की अनुपलब्धता से योजनाओं/कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने, खराब निर्णय लेने और प्रक्रिया में लोगों की सीमित भागीदारी में तदर्थता का मार्ग प्रशस्त होता है।
- **परोक्ष (प्रॉक्सी) प्रतिनिधित्व:** महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के मामले में क्रमशः पंच-पति (Panch-Pati) और परोक्ष प्रतिनिधित्व की उपस्थिति है।
- हस्त लेखापरीक्षण (मैनुअल ऑडिटिंग) के कारण, **जवाबदेही व्यवस्था कमजोर रहती है।**
- **सौंपे गए कार्यों में स्पष्टता की कमी** और पर्याप्त योग्य पदाधिकारियों के अभाव ने राज्यों के साथ शक्तियों के संकेंद्रण को समर्थ बनाया है। इस कमी व अभाव ने उन निर्वाचित प्रतिनिधियों को रोक दिया है, जो जमीनी स्तर के प्रति अधिक जागरूक और संवेदनशील हैं।

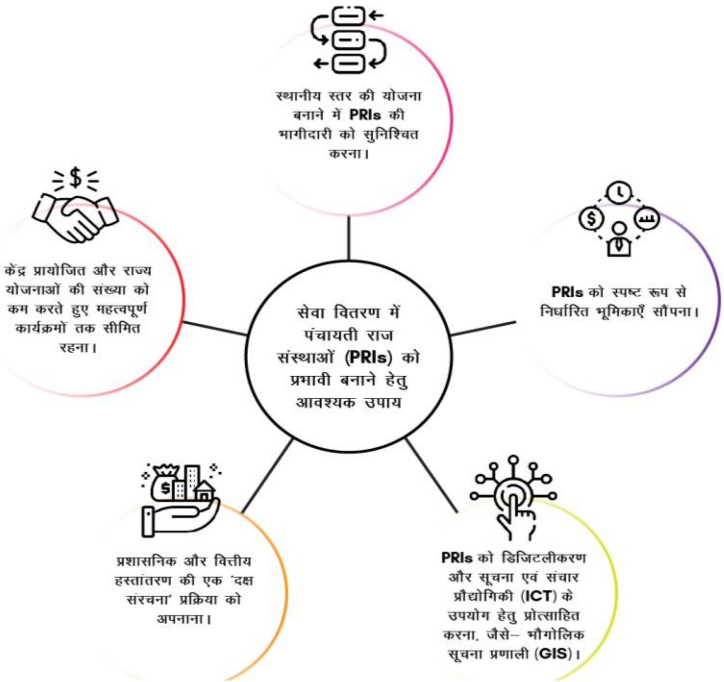

निष्कर्ष

राज्य कार्यकारिणी पर सार्वजनिक वस्तुओं के कुशल वितरण की मांग कर रहे लोगों की ओर से ऊर्ध्वगामी दबाव बढ़ रहा है। इसे प्रभावी ढंग से केवल गहन विकेंद्रीकरण से ही पूरा किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल प्रसार और कनेक्टिविटी से ग्रामीण-शहरी सूचना में व्याप्त अंतर कम हो रहा है। साथ ही, स्थानीय स्तर पर प्रशासन को प्रभावी तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है।

अन्य संबंधित तथ्य

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन के लिए संशोधित दिशा-निर्देश {Revised Rural Area Development Plan Formulation And Implementation (RADPFI)} जारी किए गए हैं।

- संशोधित RADPFI दिशा-निर्देशों का उद्देश्य गांवों के समग्र एकीकृत विकास के लिए **स्थानिक विकास की योजना बनाना है।**
- **स्थानिक योजना की आवश्यकता:**
    - ग्राम पंचायतों में योजना के बिना स्थानिक विकास,
    - विस्तारित शहरीकरण क्षेत्र,
    - जनगणना कस्बों का उदय,
    - ग्राम पंचायतों के जीवन की गुणवत्ता और संधारणीयता में सुधार,
    - सुधारों/कार्यक्रमों का एकीकरण करना (SVAMITVA/स्वामित्व, RURBAN/रुर्बन, राज्य अधिनियमों में नवीन बदलाव और संशोधन तथा आपदा, जलवायु परिवर्तन व लोचशीलता संहिताओं पर फिर से बल देना इत्यादि),
    - सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) से संबंधित कृषि-जलवायु क्षेत्रों/जोन से जुड़ने की आवश्यकता आदि।
- **नये दिशा-निर्देश (वर्ष 2021) निम्नलिखित पर केंद्रित हैं:**
    - स्थानिक विकास योजना तैयार करने के लिए **गांवों की टाइपोलॉजी** पर ध्यान केंद्रित करना। इसके अंतर्गत गांवों की जनसंख्या, कृषि-जलवायु क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, आपदाओं का घटित होना इत्यादि शामिल हैं।
    - सहयोगात्मक योजना निर्माण पर आधारित समुदाय के माध्यम से **ग्राम कस्बा नियोजन योजना (Village Town Planning Scheme: VPS)।**
    - ग्राम स्तरीय योजना निर्माण के संबंध में **15वें वित्त आयोग को राज्य वित्त आयोग से जोड़ना।**
    - 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम तथा ग्राम पंचायत विकास कार्यक्रम (GPDP) के अनुसार रुर्बन क्लस्टर्स/ब्लॉक/जिला योजना के साथ ग्राम पंचायत विकास का एकीकरण/समेकन करना।
    - **स्थानिक डेटा बुनियादी ढांचे के माध्यम से ई-गवर्नेंस** में सुधार करना।
    - आबादी क्षेत्र (भूमि रिकॉर्ड्स को जोड़ने) के लिए **'ग्रामों का सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में तात्कालिक प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण' (SVAMITVA/स्वामित्व) योजना** तथा अन्य डिजिटल उपकरणों का उपयोग करना।
    - **पर्यावरणीय लाभ** और आपदा प्रबंधन के लिए योजना बनाना।
    स्वामित्व **पंचायती राज मंत्रालय** द्वारा संचालित **केंद्रीय क्षेत्रक** की एक योजना है। इसका उद्देश्य **ग्रामीण लोगों को रिकॉर्ड ऑफ़ राइट्स (record of rights)' प्रदान करना है और उनके लिए संपत्ति कार्ड जारी करना है।**
- स्वामित्व के व्यापक उद्देश्यों में कुशल ग्रामीण नियोजन को सक्षम बनाना और गुणवत्तापूर्ण ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने में सहायता प्रदान करना शामिल है। साथ ही, इसमें बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए संपत्ति कार्ड का एक उपकरण के रूप में उपयोग करने आदि को भी शामिल किया गया है।

7.4. शहरी स्थानीय निकाय {Urban Local Bodies (ULBs)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022** को अधिनियमित किया गया है। इसमें **दिल्ली के तीन नगर निगमों (MCD) का विलय करके पुन: एक नगर निगम के गठन** का प्रावधान किया गया है।

MCD अधिनियम 2022 के प्रमुख प्रावधान:

- यह केंद्र सरकार को विभिन्न मामलों जैसे विनियम बनाने, निगम द्वारा ऋण के समेकन की मंजूरी देने आदि के निर्धारण का अधिकार देता है।
- नए निगम में **सीटों की कुल संख्या 250 से अधिक नहीं** होनी चाहिए।
- यह केंद्र सरकार को एकीकृत MCD की प्रथम बैठक होने तक **निगम की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त** करने का अधिकार देता है।
- इसमें स्थानीय निकायों के **निदेशक से संबंधित प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।**
- बेहतर, उत्तरदायी और पारदर्शी प्रशासन के लिए 'कभी भी-कहीं भी' के आधार पर **नागरिक सेवाओं हेतु ई-गवर्नेंस प्रणाली की स्थापना करने का प्रावधान** किया गया है।
- MCD कमिश्नर को केवल **केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह** बनाया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम 2022 के द्वारा 'दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957' में संशोधन किया गया है।** यह संशोधन, अधिनियम में किए गये 2011 के संशोधन को पूर्णतः निष्प्रभावी कर देगा। 2011 के संशोधन

द्वारा दिल्ली नगर निगम को तीन अलग-अलग नगर निगमों में अर्थात् उत्तर, दक्षिण और पूर्वी नगर निगम में विभाजित कर दिया था।

- यह विभाजन सर्वप्रथम वर्ष **1987 में गृह मंत्रालय द्वारा गठित बालकृष्णन समिति की रिपोर्ट** में प्रस्तावित किया गया था। साथ ही, वर्ष 2001 में वीरेंद्र प्रकाश समिति की रिपोर्ट से इसे पुनः बल प्रदान किया गया था।

- नगरपालिकाओं का उद्देश्य स्थानीय नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना और उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। हालांकि, हाल की विभिन्न रिपोर्ट्स **नगरपालिकाओं (शहरी स्थानीय निकायों) के कुप्रबंधन को** रेखांकित करती हैं।

आगे की राह

- **कार्यों का हस्तांतरण करना:** 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा निर्धारित कार्यों का प्रभावी हस्तांतरण करना और महापौर के पद तथा नगरपालिकाओं को शक्तियां एवं स्वायत्तता प्रदान करना समय की मांग है।
- **मानव संसाधन क्षमता का निर्माण करना:** वास्तव में प्रभावी प्रशासन के लिए एक विशेषीकृत नगरपालिका कैडर की स्थापना करना अत्यंत आवश्यक है। राज्यों को इस मामले में मध्य प्रदेश, गुजरात एवं तमिलनाडु के उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए।

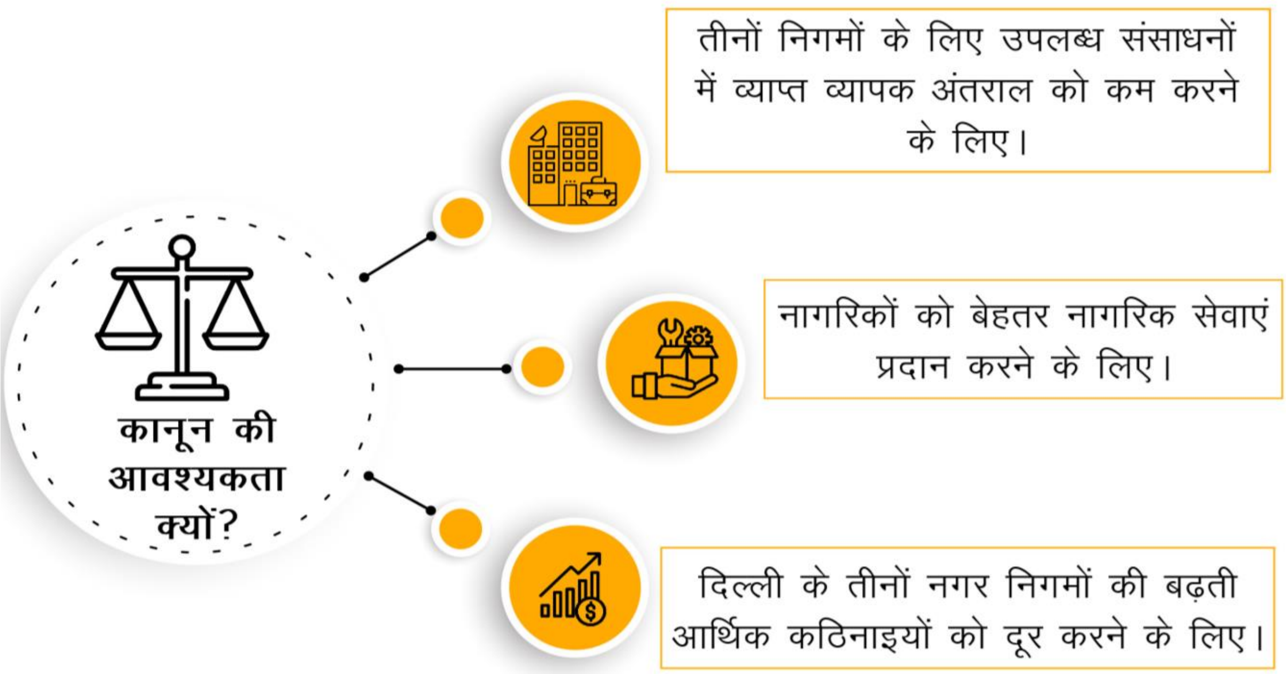

- **जवाबदेही बढ़ाना: निगम के कामकाज और प्रक्रिया के नियमों का निर्धारण करने वाले मजबूत उपनियमों** को अधिनियमित करने की आवश्यकता है। इससे निर्वाचित प्रतिनिधियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त, वार्ड के नागरिकों के पास किसी पदासीन व्यक्ति को उसके पद से हटाने का अधिकार होना चाहिए।
- **शहरों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना:** नगरीय सरकारों को **कर संग्रह कवरेज का विस्तार करना चाहिए और कर संग्रह दक्षता बढ़ानी चाहिए।** इससे उनके राजस्व में वृद्धि होगी। इसके साथ ही, नए करों की शुरुआत करने एवं कर की दरों को संशोधित करने के लिए **शक्ति एवं प्राधिकार हस्तांतरित किए जाने चाहिए।**

- ○ मुंबई ऐसे शहर का एकमात्र उदाहरण है, जहां स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार वार्ड समितियों को दिया गया है।

- **सक्रिय नागरिक भागीदारी:** शासन प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु सक्रिय नागरिक भागीदारी की आवश्यकता है। विशेष रूप से **बजट निर्माण एवं शहरी नियोजन** जैसे क्षेत्रों में यह अत्यधिक आवश्यक है।
- **नागरिक शिकायत निवारण तंत्र:** शहर में नगरीय, राज्य और केंद्रीय एजेंसी द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सार्वजनिक सेवाओं के लिए केंद्रीकृत शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए।
- **नियमित निर्वाचन:** शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचन उनकी अवधि के समाप्त होने से पहले ही पूरे कराए जाने चाहिए। उनके विघटन की स्थिति में, विघटन की तिथि से छह माह के भीतर निर्वाचन कराए जाने चाहिए।

ULBs को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

- **विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त शहरी विकास हेतु क्षमता निर्माण (CBUD)[58] परियोजना:** इसे विश्व बैंक की ऋण सहायता से एक केंद्रीय योजना के रूप में प्रस्तावित किया गया है। इसका उद्देश्य शहरी सुधारों को लागू करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों के क्षमता निर्माण में वृद्धि करना और उन्हें सशक्त बनाना है।
- **पीयर एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्टिव लर्निंग (PARL) कार्यक्रम:** इसका उद्देश्य शहरों और संस्थानों के बीच क्रॉस लर्निंग को प्रोत्साहित करना है।
- **रैपिड ट्रेनिंग प्रोग्राम (RPT):** इसका उद्देश्य **जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (JNNURM) निधि** का उपयोग करने में पीछे रह गए एवं धीमी गति से प्रदर्शन करने वाले शहरों को तीन प्राथमिकता वाले मॉड्यूल के अंतर्गत प्राथमिकता प्रदान करना है। ये मॉड्यूल हैं - **शासन और सुधार, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPRs) का पर्यवेक्षण/तैयारी तथा परियोजना प्रबंधन एवं कार्यान्वयन।**

58 Capacity Building for Urban Development

8. सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्द्ध-न्यायिक निकाय (Statutory, Regulatory and various Quasi-judicial Bodies)

8.1. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग {National Commission for Scheduled Tribes (NCST)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर स्थायी समिति ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) पिछले चार वर्षों से निष्क्रिय है।** समिति ने यह भी कहा है कि NCST ने इस दौरान संसद में **एक भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं** की है।

आयोग के कार्य {अनुच्छेद 338A के उपखंड (5) के अनुसार}

- अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की **योजना प्रक्रिया में भाग लेना, उन पर सलाह देना** एवं **उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।**
- **उन सभी के रक्षोपायों के संचालन के बारे में** प्रति वर्ष तथा विवेकानुसार ऐसे अन्य समयों पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए अन्य दायित्वों का निर्वहन करना।
- आयोग **निम्नलिखित अन्य कार्यों** का भी निर्वहन करेगा अर्थात्:
  - अनुसूचित जनजातियों को लघु वनोपज के संबंध में **स्वामित्व अधिकार प्रदान करने** के लिए किए जाने वाले उपाय।
  - **खनिज संसाधनों,** जल संसाधनों आदि पर **अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा** के लिए किए जाने वाले उपाय।
  - जनजातियों द्वारा **स्थानांतरित खेती की प्रथा को कम करने और अंततः समाप्त करने के लिए** किए जाने वाले उपाय।

संसदीय समिति द्वारा उजागर किए गए NCST से संबद्ध मुद्दे:

- **लंबित रिपोर्ट:** आयोग की वर्ष 2018 के बाद की सभी रिपोर्ट्स अभी भी जनजातीय कार्य मंत्रालय में प्रक्रियाधीन है। यह आज तक संसद में प्रस्तुत नहीं की गई है।
  - लंबित रिपोर्ट्स में से एक आंध्र प्रदेश की इंदिरा सागर पोलावरम परियोजना के जनजातीय आबादी पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में है।
- **जनशक्ति और बजट की कमी:** समिति ने कहा कि आयोग में कई पद अभी भी रिक्त हैं। आवेदकों की कमी के कारण आयोग में होने वाली नियुक्तियां बाधित हुई हैं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि पात्रता मानदंडों को अत्यधिक उच्च बनाए रखा गया था।

- **NCST से संबंधित अन्य मुद्दे:**
    - आयोग की वेबसाइट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में इसकी **केवल चार बार बैठक हुई** है।
    - इसे प्राप्त होने वाली शिकायतों और मामलों के लंबित रहने की दर लगभग 50 प्रतिशत है।
    - विभिन्न नीति संबंधी मुद्दों पर आयोग की सिफारिशों की स्वीकृति/ अस्वीकृति के संबंध में संबंधित मंत्रालय/विभाग की स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं हैं।

NCST की प्रमुख सिफारिशें

खनिज संसाधनों पर **जनजातीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए** आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:

- अनुसूचित क्षेत्रों में खनन संबंधी रियायतें देते समय जनजातियों को वरीयता देने के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की आवश्यकता है।
- **भूरिया समिति (1995)** की सिफारिशों को प्रभावी बनाने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस विधेयक में ऐसा प्रावधान होना चाहिए, ताकि अनुसूचित क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना और संसाधनों के प्रयोग की अनुमति देने के बदले में, वहाँ स्थापित सभी औद्योगिक उपक्रमों (छोटे उद्यमों को छोड़कर) में स्थानीय समुदायों को 50% शेयर के साथ स्वामित्व मिले।
- आदिवासियों को **व्यावसायिक प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता** दी जानी चाहिए, ताकि वे खनन कार्यों को चलाने की स्थिति में आ सकें।
- खानों और खनिजों से संबंधित अधिनियमों में कुछ विशेष प्रावधान शामिल किए जाने चाहिए। इनके माध्यम से गौण खनिजों के लिए पट्टा जारी करने से पहले ग्राम सभाओं के साथ परामर्श करना अनिवार्य किया जाना चाहिए।

NCST को मजबूत करने के लिए आवश्यक उपाय

- **संसदीय समिति द्वारा की गई सिफारिशें:** समिति ने सिफारिश की है कि अधिकारियों की भर्ती और NCST के लिए **बजटीय आवंटन** के संबंध में तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए।
- **सार्थक परामर्श को प्रोत्साहित करना:** कैबिनेट सचिवालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय को संबंधित विधायी प्रस्तावों को **मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखने** से पहले NCST के साथ **सार्थक परामर्श सुनिश्चित करने** की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए।
- **समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई करना:** यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आयोग की रिपोर्ट **संसद और राज्य विधान-मंडलों में** एक उचित अवधि के भीतर (अर्थात् **तीन महीने से अधिक नहीं) रखी जाए।**
    - इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय/संबंधित राज्य सरकार द्वारा इसकी **सिफारिशों पर की गई कार्रवाई/ प्रस्तावित कार्रवाई** का ज्ञापन इस तरह की रिपोर्ट **प्रस्तुत करने के छह महीने के भीतर** संसद/राज्य विधान-मंडल में अलग से रखा जाना चाहिए।
- **सरकार से प्रतिक्रिया:** उचित फीडबैक ऐसे नीति संबंधी मुद्दों पर सरकार के **अंतिम विचारों** के साथ **आयोग को सूचित** करेगा। साथ ही, यह भविष्य में इसी तरह के मामलों में **अपनी सिफारिशों की प्रभावशीलता की रिपोर्ट करने और अपनी सिफारिशों को परिष्कृत करने में सक्षम करेगा।**

8.2. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India: UIDAI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने 'UIDAI की कार्यप्रणाली' पर संसद में ऑडिट** रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट के अनुसार UIDAI के आधार डेटा भंडार में संग्रहीत डेटा सुरक्षित नहीं है।

अन्य संबंधित तथ्य

- रिपोर्ट के निष्कर्ष CAG द्वारा की गई UIDAI की प्रथम निष्पादन समीक्षा का हिस्सा हैं। यह समीक्षा **वित्त वर्ष 2015 तथा वित्त वर्ष 2019 के मध्य चार वर्ष की अवधि** में की गई थी।
    - वर्ष 2010 से आधार कार्ड बनाने प्रारंभ किए गए थे। इसके बाद **मार्च 2021 तक आधार डेटाबेस 1.29 बिलियन रिकॉर्ड्स तक पहुंच गया।** यह विश्व की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक आधारित पहचान प्रणालियों में से एक है।
- **CAG की रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:**

कोई निवास प्रमाण नहीं	• आधार संख्या केवल **उन व्यक्तियों को जारी की जाती है** जो आवेदन की तिथि से पूर्व पिछले **12 महीनों में 182 दिन या उससे अधिक समय के लिए** भारत में रहे हों। • हालांकि, UIDAI ने ऐसा कोई **विशिष्ट प्रमाण/प्रपत्र या प्रक्रिया निर्धारित नहीं की है,** जिससे यह कहा जा सके कि "देश में सभी आधार धारक आधार अधिनियम में परिभाषित भारत के 'निवासी' हैं"। साथ ही, UIDAI ने इसकी पुष्टि के लिए भी **कोई प्रणाली तय नहीं की है।**
बाल आधार कार्ड	• UIDAI **पांच वर्ष से कम आयु के नाबालिग बच्चों** के लिए उनके माता-पिता की बायोमेट्रिक जानकारी के आधार पर बाल आधार कार्ड जारी करता है। **यह आधार अधिनियम के मूल सिद्धांत के विरुद्ध है। इसकी भारी लागत वहन करनी पड़ती है।**

	साथ ही, इसके लिए बायोमेट्रिक पहचान की विशिष्टता की पुष्टि (जो आमतौर पर इतनी कम आयु में नहीं की जा सकती) की आवश्यकता होती है।
डेटा संरक्षण	• UIDAI विश्व के सबसे बड़े बायोमेट्रिक डेटाबेसेज़ में से एक का प्रबंधन कर रहा है। लेकिन, इसके पास **डेटा संग्रहण (Data Archiving) के लिए नीति नहीं है। डेटा संग्रहण नीति डेटा के** भंडारण एवं प्रबंधन हेतु एक सर्वोत्तम तरीका है।
डुप्लीकेशन को समाप्त करना	• हालांकि, UIDAI ने आधार के लिए नामांकन हेतु **आईरिस-आधारित प्रमाणीकरण सुविधाओं को प्रारंभ किया है। किंतु अनेक उदाहरण इसकी** डुप्लीकेशन प्रक्रिया संबंधी **खामियों को प्रकट करते** हैं। इन उदाहरणों में **अलग-अलग निवासियों के लिए एक ही बायोमेट्रिक डेटा का होना, दोषपूर्ण बायोमेट्रिक और दोषपूर्ण दस्तावेजों के साथ आधार जारी करना इत्यादि** शामिल हैं। • वर्ष 2019 में UIDAI को 4.75 लाख से अधिक आधार, डुप्लीकेट या समरूप होने के कारण निरस्त करने पड़े थे।
डेटा मिलान	• सभी आधार नंबरों का उनके **धारकों की व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित दस्तावेजों के साथ मिलान नहीं** किया गया था। अतः UIDAI दस वर्षों के बाद भी **ऐसे बेमेल कार्ड्स की सही सीमा निर्धारित करने में असमर्थ है।**
दोषपूर्ण प्रणाली	• यदि नामांकन के दौरान दोषपूर्ण डेटा फीड किया गया है, तो उसके **स्वैच्छिक बायोमेट्रिक अपडेट के लिए UIDAI ने लोगों से शुल्क वसूल किया है।** • 73% बायोमेट्रिक अपडेट लोगों द्वारा स्वैच्छिक रूप से करवाए गए थे।
अवसंरचना सत्यापन	• प्रमाणीकरण परिवेश में नियुक्ति से पहले सत्यापन आवश्यक है। किंतु इस संदर्भ में सेवा देने के लिए अनुरोध करने वाली तथा प्रमाणीकरण सेवा संस्थाओं की **अवसंरचना एवं तकनीकी आधार का कोई सत्यापन नहीं होता है।** • साथ ही, **प्रमाणीकरण में हुई त्रुटियों के कारणों का विश्लेषण करने के लिए कोई प्रणाली स्थापित नहीं की गई है।**
अपर्याप्त व्यवस्था	• **सही प्राप्तकर्ता को आधार कार्ड की डिलीवरी सुनिश्चित करने हेतु** डाक विभाग के साथ UIDAI की व्यवस्था **पर्याप्त नहीं थी।** ऐसा देखा गया कि बड़ी संख्या में आधार कार्ड बिना डिलीवर हुए ही वापस आ गए।

आधार संबंधित अन्य प्रचलित मुद्दे:

- **अविश्वसनीय जनसांख्यिकीय विवरण:** आधार कार्ड पर जनसांख्यिकीय विवरण प्राय: **असत्यापित और अविश्वसनीय** होते हैं। विशेष रूप से आधार कार्ड पर व्यक्ति की जन्म तिथि और **आयु को सही करना सामान्यतः** जन्म प्रमाण-पत्र जैसे सहायक दस्तावेजों के बिना कठिन होता है।
- **धोखाधड़ी की ज्यादा संभावना वाली आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS):** भ्रष्ट बिज़नेस करेस्पॉन्डेंट्स AePS का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग कर रहे हैं। यह दुरुपयोग **अनभिज्ञ पीड़ितों को विश्वास दिला कर उनसे छलपूर्वक धन लेने** के लिए किया जा रहा है।
- **सहमति:** डेटा का किस प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाएगा, इस बारे में कोई सूचित सहमति नहीं होती है।
- **अधिकारों का उल्लंघन:** बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा का संभावित लीकेज लोगों की निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। फिर चाहे यह लीकेज केंद्रीय आधार भंडार से हो या वितरण के स्तर से अथवा नामांकन उपकरण से।
- **बाहर निकलने के विकल्प:** UIDAI डेटाबेस से बाहर निकलने के विकल्पों का अभाव है।
- **उत्तरदायित्व का अभाव:** प्रणालीगत विफलता और इसके कारण पीड़ित किसी व्यक्ति के संदर्भ में, UIDAI संसद के प्रति उत्तरदायी नही है।

CAG द्वारा दिए गए सुझाव:

- **डेटा नीति तैयार करनी चाहिए:** UIDAI को डुप्लिकेट डेटा को हटाकर डेटा संग्रहण को कम करना चाहिए। साथ ही, इसे भंडारित **डेटा के सुरक्षा संबंधी जोखिम को कम करने हेतु एक उपयुक्त डेटा संग्रहण नीति** तैयार करने की आवश्यकता है।
- **डुप्लीकेशन पर अंकुश लगाना चाहिए:** UIDAI को **'स्वचालित बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।** इससे प्रारंभिक चरण में ही मल्टीपल/डुप्लीकेट आधारों के निर्माण पर अंकुश लगाया जा सकेगा।
    - साथ ही, UIDAI को **पांच वर्ष से छोटे बच्चों के लिए बायोमेट्रिक पहचान की विशिष्टता को प्राप्त करने के वैकल्पिक उपायों की खोज करनी चाहिए।** विशेषकर अब जब उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि आधार कार्ड के अभाव में किसी भी बच्चे को किसी भी लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा।

- **व्यवस्थित प्रक्रिया की स्थापना करना:** UIDAI को स्व-घोषणा से आगे बढ़कर कार्य करना चाहिए। इसे आवेदकों के निवास-स्थिति की पुष्टि और प्रमाणन हेतु **स्व-घोषणा के अतिरिक्त एक प्रक्रिया निर्धारित करनी चाहिए। साथ ही, इस संदर्भ में आवश्यक दस्तावेजों को निर्धारित करना चाहिए।**
- **जटिलताओं से बचना चाहिए:** UIDAI डेटाबेस में **लापता दस्तावेजों की पहचान करने और उन्हें पूर्ण करने के लिए सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता है।** इससे वर्ष 2016 से पूर्व जारी किए गए आधार धारकों को किसी भी कानूनी जटिलता या असुविधा से बचाया जा सकेगा।
- **नियमित समीक्षा की जानी चाहिए:** UIDAI को **निवासियों के बायोमेट्रिक के स्वैच्छिक अपडेट के लिए शुल्क नहीं वसूलना चाहिए।** ऐसा इसलिए, क्योंकि दोषपूर्ण बायोमेट्रिक कैप्चर में निवासियों का कोई दोष नहीं था।
- **सफलता दर में सुधार करना चाहिए:** UIDAI को विफलता के मामलों का विश्लेषण करके **प्रमाणीकरण कार्यों की सफलता दर में सुधार करने** का प्रयास करना चाहिए।
- **पूर्ण सत्यापन करना चाहिए:** UIDAI को आधार परिवेश में संस्थाओं (अनुरोध करने वाली संस्था एवं प्रमाणीकरण सेवा संस्थाओं) को सम्मिलित करने से पूर्व उनका गहन सत्यापन करना चाहिए। इसमें उनके **दस्तावेजों, आधारभूत तंत्र एवं तकनीकी आधार की उपलब्धता के दावों का सत्यापन शामिल होना चाहिए।**
- **आधार डेटा भंडार को सुरक्षित करना: आधार डेटा वॉल्ट प्रक्रिया के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना आवश्यक है।** इससे उपयोगकर्ता संगठनों द्वारा भंडारित आधार संबंधित डेटा की सुरक्षा को बढ़ाया जा सकेगा। **साथ ही, इसके लिए समय-समय पर स्वतंत्र रूप से ऑडिट करने** की आवश्यकता है।

परिशिष्टः प्रमुख आंकड़े और तथ्य

आरक्षण

संवैधानिक प्रावधान/आंकड़े	निर्णय/सिफारिशें
अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), **अनुच्छेद 16** (अवसर की समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 19 (यह प्रावधान करता है कि कोई भी नागरिक भारत के सम्पूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूम सकता है)। **अनुच्छेद 16(3)** के अनुसार केवल संसद ही इस पर कानून बना सकती है, राज्य विधानमंडल नहीं।	**डॉ. प्रदीप जैन बनाम भारत संघ वाद (1984)**: सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ऐसी नीतियां असंवैधानिक हो सकती हैं, किंतु इस पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं दिया। **सुनंदा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य वाद (1995)**: सुप्रीम कोर्ट ने प्रदीप जैन मामले के विचार की पुष्टि की। **इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ (1992) और एम नागराज बनाम भारत संघ वाद (2006)**: आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता, जब तक कि इसके पीछे कोई असाधारण कारण न हों। **कैलाश चंद शर्मा बनाम राजस्थान राज्य वाद (2002)**: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति को अमान्य घोषित कर दिया (इसमें जिन जिलों में नियुक्ति की जानी थी, उस जिले या ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों को वरीयता दी गई थी)

समान नागरिक संहिता

संवैधानिक प्रावधान/आंकड़े	निर्णय/सिफारिशें
संविधान के **अनुच्छेद 44 को अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 (b) और अनुच्छेद 29** के तहत प्राप्त गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के विरुद्ध देखने की प्रवृत्ति।	**एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ वाद, 1993**: सेक्युलरिज्म संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। **उच्चतम न्यायालय के कई न्यायिक निर्णयों (मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम, 1985 और सरला मुद्गल बनाम भारत संघ वाद, 1995)** ने किसी न किसी रूप में समान नागरिक संहिता का समर्थन किया है।

धर्मांतरण विरोधी कानून

संवैधानिक प्रावधान/आंकड़े	निर्णय/सिफारिशें
कर्नाटक विधान सभा ने कर्नाटक राइट टू फ्रीडम ऑफ़ रिलीजन विधेयक, 2021 **पारित किया**। इसे सामान्यतः **धर्मांतरण विरोधी विधेयक** के रूप में जाना जाता है। यह विधेयक अब **कर्नाटक विधान परिषद्** के पास जाएगा।	रेव. स्टेनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य वाद (1977): इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और ओडिशा में सबसे पहले बने धर्मांतरण विरोधी कानूनों की जांच की। न्यायालय ने इन दोनों कानूनों की संवैधानिकता को बरकरार रखा। न्यायालय ने माना कि धर्मांतरण को रोकने के ये प्रयास अंतरात्मा की स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए किए गए हैं। सरला मुद्गल वाद (1995): सुप्रीम कोर्ट ने माना कि केवल बहुविवाह करने के उद्देश्य से इस्लाम में धर्मांतरण करना वैध नहीं माना जा सकता है। → वर्ष 2000 में लिली थॉमस वाद में इस स्थिति की फिर से पुष्टि की गई, जिसमें स्पष्ट किया गया कि द्विविवाह के लिए अभियोजन (मुकदमा चलाना) अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं है। लता सिंह बनाम यू.पी. राज्यः इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अंतर्जातीय और अंतर-धार्मिक विवाह के मामलों में हिंसा या धमकी जैसे कार्यों पर कड़ी सजा की आवश्यकता पर बल दिया। एम. चंद्र बनाम एम. थंगमुथु और अन्य वाद (2010) में सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन को साबित करने के लिए दो परीक्षण निर्धारित किए- पहला, सही मायने में धर्मांतरण हुआ हो तथा दूसरा, उस समुदाय में स्वीकृति जिसमें व्यक्ति धर्मांतरित हुआ है। इसमें यह भी कहा गया कि धर्मांतरण की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है। जी. ए. आरिफ उर्फ आरती शर्मा बनाम गोपाल दत्त शर्मा वाद (2010) और फहीम अहमद बनाम माविया वाद (2011): दिल्ली उच्च न्यायालय ने खेद व्यक्त किया कि धर्म परिवर्तन का उपयोग इसके प्राथमिक उद्देश्य यानी आध्यात्मिक उन्नति के स्थान पर अन्य चीजों के लिए तेजी से किया जा रहा है।

दल-बदल विरोधी कानून

संवैधानिक प्रावधान/आंकड़े	निर्णय/सिफारिशें
⊖ 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 ⊖ 10वीं अनुसूची को दल-बदल विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है।	⊖ **किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिलु और अन्य वाद, 1992**– सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर के निर्णयों पर न्यायिक समीक्षा लागू होती है, किंतु यह स्पीकर द्वारा निर्णय लेने से पहले किसी चरण में लागू नहीं की जा सकती है। ⊖ **केशम मेघचंद्र सिंह बनाम माननीय अध्यक्ष मणिपुर विधान सभा और अन्य वाद (2020)** में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता याचिकाओं पर स्पीकर द्वारा तीन महीने के भीतर फैसला लिया जाना चाहिए। ⊖ **प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट "एथिक्स इन गवर्नेंस" और अन्य विशेषज्ञ समितियों** ने सिफारिश की है कि दल-बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता संबंधी मुद्दा चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा हल किया जाना चाहिए। ⊖ **सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि** "संसद को संविधान में संशोधन करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह के विवादों का फैसला तेजी से और निष्पक्षता के साथ किया जाए। इसके लिए अध्यक्ष पद को एक स्थायी ट्रिब्यूनल से बदला किया जा सकता है। इस ट्रिब्यूनल का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या किसी अन्य बाहरी स्वतंत्र तंत्र द्वारा किया जा सकता है।"

राजद्रोह (सेडीशन)

संवैधानिक प्रावधान/आंकड़े	निर्णय/सिफारिशें
⊖ NCRB के अनुसार, 2016-2019 के दौरान **राजद्रोह के मामलों की संख्या में 160 प्रतिशत (93 मामले) की वृद्धि हुई।** ⊖ वर्ष 2019 में इन मामलों में **दोषसिद्धि (Conviction) की दर 3.3%** थी, जबकि 2020 में यह 33.3% थी। ⊖ **राजद्रोह के सबसे अधिक मामले (2010-2020) बिहार में दर्ज किए गए**, इसके बाद यू.पी., कर्नाटक और झारखंड का स्थान आता है। ⊖ यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, घाना, नाइजीरिया और युगांडा ने राजद्रोह कानून को अलोकतांत्रिक, अवांछनीय और अनावश्यक माना है।	⊖ **केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य वाद** (1962) – राजद्रोह कानून वैध है। ⊖ **बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य** वाद में न्यायालय ने माना कि केवल ऐसी नारेबाजी को राजद्रोह नहीं माना जा सकता है जिस पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं हुई हो।

राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र

संवैधानिक प्रावधान/आंकड़े	निर्णय/सिफारिशें
⊖ संविधान सहकारी समितियों के गठन का प्रावधान करता है, जो अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत एक मौलिक अधिकार है, लेकिन इसमें राजनीतिक दल बनाने का अधिकार शामिल नहीं है। ⊖ जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A में निर्वाचन आयोग के अधीन राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान किया गया है।	⊖ दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति जैसी समितियों ने देश में राजनीतिक दलों के काम-काज में अधिक पारदर्शिता लाने के पक्ष में जोरदार तर्क दिए हैं।

कोऑपरेटिव्स या सहकारी समितियां

संवैधानिक प्रावधान/आंकड़े	निर्णय/सिफारिशें
97वां संशोधन अधिनियम: यह संशोधन अधिनियम देश में सहकारी समितियों के प्रभावी प्रबंधन से संबंधित है। **अनुच्छेद** 19(1)(c): यह अनुच्छेद कुछ प्रतिबंधों के अधीन एसोसिएशन या यूनियन या कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। **अनुच्छेद** 43B: इस अनुच्छेद के अनुसार, राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त काम-काज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। **संविधान का भाग** IXB: इसके अनुसार, सहकारी समितियों को चलाने के लिए कुछ शर्तों को निर्धारित किया गया है।	सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि सहकारी समितियां (बहु-राज्यीय सहकारी समिति को छोड़कर) राज्य विधान-मंडलों की "अनन्य विधायी शक्ति" के अंतर्गत आती हैं। सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने देश में "सहकारी समितियों" के प्रभावी प्रबंधन से जुड़े संविधान के भाग IXB के अधिकांश हिस्सों को रद्द घोषित किया।

सातवीं अनुसूची

संवैधानिक प्रावधान/आंकड़े	निर्णय/सिफारिशें
अनुच्छेद 246 के तहत 7वीं अनुसूची राज्य और केंद्र सरकारों के बीच तीन सूचियों (संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची) में **शक्तियों और जिम्मेदारियों का विभाजन करती है।** संघ सूची में वे विषय शामिल हैं **जिन पर संसद कानून बना सकती है।** राज्य सूची में वे विषय शामिल हैं **जिन पर राज्य विधान-मंडल कानून बना सकते हैं।** → समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर **संसद और राज्य विधान-मंडल दोनों कानून बना सकते हैं।** → हालांकि, दोनों संस्थाओं के कानूनों में संघर्ष की स्थिति में संविधान **समवर्ती सूची के विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून को सर्वोच्चता** प्रदान करता है। **अनुच्छेद 248 संसद को अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान करता है।** → **अवशिष्ट शक्तियों में वे विषय शामिल होते हैं जिनका उल्लेख राज्य या समवर्ती सूची में नहीं है।**	**सरकारिया आयोग की सिफारिशें (1998 की रिपोर्ट):** → **अवशिष्ट शक्तिः कर लगाने की अवशिष्ट शक्ति** को संघ सूची में रखा जाना चाहिए। अन्य अवशिष्ट शक्तियों को संघ सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। → **समवर्ती सूचीः केंद्र को समवर्ती सूची पर अपने अधिकार** का प्रयोग करने से पहले राज्यों से परामर्श करना चाहिए। **एम. एम. पुंछी आयोग** (2010) के अनुसार, केंद्र को केवल उन्हीं विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित करना चाहिए जो राष्ट्रीय नीति के बुनियादी मुद्दों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं।

राजनीति का अपराधीकरण

संवैधानिक प्रावधान/आंकड़े	निर्णय/सिफारिशें
वर्ष 2019 के डेटा के अनुसार, 2009 के बाद से घोषित गंभीर आपराधिक मामलों वाले सांसदों की संख्या में 109% की वृद्धि हुई है। ADR के विश्लेषण से पता चलता है कि आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले उम्मीदवारों के जीतने की संभावना, अच्छे रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों की तुलना में दोगुनी थी। वर्ष 2022 में 226 राज्य सभा सांसदों में से 71 (31%) पर आपराधिक मामले और 37 (16%) पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।	**भारत संघ बनाम** ADR, **2002**: इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक पद हेतु चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के पुराने रिकॉर्ड जानने का मौलिक अधिकार मतदाताओं को प्राप्त है। **पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ, 2004**: इस वाद में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) की धारा 33B को चुनौती दी गई थी। धारा 33B ने ADR मामले (2002) में निर्णय को रद्द कर दिया था। → इसमें RPA की धारा 33B को असंवैधानिक और शून्य करार दिया गया था, क्योंकि यह "निर्वाचकों के बारे में जानने के अधिकार" का उल्लंघन करती थी। **लिली थॉमस बनाम भारत संघ, 2013**: संसद और राज्य विधायिका के ऐसे सदस्य, जिन्हें किसी अपराध के लिए कम-से-कम 2 वर्ष के कारावास की सजा दी गई है, उनकी सदन की सदस्यता तत्काल समाप्त हो जाएगी। वर्ष 2017 में, सांसदों के लंबे समय से लंबित मुकदमों को तेजी से आगे बढ़ाने हेतु देश भर में विशेष अदालतें स्थापित करने की बात कही गयी थी। जनहित फाउंडेशन मामले (2018) में, अदालत ने कहा कि प्रत्येक उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से पहले चुनाव आयोग के सामने अपने आपराधिक इतिहास की घोषणा करनी होगी।

राज्यपाल

मामले/सिफारिशें/आंकड़े
सरकारिया आयोगः राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना चाहिए। अनुच्छेद-356 (राष्ट्रपति शासन) का प्रयोग बहुत संयमित तरीके से करना चाहिए, आदि।
पुंछी आयोगः राज्यपाल का कार्यकाल पांच साल की एक निश्चित अवधि के लिए होना चाहिए। राज्यपाल द्वारा विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग तार्किक आधार पर किया जाना चाहिए।
संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCRWC): किसी राज्य की मंत्रिपरिषद ने विधान सभा का विश्वास खो दिया है या नहीं, इसका परीक्षण केवल सदन के फ्लोर पर किया जाना चाहिए।

न्यायपालिका

मामले/सिफारिशें/आंकड़े
वर्तमान में लंबित मामलेः न्यायपालिका के अलग-अलग स्तरों पर 4.7 करोड़ से अधिक मामले लंबित है।
न्यायिक बुनियादी ढांचे की स्थितिः 32% अदालतों में अलग रिकॉर्ड रूम है तथा 73% में वीडियो-कांफ्रेंसिंग की सुविधा का अभाव है।
कोषः कुल स्वीकृत 981.98 करोड़ रुपये में से 91.36% का उपयोग ही नहीं किया गया है।
अत्यधिक भीड़ः NCRB के 2019 के डेटा के अनुसार, 1,306 जेल में 4.1 लाख की स्वीकृत संख्या की तुलना में 4.8 लाख कैदी हैं।

वीकली फोकस

राजव्यवस्था और अभिशासन

मुद्दे	विवरण	अन्य जानकारी
भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची - क्या इस पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है?	सातवीं अनुसूची सरकार के उस स्तर को निर्धारित करती है, जिस पर सार्वजनिक हस्तक्षेप और सार्वजनिक व्यय होता है। शक्ति का यह विभाजन हमारी राजव्यवस्था के संघीय स्वरूप को व्यवस्थित करता है। सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर इसकी प्रकृति स्थिर नहीं रहती, बल्कि सदैव गतिमान रहती है। क्या वर्तमान संदर्भ में इस पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है?	
शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से मजबूत बनाना	शहर **विकास के इंजन** के रूप में काम करते हैं। ये भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए, हमें अपने शहरों को उचित रूप से प्रबंधित करने की आवश्यकता है। यहां पर शहरी स्थानीय सरकारों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन क्या इनकी वित्तीय क्षमता सही है? यह दस्तावेज़ शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय सशक्तीकरण में बाधाओं की जांच करता है। साथ ही, इन निकायों को उनके वित्तीय प्रबंधन में और मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर देता है।	
भारत में राजकोषीय संघवाद की बदलती स्थिति	ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों **राजकोषीय असंतुलन** संघों के लिए सामान्य होते हैं। भारत भी इसका अपवाद नहीं है। यह दस्तावेज़ भारतीय राजकोषीय संघवाद के कई आयामों, संघ-राज्य राजकोषीय संबंधों के बदलते स्वरूपों और कई मौजूदा प्रमुख चिंताओं पर चर्चा करता है। इनका भारत के विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। क्या इन चिंताओं का समाधान किया जा सकता है? विशेषज्ञ क्या सुझाव देते हैं, यह जानने के लिए इस दस्तावेज को विस्तार से पढ़ें।	
संवैधानिक नैतिकता	ग्रोटे ने वर्ष 1846 में एथेनियन लोकतंत्र के उत्थान और पतन के बारे में लिखा था। तब उन्होंने समझाया था कि पूरे समाज में 'संवैधानिक नैतिकता' की भावना का प्रसार एक स्थिर, शांतिपूर्ण और मुक्त समाज के लिए पहली आवश्यकता है। क्या संवैधानिक नैतिकता एक भावना है या दायित्व? संवैधानिक नैतिकता की उपेक्षा का क्या अर्थ है? क्या यह उपेक्षा संवैधानिक रूप से न्यायसंगत है? यह दस्तावेज़ **संवैधानिक नैतिकता** की अवधारणा की उत्पत्ति और विकास की छानबीन करता है। साथ ही, समाज के लोकतांत्रिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए इसे लागू करने हेतु एक मध्यम मार्ग खोजने का प्रयास करता है।	

सरकारी बजट: क्या, क्यों और कैसे?	कल्याणकारी राज्य के उदय ने यह महत्वपूर्ण बना दिया है कि सरकारी धन का सामान्य रूप से समाज की तथा विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले वर्गों की जीवन स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाए। इसलिए, एक सुनियोजित बजट किसी भी सरकार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दस्तावेज़ भारत की बजटीय प्रक्रिया के विकास को विस्तार से बताता है। साथ ही, इस प्रक्रिया में निहित कमजोरियों पर भी ध्यान दिया गया है। आगे बढ़ते हुए, यह उन कारकों पर भी चर्चा करता है, जो भारतीय बजट की विश्वसनीयता और उन सुधारों को हानि पहुंचा रहे हैं, जो बजट प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक हैं।	
अंतर्राज्यीय जल अभिशासन- संघर्ष से सहयोग तक	लंबे समय से यह अनुमान लगाया गया है कि देश जल पर नियंत्रण के लिए युद्ध करेंगे। यह युद्ध अंतर्राष्ट्रीय नदियों के जल विभाजन जैसे मुद्दों को लेकर देशों के बीच होने की संभावना है। हालांकि, इस आशंका के विपरीत, यह देखा गया है कि उपराष्ट्रीय विवाद कहीं अधिक सर्वव्यापी हैं। भारत में अंतर्राज्यीय नदी के जल को लेकर समय-समय पर राज्यों के बीच इस तरह के संघर्ष देखने को मिलते हैं। यह दस्तावेज़ भारतीय संघीय प्रणाली के भीतर अंतर्राज्यीय नदी जल अभिशासन के संस्थागत और राजनीतिक ताने-बाने में मौजूदा चुनौतियों एवं अंतरालों की समझ प्रदान करता है। साथ ही, एक प्रभावी नदी जल अभिशासन सुनिश्चित करने के लिए सिफारिशें प्रदान करता है।	
मीडिया में सेंसरशिप: एक आवश्यक बुराई?	वर्तमान समय में भारतीय मीडिया एक छोर पर स्वतंत्रता को बचाने और दूसरे छोर पर हानिकारक कंटेंट को सेंसर करने के बीच उलझा हुआ है। यह दस्तावेज देश में कंटेंट सेंसरशिप से संबंधित आवश्यकता और मुद्दों की जांच करता है। साथ ही, हमारे वाक् और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार के साथ मीडिया सेंसरशिप को संतुलित करने के सर्वोत्तम तरीकों पर चर्चा भी करता है।	
भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली: न्याय प्रदान करने के लिए संस्थानों में सुधार	व्यवस्थित समाज का संपूर्ण अस्तित्व आपराधिक न्याय प्रणाली के मजबूत और कुशल कामकाज पर निर्भर करता है। भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली के विकास और विभिन्न घटकों को समझते हुए, यह दस्तावेज़ उन विभिन्न विकृतियों एवं दोषों की जांच करता है, जिनसे वर्तमान आपराधिक न्याय प्रणाली प्रभावित होती है। यह आगे देश में न्याय की समानता और तेजी से न्याय प्रदान करने हेतु प्रणाली को मजबूत करने के लिए विभिन्न विकल्पों तथा सुझावों को इंगित भी करता है।	
सहकारिता: सहयोग के माध्यम से समृद्धि	भारत में सहकारी समिति का एक समृद्ध और सफल इतिहास रहा है। आज सहकारी समितियां सामूहिकता और लोकतंत्र की भावना को जीवित रखने के लिए सबसे अच्छे माध्यम हैं। सहकारी समितियों जैसे सामाजिक संगठनों के एक बड़े नेटवर्क की उपस्थिति, सामाजिक पूंजी के उत्पादन और उपयोग में सहायता करेगी। सामाजिक पूंजी जितनी अधिक होगी, विकास की संभावना भी उतनी ही अधिक होगी। यह दस्तावेज़ भारत के विकास में सहकारी क्षेत्र की प्रासंगिकता और भूमिका पर प्रकाश डालता है। साथ ही, यह इस क्षेत्रक के समक्ष मौजूदा बाधाओं की जांच करता है और क्षेत्रक को आगे बढ़ने के लिए आगे की राह तैयार करता है।	

अनूठा भारतीय संघवाद: विकसित होते आयाम और उभरते सरोकार	भारतीय संविधान के संस्थापकों ने भारत जैसे विविधतापूर्ण राष्ट्र की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक अनूठे संघीय ढांचे की कल्पना की थी। संघीय अभिशासन की एक सुव्यवस्थित संरचना और अच्छी तरह से कार्य करने वाली प्रणाली होती है। यह प्रणाली अपने कई गुना लाभों के आधार पर, किसी भी राष्ट्र की स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि, पिछले दशकों के दौरान भारतीय संघ की कार्यप्रणाली केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों में होने वाले टकराव को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। यह दस्तावेज़ भारत के संघीय ढांचे की उभरती हुई प्रकृति और महत्व को सूचीबद्ध करता है। इसके अलावा, यह उभरते खतरों और इसे प्रभावित करने वाले परिवर्तनों पर भी प्रकाश डालता है। आगे बढ़ते हुए, यह भारतीय संघवाद के ताने-बाने को मजबूत करने के लिए कुछ उपायों का सुझाव देता है, जो इसकी अनूठी विशेषताओं को बरकरार रखेंगे।	
चुनावी सुधार: प्रभावी लोकतंत्र के लिए एक दृष्टिकोण	भारत में चुनाव किसी उत्सव से कम नहीं होते हैं। सत्तर के दशक से बूथ कैप्चरिंग, मतदाताओं को भयभीत करना और कई राज्यों में बड़ी संख्या में निर्वाचन क्षेत्रों में हिंसा चुनावों के दौरान आम घटनाएं होती थीं। वर्तमान में ये घटनाएं बहुत कम हो चुकी हैं, परन्तु चुनावी सुधारों की आवश्यकता को सभी राजनीतिक दलों ने स्वीकार किया है और इस संबंध में कई सुझाव भी दिए हैं। यह दस्तावेज़ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की मूल बातें और संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया की कमियों की व्याख्या करता है। साथ ही, यह भारत में अभी तक हुए चुनावी सुधारों के बारे में भी बताता है।	

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

2021 सिविल सेवा परीक्षा में शीर्ष 10 में से 8 चयन
from various programs of Vision Ias
CIVIL SERVICES EXAMINATION 2020
1 AIR
SHUBHAM KUMAR
2 AIR
ANKITA AGARWAL
3 AIR
GAMINI SINGLA
4 AIR
AISHWARYA VERMA
5 AIR
UTKARSH DWIVEDI
6 AIR
YAKSH CHAUDHARY
7 AIR
SAMYAK S JAIN
8 AIR
ISHITA RATHI
9 AIR
PREETAM KUMAR
YOU CAN BE NEXT
HEAD OFFICE Apsara Arcade, 1/8-B, 1st Floor, Near Gate 6, Karol Bagh Metro Station
+91 8468022022, +91 9019066066
Mukherjee Nagar Centre
635, Opp. Signature View Apartments, Banda Bahadur Marg, Mukherjee Nagar
दिल्ली
जयपुर 9001949244
हैदराबाद 9000104133
पुणे 8007500096
अहमदाबाद 9909447040
लखनऊ 8468022022
चंडीगढ़ 8468022022
गुवाहटी 8468022022
/c/VisionIASdelhi
/vision_ias
/visionias_upsc
/VisionIAS_UPSC